



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)





संघ सरकार
विद्युत मंत्रालय
2013 की प्रतिवेदन संख्या 27
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय–सूची

संदर्भ	विषय	पृष्ठ संख्या
	कार्यकारी सार	*v - xi*
भाग I – प्रस्तावना		
अध्याय 1	राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) – एक विहंगावलोकन	1-10
अध्याय 2	लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	11-13
भाग II – लेखापरीक्षा परिणाम		
अध्याय 3	नियोजन	15-30
अध्याय 4	वितीय प्रबंधन	31-45
अध्याय 5	परियोजनाओं का प्रतिपादन, निष्पादन और प्रबंधन	47-77
अध्याय 6	अनुवीक्षण और मूल्यांकन	79-92
अध्याय 7	परिणामों का मूल्यांकन	93-106
अध्याय 8	निष्कर्ष और सिफारिशें	107-110
भाग III – अनुलग्नक		
	अनुलग्नक	A-1 – A-56



प्राक्कथन

संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत संसद के समक्ष रखे जाने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। 2004–05 से 2011–12 की आठ वर्षों से संबंधित इस प्रतिवेदन में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल है।

मार्च 2005 में विद्युत मंत्रालय भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देने हेतु राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) को आरंभ किया।

योजना के सर्व–भारत स्वभाव, वित्तीय परिव्यय के आकार और लक्ष्यित लाभार्थियों की संख्या ने इसे एक महत्वाकांक्षी योजना बना दिया। लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि क्या इस योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सका।





कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.) ने गाँवों में विद्युतीकरण की गति तीव्र करने हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई) को आरंभ (मार्च 2005) किया। एम.ओ.पी. ने तत्पश्चात्, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के सभी विद्यमान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों का आर.जी.जी.वी.वाई. के साथ समावेश कर दिया। आर.जी.जी.वी.वाई के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे :

- सभी गाँवों और बस्तियों का विद्युतीकरण,
- सभी घरों को बिजली उपलब्ध करवाना,
- गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) परिवारों को निःशुल्क बिजली का कनैक्शन देना,
- सिंचाई, लघु उद्योगों, कोल्ड चेन्स, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) के द्वारा गरीबी उन्मूलन, रोज़गार सृजन एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना,
- शहरी–ग्रामीण दूरी को खत्म करना और ग्रामीण क्षेत्रों को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करना।

इस योजना का आरंभ राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के वायदों को पूरा करने के लिए किया गया जिसके अनुसार पाँच वर्षों में अर्थात् 2009 तक सभी घरों में विद्युतीकरण पूरा होना था। 2009 तक, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 1,25,000 बिना बिजली वाले गाँवों और 7.8 करोड़ ग्रामीण घरों को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य था, जिसमें 2.34 करोड़ बी.पी.एल. घरों को निशुल्क बिजली का कनैक्शन भी सम्मिलित है।

जी.ओ.आई. स्तर पर, एम.ओ.पी. सर्वोपरि प्राधिकरण है जो इस योजना के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी.) इस योजना की नोडल एजेंसी है जो इसके सम्पूर्ण कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है जिसमें परियोजना संवीक्षा और आंकलन, समन्वय, निगरानी और निधियों को जारी करना शामिल है। आगे, इस योजना का कार्यान्वयन, परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों (पी.आई.ए.) अर्थात् स्टेट पावर यूटिलिटिज़ (एस.पी.यू.)/विद्युत वितरण कम्पनियों, राज्य विद्युत बोर्डों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) के द्वारा किया जाना था।

आर.जी.जी.वी.वाई का आरंभ 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के अंत में किया गया था जिसकी निरंतरता 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) तक अपेक्षित थी। 10वीं योजना के दौरान, ₹ 9,733.35 करोड़ मूल्य की 235 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संस्वीकृतियाँ प्रदान की गई जबकि 11वीं योजना में ₹ 16,694.43 करोड़ मूल्य की 341 परियोजनाएँ संस्वीकृत की गई।

आर.जी.जी.वी.वाई की निष्पादन लेखापरीक्षा 27 राज्यों में की गई। 10वीं और 11वीं योजनाओं के दौरान कार्यान्वित 576 परियोजनाओं में से, 169 परियोजनाओं जो 2004–05 से 2011–12 की अवधि से संबंधित थीं, का जाँच परीक्षण किया गया। एम.ओ.पी., आर.ई.सी., राज्य सरकारों, सी.पी.एस.ई. एवं जिलों

में अभिलेखों की संवीक्षा की गई, इसके अलावा गाँवों और बी.पी.एल. लाभार्थियों का भी एक सीमित सर्वेक्षण किया गया।

मुख्य बातें

योजना का सूत्रीकरण (अध्याय 3 और 5)

(i) उन आँकड़ों में असंगतियाँ थीं जो एम.ओ.पी. द्वारा प्रक्षेपित अविद्युतीकृत और विद्युतीकृत गाँवों के लक्ष्यों का आधार थे। विद्युतीकृत और अविद्युतीकृत दोनों गाँवों की कवरेज़ में महत्वपूर्ण बदलाव आया था। इन आँकड़ों की अविश्वसनीयता एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि विभिन्न प्रस्तावों और आर.ई.सी. के आँकड़ों में प्रदर्शित लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित कर पाना कठिन था।

(पैरा 3.2)

(ii) ऊर्जा पर स्थायी समिति (14वीं लोकसभा) की सिफारिशों के बावजूद भी जिसके अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण की अद्यतित सांख्यिकी राज्यों से प्राप्त करनी थी और अद्यतित सांख्यिकी के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में संशोधन करना था, एम.ओ.पी. ने योजना का आरम्भ करने से पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन नहीं करवाया था। सितम्बर 2008 तक भी एम.ओ.पी. के पास सभी राज्यों की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं थी जिससे यह पता चलता है कि 10वीं और 11वीं योजनाओं में प्रयुक्त आँकड़ों का आधार मज़बूत नहीं था। यह सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं था कि एम.ओ.पी. ने पूर्व योजनाओं के प्रभाव और नतीजों पर विचार करते हुए विद्युतीकृत गाँवों, बी.पी.एल. घरों आदि की संख्या की पहचान की थी।

(पैरा 3.1, 3.2 और 3.3)

(iii) सी.सी.ई.ए. के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले लागत अनुमानों को वास्तविक रूप से तैयार करने की और अधिक संभावना थी जो एम.ओ.पी. के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित थी। नियोजन के समय अविद्युतीकृत गाँवों और बी.पी.एल. लाभार्थियों की पहचान और अनुमान में कमियों के कारण लागत अनुमानों में ₹ 2,262 करोड़ की भिन्नताएँ थी।

(पैरा 3.4)

(iv) डी.पी.आर. बनाने से पहले किसी भी पी.आई.ए ने सर्वेक्षण नहीं करवाया था। बी.पी.एल. घरों के आँकड़ों के लिए सात राज्यों में, पी.आई.ए. ने 2001 के बाद ग्रामीण जनसंख्या/बस्तियों/गाँवों में हुई वृद्धि को ध्यान में न रखते हुए 2001 की जनगणना के आँकड़ों का प्रयोग किया। शेष राज्यों में, पी.आई.ए. ने अन्य स्रोतों से बी.पी.एल. आँकड़े एकत्रित किए। आर.ई.सी. द्वारा 169 चुनी गई परियोजनाओं में से, 162 परियोजनाओं* के संबंध में लेखापरीक्षा के लिए डी.पी.आर. प्रस्तुत की गई, परंतु आवश्यक सूचना/आँकड़े जैसे जिले में विद्युतीकरण की विद्यमान स्थिति, अनुमानित लागत, प्रत्येक वर्ष में होने वाले कार्य और परियोजना के निष्पादन हेतु पी.ई.आर.टी. चार्ट आदि डी.पी.आर. के साथ संलग्न नहीं थे। 577 डी.पी.आर.†, में से, 519 डी.पी.आर. जो कुल डी.पी.आर.

* परियोजनाएँ जिनके संदर्भ में डी.पी.आर. प्रस्तुत नहीं की गई थीः कौशाम्बी, जालौन, मिर्ज़ापुर, पूर्वी सिक्किम, सांगली, कृष्णागिरी और नागापट्टिनम् (सात परियोजनाएँ)

† कोकराझार परियोजना के लिए दो डी.पी.आर. थे।

का 90 *प्रतिशत* है, को संशोधित करना पड़ा (राशि के अनुसार संशोधन की प्रतिशतता (-) 61.49 प्रतिशत् और (+) 269.29 *प्रतिशत* थी)।

(पैरा 3.7, 5.2 और 5.3)

(v) आर.जी.जी.वी.वाई के अंतर्गत चार[‡] राज्यों में 109 परियोजनाओं[§] के डी.पी.आर. ₹ 6,266.71 करोड़ की प्रभावी संस्वीकृत लागत के साथ, 2004–05 के दौरान पहले की योजना (ए.ई.ओ.एल.वी.ओ.सी.एच[**]) के कार्य क्षेत्र के अनुसार तैयार किये गये। तथापि परियोजनाओं के डी.पी.आर. में आर.जी.जी.वी.वाई के कार्य क्षेत्र के अनुसार 2005–06 से लेकर 2011–12 के दौरान ₹ 8,312.38 करोड़ की लागत पर 109 परियोजनाओं में से 51 में अनुपूरक परियोजनाओं को संस्वीकृति देते हुए संशोधन की कार्यवाही करनी पड़ी।

(पैरा 5.1.1)

(vi) एम.ओ.पी. द्वारा अगस्त 2006 में अधिसूचित ग्रामीण विद्युत (आर.ई.) नीति ने यह अनुबद्ध किया कि सभी राज्यों को फरवरी 2007 तक आर.ई. योजनाएं तैयार और अधिसूचित करनी हैं। किसी भी राज्य ने फरवरी 2007 तक आर.ई योजना को अधिसूचित नहीं किया। इसके बाद एम.ओ.पी ने 11वीं योजना में आर.जी.जी.वी.वाई को अनुमोदित (फरवरी 2008) करते हुए कहा कि राज्य अपनी आर.ई योजना को एम.ओ.पी. के साथ परामर्श करते हुए अंतिम रूप दें और उसे छह माह के भीतर अधिसूचित करें। 27 में से 25 राज्यों ने आर.ई. योजना को अगस्त 2013 तक अधिसूचित किया। इन राज्यों द्वारा अधिसूचना जारी करने में 3 महीने से 73 महीने का विलम्ब हुआ। शेष दो राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर और सिक्किम) ने अपनी आर.ई योजना को अधिसूचित नहीं किया (अगस्त 2013)।

(पैरा 3.6)

वित्तीय प्रबंधन (अध्याय 4)

(vii) आर.ई.सी. के पास उपलब्ध 169 चयनित नमूना परियोजनाओं के संदर्भ में प्रदान की गई सूचना के विश्लेषण ने यह प्रकट किया कि आर.ई.सी द्वारा पी.आई.ए को निधियाँ जारी करने में अतिरिक्त समय लिया गया जो कि क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्तों के संदर्भ में 71 परियोजनाओं में 16 से 162 दिन, 64 परियोजनाओं में 16 से 182 दिन और 86 परियोजनाओं में 16 से 209 दिन था। विलम्ब के लिए पी.आई.ए और आर.ई.सी दोनों उत्तरदायी थे जिसने निष्पादन और परियोजना कार्यक्रम को प्रभावित किया।

(पैरा 4.2.1)

(viii) सी.सी.ई.ए. द्वारा 10वीं योजना और 11वीं योजना के प्रथम दो वर्ष के लिए ₹ 33,000 करोड़ के कुल अनुमोदन के विरूद्ध 2004–12 के दौरान बजट आकलन और संशोधित आकलन के अनुसार क्रमशः ₹ 31,338.00 करोड़ और ₹ 27,488.56 करोड़ राशि की निधियों का आबंटन किया गया था।

[‡] बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

[§] 10वीं योजना–108 और 11वीं योजना–एक

[**] एक लाख गाँवों और एक करोड़ घरों का त्वरित विद्युतीकरण

एम.ओ.पी. ने योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया और आर.ई.सी को मार्च 2012 तक ₹ 26,150.76 करोड़ जारी किए।

(पैरा 4.3.1)

(ix) एम.ओ.पी. द्वारा आर.ई.सी. को जारी ₹ 26,150.76 करोड़ के विरूद्ध, आर.ई.सी. ने पी.आई.ए. को मार्च 2012 तक ₹ 25,652.37 करोड़ जारी किए और पी.आई.ए ने ₹ 22,510.14 करोड़ (20 मई 2012) का उपयोग सूचित किया। आर.ई.सी द्वारा पी.आई.ए को जारी की गई निधियों की स्थिति और फरवरी 2013 तक पी.आई.ए द्वारा उपयोग राशि क्रमशः ₹ 26,034.65 करोड़ और ₹ 24,547.58 करोड़ थी। पी.आई.ए के पास 19 राज्यों में अप्रयुक्त रह गए ₹ 1.47 करोड़ से ₹ 375.07 करोड़ तक शेष थे जबकि पी.आई.ए ने आठ राज्यों में ₹ 3.64 करोड़ से ₹ 115.13 करोड़ तक के अधिक उपयोग को प्रतिवेदित किया। अतः भारी मात्रा में अप्रयुक्त निधियाँ पी.आई.ए. के पास शेष रहीं, पी.आई.ए. द्वारा इन अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज के रूप में अर्जित ₹ 337 करोड़ की राशि को अगस्त 2013 तक सरकारी खाते में नहीं भेजा गया और इस प्रकार इसने आर.जी.जी.वी.वाई. के कार्य को आगे नहीं बढ़ाया।

(पैरा 1.5, 4.3.2 और 4.5)

(x) आर.ई.सी. ने निधियों को जारी करने की शर्तों को अनुमोदित आर.जी.जी.वी.वाई परियोजनाओं के अंतर्गत भौतिक लक्ष्यों[††] की उपलब्धियों के साथ नहीं जोड़ा। जिसके कारण जम्मू कश्मीर और मिज़ोरम में, परियोजना लागत का 67 *प्रतिशत* से 70 *प्रतिशत* पी.आई.ए/ठेकेदारों को जारी करना पड़ा जबकि जारी की गई निधियों की अपेक्षा भौतिक उपलब्धि कम थी।

(पैरा 4.3.2)

(xi) चार राज्यों में, पी.आई.ए. ने अलग ब्याज धारक बैंक खाते के अनुरक्षण में अनियमितताएँ की जिससे ₹ 7.10 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। दो राज्यों में, पी.आई.ए. ने आर.जी.जी.वी.वाई. निधियों पर अर्जित ₹ 49.83 करोड़ के ब्याज को अपनी आय माना जो कि अनुमत नहीं था।

(पैरा 4.4)

(xii) गैर–आर.जी.जी.वी.वाई. उद्देश्यों के लिए ₹ 157.78 करोड़ की निधियों के विपथन के उदाहरण थे क्योंकि आर.जी.जी.वी.वाई. निधियों को स्टेट पावर यूटिलिटिज़ (एस.पी.यू.) की साधारण निधियों के साथ मिला दिया गया था।

(पैरा 4.7)

परियोजनाओं का क्रियान्वयन (अध्याय 5 और 7)

(xiii) माईलस्टोन आधारित परियोजना निगरानी तंत्र ने निर्दिष्ट किया कि परियोजना स्वीकृति के तीन महीने के अंदर परियोजना सौंपी जानी थी। तथापि, 576 परियोजनाओं में से 425 में, परियोजना सौंपने में तीन महीने से अधिक का समय लगा। दो परियोजनाओं में अधिकतम विलम्ब 46 महीने

[††] वित्त मंत्रालय ने दिसंबर 2007 में, निधियों के व्यय के साथ भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि को जोड़ने पर भी बल दिया ताकि योजना के प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सके।

(अर्थात् 3 साल और 281 दिन)[‡‡] तक था। विलम्ब के कारण परियोजनाओं की लागत में भी वृद्धि हो गई। केवल पाँच राज्यों के जाँच परीक्षित मामलों में ही लागत में ₹ 696 करोड़ की वृद्धि पायी गयी।

(पैरा 5.5.2)

(xiv) ठेके प्रदान करने में अनुचित पक्षपात और नियमों व प्रक्रियाओं के उल्लंघन के मामले थे। जाँच परीक्षित मामलों में पाया गया कि दो राज्यों में कुल ₹ 548.61 करोड़ मूल्य की 29 परियोजनाएँ अयोग्य ठेकेदारों को सौंप दी गयी। इसके पश्चात्, उच्चतर दरों की अनुमति, करों की कटौती न करना इत्यादि के चलते ठेकेदारों को ₹ 114.40 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया जिसके कारण भी परियोजना लागतों में उतनी ही मात्रा की परिहार्य वृद्धि हुई।

(पैरा 5.6 व 5.9)

(xv) पी.आई.ए. द्वारा जारी किए गए मोबिलाइज़ेशन एडवांस देने में सी.वी.सी. अथवा आर.ई.सी. के मार्गदर्शक निर्देशों का पालन नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप, आठ राज्यों में 3 महीने से 42 महीने की अवधि के लिए ₹ 103.57 करोड़ राशि की निधियों का अवरोधन पाया गया। तीन राज्यों में, ₹ 29.61 करोड़ से अधिक का मोबिलाइज़ेशन एडवांस तय नियमों/ठेके की शर्तों से अधिक दिया गया। 11 राज्यों[§§] में, 57 जाँच परीक्षित परियोजनाओं के संदर्भ में ₹ 450 करोड़ से अधिक के ब्याज रहित मोबिलाइज़ेशन एडवांस ठेकेदारों को देने के कारण राज्यों को ₹ 58.33 करोड़ की वित्तीय हानि को वहन करना पड़ा। कार्रवाई वित्तीय संदर्भ में ठीक नहीं थी। योजना के लिए पी.आई.ए., आर.ई.सी. से प्राप्त ऋणों पर 10–12 *प्रतिशत* की दर से ब्याज दे रहे थे जबकि ठेकेदारों को दिये गये अग्रिम ब्याज रहित थे।

(पैरा 5.7)

(xvi) 14 राज्यों में, ठेकेदारों द्वारा परियोजनाओं को समय से पूरा करने में देरी करने के बावजूद ₹ 166.40 करोड़ मूल्य की हानि की क्षतिपूर्ति नहीं वसूली गई।

(पैरा 5.5.3)

(xvii) अयोग्य कार्यों, नहीं किये गये कार्यों के लिए भुगतान या अनिर्मित परिसम्पत्तियों एवं उपयोग मे न लायी गयी परिसम्पत्तियों पर हुए निष्फल व्यय पर ₹ 41.42 करोड़ का व्यय हुआ।

(पैरा 5.8)

(xviii) आर.जी.जी.वी.वाई ने 2010 तक सभी गाँवों या घरों को विद्युतीकृत करने के अपने लक्ष्य को 24 महीने के विलम्ब के पश्चात् भी (मार्च 2012 तक) प्राप्त नहीं किया। मार्च 2010 तक अविद्युतीकृत गाँवों, ग्रामीण और बी.पी.एल. घरों के विद्युतीकरण के संबंध में क्रमशः 63, 27 और 44 *प्रतिशत* की लक्ष्य प्राप्ति हुई थी। 10वीं योजना की परियोजनाओं के लिए भी अभी तक

[‡‡] पश्चिम बंगाल में माल्दा एवं 24 परगना

[§§] अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैण्ड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल

100 *प्रतिशत* ऊर्जाकरण प्राप्त नहीं किया जा सका था, जबकि योजना के समापन के पश्चात् भी पाँच वर्ष बीत चुके थे।

(पैरा 7.1 व 7.4)

(xix) आर.जी.जी.वी.वाई. परियोजनाओं की राजस्व की स्थिरता बनाये रखने के लिए फ्रेन्चाइजी की नियुक्ति अनिवार्य थी, फिर भी 31 मार्च 2012 तक, 17 राज्यों में 3,53,049 गाँवों में से 1,75,655 गाँवों में केवल 37,614 फ्रेन्चाइजी नियुक्त किए गए थे। इसका अर्थ था कि लगभग आधे गाँवों (49.75 प्रतिशत) में ही फ्रेन्चाइजी नियुक्त हुए थे। दस राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम और तमिलनाडू में कोई फ्रेन्चाइजी नियुक्त नहीं हुए थे।

(पैरा 7.5.4)

निगरानी (अध्याय 6)

(xx) निगरानी पर्याप्त नहीं थी और सभी तीनों चरणों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में कमियाँ पायी गयी। प्रथम चरण में, आवृत्ति, गुणवत्ता और तृतीय पक्ष जाँच एजेंसियों द्वारा की गई जाँच में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में सुधारात्मक कार्यवाही करने में कमियाँ पाई गई।

(पैरा 6.2. और 6.2.1)

(xxi) नौ राज्यों में जाँच परीक्षित परियोजनाओं में द्वितीय चरण निगरानी में प्रथम स्तरीय जाँच बिल्कुल नहीं/आंशिक रूप से की गई। इसके साथ–साथ, 20 राज्यों में, द्वितीय चरण निगरानी में द्वितीय स्तरीय जाँच या तो बिल्कुल हुई ही नहीं/आंशिक हुई। द्वितीय चरण के निगरानी के लिए नियुक्त आर.ई.सी. गुणवत्ता निगरानी कर्त्ताओं (आर.क्यू.एम.एस.) ने 11वीं योजना की 98 जाँच परीक्षित परियोजनाओं में से 28 में कमियाँ बताई। 30 सितम्बर 2012 तक 28 जाँच परीक्षित परियोजनाओं में से 21 में आर.क्यू.एम. द्वारा बताई गयी त्रुटियों को पी.आई.ए. द्वारा ठीक नहीं किया गया था।

(पैरा 6.2.2)

(xxii) जुलाई 2010 तक एम.ओ.पी. ने तृतीय चरण निगरानी के संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की थी। एम.ओ.पी. ने अपनी जिम्मेदारी (अगस्त 2010) यह कह कर आर.ई.सी. पर डाल दी कि राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षकों (एन.क्यू.एम.) की नियुक्ति की जिम्मेदारी आर.ई.सी. की थी। गुणवत्ता निगरानी (आर.क्यू.एम. और एन.क्यू.एम.) की दोनों स्तरों पर स्वतंत्रता तब बेहतर रूप से प्राप्त होती यदि यह एक ही एजेंसी आर.ई.सी. द्वारा नहीं की जाती।

(पैरा 6.2.3)

मुख्य सिफारिशें

- ✓ *12वीं योजना में नयी परियोजनाओं के कार्यान्वयन से पूर्व एम.ओ.पी. एक स्वतंत्र सर्वेक्षण कराने पर विचार करे और आवृत्ति से बचने के लिए चिन्हित ग्रामों की सूची व लाभार्थियों के अनुमानों को संशोधित करे तथा राज्यों के साथ गहन समन्वय कर यह सुनिश्चित करे कि योजना के लाभ अभीष्ट एवं लक्ष्यित लाभार्थियों को पहुँचें।*

- ✓ *एम.ओ.पी. को चाहिए कि निगरानी प्रतिवेदनों के यथोचित प्रारूपों को बनाकर, आर.ई.सी. द्वारा कार्य के क्षेत्र एवं संबंधित अनुमानों पर और अधिक नियंत्रण बरते जिससे यह सुनिश्चित हो कि परियोजनाएं संस्वीकृति के लिए तभी ली जाएं जब पी.आई.ए. विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण पर आधारित डी.पी.आर. प्रस्तुत कर दें और भौतिक एवं वित्तीय अनुमान तार्किक रूप से सही हों।*

- ✓ *एम.ओ.पी. सभी स्तरों (एम.ओ.पी., आर.ई.सी. व पी.आई.ए.) पर एक लेखा प्रणाली को गठित करने पर विचार करे जो निधियों के वास्तविक निर्गम और प्राप्तियों तथा अप्रयुक्त शेषों पर अर्जित ब्याज की समयोचित निगरानी को सुनिश्चित करे।*

- ✓ *एम.ओ.पी. व नोडल एजेंसी, आर.ई.सी. को पी.आई.ए. द्वारा बैंकों में रखी गयी पूँजीगत सब्सिडी और आर.जी.जी.वी.वाई निधियों पर, जो परियोजना लागतों के लिए राज्य/स्थानीय करों के भुगतान के लिए प्रयोग की गयी थी पर अर्जित ब्याज को वसूलने/समायोजित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।*

- ✓ *एम.ओ.पी., राज्यों के साथ गहन समन्वय में प्रत्येक महत्वपूर्ण स्तर पर कार्य की प्रगति जाँचने के लिए एकरूप/मानक व्यवस्था के गठन पर विचार करे, जिससे कि ठेका प्रबंधन में होने वाली आम एवं परिहार्य अनियमितताओं/कमियों जैसे कि सांविधिक देनदारियों की कटौती न करना, हानि क्षतिपूर्तियों की वसूली न होना एवं ठेकेदारों को किये गए अधिक भुगतानों को रोका जा सके।*

- ✓ *एम.ओ.पी द्वारा राज्य स्तरीय समन्वय समितियों की बैठकों के समीक्षा परिणामों को नियमित रूप से एक निश्चित तिथि तक राज्यों के मुख्य सचिवों से माँगा जाए। त्रुटियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाये जिससे कि क्रियान्वयन की प्रभावशीलता को बढ़ाने व परिणामों को प्राप्त करने के मायनों में यह प्रयास अपेक्षित परिणाम दे।*

- ✓ *एम.ओ.पी. वर्तमान प्रणाली की गहन समीक्षा करे एवं गुणवत्ता की प्राप्ति एवं ऊर्जा की आपूर्ति में विश्वसनीयता एवं राजस्व की प्राप्ति को विशेष रूप से लक्ष्यित कर हुए उन राज्यों पर विशेष बल देते हुए अतिरिक्त बचावों की स्थापना करे जहाँ लक्ष्य प्राप्त किये जाने बाकी थे।*

मंत्रालय द्वारा की गयी सुधारात्मक कार्यवाही

एम.ओ.पी. को जारी किये गये मसौदा निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के पश्चात्, सचिव (विद्युत), ने 2 सितम्बर 2013 को हुई एक्ज़िट कान्फ्रेंस में लेखा परीक्षा टिप्पणियों को संज्ञान में लेते हुए कहा कि आर.जी.जी.वी.वाई को 12वीं योजना में जारी रखने के लिए मार्गदर्शिका बनाते समय इंगित किये गये सभी मुख्य मुद्दों को ध्यान में रखा गया है।

जबकि एम.ओ.पी. द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही प्रशंसनीय है, दिशानिर्देशों एवं प्रक्रियाओं में सुधार एवं शुद्धिकरण की संभावना है, जैसाकि प्रतिवेदन में रेखांकित किया गया है।



भाग I

प्रस्तावना



अध्याय 1:

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) - एक विहंगावलोकन

1.1. ग्रामीण विद्युतीकरण

एक देश की आर्थिक वृद्धि के लिए ग्रामीण विकास और औद्योगीकरण को मूलभूत माना जाता है और विद्युत को एक ऐसे कारक के रूप में देखा जाता है जो कि इस वृद्धि को प्रोत्साहन देता है। बिजली को अब एक विलक्षण वस्तु की तरह नहीं बल्कि एक अनिवार्य और जरूरी आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। जिससे आज के समय में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बिजली को मूल मानवीय आवश्यकता के रूप में मान्यता मिली है।

यद्यपि देश के शहरी क्षेत्रों ने बिजली के उपभोग में वृद्धि दर्शाई परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अभी आदर्श से बहुत दूर है। पिछले वर्षों में, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और जीवन की गुणवता में सुधार हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया है। साधारण शब्दों में, ग्रामीण विद्युतीकरण (आर.ई.), का अर्थ ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में बिजली लाना है। इस बिजली को घरेलू प्रयोजनों और खेती के कार्यों के मशीनीकण में प्रयोग किया जा सकता है।

विद्युत अधिनियम 2003 में अधि देश है कि भारत सरकार गाँव और छोटे कस्बों सहित सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति के लिए प्रयास करेगी। विद्युत अधिनियम के अनुसार, भारत सरकार के पास एक सुपरिभाषित अगस्त 2006 में अधिसूचित ग्रामीण विद्युतीकरण नीति (रीपोल) है, जिसका मूल उद्देश्य सभी गाँवो और घरों को बिजली की पहुँच प्रदान कर तेजी से आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। रीपोल ने यह संज्ञान लिया कि कृषि और लघु और मध्यम उद्योग-धंधे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और सूचना तकनीकी जैसी अन्य आवश्यक गतिविधियों की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति जाएँ। रीपोल सभी गाँवों में ग्रामीण घरों, दुकानों, सामुदायिक केन्द्रों, सार्वजनिक स्थानों आदि में रोशनी करने के लिए विद्युत की आपूर्ति द्धारा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन गुणवता में सुधार करने के साथ ही उत्पादक भार के विकास को सुगम बनाना चाहता है। स्थूल रूप से, रीपोल के उद्देश्य है:

- वर्ष 2009 तक सभी घरों को बिजली की पहुँच प्रदान करना;
- उचित दरों पर गुणवता व विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करना; तथा
- वर्ष 2012 तक 1 यूनिट प्रतिघर प्रतिदिन की न्यूनतम जीवनरेखा उपभोग को आवश्यक वस्तु की स्थिति प्रदान करना।

विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.) के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का प्रारंभिक लक्ष्य कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के लिए विद्युतीकरण था। यह ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा में प्रदर्शित था जिसे अक्तूबर 1997 तक स्वीकार किया जाता रहा था अर्थात, "एक गाँव को विद्युतीकृत के रूप में वर्गीकृत तभी किया जाएगा यदि उसके राजस्व क्षेत्र में किसी भी प्रयोजन के लिए बिजली का प्रयोग किया जाता है"। तथापि, राज्य सरकारों और राज्य विद्युत बोर्डों (एस.ई.बी.) के परामर्श से, इस परिभाषा की समीक्षा की गई और अक्तूबर 1997 में नई परिभाषा अपनाई गई जिसके अनुसार "एक गाँव को विद्युतीकृत माना जाएगा यदि गाँव की राजस्व परिसीमा के भीतर आबादी वाले इलाके में प्रयोजन के लिए, बिजली का इस्तेमाल किया जाता है"। फरवरी 2004 में, इस परिभाषा को और विस्तृत किया गया और एक गाँव को तभी विद्युतीकृत माना गया यदि:

- आबादी वाले स्थानों और दलित बस्ती/गाँव जहाँ वे मौजूद है, ये मूलभूत अक्संरचना जैसे वितरण ट्रांसफॉरमर और वितरण लाइनें प्रदान की गई हो (गैर परम्परागत विद्युत स्रोतो से विद्युतीकरण के लिए वितरण ट्रांसफार्मर आवश्यक नही है);
- सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, चिकित्सालयों, समुदायिक केन्द्रों आदि में बिजली प्रदान की गई हो; तथा
- विद्युतीकृत घरों की संख्या गाँव के सभी घरों की कुल संख्या के कम से कम 10 *प्रतिशत* हो।

1.2. विद्युतीकरण की स्थिति

1947 में, केवल 1500 गाँव ही विद्युतीकृत थे और प्रति व्यक्ति उपभोग 14 यूनिट था। तब से भारत सरकार ने कई ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का प्रारंभ किये जैसे::

- न्यूनतम आवश्यकताएँ कार्यक्रम (एम.एन.पी.) के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण;
- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.);
- कुटीर ज्योति योजना;
- त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (ए.आर.इ.पी.); तथा
- एक लाख गाँवों और एक करोड़ घरों (ए.ई.ओ.एल.वी.ओ.सी.एच.) का त्वरित विद्युतीकरण।

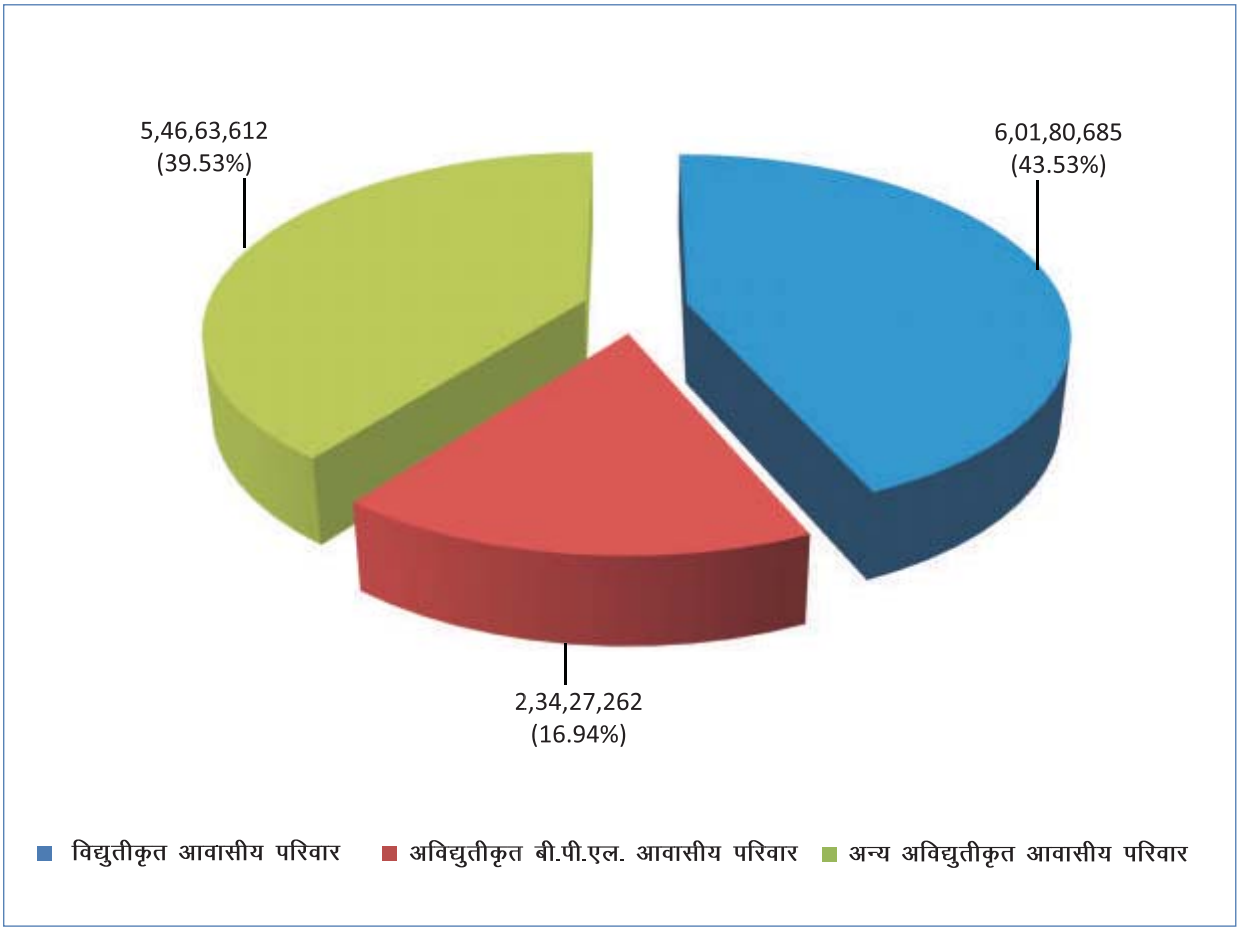
शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य के लिए इन प्रयासों के बावजूद भी 2001 तक केवल 43.53 *प्रतिशत* ग्रामीण घरों को ही विद्युत प्रदान की गई थी। 2001 की जनगणना के अनुसार एक लाख से ज्यादा गाँव और लगभग 7.80 करोड़ ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण बाकी था। आर.जी.जी.वी.वाई. के आरम्भ से पहले, 31 मार्च 2004 को ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति को पदर्शित करने वाले मुख्य संकेतक **तालिका 1** व **चित्र 1** में दिए गए है। प्रचलित परिभाषा (2004) के अनुसार भारत के 81 *प्रतिशत* गांव विद्युतीकृत हो चुके थे। गाँव और ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण के

राज्यवार विवरण **अनुलग्नक 1** व **2** में दिया गया है। आर.जी.जी.वी.वाई. को मुख्य रूप से शेष अविद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण के लिए ही प्रारम्भ किया गया था।

तालिका 1: 31 मार्च 2004 तक ग्रामीण विद्युतीकरण के मूल संकेतक

1991 की जनगणना[1] के आधार पर कुल गाँव	विद्युतीकृत कुल गाँव	शेष अविद्युतीकृत गाँव	अविद्युतीकृत गाँवों का प्रतिशत
5,87,556	4,74,982	1,12,401*	19.13

** ग्रामीण विद्युतीकरण की नई परिभाषा (2004–05 से प्रभावी) के अनुसार*



चित्र 1: ग्रामीण विद्युतीकरण के मूल संकेतक (2001 जनगणना)

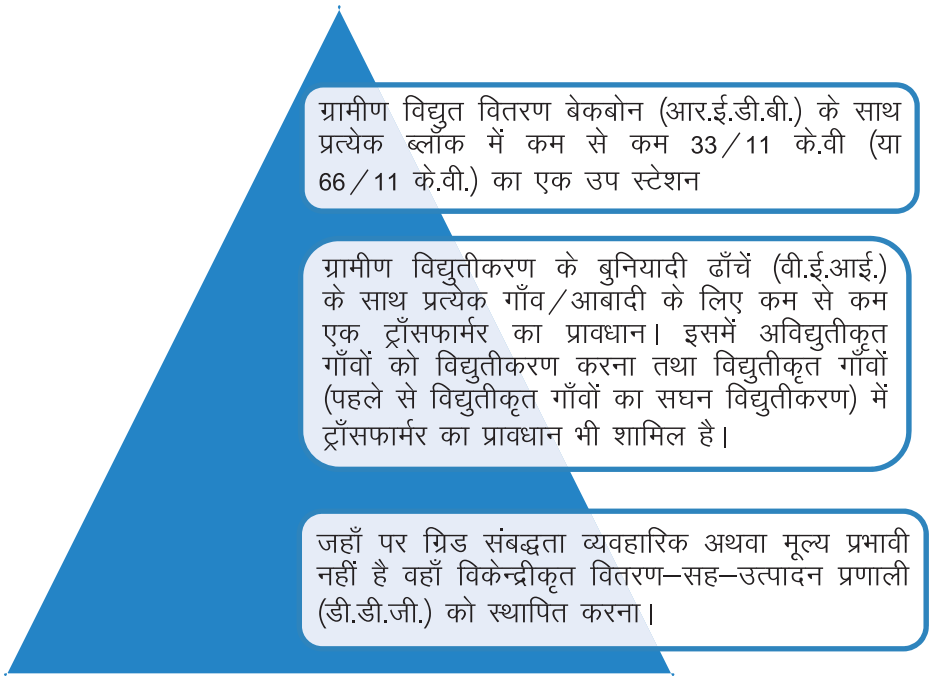
[1] विद्युत मंत्रालय के आर.जी.जी.वी.वाई के कार्यालय ज्ञापन दिनाँक 18 मार्च 2005 में गाँवों की संख्या 1991 की जनगणना के अनुसार ली गयी है।

1.3. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई)

विद्युत मंत्रालय ने ग्रामीण विद्युतीकरण को त्वरित गति देने के लिए मार्च 2005 में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू की। ऐसा करते हुए विद्युत मंत्रालय ने, भारत सरकार के वर्तमान में चल रहे सभी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों को आर.जी.जी.वी.वाई में सम्मलित कर दिया। आर.जी.जी.वी.वाई के मुख्य उद्देश्य निम्न थेः

- सभी गाँवों एवं आवासों का विद्युतीकरण करना,
- सभी घरों तक बिजली की पहुँच प्रदान करना,
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (बी.पी.एल.) को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाना,
- सिंचाई, लघु उद्योगों, कोल्ड चेन, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी आदि के द्वारा त्वरित ग्रामीण विकास, रोज़गार सृजन और गरीबी दूर करना,
- ग्रामीण और शहरी अन्तराल को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय और गुणवत्तायुक्त विद्युत की आपूर्ति करना।

पिछले कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों में, विद्युतीकरण का प्रारंभिक लक्ष्य सिंचाई था और इसके लिए कम क्षमता वाली लाइन (एल.टी.) टुकड़ों में डाली गयी थी जिसका परिणाम अविश्वसनीय और सीमित घंटों के लिए विद्युत आपूर्ति थी, जबकि इस नये कार्यक्रम में ग्रामीण विद्युत के बुनियादी ढाँचें में गुणात्मक रूपांतरण करना था जिसे **चित्र–2** में दर्शाया गया है।



चित्र 2: आर.जी.जी.वी.वाई के अन्तर्गत बुनियादी ढाँचा

आर.जी.जी.वी.वाई, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के अन्तर्गत आवास विद्युतीकरण की प्रतिबद्धता को पाँच वर्षों में, 2009 तक पूरा करने के लिए, आरम्भ की गयी थी। वर्ष 2009 तक, विद्युतीकरण के लिए 1,25,000 अविद्युतीकृत गाँव और 2.34 करोड़ बी.पी.एल. आवासों को मुफ्त विद्युत कनैक्शन उपलब्ध कराने के साथ–साथ 7.8 करोड़ ग्रामीण आवासों (आर.एच.एच.) को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य था। जनवरी 2008 में इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2012 तक बढ़ा दिया गया। वर्षवार ग्रामीण विद्युतीकरण के निर्धारित लक्ष्य **तालिका 2** में दर्शाये गये हैं:

तालिका 2: आर.जी.जी.वी.वाई. के अन्तर्गत लक्ष्य

वर्ष	पूरे देश में अविद्युतीकृत गाँवों को विद्युतीकरण करने का निर्धारित लक्ष्य
2005-06	10,000
2006-07	40,101#
2007-08	9,000
2008-09	15,000
2009-10	17,500
2010-11	17,500
2011-12	14,500

इसमें विद्युतीकृत गाँव भी शामिल है।

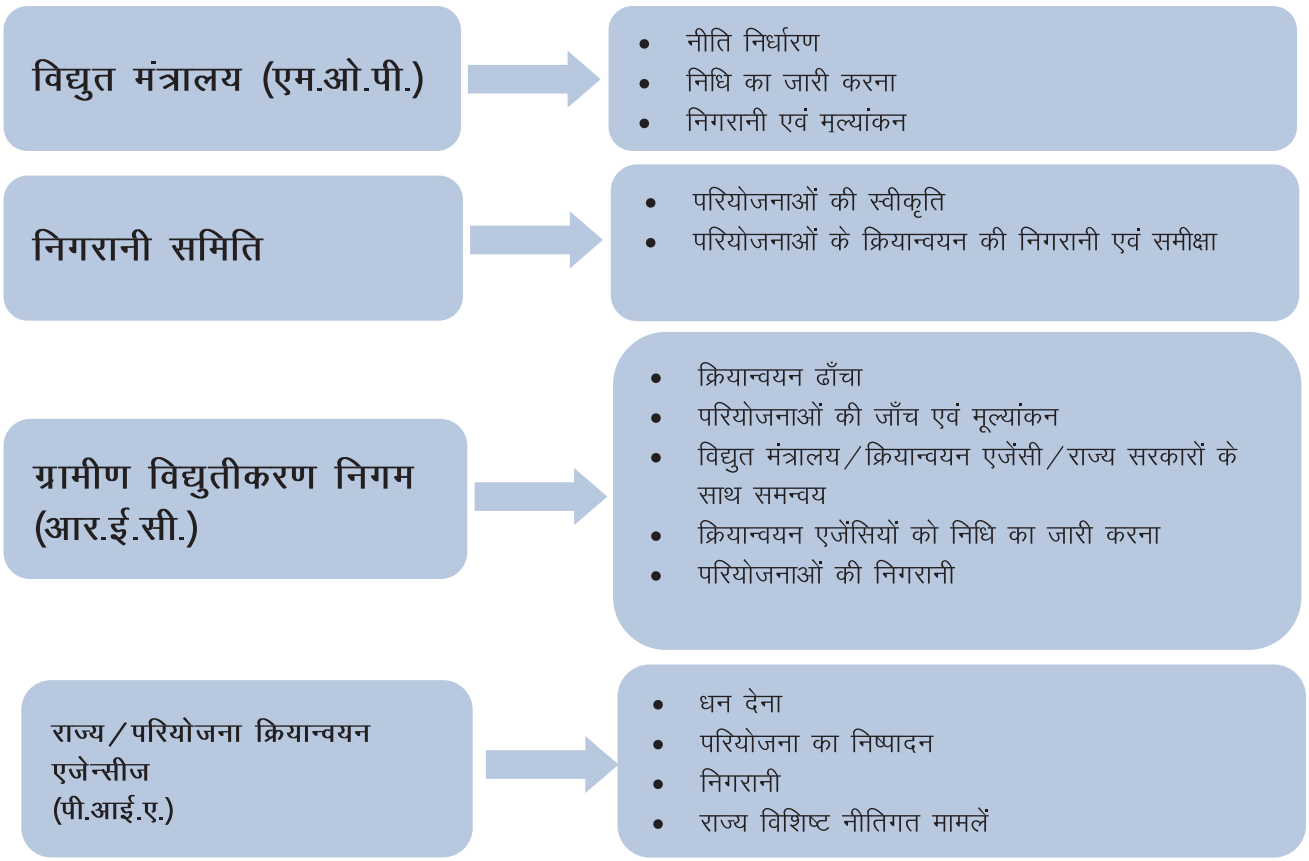
(स्रोत: ग्रामीण विद्युतीकरण निगम)

ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति और राजस्व स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए पिछली योजनाओं की तुलना में आर.जी.जी.वी.वाई में उच्च स्तर की पूँजी सब्सिडी का प्रावधान है, जिसका विवरण निम्न है:

- परियोजना के पूरी लागत का 90 *प्रतिशत* पूँजी सब्सिडी प्रदान करना।
- राज्यों को अनिवार्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के घण्टों के वितरण में बिना भेदभाव किये विद्युत आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था करना।
- परियोजना की स्वीकृति पूर्व राज्यों से यह प्रतिबद्धता लेना था कि :
 - *योजना के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजना में ग्रामीण विद्युत वितरण प्रबन्धन के लिए फ्रैंचाइजी नियुक्त करना और*
 - *विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत राज्य यूटिलिटीज के लिए राजस्व सहायता का अपेक्षित प्रावधान करना।*

1.4. प्रधान साझेदारों की भूमिका

परियोजना की योजना, क्रियान्वयन व निगरानी में शामिल विभिन्न तत्वों की भूमिका **चित्र 3** में दर्शायी गई है।



चित्र 3: संगठन संरचना

1.4.1. विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.)

आर.जी.जी.वाई के क्रियान्वयन हेतु विद्युत मंत्रालय नोडल मंत्रालय था। नोडल मंत्रालय को सचिव, विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति (एम.सी.) बनानी थी, जो योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर आवश्यक दिशानिर्देशों को जारी के अतिरिक्त परियोजना की स्वीकृति, संशोधित लागत अनुमान, योजना के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा के लिए जिम्मेदार थी।

1.4.2. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.)

आर.ई.सी., आर.जी.जी.वी.वाई के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी थी। इस कार्यक्रम हेतु सभी निधियों का आबंटन आर.ई.सी. के माध्यम से होना था, जिसे भारत सरकार द्वारा दी गई पूँजीगत सब्सिडी को जारी करना और शेष निधि को आवश्यकता अनुसार आसान शर्तों पर ऋण सहायता के रूप में जारी करना था।

परियोजनाओं की वित्त पोषण के अतिरिक्त, आर.ई.सी. को गुणवत्ता और सामयिक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, एक ऐसा क्रियान्वयन ढाँचा तैयार करना था जिसमें क्षेत्रीय मूल्यांकन और समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन के साथ–साथ, तकनीकी विशिष्टयों का सूत्रीकरण खरीद और निविदा की शर्तें, परियोजना के प्रतिपादन हेतु दिशानिर्देश सम्मिलित थे।

1.4.3. राज्यों/राज्य विद्युत संस्थान (एस.पी.यूज़.)

राज्य सरकारें निम्न के लिए जिम्मेदार थीः

- विद्युत मंत्रालय के परामर्श से ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.ई.) को अंतिम रूप देना और छः महीने के अन्तर्गत इसे अधिसूचित करना था।
- 10 *प्रतिशत* परियोजना लागत स्वयं के संसाधनों/आर.ई.सी. सहित वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण के माध्यम से योगदान करना।
- योजना के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिये फ्रैंचाइजी की नियुक्ति करना।
- विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत, राज्य विद्युत संस्थानों (एस.पी.यू.) के आवश्यक राजस्व सब्सिडी से संबंधित प्रावधान।
- आर.जी.जी.वी.वाई नेटवर्क में प्रतिदिन न्यूनतम 6 से 8 घंटे की विद्युत आपूर्त्ति की प्रतिबद्धता।
- जिले में विद्युतीकरण के विस्तार की समीक्षा, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता की समीक्षा उपभोक्ता संतुष्टि, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण की समीक्षा के लिए गठित जिला समिति की नियमित बैठकों को सुनिश्चित करना।
- आर.जी.जी.वी.वाई की समीक्षा और इसके क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए गठित राज्यस्तीय समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.) की नियमित बैठकों को सुनिश्चित करना।
- अविद्युतीकृत गाँवों और बी.पी.एल. परिवारों की गाँववार सूची उपलब्ध कराना।

1.4.4. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सी.पी.एस.यूज़.)

योजना के कार्यान्वयन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, आर.ई.सी., ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.)[2], भारत पावर ग्रिड निगम लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.), राष्ट्रीय हाइड्रो–इलैक्ट्रिक पॉवर निगम (एन.एच.पी.सी.),दामोदार घाटी निगम (डी.वी.सी.) के साथ समझौता किया जिससे कि जो राज्य इन संगठनों की परियोजना प्रबंधन दक्षता और योग्यता की सेवाओं के उपयोग के इच्छुक हैं उन्हें यह सेवाएँ उपलब्ध करायी जाये। राज्य इन सेवाओं के लिये सी.पी.एस.यू. की सेवा ले सकते हैं (क) परियोजना निरूपण, (ख) सिस्टम योजना (ग) डिज़ाइन इंजीनियरिंग (घ) माल की खरीद व सेवायें (ङ) निर्माण/क्रियान्वयन/कमीशन और (च) परियोजना की निगरानी और कार्य की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण।

1.5. निधिकरण पद्धति

विद्युत मंत्रालय ने नवम्बर 2004 में, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सी.सी.ई.ए.) के समक्ष ग्रामीण विद्युत के बुनियादी ढाँचे और घरेलू विद्युतीकरण (बाद में आर.जी.जी.वी.वाई नामकरण), योजना के अनुमोदन हेतु निम्न लागत विवरण के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

[2] आर.जी.जी.वी.वाई के तहत किये जाने वाले कार्य का कार्यान्वयन एन.टी.पी.सी. ने अपनी सहायक कंपनी एन.टी.पी.सी. विद्युत सप्लाई कम्पनी लिमिटेड को सौंपा गया।

तालिका 3: आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत अनुमोदित लागत अनुमान

क्रसं.	मद का नाम	₹ करोड़ में
1	₹ 6.50 लाख/गाँव की दर से 1,25,000 अविद्युतीकरण गाँवों के विद्युतीकरण के साथ–साथ आर.ई.डी.बी., वी.ई.आई. और 10 प्रतिशत आवासीय परिवारों को अंतिम स्थल सेवा संपर्क (कनेक्टीविटी) करना।	8,125
2	₹ 1 लाख/गाँव की दर से पहले से ही, विद्युतीकृत 4,62,000 गाँवों जिसमें अविद्युतीकृत आवास थे, में बैकवोन नेटवर्क का संवर्धन	4,620
3	बी.पी.एल. के तहत 2.34 करोड़ ग्रामीण आवासीय जनसंख्या को ₹ 1,500 प्रति कनेक्शन की दर से विद्युतीकरण	3,510
4	कुल परियोजना लागत (पूर्णाक)	16,000
5	सब्सिडी घटक	14,750

सी.सी.ई.ए. ने इस परियोजना को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित (दिसम्बर 2004) करते हुए दसवीं योजना (2002–07) की शेष अवधि (2005–07) में सब्सिडी के लिए ₹ 5,000 करोड़ की सहायता का प्रावधान किया।

विद्युत मंत्रालय ने सितम्बर 2007 में योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने हेतु पुनः सी.सी.ई.ए. को अनुमोदन के लिए संशोधित लागत ₹ 51,955[3] करोड़ (₹ 46,812 करोड़ 90 प्रतिशत सब्सिडी घटक) के साथ प्रस्ताव भेजा। इस संशोधित योजना से 1.25 लाख अविद्युतीकृत गाँव और 2.5 करोड़ बी.पी.एल. आवासों को शामिल करना अपेक्षित था।

संशोधित लागत की गणना करते समय बहुत से घटकों के मानदण्ड भी संशोधित किये थे जो **तालिका 4** में दिखाये गये हैं।

तालिका 4: आर.जी.जी.वी.वाई. के लिए अनुमोदित अनुमानित लागत

क्र.सं.	मदों के नाम	11वीं पंचवर्षीय योजना में लागत
1	अविद्युतीकरण गाँवों का विद्युतीकरण	₹ 13 लाख/गाँव (सामान्य क्षेत्रों में) की दर से ₹ 18 लाख/गाँव (पहाड़ी, आदिवासी, मरूस्थली क्षेत्रों के लिए) की दर से
2	पूर्व विद्युतीकृत गाँवों का गहन विद्युतीकरण	₹ 4 लाख/गाँव (सामान्य क्षेत्रों में) की दर से ₹ 6 लाख/गाँव (पहाड़ी, आदिवासी, मरूस्थली क्षेत्रों के लिए) की दर से
3	बी.पी.एल. आवासों में बिजली कनेक्शन की लागत	₹ 2,200 प्रति बी.पी.एल आवास

[3] सी.सी.ई.ए. को भेजे प्रस्ताव प्रावधान में विस्तृत गणना नहीं दर्शायी गयी।

10वीं योजना में पहले से अनुमोदित ₹ 5,000 करोड़ को समायोजित करने के बाद, 11वीं योजना के लिये सब्सिडी की आवश्यकता के लिए, विद्युत मंत्रालय ने ₹ 41,812 करोड़ (₹ 46,812 करोड़ कम ₹ 5,000 करोड़) प्रस्तावित किए गए थे।

यद्यपि योजना आयोग द्वारा 11वीं योजना में संसाधन उपलब्धता के आकलन के आधार पर अनुदान आवश्यकताओं को ₹ 28,000 करोड़ पर ही सीमित कर दिया गया। विद्युत मंत्रालय का प्रस्ताव सी.सी.ई.ए. ने अक्टूबर 2007 में द्वारा अनुमोदित कर दिया था।

10वीं योजना के दौरान, क्रियान्वयन के लिये, 235 परियोजनाओं को ₹ 9,733.35 करोड़ की लागत के साथ अनुमोदित किया गया जबकि 11वीं योजना में क्रियान्वयन के लिए 341 परियोजनाओं को ₹ 16,694.43 करोड़ की लागत से अनुमोदित किया गया। परियोजना की लागत का 90 प्रतिशत भुगतान भारत सरकार द्वारा दी गई पूँजी सब्सिडी और 10 प्रतिशत अंशदान राज्य द्वारा अपने संसाधनों/वित्तीय संस्थानों से ऋण के द्वारा किया गया।

विद्युत मंत्रालय को आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत निधियों के आबंटन का विवरण, बजट अनुमान (बी.ई.)/संशोधित अनुमान (आर.ई.), विद्युत मंत्रालय द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आर.ई.सी. निधियों की निर्मुक्ति, और आगे परिणामस्वरूप आर.ई.सी. द्वारा पी.आई.ए. को 2004–05 से 2011–12 के दौरान दी गई निधियों का ब्यौरा **तालिका 5** में दिया गया है। आर.ई.सी. द्वारा निर्मुक्तियों का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक 3** में दिया गया है।

तालिका 5: पूँजी सब्सिडी की निर्मुक्ति

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	विद्युत मंत्रालय को राशि का आबंटन (बी.ई)	विद्युत मंत्रालय को राशि का आबंटन (आर.ई.)	विद्युत मंत्रालय द्वारा आर.ई.सी. को निर्मुक्त राशि	आर.ई.सी. द्वारा पी.आई.ए. को निर्मुक्त राशि
2004-06	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,402.60
2006-07	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,014.37
2007-08	3,983.00	3,944.56	3,913.45	3,368.30
2008-09	5,055.00	5,500.00	5,500.00	5,109.58
2009-10	6,300.00	5,000.00	5,000.00	5,987.43
2010-11	5,500.00	5,000.00	5,000.00	3,997.87
2011-12	6,000.00	3,544.00	2,237.31	2,772.22
कुल	**31,338.00**	**27,488.56**	**26,150.76**	**25,652.37**

विद्युत मंत्रालय/आर.ई.सी. द्वारा निर्मुक्ति में कमियों का मुख्य कारण पी.आई.ए. का परियोजनाओं को शुरू करने और कार्यान्वित करने में अपर्याप्त क्षमता का होना था जैसा कि आगे के पैरा 4.3.1 में विवेचित है। पी.आई.ए. ने ₹ 22,510.14 करोड़ (20 मई 2012 तक) के उपयोग को सूचित किया जोकि आर.ई.सी. द्वारा दी गई निधियों का 88 प्रतिशत तथा विद्युत मंत्रालय को आबंटित निधियों का 82 प्रतिशत था। आर.ई.सी. द्वारा पी.आई.ए. को दी गई निधियों की स्थिति और पी.आई.ए. द्वारा फरवरी 2013 तक उपयोग में लायी गयी राशि क्रमशः ₹ 26,034.65 करोड़ और ₹ 24,547.58 करोड़ थी। पी.

आई.ए. द्वारा अप्रयुक्त निधियों का ब्यौरा और असमायोजित ब्याज के संबंध में वित्तीय निहितार्थ की चर्चा बाद में पैरा 4.3.2 और 4.5 में की गई हैं।

1.6. निगरानी

10वीं योजना की परियोजनाओं के लिए कोई विशिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण अथवा निगरानी प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। जबकि योजना कथित रूप से समवर्ती मूल्यांकन[4] के अधीन थी। 11वीं योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिये अपेक्षित रूपान्तर पर एक अवलोकन 10वीं योजना के अंत में एक व्यापक समीक्षा के बाद लिया जाना था।

11वीं योजना के दौरान तीन स्तर की निगरानी प्रणाली को लाया गया। प्रथम स्तर में, कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा तीसरे पक्ष को नियुक्त किया जाना था जो समवर्ती और सतत् आधार पर यह सुनिश्चित करता कि प्रयोग में लायी गई सामग्री और कार्यकुशलता उल्लेखित विशिष्टियों और दिशानिर्देशों के अनुसार थी। द्वितीय स्तर पर आर.ई.सी., आर.ई.सी. गुणवत्ता निगरानीकर्त्ता के रूप में पदनामित मान्यता प्राप्त निरीक्षण अभिकरणों अथवा सेवानिवृत कर्मचारियों से बाह्य सेवा द्वारा कार्यों का निरीक्षण करायेगा। तीसरे स्तर पर योजना का क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के लिये, विद्युत मंत्रालय, राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ता (एन.क्यू.एम.) के रूप में पदनामित स्वतंत्र मूल्यांकनकर्त्ताओं को यादृच्छिक (रेन्डम) निरीक्षण करने के लिए नियुक्त करेगा। निगरानी प्रक्रिया में शामिल करने, रिपोर्टिंग और सुधारात्मक कार्यवाही में कमी की चर्चा आगे पैरा 6.2 में की गई हैं।

[4] दिनाँक 10 फरवरी 2005 के सी.सी.ई.ए. टिप्पणी के अनुसार

अध्याय 2:

लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

2.1. लेखापरीक्षा प्रणाली

आर.जी.जी.वी.वाई में अंतर्निहित महत्वपूर्ण वित्तीय परिव्यय और उससे होने वाले प्रभाव को ध्यान में रखकर, इस योजना को निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। 24 अक्तूबर 2011 को इस योजना के संबंध में विद्युत मंत्रालय ने लेखापरीक्षा को एक प्रस्तुतीकरण के द्वारा अवगत कराया। तदनंतर में फरवरी 2012 में लेखापरीक्षा ने पथप्रदर्शी अध्ययन (पाइलट स्टडी) राजस्थान व उत्तर प्रदेश में आरंभ किया। आरंभिक अध्ययन के नतीजों को विस्तृत लेखापरीक्षा निर्देशिका को सूत्रबद्ध करने में प्रयोग किया गया। 25 जुलाई 2012 को विद्युत मंत्रालय में हुए एन्ट्री कान्फ्रेंस से निष्पादन लेखापरीक्षा का आरंभ हुआ जहाँ पर लेखापरीक्षा प्रणाली, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य व मापदंडों पर चर्चा की गई।

योजना के कार्यान्वयन का प्रारंभ से, क्रियान्वयन व प्रभाव के आंकलन की सूपर्ण स्थिति जानने के उद्देश्य से 27 राज्यों की राज्य विवरण कंपनियों (डिस्कॉम), विद्युत बोर्डों व केन्द्रीय सार्वजनिक निगमों की समन्वित लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा का संचालन विद्युत मंत्रालय के साथ–साथ नोडल एजेंसी एवं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) स्तर पर अलग–अलग किया गया। लाभार्थियों का योजना के प्रति अनुभव/दृष्टिकोण जानने के लिए एक संरचनाबद्ध प्रश्नावली के द्वारा लाभार्थी सर्वेक्षण भी कराया गया। राज्यों के साथ एक्ज़िट कान्फ्रेंस कराये गये जहाँ पर राज्य संबंधित जाँच परिणामों पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा के समापन तथा लेखापरीक्षा जाँच परिणामों के विश्लेषण तथा सुदृढ़ीकरण के उपरांत 2 सितंबर 2013 को विद्युत मंत्रालय के साथ एक्ज़िट कान्फ्रेंस किया गया, जहाँ पर लेखापरीक्षा जाँच परिणामों के प्रारूप पर चर्चा की गई। विद्युत मंत्रालय तथा अन्य साझेदारों के उत्तरों को सम्यक ध्यान में रखते हुए प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया गया। योजना के क्रियान्वयन में सम्मिलित प्रक्रिया में मितव्ययिता, निपुणता तथा प्रभावकारिता का विश्लेषण करने के लिए लेखापरीक्षा कार्यविधि में अभिलेखों तथा दस्तावेजों के निरीक्षण व परीक्षण, कर्मचारियों से भेंट मुलाकात तथा आँकड़ों के विश्लेषण को सम्मिति किया गया।

2.2. लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा को निम्नलिखित विश्लेषण करने के लिए किया गया:

- आँकड़ों की पर्याप्तता तथा विश्वसनीयता जिसके आधार पर योजना प्रतिपादित की गई थी;
- योजना के लागत अनुमानों की यथार्थता तथा विश्वसनीयता और वित्तीय प्रबंधन की पर्याप्तता;
- लाभान्वित राज्यों के द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण (आर.ई.) योजनाओं की तैयारी, राजस्व स्थिरता तथा अग्र–आर्थिक सब्सिडी (अपफ्रंट सब्सिडी) के संबंध में किए गए वादों को पूरा करने की सीमा;
- कार्यों तथा परियोजनाओं का प्रबंधन मितव्ययी रूप में तथा प्रभावी ढंग से तय समय में करना तथा विस्तृत योजना प्रतिवेदनों (डी.पी.आर.) को तैयार करने के दिशानिर्देशों का अनुपालन;
- योजना के विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति की सीमा;
- योजना की प्रगति तथा कार्यान्वयन के अनुवीक्षण (मॉनीटर) के लिए स्थापित अनुकलन (कंप्यूटराज़्ड) एम.आई.एस. की विश्वसनीयता तथा पर्याप्तता; तथा
- अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) क्रियाविधि की पर्याप्तता तथा प्रभावी होना तथा अनुवीक्षण क्रियाविधि में पाई गई कमियों के लिये सुधारात्मक कार्य।

2.3. लेखापरीक्षा कसौटी

निष्पादन लेखापरीक्षा करने में प्रयुक्त लेखापरीक्षा कसौटी के मुख्य स्रोत थे:

- विद्युत अधिनियम 2003;
- ग्रामीण विद्युतीकरण नीति 2006;
- विद्युत मंत्रालय द्वारा 18 मार्च 2005 को जारी योजना दिशानिर्देश और आ.ई.सी. द्वारा गुणवत्ता–नियंत्रण तथा माल तथा सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए जारी अतिरिक्त दिशानिर्देश;
- आर.ई.सी. राज्य सरकार, राज्य विद्युत जनोपयोगी सेवाओं तथा केन्द्रीय सार्वजनिक निगमों के बीच हुए द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय तथा चहुपक्षीय समझौते;
- मॉनीटरिंग कमेटी की बैठकों के कार्यवृत्त (मिनट);
- विद्युत मंत्रालय द्वारा दी गई पूँजीगत सब्सिडी की संस्वीकृतियाँ;
- विद्युत मंत्रालय तथा आई.सी.सी. द्वारा जारी योजना से संबंधित निर्देश/परिपत्र/आदेश;
- आर.ई.सी. की स्वीकृत डी.पी.आर. पुनरीक्षण टिप्पणियों सहित; और
- सामान्य वित्तीय नियम, 2005

2.4. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा नमूना

निष्पादन लेखापरीक्षा 27 राज्यों में कराई गई। 10वीं और 11वीं योजनाओं (2004–05 से 2011–12) के दौरान क्रियान्वित 576 परियोजनाओं का नमूना परीक्षण किया गया। चुनी गई परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुलग्नक 4** में दिया गया है। विद्युत मंत्रालय, आई.ई.सी. राज्य सरकार, केन्द्रीय सार्वजनिक निगमों, जिलों और ब्लॉक/ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का नमूना परीक्षण किया गया।

लगभग प्रत्येक राज्य से न्यूनतम दो परियोजनाओं को चुनते हुए सभी राज्यों से कुल 25 *प्रतिशत* परियोजनाओं का चयन किया गया। प्रत्येक राज्य की योजना से नमूने लेने के लिए जनसंख्या को दो स्तरों में बाँटा गया – 'उच्च जोखिम' और 'अन्य'। उच्च जोखिम के स्तर को प्रत्येक राज्य में 5 *प्रतिशत* तक सीमित कर दिया गया और इस स्तर में बड़ी लागत की परियोजनाओं का चयन किया गया। इस स्तर का 100 प्रतिशत लेखापरीक्षण किया गया। शेष बची परियोजनाओं को 'अन्य' स्तर में डाल दिया गया और आइडिया सॉफ्टवेयर के प्रयोग से साधारण यादृच्छिक नमूना बिना प्रतिस्थापित किए (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.), के प्रयोग से नमूना चयनित किया गया।

प्रत्येक चयनित योजना में से कम से कम तीन ब्लॉक लेखापरीक्षा हेतु लिए गए जहाँ पर ब्लॉक संख्या नौ से अधिक थी और जहाँ पर ब्लॉक संख्या नौ से कम थी वहाँ दो ब्लॉक लेखापरीक्षण के लिए चुने गए।

आगे, प्रत्येक चयनित ब्लॉक से कम से कम पाँच गाँवों को लेखापरीक्षा के लिये लिया गया था।

इसके अतिरिक्त, लाभार्थी सर्वेक्षण के लिए चयनित गाँवों में से कम से कम पाँच लाभार्थी चुने गए।

अतः 431 ब्लॉक सहित कुल 169 परियोजनाओं, 2,148 गाँवों और 10,460 लाभार्थियों (गरीबी रेखा से नीचे के घरों) विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित किए गए जिससे पूरे भारत के बारे में नतीजा निकाला जा सके।



भाग II

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय 3:

नियोजन

3.1. साध्यता प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय प्लान योजनाओं की सूत्रबद्ध करने के लिए एक क्रियाविधि[5] बनाई जिसमें परियोजना साध्यता प्रतिवेदन (एफ.आर.) को प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा बनाना, उसके योजना आयोग से सैद्धांतिक रूप से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) पर स्वीकृति लेना। तत्पश्चात् मूल्यांकन कार्यविधि जोकि व्यय वित्त कमेटी (ई.एफ.सी.) की मीटिंग आदि आवश्यक थे।

वित्त मंत्रालय ने विचार किया कि एफ.आर. को अपना ध्यान मौजूदा हालात के विश्लेषण, समस्या की प्रकृति व आकार जिसे ठीक करना है, वैकल्पिक रणनीतियों, प्रारंभिक पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव के विश्लेषण, साझेदारों के वादो, जोखिम घटकों आदि पर रखना चाहिए।

विद्युत मंत्रालय ने योजना शुरू करने से पहले कोई एफ.आर. नहीं बनाई । वित्त मंत्रालय (अगस्त 2004) की इस टिप्पणी का विद्युत मंत्रालय ने (अगस्त 2004) जवाब दिया कि उसे साध्यता प्रतिवेदन इसलिए नहीं बनवाए क्योंकि आर.जी.जी.वी.वाई. एक नई योजना नहीं थी क्योंकि इसके द्वारा 'एक लाख गाँवों और एक करोड़ घरों को त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण' योजना (ए.ई.ओ.एल.वी.ओ.सी.एच.) के अंतर्गत स्वीकृत पूँजीगत सहायता तथा उसके दायरे को बढ़ाया गया था।

वित्त मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय का दावा स्वीकार नहीं किया और कहा कि उसे मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए माजूदा कार्यविधियों का अनुपालन करना चाहिए।

संयोग से, विद्युत मंत्रालय ने बाद (मई 2013) में लेखापरीक्षा को स्पष्टीकरण दिया कि, *"मौजूदा अभिलेखों के आधार पर, एक लाख गाँवों और एक करोड़ घरों, कुटीर ज्योति व आर.जी.जी.वी.वाई. के लिए कोई साध्यता अध्ययन नहीं किये गये।"*

विद्युत मंत्रालय ने एक्ज़िट कॉन्फ्रेंस (सितंबर 2013) में कहा कि साध्यता अध्ययन आमतौर पर निवेश प्रस्तावों/परियोजनाओं के लिए ही किया जाता है और ऐसा अध्ययन इस योजना के लिए जरूरी नहीं समझा गया।

[5] व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन 1(2)–पी.एफ.–II/03 दिनाँक 7 मई 2003 से

इस उत्तर को इस तथ्य के मद्देनज़र देखा जाना चाहिए कि वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों (7 मई 2003) के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालयों को योजना आयोग को एफ.आर. सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति हेतु भेजना चाहिए। जिससे योजना को मंत्रालय की योजना में सम्मिलित किया जा सके। आगे, आर.जी.जी.वी.वाई. की संकल्पना में लाभार्थी की व्यापकता की पहचान, परियोजना लागत का आकलन, अवसंरचना जरूरतों में महत्वपूर्ण अंतराल था जैसाकि पैरा 3.2 में बताया गया है, जो कि एफ.आर. में शामिल किया जा सकता था।

3.2. गाँवों की पहचान

आर.जी.जी.वी.वाई. के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक था कि अविद्युतीकृत, डी–विद्युतीकृत[6] और विद्युतीकृत गाँवों को सही तरह से पहचाना जाए। विद्युत की स्थाई समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट (14वीं लोकसभा) में अनुशंसा की कि विद्युत मंत्रालय को राज्यों को ग्रामीण विद्युतीकरण की नई परिभाषा जो 2004–05 से लागू है, के आधार पर अविद्युतीकृत गाँवों की पहचान के लिए नया सर्वेक्षण कराने के लिए कहना चाहिए। समिति ने दोबारा अपनी तीसरी रिपोर्ट (14वीं लोकसभा) में अनुशंसा की कि विद्युत मंत्रालय राज्यों से ग्रामीण विद्युतीकरण के विषय में अद्यतन आँकड़े प्राप्त करें और इस नए आँकड़ों के परिपेक्ष्य में अपने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में संशोधन करे। विद्युत मंत्रालय को योजना लागू होने से पहले केवल एक राज्य (राजस्थान) से जानकारी मिली। आगे, सितंबर 2008 तक भी, विद्युत मंत्रालय को सभी राज्यों से पूर्ण जानकारी नहीं मिली थी जिसके कारण 10वीं और 11वीं योजना के कार्यान्वयन में प्रयोग किए गए आँकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित नहीं जा सकी।

मार्च 2005, में दिशानिर्देश बनाते वक्त, विद्युत मंत्रालय ने एकरूप तरीका नहीं अपनाया क्योंकि विद्युत मंत्रालय ने विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण घरों की संख्या का आकलन करने में 2001 जनगणना को प्रयोग किया और बसे हुए गाँवों की संख्या के लिए जनगणना 1991 को अपनाया। 1991 और 2001 के बीच बसे हुए गाँवों की संख्या में 6,175 गाँवों का अंतर मिला। आगे, विद्युतीकृत गाँवों की संख्या/प्रतिशत को 1991 जनगणना के आधार पर निकाली गई। इसलिए गाँवों से संबंधित आँकड़े पुराने थे।

बॉक्स 1 राजस्थान–पहले से ही विद्युतीकृत गाँवों का विद्युतीकरण

उदयपुर जिले में 46 गाँवों और 1,616 घरों के विद्युतीकरण को ₹ 2.92 करोड़ की अनुमानित लागत पर आर.ई.सी ने संस्वीकृत किया (18 मार्च 2005) जिसके लिए ₹ 87.5 लाख आर.ई.सी ने प्रमाण पत्र जारी किए। 40 गाँवों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्र के विश्लेषण ने दर्शाया कि सितंबर 2004 और मार्च 2005 में दिए गए थे, जिससे यह साफ था कि गाँवों को अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ए.वी.वी.एन.एल.) द्वारा उदयपुर की परियोजना के संस्वीकरण से पहले ही विद्युतकृत कर दिया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ए.वी.वी.एन. एल. ने इन कार्यों के भुगतान के लिए दावा किया था जो कि संभवतः योजना के शुरू होने से पहले पूर्ण हो चुके थे।

[6] डी विद्युतीकृत गाँव ऐसा गाँव है जो पहले विद्युतीकृत था किंतु फरवरी 2004 की पुनरीक्षित परिभाषा के अनुसार अब उसे विद्युतीकृत गाँव का दर्ज़ा प्राप्त नहीं है।

विद्युत मंत्रालय 1991 की जनगणना के आँकड़ों को अपनाने का तर्क नहीं दे पाया और कहा (फरवरी 2013) कि *"(उन्हें) इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी।"*

बुनियादी आँकड़ों की अविश्वसनीयता चिंता का विषय है क्योंकि यह इस विषय में आश्वासन नहीं हो पाएगा कि लक्ष्य सही बनाए गए थे और योजना उन आँकड़ों को पाने में समर्थ रही जो कि विभिन्न प्रतिवेदनों/प्रस्तावों तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) डॉटा में दिख रहे थे। इन मुद्दों पर नीचे चर्चा की गई है।

3.2.1. अविद्युतीकृत गाँव (यू.ई.वी.)

2001 जनगणना आँकड़ों[7] के अनुसार भारत में 1,19,570 अविद्युतीकृत गाँव थे। योजना की स्वीकृति हेतु (फरवरी 2005 में) आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को दिए टिप्पणी (नोट) में, विद्युत मंत्रालय ने अविद्युतीकृत गाँवों की संख्या 31 मार्च 2004 तक 1,12,401, इंगित की। ग्रामीण विद्युतीकरण की नयी परिभाषा[8] को ध्यान में रखते हुए, विद्युत मंत्रालय ने अविद्युतीकृत गाँवों की संख्या (फरवरी 2005 में) लगभग 1,25,000 अनुमानित की। बाद में, जनवरी 2008 में 11वीं योजना में आर.जी.जी.वी.वाई. को जारी रखने का प्रस्ताव रखते हुए, विद्युत मंत्रालय ने विद्युतीकृत होने वाले अविद्युतीकृत गाँव की संख्या 1,15,000 पुनर्अनुमानित की। अंततः योजना के तहत स्वीकृत[9] हुए 1,18,555 अविद्युतीकृत गाँवों[10] की संख्या 1,10,809 संशोधित[11] कर दी गई।

अतः अविद्युतीकृत ग्रामों की स्थिति पर कोई स्पष्टता नहीं थी एवं अनुमानित व स्वीकृत आँकड़ों में (2005–12 के बीच) समय–समय पर विभिन्नताएँ थीं। फलस्वरूप, यह सुनिश्चित नहीं हो सकता था कि अविद्युतीकृत ग्रामों की प्रस्तावित कवरेज़ यथोचित सावधानी एवं विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् ही प्राप्त हुई थी।

3.2.2. विद्युतीकृत ग्राम (ई.वी.)

2001 जनगणना आँकड़ों के अनुसार 4,74,162 पूर्व–विद्युतीकृत ग्राम थे। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) की 2002–03 की प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2003 के अंत तक 4,91,760 ग्राम विद्युतीकृत किए जा चुके थे। विद्युतीकृत/अविद्युतीकृत ग्रामों की स्थिति में उल्लेखनीय अंतर थे जो निम्नलिखित हैं :

- विद्युत मंत्रालय द्वारा आर.जी.जी.वी.वाई दिशानिर्देशों के अनुसार 4,74,982 विद्युतीकृत ग्राम थे। (31 मार्च 2004)
- ढ़ाँचागत तंत्र के संवर्धन के लिए सी.सी.ई.ए. टिप्पणी (फरवरी 2005) में वर्णित लागत अनुमान पूर्व विद्युतीकृत बस्तियों में विद्युतीकृत घरों के 4,62,000 विद्युतीकृत गांव पर आधारित थी।
- आर.ई.सी. की दिनाँक 31 मार्च 2012 की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) प्रतिवेदन ने विद्युतीकृत ग्रामों की संशोधित स्वीकृत कवरेज़ 3,48,859 (चरण I) 50,953 (चरण II) थी।

[7] 31 मार्च 2012 के एम.आई.एस. प्रतिवेदन के अनुसार

[8] पैरा 1.1 को देखें

[9] 68,763 अविद्युतीकृत गाँवों को 10 वीं योजना में लिया जाएगा ओर 49,792 अविद्युतीकृत गाँवों को 11 वीं योजना में लिया जाएगा।

[10] आर.ई.सी. की सिफारिश पर संस्वीकृत कवरेज सहित डी.पी.आर. को मानीटरिंग समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

[11] 31 मार्च 2012 के एम.आई.एस. प्रतिवेदन के अनुसार

विद्युत मंत्रालय ने (अगस्त 2013) *बदलावों को यह कहते हुए उचित ठहराया कि, "ग्राम विद्युतीकरण कए निरंतर प्रक्रिया है। परियोजनाओं को अमल में लाने की प्रक्रिया के दौरान सर्वेक्षण करने के बाद, अविद्युतीकृत ग्रामों की संख्या विभिन्न कारणों जैसे कि पहले से विद्युतीकृत सुदूर गाँव, गहरे वन, गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य आदि से 1,10,886 तक घटा दी गई।*

उपरोक्त स्थिति निम्नलिखित प्रकट करती/बल देती है :

- समयबद्ध योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए उचित वित्तीय और वस्तुगत रूपरेखा आवश्यक है।
- योजना स्तर पर सटीक आँकड़ें की कमी और ऐसे आँकड़ें को प्राप्त करने के किसी भी प्रयास की कमी, परिहार्य तेज़ी को सुझाती है विशेषतौर पर जब तदर्थ आधार पर स्वीकृत कवरेज़ में कई परिवर्तन हुए। उदाहरणतः विद्युतीकृत गाँवों के मामले में किया गया परिवर्तन 90,000 गाँवों से अधिक था।
- इस रवैये ने योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन को भी प्रभावित किया जोकि इस तथ्य से प्रकट है कि अगस्त 2013 तक भी, अविद्युतीकृत और विद्युतीकृत गाँवों की संख्या के सटीक आँकड़ों के बिना ही इस योजना को 12वीं योजना में ले जाया गया। विद्युत मंत्रालय ने फिर से 12वीं योजना में शामिल किये जाने वाले 75,000 अवविद्युतीकृत गाँवों का अंदाजा किया।

3.3. लाभार्थियों की पहचान एवं आंकलन

राज्यस्तर पर, राज्य सरकारों/परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों (पी.आई.ए.)[12] से आशा थी कि परियोजना बनाते समय लक्षित लाभार्थियों और विशेष तौर पर बी.पी.एल. परिवारों की सही पहचान करेगे। चूँकि अविद्युतीकृत बी.पी.एल. परिवारों का विद्युतीकरण अर्थात 7.8.करोड़ अविद्युतीकृत घरों की 30 *प्रतिशत* तक 100–*प्रतिशत* पूंजीगत सहातया से होना था, ऐसे परिवारों की पहचान विवेचनात्मक थी, यह सरल बनाने के लिए ना केवल योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में वरन योग्य लाभार्थियों की पहचान ओर वित्तीय समझदारी बनाये रखने को सुगम बनाने की भी आवश्यकता थी। पी.आई.ए. द्वारा तैयार डी.पी.आर. के अनुसार बी.पी.एल. परिवारों के आँकड़ो के मध्य अवार्ड–पत्रों के अनुसार बी.पी.एल. सेवा–सम्पर्क ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी और बी.पी.एल. परिवार सर्वेक्षणों के अनुसार जानकारी में बहुत अन्तर था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 6 : परियोजना के उदाहरण जहाँ अनुबन्धित बी.पी.एल. संख्या डी पी आर/सर्वेक्षण से कम थी।

विचरण प्रतिशत की प्रमात्रा	भिन्नता से युक्त परियोजनाओं की संख्या	
	डी.पी.आर. और अनुबन्धित आँकड़ों के मध्य	सर्वेक्षण और अनुबन्धित आँकड़ों के मध्य
10 से कम	12	12
11 से 40 के मध्य	20	17
41 से 70 मध्य	4	9
70 से अधिक	2	8

[12] डिस्कॉम/सी.पी.एस.यू./एस.ई.बी./राज्य विद्युत विभाग

तालिका 7: परियोजना के उदाहरण जहाँ अनुबन्धित बी.पी.एल. संख्या डी.पी.आर./सर्वेक्षण से अधिक थी।

विचरण प्रतिशत की प्रमात्रा	अन्तर के साथ परियोजना की संख्या	
	डी.पी.आर. और अनुबन्धित आँकड़ों के मध्य	सर्वेक्षण एवं अनुबन्धित आँकड़ों के मध्य
10 से कम	6	16
11 से 40 के मध्य	8	19
41 से 70 मध्य	3	8
71 से मध्य 100	2	3
100 से अधिक	3	11

इस प्रकार डी.पी.आर. और ठेके के अनुसार, बी.पी.एल. परिवारों की संख्या में अन्तर जाँची गयी 60 परियोजनाओं में से 42 में 10 *प्रतिशत* से अधिक था। इसी तरह, 103 में से 75 परियोजनाओं में बी.पी.एल. परिवारों की संख्या में अन्तर सर्वेक्षण के अनुसार और ठेकों के अनुसार 10 *प्रतिशत* से अधिक थी। 11 परियोजनाओं में अनुबन्धित ऑकड़ों और सर्वेक्षणों में शत–प्रतिशत से अधिक (विचलन) अन्तर था।

- इसके अतिरिक्त, डी.पी.आर. के अनुसार 169 परियोजनाओं में 90 लाख बी.पी.एल. परिवारों के आवरण की आशा थी, वहाँ डी.पी.आर. ऑकड़ों और बी.पी.एल. अनुबन्धित संख्या में 9 लाख से अधिक का अन्तर था।
- हालांकि, बी.पी.एल. परिवारों का आकलन सर्वेक्षण के बाद और अधिक सटीक होना चाहिए था, 169 परियोजनाओं में अनुबन्धित सम्पर्कों की संख्या जो प्रकाशित होनी थी और सर्वेक्षण से जो संख्या प्रकट होनी थी उसमें 30 लाख से अधिक का अन्तर था।

बॉक्स 2 गैर– बी.पी.एल. परिवारों को मुफ्त बी.पी.एल. कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान

गुजरात में, बी.पी.एल. परिवारों की नई सूची 2002 मे बनायी थी जिसमें बी.पी.एल. परिवारों के दो वर्ग थे (पहला वर्ग 0–16 अंक तथा दूसरा वर्ग 17–20 अंक)। इसके अतिरिक्त, गुजरात सरकार के दिनांक 23.06.2006 के परिपत्र के अनुसार केवल वही बी.पी.एल. परिवार जिनके अंक 0–16 थे उनको ही भारत सरकार की ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए विचार किया जायेगा। हालांकि, तीन पी.आई.ए. अर्थात् दक्षिण गुजरात विज कम्पनी लिमिटेड (डी.जी.वी.सी.एल.), पश्चिम गुजरात विज कम्पनी लिमिटेड (पी.जी.वी.सी.एल.), उत्तर गुजरात विज कम्पनी लिमिटेड (यू.जी.वी.सी.एल.) ने राज्य के दिशानिर्देशों के विपरीत 17–20 अंकों वालों बी.पी.एल. परिवारों को कनैक्शन जारी कर दिये। छः परियोजनाओं में सर्वेक्षण के लिए चयनित 80 में से 71 गाँवों में 17–20 अंक के बी.पी.एल. घरों को दिए गए मुफ्त कनैक्शनों की प्रतिशतता कुल कनैक्शनो की 3.13 *प्रतिशत* से 88.24 *प्रतिशत* के बीच थीं। पांच गाँवों में, सभी लाभार्थी 17–20 अंक श्रेणी के थे। अतः अयोग्य लाभार्थियों को भी मुफ्त कनेक्शन दिलाए गए।

इसका कोई साक्ष्य नही था कि एम.ओ.पी. ने पहले कि योजनाओं[13] के प्रभाव और परिणामों पर विचार करने के पश्चात् विद्युतीकृत गाँवों, बी.पी.एल. परिवारो आदि की संख्या को निश्चित किया था। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों सरकारों द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएँ कुछ राज्यों में भी प्रचलन में थी जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि जिसके प्रभाव पर एम.ओ.पी. द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए था।

उत्तर में, एम.ओ.पी. ने कहा (जून 2013) कि "डी.पी.आर. सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा तैयार किये गये थे और बी.पी.एल. की सूची बनाने का दायित्व राज्य सरकारों का था।" एम.ओ.पी. ने इसके आगे यह भी कहा (अगस्त 2013) कि, "समापन के समय बी.पी.एल. लाभार्थियों की विस्तृत सूची पी.आई.ए. द्वारा दी गयी थी"। एम.ओ.पी. ने इस उत्तर को एक्ज़िट कान्फ्रेंस में पुनः दोहराया (सितम्बर 2013)।

एम.पी.ओ. के उत्तर को इस तथ्य के समक्ष देखने की आवश्यकता है कि आर.ई.सी. केन्द्रीय अभिकरण था और डी.पी.आर. के आँकड़ों की परिशुद्धता निश्चित करने के लिए उत्तरदायी था। यह बात कि लाभार्थियों की विस्तृत सूची परियोजना के समापन पर उपलब्ध करायी थी इस तथ्य की अवहेलना करती है कि परियोजना की संस्वीकृत लागत, बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताएँ आदि बी.पी.एल. परिवारों के प्रारम्भिक अनुमान पर आधारित थीं। इतने बड़े अन्तरों से इंगित होता है कि निर्मित किया गया बुनियादी ढाँचा या तो आवश्यकता से अधिक था या कम। उदाहरण के लिए बिहार[14] में, जहाँ बी.पी.एल. लाभार्थियों की संख्या बढ़ी थी, यह विदित हुआ कि गाँव के विद्युतीकरण का बुनियादी ढांचा (वी.ई.आई.) जिसे विकसित करना प्रस्तावित था, ऐसे लाभार्थियों को विद्युत देने के लिए पर्याप्त नहीं था।

इसके अलावा, जहाँ लाभार्थियों की संख्या में ज्यादा वृद्धि हुई थी, नियत्रंक आँकड़ों के अभाव में, यह स्पष्ट नहीं था कि आर.ई.सी. ने यह कैसे सुनिश्चित किया कि सूची में वास्तविक लाभार्थी ही थे। दूसरी ओर, अधोमुखी संशोधन के मामले में, इस बात की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता कि एक बार किसी गाँव के पूर्ण विद्युतीकृत घोषित होने के पश्चात् भी कुछ लाभार्थी, जो वैसे अन्य प्रकार से पात्र थे, योजना क्षेत्र से बाहर तो नही छोड़ दिए गए।

3.4. लागत आकलनों में अन्तर

अविद्युतीकृत गाँवों और बी.पी.एल. लाभार्थियों की पहचान और ऑकलन में कमियाँ थी, जिसके कारण लागत के आकलन में ₹ 2262 करोड़ का अन्तर आया, जैसा कि नीचे विचार विमर्शित है।

3.4.1. लागत आकलन के लिए विचारित अविद्युतीकृत गाँवों में भिन्नताएँ।

नवम्बर 2004 में एम.ओ.पी. ने सी.सी.ई.ए. से आर.जी.जी.वी.वाई. का अनुमोदन लेने के साथ–साथ 1,25,000 ग्रामों को शामिल करते हुए योजना की सम्रग ₹ 16,000 करोड़ की लागत में से ₹ 8,125 करोड़ लागत पर (₹ 6.5 लाख प्रतिगाँव) को भी सम्मलित करने का प्रस्ताव किया था। एम.ओ. पी. के इस प्रस्ताव का 'सिद्धान्त रूप में' सी.सी.ई.ए. ने दिसम्बर 2004 में अनुमोदन कर दिया था। इसके पश्चात् आर.ई.सी. द्वारा प्राप्त डी.पी.आर. के आधार लागत के मान्यीकरण के पश्चात् एम.ओ.पी. ने 1,00,000 गाँवों को सम्मिलित करने के, संशोधित प्रस्ताव के साथ, फरवरी 2005 में परियोजना की लगभग उसी समान लागत पर सी.सी.ई.ए को अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया। फरवरी 2005 में सी.सी.ई.ए ने एम.ओ.पी. के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। हालाँकि एम.ओ.पी. ने फिर

[13] न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, कुटीर ज्योति योजना, त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, एक लाख गाँवों एवं एक करोड़ आवासो की त्वरित विद्युतीकरण योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण।

[14] पी जी सी आई एल द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएँ।

आर.जी.जी.वी.वाई. को मार्च 2005 में अधिसूचित किया समान लागत में ही 1,25,000 गॉवों को सम्मिलित करते हुए। इस प्रकार, दिशानिर्देशों में युक्त गाँवों की संख्या 25,000 बढ़ गयी थी। दिशानिर्देशों में लिये गये ₹ 1.25 लाख में से एक लाख घटाने के बाद जो कि फरवरी 2005 के सी.सी.ई.ए. के अंतिम अनुमोदन के लिए नोट में इंगित थे)।

विद्युत मंत्रालय के सी.सी.ई.ए. को दिए प्रारंभिक विवरण (नवम्बर 2004) में स्वीकृत अविद्युतीकृत गाँव के विद्युतीकरण के लिए ₹ 6.5 लाख प्रति गाँव की कीमत को ध्यान में रखते हुए, मार्गदर्शकों में ₹ 16,25 करोड़ के अनुमानित मूल्य आंकलन का अन्तर था जैसा तालिका 8 में इंगित है:

तालिका 8: अविद्युतीकृत गाँवों की लागत में अन्तर।

एम.ओ.पी. मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अविद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण की समग्र लागत	1,25,000 @ ₹ 6.5 **लाख** = ₹ 8,125 **करोड़**
कुल अविद्युतीकृत गाँव और लागत जिसको लेना था।	1,00,000 @ ₹ 6.5 **लाख** = ₹ 6,500 **करोड़**
लागत अन्तर	₹ (8,125 – 6,500) **करोड** = ₹ 1,625 **करोड़**

एम.ओ.पी. ने कहा (अगस्त 2013) कि ₹ 1,25,000 अविद्युतीकृत गाँवों के समावेश होने पर योजना के समग्र लागत प्राक्कलन को नहीं बढ़ाया।

एम.ओ.पी. के उत्तर को इस तथ्य की तुलना में देखने की आवश्यता है कि एम.ओ.पी. ने ही यह स्वीकार (फरवरी 2013) किया था 'कि आकलन में केवल 1,00,000 अविद्युतीकृत गाँवों को ही सम्मिलित करना चाहिए'। समापन सम्मेलन (सितम्बर 2013) में जब इस मामले पर विचार किया तो एम.ओ.पी. ने कहा कि ऐसी महती आकार की योजना/परियोजना की लागत का आंकलन जिसमें देश के सभी राज्यों के विविध भाग शामिल हों, जब भी आगे बढ़ती है तो उसके विभिन्न स्तरों पर संशोधन किया जाता है।

सी.सी.ई.ए. को प्रस्तुत लागत आकलन ही अनुमोदन का और योजना के भावी क्रियान्वयन मूल आधार बनता था। इस लिए यह वांछित था कि इन आकलनों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों को और अधिक वास्तविक तरीके से तैयार किया जाता और यह एम.ओ.पी. के पास उपलब्ध समग्र ऑकड़ों पर आधारित होता।

3.4.2. सब्सिडी में वृद्धि

एम.ओ.पी. ने 90 *प्रतिशत* पूंजीगत आर्थिक सहायता के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव (फरवरी 2005) भेजा। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार भी, पूंजीगत लागत को समग्र परियोजना की लागत के 90 *प्रतिशत* के अन्दर ही रखा जाना था। योजना[15] के लागत प्राक्कलन के निरीक्षण ने उजागर किया कि लागत का अनुमान ₹ 16,000 करोड था, जबकि सब्सिडी का घटक ₹ 14,400 करोड़ के बजाय (कुल खर्च का 90 प्रतिशत) ₹ 14,750 करोड़ था (जोकि कुल खर्च का 92.19 *प्रतिशत* बनता है) जिसके परिणामस्वरूप लागत आंकलन ₹ 350 करोड़ तक बढ़ गया।

[15] एम.ओ.पी. के का.ज्ञा. दिनांक 18 मार्च 2005 द्वारा जारी योजना दिशानिर्देशों का भाग बनाना

3.4.3. अन्य योजनाओं के तहत दिये गए बी.पी.एल. कनैक्शनों का समावेशन

लगभग 19.14 लाख विद्युत कनेक्शन, बी.पी.एल. परिवारों को पूर्व 'कुटीर ज्योति कार्यक्रम' के तहत 2001–02 से 2003–04 के दौरान मुफ्त दिये गये थे। हालांकि इनको आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत बी.पी. एल. परिवारों की संख्या के और अनुमानित खर्चे का आंकलन करते समय घटाया नही गया जिसके कारण लागत अनुमान ₹ 287.16 करोड़[16] से बढ़ गया

3.5. वरीयता ओर लक्ष्यों का निर्धारण

2001 की जनगणना के अनुसार, देश के 13.80 करोड़ आवासों में 6.02 करोड़ आवास बिजली को प्राथमिक प्रकाश स्रोत के रूप में उपयोग कर रहे थे। आर.जी.जी.वी.वाई. को इसी आधार पर शुरू किया था। जैसा कि एम.ओ.पी. ने ऊर्जा पर स्थायी समिति (14th लोक सभा) को बताया था कि आर.जी.जी.वी.वाई. को 'एक योजना के दृष्टिकोण' के साथ लागू होनी था जिसमें योजना को परिभाषित किया था और लाभार्थी भी कम या ज्यादा परिभाषित थे। इसलिए, स्रोतो की कमी को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक था कि एम.ओ.पी. 2009 तक 1.25 लाख गाँवों और 2.34 करोड़ बी.पी.एल. आवासों के विद्युतीकरण में प्राथमिकता आधारित लक्ष्य के दृष्टिकोण को अपनाता और उचित लक्ष्यों को निर्धारित करता।

हालांकि एम.ओ.पी. और आर.ई.सी., योजना के प्रारम्भ के समय देश में विद्युतीकृत/अविद्युतीकृत कुल गाँवों और आवासों के विद्युतीकरण की जमीनी स्थिति से अवगत नहीं थे। परिणामस्वरूप, कोई भी लक्ष्य ना तो समग्र और ना ही राज्य स्तर पर, योजना के कार्यान्वयन के शुरू के दो सालो (2005–2006 एवं 2006–2007) में बी.पी.एल. कनेक्शन के लिए निर्धारित किया गया था। इसके पश्चात अगले दो वर्षो के लिए (2007–2008 एवं 2008–2009) जबकि पूरे देश के लिए समग्र लक्ष्य नियत था, राज्य स्तर पर लक्ष्य निर्धारित नहीं था। बाद में, जबकि राज्यों के लिए लक्ष्य पूर्ण रूप से निर्धारित था, तो इसको पी.आई.ए. पर छोड़ दिया कि राज्य में कहीं भी लक्ष्यों को पूरा करो, सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के तहत।

एम.ओ.पी. ने सी.सी.ई.ए. को योजना के अनुमोदन के प्रस्ताव (नवम्बर 2004) में कहा था कि आवासीय स्तर पर विद्युतीकरण में प्रथम वरीयता अविद्युतीकृत गाँवों को दी जायेगी और अधिमान दलित वस्तियों, आदिवासी बन्दोवस्त (भूमिव्यवस्थ) और कमजोर वर्गो के बस्तियों को दी जायेगी। 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में 65 जिले ऐसे थे जहाँ 80 *प्रतिशत* से अधिक गाँव अविद्युतीकृत थें **(अनुलग्नक–5)** और 80 जिलों में अविद्यृतीकृत आवासों की बहुत बड़ी संख्या थी **(अनुलग्नक–6)**। हालांकि, इन 65 और 80 जिलों में क्रमशः केवल 32 जिले और 43 जिलें 10 वीं योजना की अवधि में आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत कार्यान्वयन के चुने गये थे, जबकि 10 वीं योजना के तहत उपलब्ध ₹ 5,000 करोड़ की राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जैसा कि ऊपर पैरा 1.5 में बताया गया है।

इसके अतिरिक्त, गाँवों और आवासों के विद्युतीकरण की प्राथमिकता को निर्धारित करने के स्थान पर 'पहले–आओ–पहले पाओं' के आधार पर परियोजना को संस्वीकृत कर दिया।

[16] 19,14,387 कनैक्शन, 1500 प्रति कनैक्शन की दर से

उत्तर में एम.ओ.पी. ने कहा (अगस्त 2013 में) कि "चूंकि आर.जी.जी.वी.वाई. मापदण्डों के अनुसार डी.पी.आर. समेकित आधार पर तैयार की गई थी यानि कि अविद्युतीकृत और विद्युतीकृत दोनों तरह के गाँवों को शामिल करते हुए, इसलिए केवल अविद्युतीकृत गाँवों के आधार पर प्राथमिकता तय करना सम्भव नहीं था"।

यह ध्यान में लाना तर्कसंगत होगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों में 40 वर्षो से अधिक अनुभव होने के बावजूद एम.ओ.पी./आर.ई.सी. ने गाँवों और आवासों के विद्युतीकरण के लिए लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण नहीं अपनाया। जहाँ भी गाँवों के स्तर/जिला स्तर पर लक्ष्य निर्धारित नहीं थे, वही बिना किसी स्पष्ट प्राथमिकता (वरीयता) के परियोजना को चयनित करके उद्देश्य प्राप्त करने का दायित्व पी.आई.ए. पर डाल दिया गया। इससे यह मालूम होता हैं कि, कमजोर वर्गो के अविद्युतीकृत आवासों के वास्तविक आवरण कि बजाय संख्या और खर्च के लक्ष्यों को पाने पर ध्यान केन्द्रित था जैसा कि एम.ओ.पी. ने सी.सी.ई.ए. को प्रस्तावित किया था। इससे यह सम्भव लगता है कि आवश्यकता के स्थान पर 'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धांत को परियोजना के लागू करने का आधार बना दिया गया।

बॉक्स 3: दिशानिर्देशों का पालन न होना (पी.जी.सी.आई.एल.–बिहार)

आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत परियोजना के निर्माण को दिशानिर्देशों के अनुसार गाँवों में सभी ग्रामीण आवासों में सभी बी.पी.एल. आवासों को योजना के तहत विद्युतीकरण के लिए आवरण करना अपेक्षित था। छः चयनित जिलों के संबंध में, वास्तविक बी.पी.एल. आवासों और वांछनीय ए.पी.एल. उपभोक्तों का विचार किये बिना लक्षित लाभार्थियों की पहचान की गयी। पाँच चयनित जिलों में कुल बी.पी.एल. आवासों में से केवल 7 से 10 *प्रतिशत* डी.पी.आर. में तीन जिलों (कैमूर, भोजपुर और सारन) को ही चयनित किये गया और डी.पी.आर. में अन्य दो जिले (नालंदा और नवादा) में केवल 14 *प्रतिशत* और 58 *प्रतिशत* चयनित किये थे।

एम.ओ.पी. ने कहा (अगस्त 2013) कि 'परियोजना यह विचार करते हुए बनायी थी गाँव के विद्युतीकरण की नयी परिभाषा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गाँवों के कम से कम 10 *प्रतिशत* आवास विद्युतीकृत हो।'

उत्तर इन तथ्यों को पुर्नबल देता है कि कमजोर वर्गो के अविद्युतीकृत आवासों को वास्तव में सम्मिलित करने के बजाय लक्ष्यों को संख्या में पाने पर ध्यान केन्द्रित था।

3.6. आर.ई. योजनाओं को तैयार और अधिसूचित करना

विद्युत अधिनियम, 2003 अपेक्षा करता है कि केन्द्रीय सरकार अपरम्परागत ऊर्जा व्यवस्थाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक समरूप प्रणाली के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय वितरण एवं विद्युतीकरण पर भी एक राष्ट्रीय नीति की अधिसूचना जारी करे। तदनुसार, विद्युत मंत्रालय ने ग्रामीण विद्यृतीकरण नीति (आर.ई.पी.ओ.एल.) को अगस्त 2006 में अधिसूचित किया। सभी आवासों को बिजली की पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। राज्य सरकारों को इस अधिसूचना के छः महीने के अन्दर ग्रामीण विद्युतीकरण (आर.ई.) योजना को अधिसूचित करना आवश्यक था।

प्रत्येक राज्य उपलब्ध तकनीकियों (परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत्र), पर्यावरण मानक, ईधन की उपलब्धता, अविद्युतीकृत घरों की संख्या, विद्यमान ग्रिड से दूरी इत्यदि को ध्यान में रखते हुए अपनी आर.ई. योजनाओं में विद्युतीकरण वितरण प्रणालियों (ग्रिड तथा स्टेंड अलोन) का मापन एवं वर्णन करेंगे।

ऐसी योजनाओं को जिला विकास योजनाओं के साथ जोड़ा जाना था जब भी यह योजनायें उपलब्ध होगी। आर.ई. योजनाएं आर.जी.जी.वी.वाई. के निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मार्गदर्शक थी।

- 2009 तक सभी आवासों के लिए विद्युत पहुँचाने का प्रावधान;
- उचित दरों पर गुणवता पूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति;
- 2012 से योग्यता लाभ के रूप में न्यूनतम जीवनरेखा उपभोग एक यूनिट प्रति आवास प्रतिदिन के आधार पर ही जाएगी।

उपरोक्त लक्ष्यों के साथ–साथ उपलब्धियों के संदर्भ में प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

सभी राज्यों से इसलिए अपेक्षा की गई थी कि फरवरी 2007 तक आर.ई. योजनाओं को तैयार और अधिसूचित करें। यद्यपि, किसी भी राज्य ने फरवरी 2007 तक आर.ई. योजना को अधिसूचित नहीं किया। आगे, विद्युत मंत्रालय ने आर.जी.जी.वी.वाई. को 11 वीं योजना के लिए स्वीकारते (फरवरी 2008) हुए कहा कि राज्य सरकारें विद्युत मंत्रालय के साथ विचार–विमर्श करके आर.ई. योजना को अंतिम रूप दे और उसे छह माह के भीतर अधिसूचित करें।

बॉक्स 4: ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में कमियाँ

फरवरी 2008 में विद्युत मंत्रालय ने पूँजी सब्सिडी आनुषांगिम को देने को राज्य पर छोड़ दिया जिसे 11 वीं योजना में आर.जी.जी.वी.वाई. के जारी रहने के छह माह के भीतर इसके साथ परामर्श कर आर.ई. योजना को अंतिम रूप देना था और अधिसूचित करना था। जिसके न होने पर पूंजी रियायत अनुदान को ऋण में बदल दिया जाना था रिकार्डो कीा समीक्षा ने यह उद्घाटित किया कि ऐसे उदाहरण हुए है जहाँ आर.ई. योजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के बावजूद भी पूंजी रियायत को दिया गया। उदाहरण के लिए जम्मू–कश्मीर में ₹ 664.62 करोड़ की राशि की पूँजी सबसिडी को मार्च 2012 में राज्य सरकार को 14 परियोजनाओं के संदर्भ में आर.ई. योजना के अभाव में दे दिया गया। उत्तराखंड में, आर.जी.जी.वी.वाई. के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लगभग सभी भौतिक कार्य आर.ई. योजना को अधिसूचित करने के समय पूर्ण हो चुके थे। त्रिपुरा की आर.ई. योजना में बी.पी.एल. आवासों, निवास स्थानों आदि के विद्युतीकरण की स्थिति सम्मिलित नहीं थी। उप–ट्रांसमिशन व ट्रांसमिशन प्रणाली को सुधारने और सशक्त बनाने के लिए इसमें निधियों की आवश्यकता और निवेश योजना को भी दर्शाया नहीं गया था।

अगस्त 2013 तक, 27 में से 25 राज्यों ने आर.ई. योजना को तीन से 73 माह के विलंब के साथ अधिसूचित किया जैसा कि **अनुलग्नक 7** में दिखाया गया है। दो राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर और सिक्किम) ने अपने आर.ई. योजना (अगस्त 2013) को अधिसूचित नहीं किया।

विद्युत मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2013) कि, *"इस संदर्भ में इन राज्यों के साथ नियमित रूप से आगे कि कार्यवाही की जा रही है"*।

3.7. क्षेत्र सर्वेक्षण के बिना डी.पी.आर. तैयार किया जाना

आर.ई.सी. (जून 2005) द्वारा जारी कार्यान्यवन दिशानिर्देशों में कहा कि राज्य सरकारों और स्टेट पॉवर यूटिलिटी (एस.पी.यू.) को जिला/परियोजना स्तर पर अपेक्षित कार्य की मात्रा का निर्धारण करना चाहिए ताकि योजना के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। प्रत्येक परियोजना के तकनीकी औचित्य और वित्तीय व्यवहारिकता को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों ने एक आदर्श डी.पी.आर. को विहित किया। 2001 की जनगणना के अनुसार कुल आवासीय परिवार ऑकड़े के सापेक्ष आदर्श डी.पी.आर. को ग्रामीण आवास विद्युतीकरण की 'वर्तमान' स्थिति के ब्लॉक अनुसार ब्यौरा अपेक्षित था। डी.पी.आर. को गाँव की 'वर्तमान' स्थिति/निवास स्थलों के विद्युतीकरण, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के आवासों का विद्युतीकरण (बी.पी.एल. आवासों की कुल संख्या, विद्युतीकृत बी.पी.एल. आवास और शेष), सार्वजनिक स्थल (विद्यालय, अस्पताल आदि) जो विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित था आदि को दर्शाना था। इसके अतिरिक्त, डी.पी.आर. से अपेक्षित था कि वह अविद्युतीकृत और विद्युतीकृत गांवों में वर्तमान आधारभूत संरचना की स्थिति, तारों की प्रस्तावित लंबाई, वाणिज्यिक, कृषि और लघु उद्योग कनैक्शनों की प्रस्तावित संख्या, वित्तीय विश्लेषण, ऊर्जा हानि आदि को दर्शाए। डी.पी.आर. को लक्षित कार्यान्वयन, लाभभोगियों के लाभ को बढ़ाने और बर्बादी व अक्षमता को कम करने की आवश्यकता को सुनिश्चित करना था जिससे योजना के अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

चूंकि अविद्युतीकृत गांवों और अविद्युतीकृत ग्रामीण आवासों के आँकड़े 1991 और 2001 की जनगणना पर आधारित थे, डी.पी.आर. की तैयारी से पूर्व एक आधार रेखा सर्वेक्षण सही और वास्तविक डी.पी.आर. के निरूपण में सहायक सिद्ध होता। एक भी पी.आई.ए. ने न तो सी.पी.एस.यू. और ना ही राज्य–नियंत्रित डिस्कॉम/राज्य विद्युत बोर्ड ने डी.पी.आर. का निरूपण करने से पूर्व ऐसा कोई सर्वेक्षण किया।

सिक्किम के ऊर्जा और विद्युत विभाग (ई पी डी) ने कहा (जनवरी 2013) कि "आर.जी.जी.वी.वाई. के अधीन मात्रा में अंतर के लिए कारणों को बताया गया कि बहुत से आवासों को छोड़ दिया गया क्योंकि 2006 में तैयार मूल डी.पी.आर. वास्तविक सर्वेक्षण पर आधारित नहीं थे।" इसी प्रकार से मेघालय विद्युत कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.ई.ई.सी.एल.) ने (फरवरी 2013) कहा कि "सर्वेक्षण रिपोर्टों को कार्यालय के कम्प्यूटर में डी.पी.आर. फार्मेट में डाला गया और डी.पी.आर. को तैयार करने के बाद कच्चे रिकार्डों/रिपोर्टों को नष्ट कर दिया गया/फाइलों में नहीं रखा गया और उसे उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर दिया गया।"

बी.पी.एल. आवासीय ऑकड़े के लिए, सात राज्यों[17] में पी.आई.ए., 2001 से ग्रामीण जनसंख्या/निवास स्थान/गांवों में विकास कारणों पर विचार किए बिना 2001 की जनगणना के आँकडे पर निर्भर रहा और शेष राज्यों में, पी.आई.ए. ने अन्य स्रोतों से बी.पी.एल. आँकडे एकत्रित किये। उदाहरण के लिए, **राजस्थान** में डिस्कॉम ने बी.पी.एल. सर्वेक्षण (1997) के डाटा को बी.पी.एल. लाभभोगियों कि पहचान के लिए डी.पी.आर. में सम्मिलित किया। ऐसे उदाहरण हैं (**बिहार** में कटिहार, खगरिया और सुपाल परियोजना) जहाँ पी.आई.ए. के स्थान पर सर्वेक्षण उस ठेकेदार द्वारा किया गया जिसे यह कार्य प्रदान किया गया था।

परीक्षण–जाँच परियोजनाओं के संदर्भ में, डी.पी.आर. के निरूपण पूर्व सर्वेक्षण के कार्य को न करने के विस्तृत निहितार्थ **तालिका 9** में दिये गये हैं। चूंकि डी.पी.आर. क्षेत्र निरीक्षण या सर्वेक्षण पर आधारित

[17] आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, नागालैंड और पंजाब

नहीं थे, यह गलत और/अथवा अपूर्ण आँकड़ें पर आधारित थे और इसी कारण से ये कम स्पष्ट, अव्यवहारिक और तकनीकी रूप से सही नहीं थे।

तालिका 9: सर्वेक्षण के बिना डी.पी.आर. तैयार करने के बारे में राज्यवार निष्कर्ष

क्रम संख्या	राज्य का नाम	डी.पी.आर. बनाने से पहले क्षेत्रीय सर्वेक्षण ना करने के प्रभाव
1.	आन्ध्र प्रदेश	• सात परियोजनाओं के नमूने जाँच में स्वीकृत डी.पी.आर. के मात्राओं को संशोधित लागत आकलन करने में, जिसे सर्वेक्षण के बाद बनाया गया, बदला गया। इस तरह के बदलाव, एरियल बंचिंग केबल के संबंध में 28 *प्रतिशत* से 152 *प्रतिशत* तक, 6.3 के.वी. सिंगल फेज़ लाइन के संबंध में (-) 84 *प्रतिशत* से 135 प्रतिशत तक और एच.टी./एल.टी. लाइन स्थापित करने के लिये आवश्यक खम्बों की संख्या के संबंध में (-)3 *प्रतिशत* से 116 *प्रतिशत* थे।
2.	अरूणाचल प्रदेश	• विभिन्न पी.आई.ए. के पास जरूरी सेवा कनेक्शनों तथा बी.पी.एल. लाभार्थी जिनको वह कनेक्शन जारी किए जाने थे, की संख्या के बारे में विस्तृत आँकड़ें नहीं थे। उदाहरण के लिए, 572 बी.पी.एल. लाभार्थी जो निचले सुबनसिरी जिला (रागा खण्ड) के तहत थे, मूल डी.पी.आर. में शामिल नहीं थे और उन्हें केवल संशोधित डी.पी.आर. में शामिल किया गया।
3.	असम	• हालांकि राज्य सरकार द्वारा किये गये 2002 बी.पी.एल. सर्वेक्षण में इंगित किया कि 17 जिलों में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन के लिए 12.54 लाख[18] बी.पी.एल परिवार पात्र थे, फिर भी डिस्कॉम ने 7.77 लाख बी.पी.एल. परिवारों को मूल डी.पी.आर. में प्रस्तावित किया जिससे 4.77 लाख बी.पी.एल. परिवारों को छोड़ दिया गया।
4.	बिहार	• तीन जिलों के नमूने जाँच में, संविदा प्रदान करने के बाद विद्युतीकरण कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदारों द्वारा एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया। 2001 की जनगणना के अनुसार, बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 2,59,702 थी जबकि सर्वेक्षण के अनुसार बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 5,89,652 (127 *प्रतिशत* से अधिक) थी। • बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी.एस.ई.बी.) ने 97 अयोग्य गाँवों को (19 काल्पनिक गाँव, 10 अनुलिपि गाँव, 1 गाँव जहाँ जनसंख्या 100 से कम थी, और कोसी नदी तल के 67 गाँव जिनमें नदी पार करने की जरूरत थी) डी.पी.आर. में शामिल किया। इन गाँवों मे विद्युतीकरण का काम शुरू नहीं किया गया और परियोजना छाँट दी गयी। परियोजना लागत में संशोधन न करने की वजह से परियोजना लागत ₹ 11.53 करोड़ बढ़ गई।

[18] 67,931 बी.पी.एल. परिवारों जिन्हें पहले ही कुटीर ज्योति स्कीम के तहत विद्युतीकृत किया गया था, और 17 जिलों में 13.77 लाख बी.पी.एल. परिवारों के बी.पी.एल. सर्वेक्षण के आँकड़ों से दूरस्थ क्षेत्र के 55,225 बी.पी.एल. परिवारों में जहाँ डिस्कॉम कार्यान्वयन एजेंसी थी को घटाने के बाद।

		• जिला सुपॉल में, बी.एस.ई.बी. ने 11 विद्युत उप–केन्द्रों (पी.एस.एस.) के स्थान पर 13 विद्युत उप–केन्द्रों को डी.पी.आर. में शामिल में किया। • खगड़िया परियोजना के खगड़िया ब्लॉक जहाँ पहले से ही एक विद्युत उप–केन्द्र (पी.एस.एस.) था, एक अतिरिक्त नये पी.एस.एस. को बनाने का प्रावधान किया गया, जो कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। • तीन जिलों (कटिहार, खगड़िया और सुपॉल) के डी.पी.आर. में 7.85 लाख ग्रामीण परिवारों को ऊर्जा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। दिशानिर्देशों के अनुसार (60 वॉट बी.पी.एल. के लिए और 250 वॉट ए.पी.एल. के लिए) ग्रामीण परिवारों {बी.पी.एल.+गरीबी रेखा के ऊपर (ए.पी.एल.)} की अतिरिक्त लोड 163.25 एम.वी.ए. की आवश्यकता निकाली गयी जिसके लिए विद्युत उप–केन्द्र की क्षमता 204.06 एम.वी.ए. होनी चाहिये थी। हालांकि बी.एस.ई.बी. ने 17 नये पी.एस.एस. बनाने और 12 मौजूदा पी.एस.एस. के संवर्धन (वृद्धि) के लिये 125.45 एम.वी.ए. क्षमता का प्रावधान रखा, जिसके परिणामस्वरूप 78.61 एम.वी.ए. की कमी रही।
5.	छत्तीसगढ़	• दो परियोजनाओं के नमूने जाँच में डी.पी.आर. में कमियों/त्रुटियों के कारण काम को पूर्ण करने में विलम्ब के अलावा कई कमियाँ पाई गयी–काम की निष्पादित मात्राओं में भिन्नता, बिजली कनैक्शनों को सार्वजनिक स्थानों पर न देना (विद्यालय, पंचायत कार्यालय, सामुदायिक केन्द्रों और स्वास्थ्य केन्द्रों), तीन फेज कनेक्शनों के लिए तीन फेज क्षमता वाले ट्राँसफॉर्मरों का प्रावधान न होना।
6.	गुजरात	• विस्तृत जानकारी के अभाव के परिणामस्वरूप ट्राँसफॉर्मरों की संख्या में तथा एच.टी./एल.टी. लाइनों की लंबाई में अन्तर आना। सात चयनित परियोजनाओं में स्थापित ट्राँसफॉर्मरों के संदर्भ में मूल डी.पी.आर. मात्रा और वास्तविक निष्पादित मात्रा में भिन्नता (-) 92 *प्रतिशत* से (+) 101 *प्रतिशत* थी। स्थापित एच.टी./एल.टी. लाइनों की लम्बाई में भिन्नता (-) 95 *प्रतिशत* से (+) आठ *प्रतिशत* थी।
7.	हरियाणा	• उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) द्वारा कुछ विभागीय कार्यों को डी.पी.आर. में शामिल करने के परिणामस्वरूप आँकड़ों में वृद्धि हुई, जिसके कारण काम की मात्रा में बड़े परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी। • दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) ने 10 में से सात परियोजनाओं में, 11 के.वी. लाइन, 16 के.वी.ए. ट्राँसफॉर्मर, 25 के.वी.ए. ट्राँसफॉर्मर, एल.टी. लाइन, डी.टी. मीटर इत्यादि की डी.पी.आर. और ठेके में शामिल/वास्तविक मात्राओं के बीच अधिक भिन्नता दिखायी।
8.	झारखण्ड	• पश्चिम सिंहभूम में, बाद में कराये गये सर्वेक्षण में पाया गया कि डी.पी.आर. में शामिल 1,118 गाँवों में से, 37 गाँव पहले से ही विद्युतीकृत थे, 8 गाँव दोहराये गये, जंगलों की वजह से 158 गाँवों में पहुँचना दुर्गम था, जिनका ठेकेदारों द्वारा विद्युतीकरण नहीं किया गया। इस प्रकार डी.पी.आर. में शामिल 1,118 गाँवों में से केवल 915 गाँवों को वास्तव में विद्युतीकृत किया जाना था। इसके अलावा, 78 अतिरिक्त गाँवों को डी.

		पी.आर. में शामिल नहीं किया गया जहाँ विद्युतीकरण की आवश्यकता थी। • पूर्व सिंहभूम में, डी.पी.आर. में शामिल 1,497 गाँवों में से, 18 गाँव पहुँच के बाहर थे और 67 गाँव पहले से ही विद्युतीकृत थे। डी.पी.आर. में 60 अतिरिक्त गाँव और 25 टोले [19] शामिल नहीं किये गये जिन्हें विद्युतीकरण की आवश्यकता थी।
9.	कर्नाटक	• ऐसे भी उदाहरण थे जहाँ उन गाँवों/घरों को भी विद्युतीकृत किया गया जो डी.पी.आर. में शामिल नहीं थे तथा वे गाँव/घर जो पहले से ही विद्युतीकृत थे उन्हें डी.पी.आर में शामिल किया गया। बैंगलोर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (बी.ई.एस.कोम.) ने कोलार के 56 गाँवों में 789 बी.पी.एल. आवासों को (₹ 1.10 करोड़ में) विद्युतीकरण किया। चामुण्डेश्वरी विद्युत पूर्ति कम्पनी लिमिटेड (सी.ई.एस.सी.ओ.) ने कोदागु में दो अविद्युतीकृत गाँवों का (₹ 2.22 करोड़ में) विद्युतीकरण किया और हुबली विद्युत पूर्ति कम्पनी लिमिटेड (एच.ई.एस.सी.ओ.एम.) ने उत्तर कन्नड़ में काम (₹ 3.13 करोड़) किया, जोकि डी.पी.आर. में स्वीकृत नहीं थे। • उत्तर कन्नड़ परियोजना में बी.पी.एल. आवासीयों की संख्या में डी.पी.आर. में 11वीं योजना के लिए प्रक्षेपक संख्या में 177 *प्रतिशत* (19,657 से 34,715) की वृद्धि हुई। डी.पी.आर. में प्रक्षेपित मात्रा की तुलना में निष्पादित मात्राओं में काफी भिन्नता थी। जहाँ एच.टी. लाइनों के कार्यान्वयन में प्रक्षेपण से 21 से 36 *प्रतिशत* तक गिरावट आयी। जबकि चार चयनित परियोजनाओं में एल.टी. लाइनों के कार्यान्वयन में 121 से 194 *प्रतिशत* की बढ़ोत्तरी हुई।
10.	केरल	• इदुक्की जिले में ज्यादा ग्रामीण परिवारों को शामिल करने हेतु करने *कारास की* संख्या और सिंगल फेज एल.टी.लाइन की लम्बाई को *क्रमशः* 81 और कारा और 127 कि.मी. (अप्रैल 2005) से *क्रमशः* 100 कारा और 258 कि.मी. संशोधित किया गया।
11.	मेघालय	• तीन परियोजनाओं की नमूना जाँच में देखा गया कि सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूलों, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों और कम्युनिटी केन्द्रों इत्यादि, के विद्युतीकरण लिये का कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसके बजाय डी.पी.आर. में यह प्रावधान किया गया कि ऐसे मामलों में माँग के आधार पर विद्युतीकरण किया जायेगा।
12.	नागालैण्ड	• नागालैण्ड में (2001 जनगणना) 2,65,334 ग्रामीण आवास थे, जिसमें 1,50,929 ग्रामीण आवास पहले से ही विद्युतीकृत थे और शेष 1,14,405 आवास अविद्युतीकृत थे। 2001 जनगणना में दर्शाये आँकड़ों के विपरीत विद्युत विभाग, नागालैण्ड ने पहले से ही विद्युतीकृत ग्रामीण परिवारों की संख्या 1,14,324 और अविद्युतीकृत परिवारों की संख्या 1,43,060 को डी.पी.आर. में शामिल किया। डी.पी.आर. में, तुयंसांग जिले के अलावा सभी जिलों के विद्युतीकृत ग्रामीण परिवारों की संख्या को कम करके बताया गया। इस प्रकार, आर.जी.जी.वी.वाई. योजना के तहत, ग्रामीण आवासी जिन्हें विद्युतीकृत किया जाना था, की वास्तविक संख्या

[19] छोटा गाँव

		28,655 बढ़ा कर बतायी गयी। • वास्तविक बी.पी.एल. लाभार्थियों जिन्हें लाभ दिया जाना था, की सूची के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। विद्युत विभाग ने, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी एक्ट (एम.एन.आर.ई.जी.ए.) के कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई, बी.पी.एल. परिवारों की सूची को आधार माना। यद्यपि तीन जिलों के नमूने जाँच में संबंधित अभिलेखों के सत्यापन में पाया गया कि 1,197 बी.पी.एल. परिवारों को बिजली आपूर्ति प्रदान करने के दावे के विपरीत केवल 252 बी.पी.एल. लाभार्थी ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिवेदन से मेल खाते थे। शेष 945 बी.पी.एल. परिवारों के नाम, ग्रामीण विभाग द्वारा तैयार की गयी सूची में नहीं थे।
13.	राजस्थान	• तीन डिस्कॉम द्वारा दस चयनित जिलों के 526 गाँवों जिनकी जनसंख्या 100 से कम थी, उन्हें डी.पी.आर. में शामिल किया गया, जोकि आर.जी.जी.वी.वाई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। • वास्तविक कार्यान्वयन में देखा गया कि 70 गाँव आबादीरहित हो गये थे, 3 गाँव डूब चुके थे और 150 गाँव जंगल में थे। इसके अतिरिक्त, 321 गाँव (81 झुंझुनू में और 240 जालौर में) पहले से ही विद्युतीकृत थे और 100 गाँवों (सीकर में) जहाँ बी.पी.एल. आबादीरहित क्षेत्रों में रह रहे थे, को डी.पी.आर. में शामिल किया गया।
14.	त्रिपुरा	• आर.जी.जी.वी.वाई. के अन्तर्गत परियोजनाओं को बनाने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, गाँव के सभी ग्रामीण निवासों में सभी बी.पी.एल. परिवारों को परियोजना के तहत शामिल किया जाना था। यद्यपि धलाई जिले में टर्न–की अनुबंध देने के बाद कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार बी.पी.एल. ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या 24,318 थी, जिसमें से केवल 13,419 (55.18 *प्रतिशत*) को ही परियोजना में शामिल किया गया। परिणामस्वरूप धलाई जिले के 10,899 (44.81 *प्रतिशत*) बी.पी.एल. परिवारों को शामिल नहीं किया गया। • इसी तरह, उत्तरी त्रिपुरा में, ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों की कुल संख्या 57,230 थी, जिसमें से 45,589 बी.पी.एल. परिवारों (79.65 *प्रतिशत*) को परियोजना में शामिल किया गया। इसके फलस्वरूप 11,641 (20.35 *प्रतिशत*) बी.पी.एल. परिवारों को शामिल नहीं किया जा सका।
15.	पश्चिम बंगाल	• डी.पी.आरों. के अनुसार, 11वीं योजना में, दस जिलों में, गाँवों और बी.पी.एल. परिवारों की कुल संख्या क्रमशः 14,113 और 15,39,443 थी जबकि पी.आई.ए. द्वारा जारी किये गये पत्रों में, 13,977 गाँवों और 15,39,443 बी.पी.एल. परिवारों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया था। तदन्तर, इन आँकड़ों को 13,807 गाँवों और 12,71,447 बी.पी.एल. परिवारों में संशोधित किया गया। (अक्टूबर 2012)।

आर.ई.सी. ने कहा (अप्रैल 2012) कि *"डी.पी.आर. को बनाते समय बी.पी.एल. कनेक्शनों का प्रावधान, राज्यों के पास उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर किया था। यद्यपि कार्यान्वयन के दौरान, बहुत से बी.पी.*

एल. परिवारों जोकि सुदूर क्षेत्रों या घरों में जिनकी आबादी 100 से कम या जिनके पास कनेक्शन पहले से ही थे इत्यादि को कनेक्शनों को जारी करने के लिये, शामिल नहीं किया गया।"

इसके अलावा विद्युत मंत्रालय ने जवाब (अगस्त 2013) दिया कि *"कार्यान्वयन जल्दी करने के लिये डी.पी.आर. बनाने में विस्तृत सर्वेक्षण पर जोर नहीं दिया गया और परियोजना के कार्यान्वयन के समय निकाली गयी कार्य की वास्तविक मात्रा और पूर्व सर्वेक्षण की मात्रा योजना के उद्देश्य को पूर्णरूप से नहीं सुलझाता"*। विद्युत मंत्रालय ने (सितम्बर 2013 में) कहा कि, 12वीं योजना में सभी राज्यों के लिए डी.पी.आर. बनाने से पूर्व, विस्तृत सर्वेक्षण को अनिवार्य कर दिया गया था।

जवाब से इस बात की पुष्टि होती है कि बनाये गये डी.पी.आर. जमीनी वास्तविकताओं पर आधारित नहीं थे। परिवारों को शामिल करने में कई त्रुटियाँ थी और बुनियादी ढाँचे के बारे में गलत प्रावधान किये गये थे।

सिफारिशें

आर 1: 12वीं योजना में नयी परियोजनाओं के कार्यान्वयन से पूर्व एम.ओ.पी. एक स्वतंत्र सर्वेक्षण कराने पर विचार करे और आवृत्ति से बचने के लिए चिन्हित ग्रामों की सूची व लाभार्थियों के अनुमानों को संशोधित करे तथा राज्यों के साथ गहन समन्वय कर यह सुनिश्चित करे कि योजना के लाभ अभीष्ट एवं लक्षित लाभार्थियों को पहुँचे।

आर 2: एम.ओ.पी. को चाहिए कि निगरानी प्रतिवेदनों के यथोचित प्रारूपों को बनाकर, आर.ई.सी. द्वारा कार्य के क्षेत्र एवं संबंधित अनुमानों पर और अधिक नियंत्रण बरते जिससे यह सुनिश्चित हो कि परियोजनाएं संस्वीकृति के लिए तभी ली जाएं जब पी.आई.ए. विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण पर आधारित डी.पी.आर. प्रस्तुत कर दें और भौतिक एवं वित्तीय अनुमान तार्किक रूप से सही हों।

अध्याय 4:

वित्तीय प्रबंधन

4.1. निधि प्रवाह

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) अखिल भारतीय स्तर पर राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वन के लिए नोडल एजेंसी है। इसलिए, पी.आई.ए. द्वारा धन की मांग आर.ई.सी. विधुत मंत्रालय को भेजी जानी थी । इसके आधार पर, आर.ई.सी. द्वारा धन की मांग को एम.ओ.पी. को भेजी जाएगी, जो कि मांगे गए धन को वित्तीयराज सहायता के रूप में राज्य और स्थानीय करों को छोड़कर परियोजना लागत का (90 *प्रतिशत*) आर.ई.सी. को आगे राज्यों/पी.आई.ए. को जारी करने के लिए, जारी करेंगे। परियोजना लागत का शेष 10 *प्रतिशत* संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों या वित्तीय संस्थानों, आर.ई.सी. को सम्मिलत करते हुए, से ऋण द्वारा वहन किया जाना था। निधि का प्रवाह चार्ट **चित्र 4** में है।



* राज्य विद्युत विभाग, राज्य बिजली बोर्ड, राज्य/ विद्युत वितरण कंपनियाँ (डिस्काम)

चित्र 4: निधि का प्रवाह चार्ट

आर.ई.सी. द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पी.आई.ए.) को धन के निर्गम का प्रावधान दो भागों में था (1) परियोजना लागत, आनुपातिक सेवा शुल्क और सांविधिक लेवी सहित लेकिन बी.पी.एल. कनेक्शन की लागत को छोड़कर (2) बी.पी.एल. कनेक्शन की लागत। पहले भाग को जारी करने की विधि निम्न प्रकार थी:

क) पहली किस्त: स्वीकृत परियोजना लागत का 30 *प्रतिशत* ऋण दस्तावेज[20] प्रस्तुत करने और सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पश्चात लिए, परियोजना की स्वीकृति पत्र के अनुसार राज्य सरकार राज्य विद्युत उपयोगी उपक्रम द्वारा अपेक्षित कानूनी औपचारिकताओं सहित।

ख) दूसरी किस्त: स्वीकृत परियोजना की लागत का 30 *प्रतिशत*, पी.आई.ए. द्वारा आर.ई.सी. को व्यय व्यौरा प्रस्तुत करने की शर्त के साथ राज्य सरकार से आवश्यक सहमति लेने के उपरान्त, पहली किस्त के 80 *प्रतिशत* व्यय ब्यौरा प्रस्तुत करने के अध्यधीन।

ग) तीसरी किस्त: स्वीकृत परियोजना की लागत का 30 *प्रतिशत*, पी.आई.ए. द्वारा आर.ई.सी. को व्यय व्यौरा प्रस्तुत करने की शर्त के साथ राज्य सरकार से आवश्यक सहमति लेने के उपरान्त, पहली तथा दूसरी किस्त का संचयी 80 *प्रतिशत* व्यय ब्यौरा।

घ) चौथी तथा अंतिम किस्त: स्वीकृत परियोजना की लागत का 10 प्रतिशत,पीआईए. इस राज्य सरकार से आवश्यक सहमति लेने के पश्चात आर.ई.सी. को व्यय विवरण तथा कार्य समापन विवरण प्रस्तुत करने एवं आर.ई.सी. द्वारा अंतिम अन्वेषन के उपरांत 30 दिनों के भीतर।

द्वितीय भाग के लिए जारी करने का तरीका निम्नवत था:

- राज्य/राज्य की प्राधिकृत एजेंसी द्वारा प्रमाणित सूची के अनुसार बी.पी.एल आवासों (बी.पी.एल.1) की लागत का 50 प्रतिशत, पी.आई.ए द्वारा पूर्व में इस तरह की सूची प्रस्तुत करने की शर्त पर जारी करना था।
- शेष 50 *प्रतिशत* परियोजना की अंतिम किस्त के रूप में परियोजना के तहत प्रदान (बी.पी.एल.2) गाँव/बस्ती वार घरेलू कनेक्शन के प्रमाणित सूची, की जिसमें बी.पी.एल. घरेलू उपभोक्ता बीपीएल का नाम स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो, प्राप्त होने के उपरांत दी जानी थी।

[20] परियोजना लागत के 10 प्रतिशत के लिए ऋण दस्तावेज जो पूंजीगत पूंजी रियायत द्वारा समाविष्ट नहीं किये गए जो योजना के अनुसार परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक सीमित थे।

आर.ई.सी., ने अगस्त 2009 में, बी.पी.एल घरेलू कनेक्शन के लिए जारी किए जाने वाले शुल्क हेतु निम्नलिखित संशोधित दिशानिर्देश जारी किए :

- **पहली किस्त** बी.पी.एल. राशि (बी.पी.एल.1) का 50 *प्रतिशत,* पी.आई.ए. के अनुरोध पर अग्रिम रूप से जारी किया जाना।.

- **दूसरी किस्त** फील्ड सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर (बी.पी.एल. 2) राशि का 40 प्रतिशत, कनेक्शन की वास्तविक संख्या या परिवारों की स्वीकृत संख्या जो भी कम हो, दूसरी किस्त जारी करना इसके भी अध्यधीन था कि पी.आई.ए. द्वारा यह उत्तरदायित्व लिया जाए कि व्यय, बी.पी.एल. परिवारों को जारी अग्रिम राशि के 80 प्रतिशत से अधिक था।

- **अंतिम किस्त** 10 *प्रतिशत* की राशि, जोकि परियोजना के तहत प्रदत्त थी बी.पी.एल धरेलु कनेक्शन के गाँव/बस्ती वार प्रमाणित सूची, जिसमें बी.पी.एल. घरेलू उपभोक्ता का नाम स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो, प्राप्त होने के बाद दी जाने योग्य समझी जानी थी।

4.2. निधि का जारी होना

4.2.1. आर.ई.सी. द्वारा निधियों जारी करने में लिया गया समय

आर.ई.सी. द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर 169 चयनित परियोजनाओं के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ सभी किस्तों के जारी करने में आर.ई.सी. द्वारा असामान्य समय लिया गया जैसा कि **तालिका 10** में दर्शाया गया हैं।

तालिका 10 : मामले, जिनमें फंड जारी करने में अतिरिक्त समय लिए गये

किस्त	समय जो लिया जाना चाहिए था	परियोजनाओं की संख्या जिनमें अतिरिक्त समय लेना पाया गया	धन जारी करने में लिए गए समय की अवधि	लिए गए वास्तविक समय का सारांश			
				16-29 दिन	30-60 दिन	61-90 दिन	>90 दिन
I	ऋण दस्तावेजों के निष्पादन की तिथि और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर	71	16 से 162 दिनों	39	13	11	8
II	क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा आर.ई.सी. को	64	16 से	27	18	11	8

	व्यय विवरण प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर		182 दिन				
III	क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा आर.ई.सी. को व्यय विवरण प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर	86	16 से 209 दिन	52	23	2	9
बी.पी. एल. 1*	कोई निर्दिष्ट समय नहीं	56	1 से 255 दिन	35	19	1	1
बी.पी. एल. 2*	कोई निर्दिष्ट समय नहीं	41	1 से 131 दिन	26	11	2	2

* 15 दिनों को न्यूनतम समय सीमा को मानकर देरी की गणना की गयी है।

(स्रोतः विघुत मंत्रालय का उत्तर दिनांक अगस्त 2013)

राज्यों में लेखापरीक्षा द्वारा की गई जाँच से यह ज्ञात होता है कि पी.आई.ए. के साथ–साथ आर.ई.सी. दोनों विलम्ब के लिए उत्तरदायी थे जिससे परियोजना कार्यान्वयन एवं अनुसूची प्रभावित हुई । कुछ उदाहरणात्मक मामले निम्नलिखित हैं।

- **आंध्र प्रदेश** में ई.पी.ड़ी.सी.एल., एस.पी.ड़ी.सी.एल. तथा एन.पी.ड़ी.सी.एल. पी.आई.ए. ने त्रिपक्षीय करार[21] में अनिवार्य दस्तावेजों की निविदा देने के बाद भी आर.ई.सी. को प्रस्तुत करने में देरी[22] की जिसके कारण मध्यावधि में पहली किस्त जारी नहीं हुई । तत्पश्चात, क्रमशः[23] गुण्टूर तथा श्रीकाकुलम जैसी परियोजनाओं के मामलों में आर.ई.सी. ने निधि जारी करने में छः मास से एक वर्ष तक की देरी की।

- **झारखण्ड** की छः[24] परियोजनाओं में,
 - त्रिपक्षीय करार के विरूद्ध जिसके अनुसार आर.ई.सी. द्वारा पहली किस्त[25] जारी किए जाने के एक सप्ताह के भीतर परिजोजना के निष्पादन के लिए संविदा प्रदान की जानी थी, आर.ई.सी. ने झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड जे.एस.ई.बी की पहली किस्त जारी करने में, संविदा[26] प्रदान करने के बाद दो से तीन मास की देरी की जिससे ठेकेदारों[27] को अग्रिम देने में देरी हई जिसके परिणामस्वरूप परियोजना विलम्बित हई। आगे, आर.ई.सी. द्वारा इन

[21] डिस्कॉम ने ठेके मार्च 2006 से मई 2006 के बीच दिए जबकि निधियों के निर्गम के लिए आवश्यक प्रलेखों मार्च/जून 2006 में प्रस्तुत किए गए

[22] पक्षकारो के बीच अगस्त 2005 में त्रिपक्षीय करार हुआ

[23] चयनित नमूने में परियोजना नहीं

[24] पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, लतेहर, पलामू, सराइकेला, तथा पश्चिम सिंहभूम

[25] मार्च 2007

[26] दिसम्बर 2006/जनवरी 2007

[27] अप्रैल/मई 2007

परियोजनाओं की स्वीकृत लागत अनुमान को संशोधित करने में देरी की गई, जिसके परिणामस्वरूप निधि की अंतर राशियों को जारी करने में देरी हुई।

- पूर्वी सिंघभूम परियोजना में पी.आई.ए.ने, दूसरी संशोधित लागत अनुमान के संदर्भ में, अंतर राशि का दावा[28] आठ माह बाद किया।
- झारखण्ड राज्य विद्युतीकरण बोर्ड द्वारा दावे में 27 मास की देरी के कारण बी. पी. एल की किस्त जारी करने में देरी हुई।

इसके अलावा, निधि जारी करने में असंगति के कुछ उदाहरणात्मक मामलों का विवरण **बॉक्स 5** में दिए गए है।

बॉक्स 5: निधि जारी करने में अंसगति

मामला 1 – समयपूर्व निर्गम

आर.ई.सी. ने अपने ही दिशानिदेर्शों के विरूद्ध जम्मू तथा कश्मीर में कुपवाड़ा तथा अनन्तनाग परियोजनाओं के संदर्भ में ऋण दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख के 11 माह पहले ही पहली किस्त ₹ 26.39 करोड़ रूपये निर्गत कर दी।

मामला 2 : रोकी गई निधि

- आर.ई.सी. **आसाम** तथा **अरूणाचल प्रदेश** में, आर.ई.सी. ने जारी की जाने वाली किस्त के कुछ भागों को रोका था, ऋण की अदायगी में दोष के कारण हुए दण्ड ब्याज को बाद की किस्तो में समायोजित किया, जो कि संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी।
- **तमिल नाडू** में आर.ई.सी. ने तमिलनाडू उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड को ₹ 13.87 करोड़ रूपये कम किस्त जारी की। कम जारी की गई राशि मार्च 2013 तक जारी नहीं की गई थी।

विद्युत मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2013), देरी के लिए निम्नलिखित कारण बताए:

- पी.आई.ए. द्वारा दावों के साथ आवश्यक दस्तावेज न प्रस्तुत किए जाना,
- राज्य सरकारों द्वारा व्यय का गैर सत्यापन/देरी,
- संबंधित राज्य सरकारो द्वारा, संशोधित स्वीकृति पत्र के नियम और शर्तों को प्रस्तुत करने में देरी, राज्यों द्वारा प्रमाणिकता जारी करने में देरी इत्यादि।

[28] संशोधित लागत अनुमान मई 2010 के संस्वीकृत किए गए जबकि पी.आई.ए. ने दावा जनवरी 2011 में किया।

अब तथ्य यह है कि निधि को लगातार जारी करने हेतु निर्धारित शर्तों के साथ आर.ई.सी./राज्य सरकारों/पी.आई.ए . द्वारा अनुपालन के क्षेत्र में लगातार सतर्कता की आवश्यकता है।

4.3. निधि का उपयोग

4.3.1. विद्युत मंत्रालय एम.ओ.पी. तथा आर.ई.सी.

जैसे कि पैरा 1.5 *पूर्वउल्लिखित* में चर्चा की गई,सी.सी.ई.ए. ने ₹ 5,000 करोड़ तथा ₹ 28,000 करोड़ क्रमशः X तथा XI परियोजना बी के लिए आर जी जी वी वीई के लिए अनमोदित किया । **तालिका 11** में एम.ओ.पी. को वजट अनुभाग/संशोधित अनुभाग के माध्यम से आर.जी.जी.वी.वाई. के लिए आबँटित निधि, एम.ओ.पी. द्वारा आर.ई.सी. को योजना के क्रियान्वयन हेतु नियमित निधियों तथा आर.ई.सी. द्वारा तदुपरान्त पी.आई.ए.. की 2004–05 से 2011–12 को दौरान नियमित निधियों का विवरण दिया गया है।

तालिका–11 पूँजीगत सब्सिडी का योजनावार निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

वर्ष	एम.ओ.पी (बी.ई.) को आबंटित राशि	एम.ओ.पी (आर.ई) को आवंटित राशि	एम.ओ.पी द्वारा आर.ई.सी को निर्गमित राशि	आर.ई.सी. द्वारा पी.आई.ए. को निर्गमित राशि
10वीं योजना				
2004-06	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,402.60
2006-07	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,014.37
योग	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,416.97**
11वीं योजना				
2007-08	3,983.00	3,944.56	3,913.45	3,368.30
2008-09	5,055.00	5,500.00	5,500.00	5,109.58
2009-10	6,300.00	5,000.00	5,000.00	5,987.43
2010-11	5,500.00	5,000.00	5,000.00	3,997.87
2011-12	6,000.00	3,544.00	2,237.31	2,772.22
Total	**26,838.00**	**22,988.56**	**21,650.76**	**21,235.40**
महायोग	**31,338.00**	**27,488.56**	**26,150.76**	**25,652.37**

उपरोक्त यह संकेत करता है कि:-

- 10 वीं योजना में एम.ओ.पी द्वारा ₹ 5,000 करोड़ के अनुमोदित आउटले के विरुद्ध मात्र ₹ 4,500 आबंटित एवं निर्गमित किये गये और बदले में आर.ई.सी ने पी.आई.ए. को ₹ 4,416.97 करोड़ निर्गमित किये।

- आगे 11वीं योजना में ₹ 26,838 करोड़ की आवंटित राशि को संसोधित ₹ 22,988.56 करोड़ कर दिया गया के आवंटन के विरुद्ध मार्च 2012 तक एम.ओ.पी. ने ₹ 1,337.80 करोड़ को अनुपयोगित रखते हुऐ ₹ 21,650.76 करोड़ निर्गमित किये बदले में, आर.ई.सी. ने मार्च 2012 तक पी आइ ए को ₹ 21,235.40 करोड़ निर्गमित किया।

- एम.ओ.पी. ने 11वी योजना के (2007–08 एवं 2008–09) प्रथम दो वर्षो में सी.सी.ई.ए. द्वारा अनुमोदित ₹ 28,000 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया यहाँ तक कि पाँच वर्षो में भी प्रेक्षित अवशेष आउटले (₹ 13,812 करोड़[29]) की प्राप्ति नहीं की।

- 2004–12 की समयावधि के दौरान, आर.इ.सी. ने पी.आई.ए. को एम.ओ.पी. द्वारा आर.ई.सी. को निर्गमित निधि ₹ 26,150.76 करोड़ के विरूद्ध ₹ 25,652.37 करोड़ निर्गमित किया। आर.जी.जी.वी.वाई. के प्रावधानों के तहत एक *प्रतिशत* सेवा प्रभार जिसका मूल्य ₹ 226.37 करोड़ था तथा जो कि आर.ई.सी. को देय था, का समायोजन करने के बाद ₹ 272.02 करोड़ का अंतर (₹ 26,150.76 करोड़ घटाए ₹ 25,652.37 करोड़ घटाए ₹ 226.37 करोड़) आर.ई.सी द्वारा रोक लिया गया था । आर.ई.सी. द्वारा अधिशेष निधि पर अर्जित ब्याज तथा शासकीय लेखा में उसका निक्षेपण, आगे अनुच्छेद 4.5 में विवेचित किया गया है।

14वीं लोकसभा में,उर्जा की स्थायी समिति (2008–09) ने अपनी 31वीं प्रतिवेदन में निधियों के मंद उपयोग पर एक प्रेक्षण दिया तथा अनुसंशित किया कि एम.ओ.पी. को वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) एवं योजना आयोग से कार्यक्रम के लिए पर्याप्त निधि आबंटन पर कार्य हेतु गंभीर प्रयास करना चाहिए। यह उल्लेख करना उचित होगा कि अगस्त 2004 में एम.ओ.एफ. ने कहा था कि *"योजना की इन निधियों की विशाल राशि के संदर्भ में विभिन्न एस.ई.बी. के अवशोषण क्षमताओं पर विचार नहीं किया था। इसकी सम्भावना कम है कि वे पाँच वर्ष के कालखंड में इस राशि का अवशोषण कर सकेंगे।"* उस अर्थ में, योजना शिथिल रूप से विचारित थी। उपरोक्त उल्लिखित लेखापरीक्षण केवल इन विचारों की पुष्टि करती है।

एम.ओ.पी. ने अपने उत्तर में कहा (जून 2013) कि *''आर.जी.जी.वी.वाई. के क्रियान्वयन में एम.ओ.पी.द्वारा आर.इ.सी को निधि का निर्गमन धीमी प्रगति का मुख्य कारण नहीं था । आवंटित बजट के गैर आहरण के करणों में राज्य कम्पनियों का टर्न की रूप में परियोजनाओ को ठेका देने तथा क्रियान्वयन में अनुभव की कमी, राज्य विद्युत कम्पनीयों में समर्पित जनशक्ति की कमी, परियोजनाओ का ठेका देने में विलम्ब,समय पर वी पी एल सूची की अनुपलब्धता, बेबाकी का निर्गमन इत्यादि शामिल थे।''*

एम.ओ.पी. ने आगे कहा कि (अगस्त 2013) कि *''₹ 28,000 करोड़ का प्रावधान पूरे 11वीं योजना के लिए था और न कि मात्र 2007–08 और 2008–09के लिए''।*

यह उत्तर इस तथ्य के आलोक मे देखा जाना चाहिए कि, 2009 तक भारत निर्माण लक्ष्य[30] की प्राप्ति हेतु 11वीं योजना के प्रथम चरण के लिए हेतु ₹ 28,000 करोड़ की मांग, एम.ओ.पी. द्वारा 11वीं योजना में आर. जी.जी.वी.वाई. को जारी रखने हेतु सी.सी.इ.ए. के अनुमोदन की माँग करने वाले नोट में किया गया था। उर्जा की 31वी स्थायी समिति ने आर.जी.जी.वी.वाई. के क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित प्रावधान के निम्नस्तरीय उपयोग पर टिप्पणी करते हुऐ यह भी प्रेक्षित किया कि

[29] ₹ 46,812 – ₹ 33,000 करोड़ = ₹ 13,812 करोड़

[30] भारत निर्माण के लक्ष्य, एक लाख से अधिक अविद्युतीकृत गाँव को विद्युतीकृत करना एवं 2.34 करोड़ ग्रामीण घरो को कनैक्शन दिलाना था

₹ 28,000 करोड़ 11वीं योजना के मात्र प्रथम दो वर्षों के लिए अनुमोदित प्रावधान था। इस प्रकार यहाँ पर एम.ओ.पी. के उत्तर एवं सी.सी.ई.ए. के उनके प्रस्ताव में एक विरोधाभास है। इससे अधिक महत्वपूर्ण कि वास्तविक उपयोग 11वी योजना के लिए पाँच वर्षों के लिए माँगे गए निधि के स्तर तक नहीं पहुँच पाए जोकि एक महत्वपूर्ण योजना, जिसने जमीनी वास्तविताओ को ठीक से समझ नहीं पाया, के प्रस्तावों में अशक्ताओ की ओर इशारा करती है।

4.3.2. परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण (पी.आई.ए.)

आर.ई.सी. ने योजना के कार्यान्वयन हेतु पूंजीगत सब्सिडी के रूप में अप्रैल 2004 से मार्च 2012 के बीच पी आइ ए को ₹ 25,652.37 करोड़ निर्गम किये जिसके विरूद्ध पी.आई.ए. द्वारा प्रतिवेदित उपयोग (20 मई 2012 तक) ₹ 22,510.14 करोड़ था। 19 राज्यो में पी.आई.ए. को पूँजी राजसहायता के रूप में निर्गमित निधि में ₹ 1.47 करोड़ से ₹ 375.07 करोड़ का अनुपयोगित अवशेष था, जब कि आठ राज्यों में निर्गमित पूंजीगत सब्सिडी के विरूद्ध ₹ 3.64 करोड़ से ₹ 115.13 करोड़ तक का उपयोग अधिक प्रतिवेदित किया गया। जैसा कि **तालिका 12** मे दिखाया गया है।

तालिका 12: पी आइ ए को आर.ई.सी. द्वारा निर्गमित पूंजीगत सब्सिडी के उपयोग की राज्यवार तुलना में उपयोग[31] (जैसा कि 28 फरवरी 2013 को था)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	निर्गमित सब्सिडी	उपयोगित सब्सिडी	अनुपयोगित सब्सिडी ₹ करोड़ में
1	आन्ध्र प्रदेश	722.86	797.72	(-) 74.86
2	अरूणाचल प्रदेश	708.22	598.30	109.92
3	असम	2,170.59	2,192.37	(-) 21.78
4	बिहार	3,496.81	3,121.74	375.07
5	छत्तीसगढ़	823.87	669.20	154.67
6	गुजरात	259.17	272.04	(-) 12.87
7	हरियाणा	158.94	176.55	(-) 17.61
8	हिमाचल प्रदेश	261.36	265.00	(-) 03.64
9	जम्मू एवं कश्मीर	705.51	672.12	33.39
10	झारखण्ड	2,756.54	2,443.76	312.78
11	कर्नाटक	658.37	773.50	(-) 115.13
12	केरल	85.66	73.33	12.33
13	मध्य प्रदेश	1,313.04	1,096.68	216.36

[31] स्त्रोत– आर.ई.सी. से प्राप्त सूचनायें

14	महाराष्ट्र	517.51	564.27	(-) 46.76
15	मणिपुर	266.49	254.56	11.93
16	मेघालय	347.60	275.85	71.75
17	मिजोरम	214.26	208.32	05.94
18	नागालैंड	203.65	196.09	07.56
19	ओडिशा	2,983.21	2,686.80	296.41
20	पंजाब	54.44	39.06	15.38
21	राजस्थान	992.07	982.93	09.14
22	सिक्किम	155.59	116.11	39.48
23	तमिलनाडु	285.18	344.31	(-) 59.13
24	त्रिपुरा	158.37	123.89	34.48
25	उत्तर प्रदेश	3,064.80	2,998.57	66.23
26	उत्तराखंड	617.59	616.12	01.47
27	पश्चिम बंगाल	2,052.95	1,988.39	64.56
	योग	**26,034.65**	**24,547.58**	

एम.ओ.पी. द्वारा जारी किये गये संस्वीकृति पत्रों की शर्तो के विरूद्ध आर.ई.सी. ने अनुमोदित परियोजनाओं के अंतर्गत भौतिक लक्ष्यों[32] की प्राप्ति के साथ निधियो की निर्गम शर्तो को नहीं जोड़ा। इसका परिणाम पी.आई.ए./ठेकेदारों को परियोजना लागत के महत्वपूर्ण अंश का निर्गमन था जो कि निर्गमित निधियो के संदर्भ में भौतिक लक्ष्यों के गैर अनुपाती था।

कुछ ऐसे दृष्टांत नीचे दिये गये है:

असम में, आपूर्ति की लागत (भाड़ा एवं बीम को शामिल करते हुए) ठेका देने की लागत के 84.71 *प्रतिशत* और 90.78 *प्रतिशत* के बीच थी, तथा स्थापना की लागत 9.22 *प्रतिशत* और 14.37 *प्रतिशत* के बीच थी। ठेकेदारों को भुगतान की शर्ते इस प्रकार थी कि प्रथम तीन किस्ते, जिनका योग अनुमोदित परियोजना लागत का 90 *प्रतिशत* थी प्राप्त की जा सकती थी जबकि भौतिक लक्ष्य प्राप्ति 10 *प्रतिशत* से कम थी।

जम्मू एव कश्मीर में, मात्र वस्तुओ की आपूर्ति पर ठेकेदार को ठेका देने की लागत का 67 प्रतिशत[33] निर्गमित किया गया।

[32] दिसम्बर 2007 में एम ओ एफ ने भी निधियों के व्यय को भौतिक लक्ष्यों के साथ संबंधित करने पर जोर दिया ताकि योजना की प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।

[33] संचारण एवं निर्माण अग्रिम सम्मिलित करते हुए

मिजोरम में,कार्य स्थल पर वस्तुओं की सुर्पूदगी के वस्तु स्थिति को सुनिश्चित करने के आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुति से संबधित महत्वपूर्ण निर्देशों को विलोपित करते हुए ठेका प्रदान प्रपत्रों को संशोधित किया गया। इस विलोपन से ठेकेदारों को ऊर्जा एवं विद्युत विभाग द्वारा वस्तुओं/उपस्करों की वास्तविक प्राप्ति से पूर्व ही वस्तुओं/उपस्करों के लिए बिल तैयार करने एव भुगतान पाने की स्वतंत्रता मिल गई । इसके साथ ही ठेकेदारों ने जुलाई 2011 एवं मार्च 2012 में उनके द्वारा कथित ₹ 204.60 करोड़ की सामग्री के लिए जो कि प्रेषित सामग्री का 70 *प्रतिशत* को निरूपित करती है के लिए ₹ 143.22 करोड़ की इनवॉइस के विरूद्ध भुगतान प्राप्त किया। प्रतिवेदित प्रेषित किये गये वस्तुओं में से ₹ 26.89 करोड़ के मूल्य की वस्तुए, कार्य स्थल पर प्राप्त नहीं हुई। वस्तुओ की कमी के कारण जून 2011 से कार्य आंशिक रूप से निलम्बित रहा।

एम.ओ.पी. ने उत्तर (अगस्त 2013) दिया कि *''पी.आई.ए. के पास वर्तमान अनुपयोगित अवशेष 31 मई 2013को उनके द्वारा प्राप्त निधि का मात्र सात प्रतिशत था, वह योजना की गतिशीलता बनाए रखने के लिए ही था। तीसरी किस्त का निर्गम भी न्यूनतम 10 प्रतिशत बी.पी.एल. विद्युत कनेक्शन के निर्गत होने और न्यूनतम 10 प्रतिशत अविद्युतीकृत गाँवो में कार्य पूर्ण होने से भी संबंधित था।''*

लेखा परीक्षा पी.आई.ए. के पास अनुपयोगित ब्यय शेषों को कम करने के प्रयास की प्रशंसा करता है। हालाँकि अभी भी परियोजना लागत का 90 *प्रतिशत* (तीसरी किस्त तक) मात्र 10 *प्रतिशत* गाँवों एवं बी.पी.एल. घरों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण होने पर ही निर्गमित किया जा सकता था। इस प्रकार, अनुश्रवण हेतु उपयुक्त प्रतिवेदनों के प्रारूपो को विकसित करने के द्वारा वित्तीय निर्गमों एवं भौतिक प्रगति के बीच सह–संबंधों के सुद्धीकरण की आवश्यकता है।

बॉक्स 6 : मणिपुर–रोकड़ पुस्तिका में लेन–देन का गैर लेखांकन

यह एक विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवहार का विषय है जैसा कि केन्द्रीय कोषागार नियम 77–ए (ii) में उल्लेखित है कि सभी मौद्रिक सहव्यवहार जैसे ही होते हैं उनके तुरन्त बाद ही रोकड़ पुस्तिका में आलेखित किये जाते है। तथा कार्यालयध्यक्ष द्वारा अभिप्रमाणित किये जाते हैं।

अधिशासी अभियंता (विद्युत) विष्णुपुर खण्ड ने हालांकि 30 अगस्त 2012 और 31 अगस्त 2012 को ₹ 1.75 करोड़ विष्णुपुर जिले में आर जी जी वी वाई के क्रियान्वयन के लिए निर्गमित किया था। परन्तु 28 अगस्त 2012 से नवंवर 2012 के बीच सभी सव्यवहार, विभागीय रोकड़ पुस्तिका में लेखाकिंत नही किये गये थे।

निर्गम राशि ₹ 1.75 करोड़ में से ₹ 44.59 लाख के दो चेकों अधिशासी अभियंता (विद्युत) विष्णुपुर प्रभाग द्वारा स्वयं नाम चेकों द्वारा आहरित किये गये थे। ₹ 44.99 लाख के भुगतान वाउचर तथा वास्तविक आदाता रशीद (ए.पी.आर) (वीजक और सुर्पुदगी चालान इत्यादि) लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये।

उपरोक्त चेको के माध्यमों से आहरित की गयी राशि के उपयोग की वस्तुस्थिति लेखापरीक्षा द्वारा भुगतान वाउचरों,ए जीआ की अनुपलब्धता तथा रोकड़ पुस्तिका में संव्यवहारों के गैर लेखांकन के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका। फलस्वरूप, इन राशियों के दुरूपयोग की सम्भावना से अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

4.4. पी.आई.ए. द्वारा विलग सब्याज लेखो का अनुरक्षण

आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत निर्गमित निधियों पर अनुरेखण एवं अनुश्रवण के लिए तथा उनके उचित उपयोग भी सुनिश्चित करने हेतु,आर.ई.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार पी.आई.ए, प्राप्त निधियों के लिए विलग सब्याज बैंक लेखा प्रारम्भ करें। आर.जी.जी.वी.वाई. के दिशा निर्देश यह निर्विष्ट करते हैं कि प्राप्त निधि पर अर्जित कोई भी ब्याज का लेखाकन योजना निधि के अंश के रूप में होना चाहिए। अंतिम किस्त परियोजना के समापन के समय अनुपयोगित निधि पर अर्जित ब्याज की सीमा तक कम कर देना था।

आर.जी.जी.वी.वाई निधियों के प्रबधंन की समीक्षा ने उदघोषित किया कि पी.आई.ए. ने दो राज्यों में जैसा कि आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत पूंजीगत सब्सिडी की प्रथम किस्त प्राप्त करने के तुरन्त बाद विलग बैंक लेखा खोलना आवश्यक था, नहीं खोला, विलग बैंक खाता खोलने में हिमाचल प्रदेश[34] में 24 माह तथा राजस्थान[35] में 34 से 46 माह का विलम्ब था।
चार राज्यों ने गैर ब्याजधारक बैंक खाते खोले। योजना के तहत प्राप्त निधि के ब्याजधारक खातों की रखरखाव के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 7.10 करोड़ की क्षति हुई जो कि आर.जी.जी.वी.वाई. के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता था जैसा कि **तालिका 13** में दर्शाया गया हैं।

तालिका 13 : गैर ब्याजधारक खातों में निधियों को रखने के कारण ब्याज की हानि।

(**₹** करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	बैक लेखे की प्रकृति जिसमें निधियाँ रखी गयी	ब्याज[36] हानि
1.	छत्तीसगढ	गैर ब्याजी	0.29
2.	हिमाचल प्रदेश	गैर ब्याजी	2.29
3.	तमिलनाडु	गैर ब्याजी	3.37
4.	उत्तर प्रदेश [37]	गैर ब्याजी	1.15
		योग	**7.10**

आगे, दो राज्यों में तथापि डिस्कॉम द्वारा ब्याज अर्जित (**तालिका 14**) किये गये थे, ब्याज की ₹ 49.83 करोड़ की राशि को उनकी अपनी आय के अंश के रूप में माना गया और/या अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोगित किया गया ।

[34] हिमाचल प्रदेश में, एच.पी.एस.ई.बी. को निधि मार्च 2007 में प्राप्त हुई थी जबकि उसने खाता मार्च 2009 में खोला था।
[35] राजस्थान में ए.वी.वी.एन.एल., जे.वी.वी.एन.एल., जे.डी.वी.वी.एन.एल. को निधि क्रमशः अप्रैल 2006 मार्च 2005 और मार्च 2006 में प्राप्त हुई थी जबकि उन्होंने जनवरी 2009 से फरवरी 2009 में विभिन्न खाते खोले थे।
[36] राशि ने विभिन्न अवधियों की ब्याज की हानि की गणना को चत्रित किया, उस दौरान मामले'–दर–मामले के आधार पर चार से आठ प्रतिशत की दर पर अनियमितता प्रचलित थी
[37] अलिगढ़, जॉनपुर और मिर्जापुर के नोडल अधिकारियों ने गैर–ब्याज धार क चालू खातों में बहुत अधिक मात्रा में राशि को जाने से रोक दिया।

तालिका 14 : अर्जित ब्याज करके इसे अपनी आय के रूप में दर्शाया जाना

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	राशि
1	अरूणाचल प्रदेश	47.95
2	त्रिपुरा	01.88
योग		**49.83**

आर.जी.जी.वी.वाई. के लिए ₹56.83 करोड़ (₹ 10 करोड़ एवं ₹ 49.83 करोड़) की उपलब्धता 643 अविद्युतीकृत गाँवों[38] का विद्युतीकरण सम्भव कर दिया होता, और योजना के लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने में योगदान दिया होता ।

बॉक्स 7: रिकवरी का अपनी आय के रूप में गलत निरूपण

आन्ध्र प्रदेश में, पूर्वी विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (ई.पी.डी.सी.एस.) ने ठेकेदार द्वारा किये गये खराब कार्य का बिलों के भुगतान से ₹ 35.53 लाख की राशि की वसूली की एवं इसे आर.जी.जी.वी.वाई. परियोजनाओं में प्रयोग करने के बजाये उसे अपनी आय के रूप में निरूपित किया।

पंजाब में, पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.) (पूर्ववर्ती पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड) ने के.एल.जी. सिस्टल लिमिटेड, गुडगाँव (फर्म) को कुल ₹ 132.12 करोड़ की लागत के कार्य के लिये 17 वर्क ऑर्डर दिये (28 अगस्त 2008)। फर्म ने ₹ 6.61 करोड़ की बैंक गारंटी प्रस्तुत की। ठेके के अनुसार, कार्यों को एक वर्ष के अन्दर पूर्ण किया जाना था। सितम्बर 2009 से जनवरी 2011 की अतिरिक्त अवधि देने के बावजूद फर्म, कार्य पूर्ण करने में विफल रही। फर्म द्वारा ₹ 6.61 करोड़ की दी गई बैंक गारंटी (नवम्बर 2011) को पी.एस.पी.सी.एल. ने सभी वर्क ऑर्डर निरस्त कर, बैंक से गारंटी राशि अपने हक में प्राप्त कर ली एवं उस राशि को आर.जी.जी.वी.वाई. खाते में जमा करने के बजाय पी.एस.पी.सी.एल. खाते में रखा। इसके परिणामस्वरूप भी ₹ 30.56 लाख के ब्याज की हानि हुई (नवम्बर 2011 से दिसम्बर 2012 की अवधि का 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से निर्धारण)।

एम.ओ.पी./आर.ई.सी. ने समापन सभा (सितम्बर 2013) में कहा कि उन्होंने अलग से खातों को खोलने के निर्देश जारी कर दिये थे एवं इन राशि को अंतिम किस्त अदा करने से पहले समायोजित करने का आश्वासन दिया था।

4.5. प्राप्त ब्याज का अन्तिम किस्त में समायोजन करना

जैसा पूर्व पैरा 4.3 में चर्चा की गयी अच्छी–खासी राशि बगैर–उपयोग के आर.ई.सी./राज्यों के पास पड़ी रही। एम.ओ.पी. ने स्वीकृतियाँ जारी की थी जिसमें साथ–साथ यह निर्धारित किया कि अर्जित ब्याज (आर.जी.जी.वी.वाई. निधि पर) जो खाते में जाना था और जो अंतिम किस्त के समयोजित कर परियोजना की लागत में उपयोग होना था। चूँकि परियोजना बन्द नहीं हुई थी एवं अन्तिम किस्त जारी नहीं की गयी, पी.ए.आई तथा आर.ई.सी ने, 31 मार्च 2012 को, पूँजी सब्सिडी पर आर.जी.जी.वी.आई के

[38] ₹ 8.86 लाख प्रति गाँव के दर पर गणना को एम.ओ.पी. के सचिवों की समिति के नोट में अविद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण को मान्दण्ड लिया गया।

तहत ₹ 744 करोड़ का (पी.आई.ए. ₹ 668 करोड़ तथा आर.ई.सी. ₹ 76 करोड़) ब्याज अर्जित किया तथा अपने पास रखा।

आर.ई.सी. ने एम.ओ.पी. को सूचित किया (जून 2009) कि प्राप्त ब्याज के समायोजन का विशेष प्रावधान केवल अंतिम किस्त में होने के कारण परियोजना के दौरान प्राप्त ब्याज का उपयोग करने में पी.आई.एस. असमर्थ थे। अतः आर.ई.सी. ने परियोजना के दौरान प्राप्त ब्याज के उपयोग की अनुमति दूसरी और तीसरी किस्त के निर्गम के समय समायोजन के विषयाधीन के लिये एम.ओ.पी. से प्रार्थना की।

इस पर निर्णय एम.ओ.पी. में लम्बित था तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा नवम्बर 2012 में उल्लेख किये जाने के बाद दिसम्बर 2012 में एम.ओ.पी. ने आर.ई.सी. को निर्देशित किया कि *"अर्जित ब्याज की राशि को आर.ई.सी. द्वारा सरकारी खाते में तुरन्त जमा कराना चाहिये। एम.ओ.पी. ने कहा (अगस्त 2013) कि तब से, ₹ 407 करोड़ की राशि एम.ओ.पी. खाते में जमा करा दी गयी"।*

जवाब की समीक्षा इस संदर्भ में होनी है कि पूर्वतः शासकीय खाते में जमा होने वाली ₹ 337 करोड़ (₹ 744 करोड़ कम ₹ 407 करोड़) की शेष राशि खाते में नहीं भेजा गया। तथा इस सीमा तक एवं निधियाँ पी.आई.एस. के साथ थी जो आर.जी.जी.वी.वाई के उद्देश्यों को आगे नहीं बढ़ा सकी।

4.6. अनियमित सेवाभार/शुल्क का राज्य कंपनियों/सी.पी.एस.यू. को भुगतान

एम.ओ.पी. द्वारा जारी किए गए आर.जी.जी.वी.वाई. दिशानिर्देश (6 फरवरी 2008) बताता है कि योजना के कार्यान्वयन के लिये एवं 11वीं योजना में एस.पी.यूस एवं सी.पी.एस.यूस के अतिरिक्त व्यय हेतु सेवा भार के रूप में परियोजना लागत का क्रमशः आठ प्रतिशत एवं नौ प्रतिशत उपलब्ध कराने का प्रावधान किया। 10वीं योजना के लिए सी.सी.ई.ए को एम.ओ.पी. के नोट तथा आर.जी.जी.वी.वाई दिशानिर्देशों में सेवा प्रभार का कोई प्रावधान नहीं था। हालाँकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये एस.पी.यू. एवं सी.पी.एस.यू. का ₹ 1,099 करोड़ का सेवा प्रभार क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत की दर परियोजना लागत से भुगतान किया।

एम.ओ.पी. ने जबाव दिया (अगस्त 2013) कि, *"परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के लिये, आर.जी.जी.वी. वाई दिशानिर्देशों के अनुसार, डी.पी.आर बनाने के लिए सी.पी.एस.यूस के लिये परियोजना की कुल लागत का 12 प्रतिशत सेवा प्रभार एवं राज्य पावर यूटिलिटीस के लिये 10 प्रतिशत समस्त ऊपरी प्रभार देय था। 11वीं योजना के लिये टिप्पणी जो सी.सी.ई.ए. के अनुमोदन के लिये था, में बताया गया है कि राज्य यूटिलिटीस एवं सी.पी.एस.यूस. को भुगतान किया गया एजेंसी प्रभार जो वर्तमान में 10 एवं 12 प्रतिशत है, को क्रमशः 8 एवं 9 प्रतिशत संशोधन के लिये प्रस्तावित था"।*

एम.ओ.पी. का उत्तर यह स्थापित नहीं करता था कि 10वीं योजना के लिये सी.सी.ई.ए की टिप्पणी में या त्रिपक्षीय/चतुर्पक्षीय अनुबन्ध में, या योजना निर्देशों में पी.आई.एस. को सेवाप्रभार के भुगतान का प्रावधान था न ही इसके लिए 10वीं योजना में सी.सी.ई.सी. से स्पष्ट अनुमति ली गयी थी।

4.7. गैर–आर.जी.जी.वी.वाई. उद्देश्यों के लिए आर.जी.जी.वी.वाई फण्ड का अस्थाई विपथन

घटनाओं से उद्घटित हुआ जहाँ डिस्कॉम की सामान्य निधियों के साथ आर.जी.जी.वी.वाई. की ₹ 157.78 करोड़ की निधियाँ सम्मिलित थीं, जिससे उनका अन्य उद्देश्यों के लिये विपथन हुआ जो निम्न प्रकार है:

- **हरियाणा** में डिस्कॉम[39] ने ₹ 3.14 करोड़[40] की राशि को आर.जी.जी.वी.वाई निधि से विपथित किया।
- **हिमाचल प्रदेश** में, अपनी प्रतिदिन की निजी जरूरतों के पूरा करने के लिये डिस्कॉम द्वारा चम्बा जिला परियोजना के लिये प्राप्त की प्रथम किस्त की ₹ 7.48 करोड़ की राशि उपयोग की गई।
- **कर्नाटक** में, डिस्कॉम[41] ने गैर आर.जी.जी.वी.वाई उद्देश्यों के लिए ₹ 128.43 करोड़ विपथित किये उदाहरणार्थ विद्युत खरीद, वेतन भुगतान, ठेकेदारों के बिल का भुगतान, अन्य कार्यों के बिल, उधारों का भुगतान आदि।
- **महाराष्ट्र** में, आर.ई.सी. से प्राप्ति के बाद तुरन्त कार्यकारी पूँजीगत आवश्यकताओं के लिए डिस्कॉम ने निधि को अपने कैस क्रेडिट खाते में स्थानांतरित किया।
- राजस्थान में, एक डिस्कॉम[42] ने एक अलग से खाता खोलने तक, ठेकेदार को कामन खाते से भुगतान करने के लिए आर.जी.जी.वी.वाई निधियों की उपयोग किया। अप्रैल 2009/फरवरी 2010 में ₹ 12.60 करोड़ की सावधि जमा प्राप्तियों को दूसरी डिस्कॉम[43] ने आर.जी.जी.वी.वाई निधियों से खरीदा एवं नकद ऋण के भुगतान के लिए शेष आर.जी.जी.वी.वाई निधियों का उपयोग किया।
- **सिक्किम** में, ऊर्जा एवं शक्ति विभाग (ई.पी.डी.) ने दो वाहनों की खरीद के लिये ₹ 0.13 करोड़ का उपयोग किया।
- **उत्तर प्रदेश** में, आर.ई.सी. के निर्देशों के विरूद्ध, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीयू.वी.वी.एन.एल) के कौशाम्बी एवं फतेहपुर परियोजनाओं से सोनभद्र परियोजना के लिये डी. आई.एस.सी.ओ.एम[44] ने ₹ 6 करोड़ का विपथन किया (सितम्बर 2012)।
- आगे, आन्ध्र प्रदेश एवं गुजरात में, प्राप्ति के तुरन्त बाद डिस्कॉम ने आर.जी.जी.वी.वाई निधियों के लिये खोले गये विशेष खाते में केवल निम्नतम शेष राशि छोड़कर, आर.जी.वी.वी.वाई निधियों को अपने सामान्य खातों/कम्पनी[45] द्वारा धारित खातों में तुरन्त स्थानान्तरित किया एवं रखे गये आर.जी.जी.वी.वाई निधियों को अपने निजी उपयोग में लिया।

4.8. आर.जी.जी.वी.वाई. निधि का राज्य एवं स्थानीय करों में अनियमित प्रभार

एम.ओ.पी. द्वारा जारी दिशानिर्देशों (फरवरी 2008) में बताया गया कि राज्य या स्थानीय करों की राशि के अतिरिक्त, योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की सम्पूर्ण लागत को पूँजी राजसहायता के रूप में

[39] दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल) ₹ 1.84 करोड़ (जब्ती बैंक गारंटी जिसे भिवानी परियोजना निधि में जमा नहीं किया), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल) आर.ई.सी को ब्याज का भुगतान ₹ 1.30 करोड़ का उपयोग किया।

[40] लेखा परीक्षा के बाद (जुलाई 2013), ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ₹ 1.83 करोड़ की राशि को वापस किया।

[41] बंगलौर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (बी.ई.एस.सी.ओ.एम.) ₹ 57.08. करोड़ एवं गुलवर्गा विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (जी.ई.एस.सी.सी. एम) ₹ 71.35 करोड़।

[42] जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जे.वी.वी.एन.एल.)

[43] जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जे.वी.वी.एन.एल.)

[44] उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

[45] गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जे.वी.वी.एन.एल.)

उपलब्ध कराया जायेगा। इस तरह के करों को संबंधित राज्य/एस.पी.यू. द्वारा वहन करना था। आगे, आर.ई.सी. ने पी.आई.ए. को राज्य या स्थानीय करों के भुगतान का दावा बाद में राज्य सरकार पर करने के लिये भी निर्देशित किया (अगस्त 2010) एवं इन्हें परियोजना की लागत में सम्मिलित नहीं करना था।

8 राज्यों[46] में, राज्य/स्थानीय करों के लिये ₹ 59.75 करोड़ **(अनुलग्नक 8)** की राशि को आर.जी.जी.वी.वाई निधियों से भुगतान किया जोकि संबंधित राज्य/एस.पी.यू द्वारा वहन करना है।

एम.ओ.पी. ने कहा (अगस्त 2013) कि, *"आर.ई.सी.द्वारा परियोजना लागत से राज्य कर को अलग करने के लिए सभी पी.आई.ए. से पहले ही प्रार्थना की गयी है। अधिकतम पी.आई.एस. ने इस तरह के करों को, परियोजना को पूर्ण होने तक अलग करने में अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है एवं सभी चालू 11वीं योजना परियोजनाओं के लिये परियोजना लागत की 1.5 प्रतिशत राशि को रोकने का आग्रह किया है, जब तक कि इस तरह की विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए, आर.ई.सी. ने परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत दर से ₹ 62.86 करोड़ की राशि को रोका हुआ है (8 राज्यों के विषय में)। उन राज्यों के विषय में, जहाँ पर वास्तविक कर का विस्तृत विवरण उपलब्ध है, उसे पी.आई.एस को जारी नहीं किया गया है। रोके हुए कर या कोई देय कर को अन्तिम किस्त जारी करते समय समायोजित/वसूली की जायेगी।"*

यह तथ्य रह जाता है कि आर.जी.जी.वी.वाई निधियों पर परिहार्य अतिरिक्त जिम्मेवारी थी जो राज्यों द्वारा उपलब्ध कराना वांछित थी, वांछित लाभार्थियों को आनुपातिक लाभों से वंचित रखा गया।

सिफारिशें

आर 3: एम.ओ.पी. सभी स्तरों (एम.ओ.पी., आर.ई.सी. व पी.आई.ए.) पर एक लेखा प्रणाली को गठित करने पर विचार करे जो निधियों के वास्तविक निर्गम और प्राप्तियों तथा अप्रयुक्त शेषों पर अर्जित ब्याज की समयोचित निगरानी को सुनिश्चित करे।

आर 4:एम.ओ.पी. व नोडल एजेंसी, आर.ई.सी. को पी.आई.ए. द्वारा बैंकों में रखी गयी पूँजीगत सब्सिडी और आर.जी.जी.वी.वाई निधियों पर, जो परियोजना लागतों के लिए राज्य/स्थानीय करों के भुगतान के लिए प्रयोग की गयी थी पर अर्जित ब्याज को वसूलने/समायोजित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।

[46]बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब एवं सिक्किम



अध्याय 5:

परियोजनाओं का प्रतिपादन, निष्पादन और प्रबंधन

5.1. आर.जी.जी.वी.वाई. के अधीन परियोजनाओं का कार्यक्षेत्र/प्रयोजन

अनुश्रवण समिति द्वारा परियोजना के प्रस्ताव के अनुमोदन में डी.पी.आर. से संबंधित निम्न चरण शामिल थे :

(i) संबंधित पी.आई.ए. द्वारा सूत्रीकृत,

(ii) दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित,

(iii) राज्य के लिये आर.ई.सी. के परियोजना कार्यालय द्वारा जाँचित, एवं

(iv) आर.ई.सी, नई दिल्ली के आर.जी.जी.वी.वाई प्रभाग द्वारा विश्लेषित

परीक्षित डी.पी.आर को एम.सी के अनुमोदन के लिये भेजा जाना था।

5.1.1. 109 आर.जी.जी.वी.वाई परियोजनाओं का सूत्रीकरण जो नियमानुसार नहीं है

योजना "एक लाख गाँव एवं एक करोड़ परिवारों" (ए.ई.ओ.एल.वी.ओ.सी.एच.) का त्वरित विद्युतीकरण कार्यक्षेत्र की तुलना जो फरवरी 2004 में लाँच हुई थी एवं आर.जी.जी.वी.वाई. में सम्मिलित की गयी थी को **तालिका 15** में दर्शाया है।

तालिका 15: ए.ई.ओ.एल.वी.ओ.सी.एच. एवं आर.जी.जी.वी.वाई. की मदवार तुलना

मद	ए.ई.ओ.एल.वी.ओ.सी.एच.	आर.जी.जी.वी.वाई.
अविद्युतीकृत गाँवों की कवरेज़	31 मार्च 2004 को अविद्युतीकृत गाँवों का विद्युतीकरण	सभी गाँवों एवं निवासों का विद्युतीकरण।
विद्युतीकृत गाँवों की कवरेज़	------	पूर्व विद्युतीकृत गाँवों में ग्रामीण विद्युत के वितरण आधार संरचना में वृद्धि।
परिवारों की कवरेज़	गाँव के विद्युतीकरण की नयी परिभाषा के अनुसार जो परियोजना में सम्मिलित किये गये प्रत्येक गाँव	सभी परिवारों को विद्युत उपलब्ध करानी थी।

	में कम से कम 10 *प्रतिशत* परिवारों, को विद्युतीकरण करना था।	
राजसहायता	40 *प्रतिशत* राजसहायता केन्द्र सरकार से	90 *प्रतिशत* राजसहायता केन्द्र सरकार से; राज्य द्वारा स्वयं/ऋण द्वारा 10 *प्रतिशत*।
बी.पी.एल परिवार	--------	सभी बी.पी.एल. परिवारों को लागत मुक्त कनेक्शन उपलब्ध करना चाहिए।

2004–05 के दौरान ए.ई.ओ.एल.वी.ओ.सी.एच. के कार्यक्षेत्र के अनुसार आर.जी.जी.वी.वाई के अधीन, चार राज्यों में (बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बंगाल) में ₹ 6,266.71 करोड़ की प्रभावी संस्वीकृत लागत की 109 परियोजनाओं[47] के लिए डी.पी.आर. तैयार की गयी थीं। मार्च एवं अप्रैल 2008 के दौरान इन 109 परियोजनाओं में से चार[48] को संस्वीकृत किया गया था यानि, आर.जी.जी.वी.वाई के प्रारम्भ करने के तीन वर्षों के बाद। इस प्रकार, डी.पी.आर. में कार्यक्षेत्र में अंतर होने के कारण, निम्नलिखित कार्यों को 109 परियोजनाओं में नहीं लिया गयाः

i. विद्युतीकृत गाँवों का गहन विद्युतीकरण।
ii. सभी घरों के लिये विद्युत का अभिगमन।
iii. सभी बी.पी.एल घरों में विद्युत कनेक्शन

परिणामस्वरूप, 2005–06 से 2011–12 के मध्य 109 परियोजनाओं में से 51 पूरक परियोजनाओं को संस्वीकृत होना था। केवल इन 51 परियोजनाओं, जो के मामलें में आर.जी.जी.वी.वाई. के कार्यक्षेत्र के अनुसार छोड़े गये कार्य के कारण ₹ 8,312.38 करोड़ की लागत वृद्धि थी। आर.जी.जी.वी.वाई. नियमों के अनुसार ए.ई.ओ.एल.वी.ओ.सी.एच. के ऋण घटकों एवं राजसहायता को एम.ओ.पी. ने सुधारा। तथापि, 2004–05 से 2011–12 के दौरान जिससे आर.जी.जी.वी.वाई. के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु डी.पी.आर. की पुनरावृत्ति हेतु कार्यवाही देर से की गयी थी। (2004–05 में 2 परियोजनायें, 2005–06 में 1 परियोजना, 2006–07 में 2 परियोजनायें, 2007–08 में 6 परियोजनायें, 2008–09 में 8 परियोजनायें एवं 2011–12 में 32 परियोजनायें)। इसने इन 109 परियोजनाओं के लाभार्थियों तक लाभों के पहुँचने में विलम्ब करा दिया।

5.1.2. पूरक परियोजनायें

प्रारम्भ में, चार परियोजनाओं (दुर्ग, गंजम, कवार्धा एवं सोलापुर) में ₹ 245.21 करोड़ की डी.पी.आर. की संस्वीकृति की गयी थी। तदन्तर, सर्वेक्षण के दौरान, संबंधित ठेकेदारों ने पाया कि जो वास्तविक कार्य होने थे वे मूल आकलन से अधिक थे। पी.आई.ए. ने उद्घाटित किया कि जिसे संस्वीकृत कवरेज़ में कार्यान्वयन करने के लिए वांछित मात्रा की कुल लागत। अवार्ड लागत से अधिक था एवं टर्नकी ठेकेदारों जिन्हें कार्य अवार्ड किये गये थे वे अवार्ड दरों के अन्तर्गत कार्य करने के लिये सहमत नहीं थे। ठेकेदारों ने कार्य केवल अवार्ड मूल्य तक पूर्ण किये एवं समापन के लिये परियोजना प्रस्तुत की। जो कार्य ठेकेदारों ने अधूरे छोड़ दिये उनका विस्तृत विवरण सारिणी 16 में है।

[47] 10वां प्लान–108 XI प्लान–एक
[48] वर्धवान एवं वीरभूम (पश्चिमी बंगाल), चित्तौड़गढ़ (राजस्थान), जहाँनाबाद एवं अरवल (बिहार) एवं उदयपुर (राजस्थान)

तालिका 16: ठेकेदारों द्वारा छोडे गये अधूरे कार्यों का विवरण

परियोजना	परियोजना लागत (करोड़ ₹ में)	संस्वीकृत विस्तार (संख्या में)			ठेकेदार द्वारा पूरे किये गये कार्य (संख्या में)			शेष छोडे गये कार्य (संख्या में)		
		यू.ई.वी	ई.वी.	बी.पी.एल. एच.एच	यू.ई.वी.	ई.वी	बी.पी.एल. एच.एच	यू.ई.वी.	ई.वी.	बी.पी. एल.एच. एच
दुर्ग	64.38	6	1,770	48,129	8	1,186	43,000	-	584	5,129
गंजाम	116.39	684	1,984	1,12,263	454	1,738	1,12,200	230	246	63
करवरधा	37.07	111	845	34,832	48	607	34,832	63	238	-
सोलापुर	27.37	-	1,139	66,417	-	1,139	34,520	-	-	31,897
कुल जोड़	**245.21**									

आर.ई.सी. और विद्युत मंत्रालय ने ठेकेदारों की इन परियोजनाओं को बन्द करने की प्रार्थना पर विचार किया तथा अपूर्ण कार्यो को पूर्ण मान लिया गया। जो गाँव छूट गये थे वे नई पूरक परियोजनाओं के रूप में ₹ 108.82 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत किये गये जिस कारण इस राशि की परियोजना पर व्यय अधिक हुआ। प्रारम्भिक परियोजना की अपेक्षा पूरक परियोजनाओं को उच्च दरों पर भी लिया गया।

इसके अतिरिक्त, चारों परियोजनाओ के छोड़े गये या शेष कार्यो की पूरक परियोजनाओं को संस्वीकृति देते समय सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा निर्धारित जॉचे नहीं की गयी जैसा कि **तालिका 17** में वर्णित है:

तालिका 17 : शेष एवं अधूरे कार्य और पूरक परियोजनाओं मे अन्तर दर्शाता हुआ

परियोजना	प्रारम्भिक परियोजना में शेष छोड़ दिये गये कार्य			पूरक परियोजना के अर्न्तगत विस्तार संस्वीकृति				कार्य क्षेत्र में अधिकता/कमी।		
	यू.ई.वी*	ई.वी.*	बी.पी.एल. एच.एच*	संस्वीकृति लागत रू0 करोड़ में	यू.ई.वी*	ई.वी.*	बी.पी.एल. एच.एच	यू.ई.वी*	ई.वी.*	बी.पी.एल. एच.एच
दुर्ग	00	584	5,129	13.50	00	582	12,549	00	(-) 2	7,420
गंजाम	230	246	63	39.98	00	604	59,926	230	(-) 358	59,863
कवारधा	63	238	00	20.35	240	56	10,021	177	(-) 182	10,021
सोलापुर	00	00	31,897	34.99	00	1,139	39,407	00	(-) 1,139	7,510

*यू.ई.वीः अविद्युतीकृत गाँव संख्या में; ई.वी.: विद्युतीकृत गाँव संख्या में; बी.पी.एल. एच.एचः बी.पी.एल. परिवार संख्या में

अतः यह देखा गया है कि:

- **कवारधा** के सम्बन्ध में, छोड़ दिये यू.ई.वी की संख्या केवल 63 थी। तथापि, पूरक परियोजना 240 यू.ई.वी. के लिए स्वीकृत की गई।
- **गंजाम** में 230 यू.ई.वी एवं 246 ई.वी को छोड़ दिया गया। जबकि 604 ई.वी कोई भी यू.ई.वी. पूरक परियोजना के रूप में संस्वीकृत नहीं थी।
- **दुर्ग** में, गरीबी रेखा से नीचे छोड दिये गये परिवार 5129 थे। जबकि गरीबी रेखा से नीचे 12549 परिवारों को पूरक परियोजनाओं में स्वीकृत किया गया हालॉकि ग्रमों की संख्या घट गई थी।
- **सोलापुर** में, गरीबी रेखा से नीचे छोड दिये गये परिवारों की संख्या 31897 थी। हॉलाकि मोनिटरिंग कमेटी के द्वारा 39407 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को पूरक परियोजना में संस्वीकृत किया गया था।
- **कवारधा** और **गंजाम** में पूरक परियोजनाओं में स्वीकृत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, अधूरे कार्यो की तुलना असामान्य रूप में बढ गये।

विद्युत मंत्रालय ने उत्तर (अगस्त 2013) दिया कि *''संविदात्मक सीमा के कारण सभी ग्रामों एवं बस्तियों को विद्यमान संविदा में सम्मिलित करना संभव नहीं था। संबंधित पी.आई.ए द्वारा आवश्यक परिश्रम के उपरान्त सम्बन्धित कार्यक्षेत्र के संक्षेपी करण के साथ आर.सी.ई. प्रस्तावों के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव निगरानी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथा शेष ग्रामों को पूरक परियोजनाओं के रूप में संस्वीकृत किया गया था।*

वास्तविकता के विपरीत जवाब को देखा जाना है कि डी.पी.आर. को बनाने से पूर्व जमीनी स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण की गैर मौजूदगी में, इस तरह की कमियों को खोज सकें।

5.2. विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डी.पी.आर.) में कमियाँ

आर.ई.सी द्वारा परियोजनाएं बनाने के लिए, बनाये गये दिशानिर्देश डी.पी.आर. के लिए एक स्पष्ट संरचना र्निदिष्ट करते है। दिशानिर्देश के पैरा 5 के अनुसार परियोजना के लिए पृष्ठभूमि दर्शाते आँकड़ों का संक्षिप्त विवरण, वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण सम्मलित करतें हुऐ, खण्ड/उप खण्ड आदि को भी डी.पी.आर में सम्मलित किया जाना था जिसमें प्राप्त किये जाने वाले प्रस्तावित उद्देश्यों का भी संकेत हो, परियोजना का सामान्य वर्णन, लाभार्थियों की स्पष्ट पहचान एवं समाज के गरीब वर्ग को होने वाले लाभों का आंकलन होना चाहिए। इन चल रहे प्रयासों की अतिव्याप्ति से बचने के लिए डी.पी.आर. में ना केवल इस प्रकार के प्रयासों का वर्णन करना था वरन उन तरीकों का विवरण भी उपलब्ध करना था जिससे दोहरीकरण को रोका जा सकेगा। डी.पी.आर. से यह भी अपेक्षित था, वह दो मुख्य क्षेत्रों पर विचार करें यानि (1) प्रबंन्धन की जिम्मेदारी, कार्यान्वयन, निगरानी एवं समन्वय के सम्बन्ध में प्रबंधन व्यवस्थाएं और (2) अनुमानित लागत नवीनतम उपलब्ध तुलनात्मक दरों पर और वसूली खर्चो को चरणबद्व करना वसूली लागत (उपभोक्ता शुल्क) के साथ साथे । ऊपरलिखित के अतिरिक्त डी.पी.आर को अपेक्षित पारूप के साथ दूसरे संलग्नों जैसे मानचित्रों, एकल रेखीय चित्रों, पी.ई.आर.टी.चार्ट विस्तृत लागत अनुमानों इत्यादि को अर्न्तविष्ट करना है।

169 चयनित परियोजनाओं में से 162 परियोजनाओं[49]के डी.पी.आर. को आर.ई.सी. द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया। डी.पी.आर. के पुनरीक्षण से उद्घाटित हुआ कि महत्वपूर्ण सूचनाएँ/आँकड़े उसके साथ संलग्न नहीं थे, जैसा कि विस्तृत वर्णन में नीचे दिया गया है:

- **11 परियोजनाओं की अनुमानित लागत में,** सम्बन्धित कार्य के कार्य क्षेत्र का मदवार सार यूनिट लागत, शामिल मात्रा, अनुमानित लागत के साथ कार्य का चरणबद्व करना और दो वर्ष का अनुमानित खर्चा (कार्यान्वयन अवधि) शामिल नहीं था।

- **75 डी.पी.आर. में ग्रामीण विद्युतीकरण** की विद्यमान स्थिति, अर्थात् परियोजना क्षेत्र में, ग्रामीण विद्युतीकरण के विद्यमान स्तर के बारे में ब्लॉक–वार ग्राम–वार विवरण के साथ–साथ अविद्युतीकृत गाँवों का विस्तृत विवरण, विद्युतीकरण से वंचित ग्राम (यदि कोई हो) और पहले से ही विद्युतीकृत ग्रामों के बस्तियों जिन्हें विद्युत उपलब्ध नहीं करायी गयी थी, को नहीं दर्शाया गया था।

- **35 प्रस्तावित परियोजनाएँ** अधूरी थीं, क्योंकि डी.पी.आर. में ब्लॉकों से संबंधित सूचना के साथ ग्रामीण परिवारों के गाँवों का विद्युतीकरण, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों, सार्वजनिक स्थल/सेवाएं और 33/11 के.वी. प्रस्तावित उप केन्द्रों और 33 के.वी. लाइन एवं विद्युतीकृत, अविद्युतीकृत और विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों में (यदि कोई हो) ग्राम विद्युत की आधारभूत संरचना अन्तर्विष्ट नहीं थी।

- प्रस्तावित परियोजना के तकनीकी औचित्य के मूल्याँकन हेतु 71 डी.पी.आर. में तकनीकी आंकड़े, वर्तमान के साथ प्रस्तावित उपकेन्द्रों और लाइनों के विषय में, या तो आंशिक रूप से उपलब्ध कराये गये थे या उपलब्ध नहीं कराये गये। दो उदाहरण के लिए दृष्टांत निम्नवत है:

 (i) पी.जी.सी.आई.एल. (सी.पी.एस.यू.) ने अपने ओड़ीशा परियोजना के लिए योजना में विचारित भविष्य में बिजली की माँग का आकलन डी.पी.आर. में सम्मिलित नहीं किया गया।

 (ii) इसके अलावा डी.वी.सी. (सी.पी.एस.यू.) ने अपने झारखण्ड़ परियोजना के डी.पी.आर. को दूसरे विद्युत कनैक्शन 500 वाट भार की अपेक्षा, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 40 वाट भार के आधार पर तैयार की। बाद में (जून 2012), जब विद्युत भार अपर्याप्त सिद्ध हुआ डी.वी. सी.ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 250 वाट विद्युत भार के आधार पर संशोधित अनुमान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

- व्यापार योजना और वित्तीय विश्लेषण **81 डी.पी.आर.** मे संलग्न नहीं थे या अधूरे थे

अनिवार्य संलग्नों जैसे मानचित्र, परिकलन और आरेख अनुमोदित डी.पी.आर. के हिस्सा नहीं थे जैसा कि **तालिका 18** में दिखाया गया है।

[49] परियोजनायें जिनकी डी.पी.आर. प्रस्तुत नहीं की गयी थी पूर्व सिक्किम, जालौन, कौशाम्बी, कृष्णागिरी, मिर्जापुर, नागापट्टनम एवं सांगली (सात परियोजनायें)

तालिका 18 : डी.पी.आर.में त्रुटियाँ

क्रम संख्या	विवरण	डी.पी.आर. की संख्या जहाँ संलग्नों को उपलब्ध नहीं कराया (*169 में से प्रतिशतता*)
1.	विद्यमान और प्रस्तावित वितरण संजाल के लिए एकल लाइन आरेख	106 (63 *प्रतिशत*)
2.	वोल्टेज नियमन (वी.आर.) वार्षिक ऊर्जा हानि इत्यादि प्रयोग किये गये सूत्र, सहित नमूना गणना ।	131 (78 *प्रतिशत*)
3.	विद्यमान और प्रस्तावित वितरण संजाल भौगोलिक मानचित्र पर अध्यारोपित	137 (81 *प्रतिशत*)
4.	परियोजना के निष्पादन के लिए पी.ई.आर.टी. चार्ट	122 (72 *प्रतिशत*)

यद्यपि दिशानिर्देश के अनुसार यह अपेक्षित था कि ग्रामों एवं आवासों के विद्युतीकरण के लिए त्रैमासिक सूची जिसमें ब्लाक–वार, त्रैमासवार विद्युतीकरण लक्ष्यों के लिए गाँवों तथा परिवारों की संख्या को शामिल करना चाहिये था, 143 डी.पी.आर.में अनुसूची संलग्न नहीं थी।

49 परियोजनाओं में 5,650 ग्रामों जो अविद्युतीकृत चिन्हित थे का इस योजना में विद्युतीकरण किया जाना था। इन परियोजनाओं के डी.पी.आर बनाते समय अविद्युतीकृत गाँवों में परिसंपत्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं थी तथा नयी अवसंरचना प्रस्तुत एवं अनुमोदित की गई।

आर.ई.सी. ने अपने जवाब (जनवरी 2013) में कहा कि "*डी.पी.आर में.... अनुलग्नक उपलब्ध हैं। द्वितीय किस्त जारी की जा सकेगी बशर्ते कि परियोजना सूत्रीकरण निर्देशिका के खण्डों ए.सी.डी.ई.एफ. एवं जी में भिन्न–भिन्न पारूपों में पूर्ण विस्तृत विवरण पी.ई.आर.टी. चार्ट, ब्लाक मानचित्र एकल लाइन आरेख, व्यापार योजना सम्मिलित है जोकि डी.पी.आर के साथ उपलब्ध नहीं करायी गई थी*"।

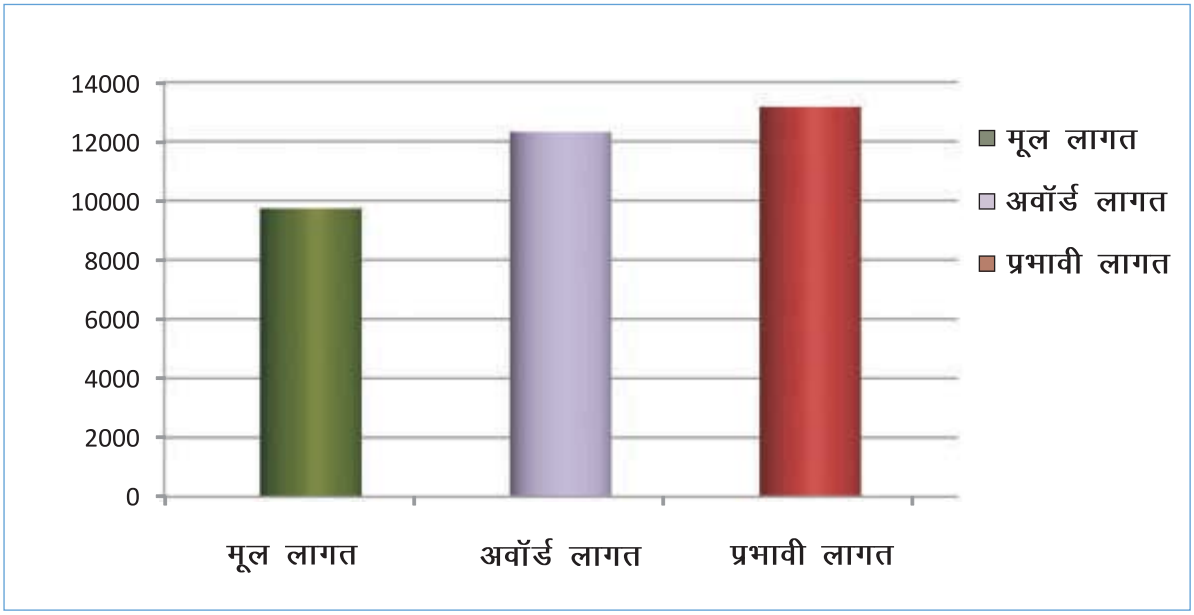
यद्यपि, जवाब कि पुष्टि के लिए कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं थे कि अपेक्षित अनुलग्नक/पारूप आर.ई.सी. के रिकार्ड में उपलब्ध थे। आगे, जवाब पुष्टि करता हैं कि बिना सम्पूर्ण सूचना/आँकड़ों के परियोजना प्रारम्भ हुई थी जैसे प्रथम किस्त, बिना महत्वपूर्ण सूचना, जो योजना के कार्यकुशल और प्रभावी क्रियान्वयन के हित में नहीं थी, को जारी किया।

आगे, विद्युत मंत्रालय ने अपने जवाब (अगस्त 2013) में कहा कि कोई अनुलग्न/संलग्नक जो परियोजना की लागत को प्रभावित नहीं करते हैं उनको परियेाजना की स्वीकृति से पहले प्रस्तुत करने पर जोर नहीं दिया गया। यद्यपि, स्वीकृत पत्र में यह उल्लेखित था कि द्वितीय किस्त जारी करने से पूर्व उनको प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त समाप्ति प्रस्ताव अनुमोदित करते समय क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा सभी अनुस्मरण संलग्नकों को अन्तिम किस्त जारी करने से पहले जमा करने का अनुरोध किया गया।

जवाब अपेक्षित प्रक्रिया की स्वीकारोक्ति मात्र है जो व्यवहार में हमेशा से अनुसरण में नहीं था जैसा कि पैरा में बताया गया। डी.पी.आर. को तैयार करने और उसकी अनुमोदन की प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता है।

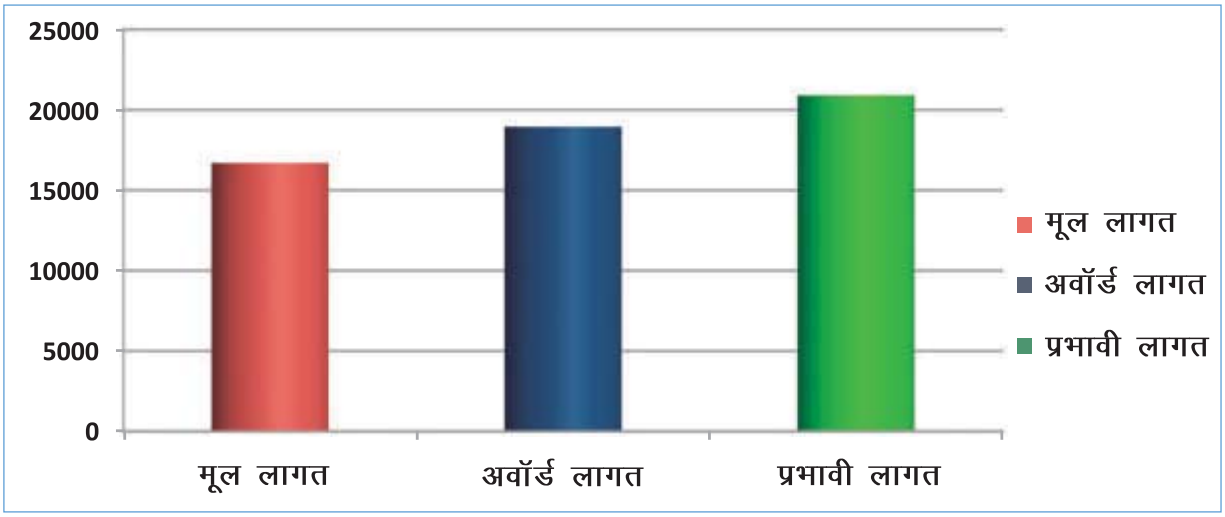
5.3 मूल्य आधिक्य

दसवी योजना में कुल लागत ₹ 9733.01 करोड़ पर 235 परियोजना मूलत : स्वीकृत की गयी थीं । ये परियोजनाएं ₹ 12,318.75 करोड़ जो मूल संस्वीकृत लागत से 26.57 *प्रतिशत अधिक* है के लिए प्रदान की थी। इस लागत को आगे ₹ 13,164.97 करोड़ मूल लागत से 35.26 *प्रतिशत से अधिक पर* संशोधित किया गया (दिसम्बर 2012)। यह आलेख **चित्र 5** में देखा जा सकता है।



चित्र 5: लागतों में बढ़ोतरी (10वीं योजना की परियोजनाऐं)

सी.सी.ई.ए. ने 11वीं योजना में योजना के क्रियान्वयन के लिए फरवरी 2008 में ₹ 28,000 करोड़ मंजूर किये। विद्युत मंत्रालय ने 341 परियोजनाओं के लिए, जिनकी मुल लागत ₹ 16,694.46 करोड़ थी, को स्वीकृति दी। यद्यपि, ये 341 परियोजनाऍं, मूल लागत से 13.51 *प्रतिशत से अधिक* ₹ 18,949.37 करोड़ पर, प्रदान की गई। 11वीं योजना की परियोजनाओं की अनुमानित लागत को ₹ 20,905.90 करोड़ तक जो मूल लागत से 25.22 *प्रतिशत* से अधिक है, संशोधित (दिसम्बर 2012) कर दिया गया। यह आलेख **चित्र 6** में देखा जा सकेगा।



चित्र 6: लागत में बढ़ोतरी (11वीं योजना की परियोजनाऐं)

इस प्रकार 10वीं और 11वीं योजना की स्वीकृत 576 सभी परियोजनाऐं, मूलतः ₹ 26,427.47 करोड़ से 18.32 *प्रतिशत* की मूलतः स्वीकृत लागत से उच्चदर, ₹31,268.12 करोड़ पर प्रदान की । स्वीकृत अनुमानित लागत सभी परियोजनाओं के लिए ₹ 34,070.87 करोड़ दिसम्बर 2012 को संशोधित कर दी गयी थी जोकि मूलत संस्वीकृत लागत से 28.92 *प्रतिशत अधिक* थी।

577 परियोजनाओं[50] में से 519 के लिए डी.पी.आर में परियोजना विशिष्ट लागत संशोधित कर दी गयी थी। संशोधित *प्रतिशत* लागत गुजरात मे (–) 61.49 तथा सिक्किम में (+) 269.29 के बीच थी जैसा कि **तालिका 19** में दिखाया गया है।

तालिका 19: डी.पी.आर. में संशोधित प्रतिशतता

क्रम संख्या	राज्य	कुल परियोजना	परियोजनाएँ जहाँ लागत में संशोधन किया गया	मूल्य–अनुसार न्यूनतम प्रतिशतता संशोधन	मूल्य के अनुसार अधिकतम प्रतिशतता संशोधन
1	आन्ध्र प्रदेश	26	25	-26.56	66.87
2	अरूणाचल प्रदेश	16	16	36.84	121.54
3	असम	24	24	10.53	190.00
4	बिहार	43	41	18.32	107.76
5	छत्तीसगढ़	16	12	-12.23	44.36
6	गुजरात	25	23	**-61.49**	187.65
7	हरियाणा	18	17	-06.10	25.76
8	हिमाचल प्रदेश	12	12	21.62	165.09
9	जम्मू एवं कश्मीर	14	13	16.92	164.15
10	झारखंण्ड	22	22	-15.66	101.48
11	कर्नाटक	25	23	22.60	82.30
12	केरल	7	1	0.98	0.98

[50] कोकराझार परियोजना के दो डी.पी.आर. थे।

13	मध्य प्रदेश	32	26	10.02	84.68
14	महाराष्ट्र	34	32	-30.56	133.22
15	मणिपुर	9	2	17.29	45.03
16	मेघालय	7	7	05.78	76.48
17	मिजोरम	8	8	131.92	180.52
18	नागालैंड	11	11	78.77	179.98
19	ओडिशा	32	28	-20.02	25.04
20	पंजाब	17	17	08.11	27.85
21	राजस्थान	40	24	-18.13	71.36
22	सिक्किम	4	4	236.29	269.29
23	तमिलनाडु	26	26	शून्य	शून्य
24	त्रिपुरा	4	4	38.48	80.56
25	उत्तर प्रदेश	64	62	-09.61	145.77
26	उत्तराखंड	13	13	03.72	27.75
27	पश्चिम बंगाल	28	26	-09.68	43.35
	समग्र स्थिति	**577**	**519**	**-61.49**	**269.29**

उपर्युक्त वर्णित परियोजना लागत में व्यापक बदलाव इस तथ्य को दर्शाती है कि पूर्व सर्वेक्षण, लागत के अनुमान को एक यथार्थवादी आधार पर तैयार करने में योग्य होगी।

5.3.1. ग्राम–विद्युतीकरण लागत–बेंचमार्क वि लेशण

नवम्बर 2004 में ₹ 16,000 करोड़ की लागत वाले प्रस्ताव को सी.सी.ई.ए. के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करते समय, विद्युत मंत्रालय ने अविद्युतीकृत ग्राम को विद्युतीकृत की जाने की लागत ₹ 6.50 लाख प्रति गाँव इंकित किया था। हालांकि, सी.सी.ई.ए. ने (दिसम्बर 2004) में सिद्धांत रूप में इस शर्त के साथ अनुमोदन किया था कि वित्त मंत्रालय[51] द्वारा प्रकट की गई चिंताओं को सचिवों की कमेटी (सी.ओ.एस.) द्वारा संबोधित किया जा सके। बाद में, सी.ओ.एस. की एक बैठक जनवरी 2005 में सम्पन्न हुई, जिसमें यह तय हुआ कि (ए) विद्युत मंत्रालय को प्रशुल्क संरचना को क्षेत्रीय विचलन/बदलाव के साथ यथार्थ तथ्यों पर आधारित एक वैकल्पिक मॉडल बनाना चाहिए (बी) विद्युत मंत्रालय/आर.ई.सी. को परिव्यय लागत का आकलन करना चाहिए तथा इसकी सतत् स्थिरता हेतु संभावित रियायत का भी आकलन करें।

तदानुसार, विद्युत मंत्रालय ने सी.ओ.एस. को ₹ 16,300 करोड़ की अब तक लागत अनुमान का एक वैकल्पिक राजस्व मॉडल को प्रस्तुत किया जो ₹ 8.86 लाख प्रति गाँव के विद्युतीकरण लागत पर प्रतिबिंबित था। यह लागत मॉडल सी.ओ.एस. द्वारा (फरवरी 2005) अनुशंसित करने के बाद सी.सी.ई.ए. को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। सी.ओ.एस. की अनुशंसा पर आधारित विद्युत मंत्रालय द्वारा (फरवरी 2005) तैयार किया गया प्रस्ताव, 17 फरवरी 2005 को सी.सी.ई.ए. द्वारा सम्पन्न की गई बैठक में विचारित एवं अनुमोदित किया गया।

[51] राजस्व मॉडल आवश्यक रूप से तैयार किये जाए, संचरण एवं वितरण आधार का विस्तार क्षेत्र में ऊर्जा की पर्याप्तता के साथ–साथ होनी चाहिए, ऊर्जा वितरण हेतु फ्रेचाइजी का चुनाव सावधानीपूर्व होना चाहिए और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि वे राज्य विद्युत नियामक आयोग फिकस्ड दर का अनुपालन करते हैं।

हालाँकि, आर.जी.जी.वी.वाई. दिशा–निर्देश दिनाँक 18 मार्च 2005 में इंगित लागत आकलन में धन राशि ₹ 6.50 लाख प्रति गाँव के अपरिवर्तित रखा गया जोकि सी.ओ.एस. द्वारा अनुशंसित ₹ 8.86 लाख प्रति गाँव लागत आकलन के साथ विचरण पर थी।

बाद में, दिशानिर्देश जारी करते समय (फरवरी 2008), विद्युत मंत्रालय ने यह स्वीकार किया कि गाँव विद्युतीकरण की लागत प्रति गाँव ₹ 6.50 लाख कम थी और इसे संशोधित कर, सामान्य क्षेत्रों के लिए ₹ 13 लाख एवं पहाड़ी जनजातीय एवं मरूस्थलीय क्षेत्रों के लिए ₹ 18 लाख किया गया। संक्षेप में, लागत तालिका 20 में प्रदर्शित है।

तालिका 20: 10वीं और 11वीं योजना की परियोजनाओं के गाँव विद्युतीकरण की लागत

राशि ₹ लाख में					राशि ₹ में
योजना	अविद्युतीकरण गाँव के विद्युतीकरण की लागत		पहले से विद्युतीकृत गाँव के गहन विद्युतीकरण की लागत		बी.पी.एल. कनेक्शन की लागत
	सामान्य	पर्वतीय	सामान्य	पर्वतीय	
X	6.5	6.5	1	1	1,500
XI	13	18	4	6	2,200

17 परियोजनाओं में गाँव के विद्युतीकरण लागत के विश्लेषण ने यह प्रकट किया कि:

- नौ[52] परियोजनाओं में, केवल अविद्युतीकरण गाँव के साथ मानदण्ड ₹ 6.50 लाख के मानदण्ड की अपेक्षा प्रतिगाँव लागत ₹ 9.00 लाख से ₹ 14 लाख (10वीं योजना) के बीच थी।
- दो[53] परियोजनाओं में, सघन विद्युतीकरण के अंतर्गत प्रतिगाँव लागत ₹ 1.00 लाख के मानदण्ड की अपेक्षा ₹ 5.92 लाख से ₹ 47.14 लाख (10वीं योजना) के बीच थी।
- सघन विद्युतीकरण के अंतर्गत छह[54] परियोजनाओं में, सामान्य के लिए मानदण्ड ₹ चार लाख तथा पर्वतीय, जनजातीय एवं मरूस्थलीय क्षेत्रों के लिए ₹ छः लाख के विपरीत प्रति गाँव लागत ₹ 19 लाख से ₹ 42.68 लाख (10वीं योजना) के बीच थी।

यह दर्शाता है कि गाँव विद्युतीकरण की वास्तविक लागत निश्चित लागत मानदण्ड से अत्याधिक थी।

विद्युत मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2013) कि *"बेंचमार्क लागत परियोजना के मूल्यांकन के साथ–साथ कार्यक्रम के आकलन हेतु निर्धारित की गई थी। हालाँकि, परियोजना लागत, क्षेत्र में वास्तविक आवश्यकता पर निर्भर करती है। इसलिए, गाँव के अनेक कारकों के कारण जैसे भौगोलिक विस्तार, जनसंख्या, जनसंख्या की सघनता और आवासीय विद्युतीकरण के विस्तार आदि परियोजना लागत, सामान्यतः बेंचमार्क लागत से भिन्न होती है"।*

ऊर्जा पर बनी स्थायी कमेटी ने एक प्रश्न के उत्तर में (14वीं लोकसभा), कि परियोजना प्रस्ताव के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है, जिसकी लागत मानदण्ड लागत से अधिक है, विद्युत मंत्रालय ने सूचित किया:

[52] इलाहाबाद, बस्ती, इटावा, कौशाम्बी, मुरादाबाद, सारण, श्योहर, सिद्धार्थ नगर एवं पश्चिम मिदनापुर
[53] चम्बा और इडुक्की
[54] पूर्वी सिक्किम, कोहिमा, कोजीकोड़ मल्लापुरम, सरचिप और वेनाड़

'किसी मामलें में, अनुमानित परियोजना लागत, मानदण्ड लागत से अधिक होने की स्थिति में, संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी को सलाह दी जाती है कि या तो वे न्यायोचित कारण प्रस्तुत करें या परियोजना को संशोधित करें।

विद्युत मंत्रालय के उत्तर, स्थायी कमेटी को दिये अपने पूर्व उत्तर से अंतर्विरोध में है जैसाकि बेंचमार्क को अप्रसाँगिक रखते हुए बढ़ी हुई वास्तविक लागत को परियोजना में कोई संशोधन किये बिना स्वीकार किया गया है। विद्युत मंत्रालय के पास परियोजना से संबंधित लागत को पता लगाने के लिए जो बेंचमार्क लागत से अधिक थी, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं थी। बी.पी.एल. बेंचमार्क लागत के संबंध में, आर. ई.सी./विद्युत मंत्रालय ने बेंचमार्क प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया और किसी अतिरिक्त लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की। इसके अलावा बेंचमार्क लागत से अधिक लागत में वृद्धि, वैसे गाँवों की संख्या/बी.पी.एल. आवासीयों की अनुरूपता घटायेगी जो योजना के लिए सीमित संसाधन से विद्युतीकृत किये जाने के लायक है।

5.4. मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा डी.पी.आर. का अनुमोदन

विद्युत मंत्रालय द्वारा सचिव की अध्यक्षता (एम.सी.) में मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया गया, विद्युत मंत्रालय को आर.जी.जी.वी.वाई परियोजना को 11वीं योजना में स्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त थी। जुलाई 2005 तथा अक्टूबर 2008 के बीच हुई 15 बैठकों में 530 परियोजनाओं का एम.सी. ने अनुमोदन किया। यह दर्शाता है कि अन्य मदों के अतिरिक्त जैसे संशोधित लागत आकलन की मंजूरी, योजना के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग एवं समीक्षा और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी करना, प्रति बैठक योजनाओं पर एम.सी. ने औसतन 35 अनुमोदन किया। बैठकें जहाँ दस परियोजनाओं से ज्यादा को अनुमोदित किया गया, का विस्तृत वर्णन तालिका 21 में दिया गया है। एम. सी. द्वारा स्वीकृत करने से पहले परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा के सबूत जो अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे, लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किये गये।

तालिका 21: निगरानी समिति बैठक में मंजूर की गई परियाजनाएँ

क्र.सं.	बैठकों की संख्या	बैठक की तिथि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)
1.	1st मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक	21.07.2005	127	4,904.34
2.	7th मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक	09.05.2006	24	576.06
3.	8th मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक	20.07.2006	26	2,023.46
4.	15th निगरानी कमेटी की बैठक	22.01.2008	215	7,975.52
5.	16th मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक	04.02.2008	26	2,168.09
6.	19th मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक	13.03.2008	51	2,049.22
7.	20th मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक	19.03.2008	13	812.57
8.	21st मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक	28.03.2008	11	1,022.46

विद्युत मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2013) कि *"आर.ई.सी. द्वारा संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त समस्त डी.पी.आरस. की समीक्षा एवं आकलन किया गया एवं मॉनीटरिंग समिति को स्वीकृत करने के लिए*

प्रस्तुत की गई। आर.ई.सी. द्वारा तथ्य/अनुशंसा के आधार पर परियोजनाओं को मॉनीटरिंग समिति द्वारा स्वीकृत किया गया"।

जवाब पुष्टि करता है कि एम.सी. पूर्णतः आर.ई.सी. द्वारा किये गये कार्यों पर निर्भर थी जोकि अपर्याप्तता से ग्रसित थी जिस पर उपरोक्त 5.2 *पैरा* में पहले ही विचार–विमर्श किया गया था। डी.पी. आर. की समीक्षा के दौरान, आर.ई.सी. द्वारा किये गये कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए एम.सी. द्वारा की गई जाँच–पड़ताल यदि कोई हो, समितियों की कार्यवृत्त से विदित नहीं था, जो एम.सी. ने लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया। 127 परियोजनाएँ, जो ए.ई.ओ.एल.वी.ओ.सी.एच., की 111 परियोजनाओं में शामिल थी, एम.सी. द्वारा बाद में उनकी पहली बैठक (21 जुलाई 2005) में कार्योत्तर संस्वीकृत की गई। यद्यपि ई.ओ.एल.वी.ओ.सी.एच., का क्षेत्र आर.जी.जी.वी.वाई. परियोजना के क्षेत्र से भिन्न था।

रोचक विषय यह, आर.ई.सी. की एक स्क्रीनिंग समिति ने दसवीं योजना के 170 परियोजनाओं को स्वीकृत किया। यद्यपि, दसवीं योजना अवधि में एम.सी. को परियोजना को स्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। आर.ई.सी. ने एम.सी. की 170 योजनाओं की कार्योत्तर संस्वीकृति प्राप्त की। योजना के दिशानिर्देश बनाते समय, विद्युत मंत्रालय ने 10वीं योजना में स्वीकृत परियोजनाओं की प्राधिकृत शक्ति के प्रायोजन जैसे महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया।

5.5. अनुमोदन, अवार्ड एवं पूर्णता में ली गयी समयावधि

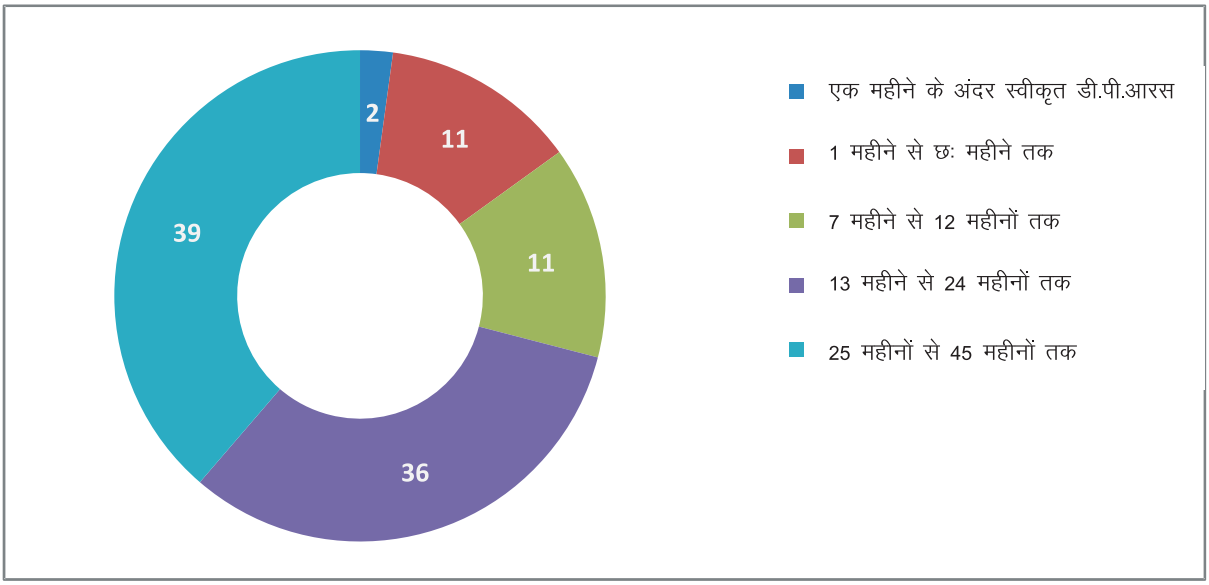
5.5.1. डी.पी.आर. की तैयारी एवं अनुमोदन में ली गयी समयावधि

आर.जी.जी.वी.वाई. ने परियोजना के पूर्णता का समयचक्र दो वर्ष जो परियोजना के अनुमोदन की तिथि से था, तैयारी से लेकर डी.पी.आर. के अनुमोदन तक जैसी विभिन्न कार्यकलापों की समय–सीमा निश्चित नहीं थी। इस समय–सीमा के न होने से डी.पी.आर की तैयारी में पी.आई.ए. द्वारा लिये गये समय में लचीलापन तथा समाप्त करने की कोई सीमा नहीं थी। उदाहरणारतः डी.पी.आर को जमा करने में स्वयं द्वारा लक्ष्य निर्धारित करने के संबंध में। **आसाम** में, दो महीने से 21 महीने तक का विलंब था। डी.पी.आर. के जमा करने में विलंब का मुख्य कारण आसाम ऊर्जा विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालयों से आवश्यक आँकड़ों की गैर–प्राप्ति थी। उसी प्रकार **झारखण्ड** में, अगस्त 2005 में आर.ई.सी. द्वारा आयोजित तकनीकी कार्यशाला में, यह फैसला लिया गया कि यदि पहले चरण में राज्य के 11 जिलों में एजेंसियाँ, डी.पी.आर को बाह्य स्रोत से तैयार करने में प्रक्रिया को बताना, डी.पी.आर को तैयार करने की अनुसूची और अनुबंध देने को अंतिम रूप दे सके। छः जिलों के डी.पी.आर. में पाँच से सात माह लगे।

पी.आई.ए. द्वारा जमा करने में तथा इसके साथ आई.ई.सी द्वारा जमा करने के उपरांत अनुमोदन में विलंब हुआ जिसने प्रभावित किया। छत्तीसगढ़ में, जहां पी.आई.ए. ने चतुर्पक्षीय अनुबंध के बाद बस्तर एवं दाँतेवाड़ा के डी.पी.आर. की तैयारी में 22 महीने लगाये, आर.ई.सी. ने डी.पी.आर. की स्वीकृति में क्रमशः 19 एवं 8 महीने लगाये। इस तरह, परियोजना के आरंभ होने के पहले ही दो साल से अधिक लगे। तमिलनाडु में फरवरी 2006 में, पी.आई.ए. ने 29 जिलों के लिए डी.पी.आर. प्रस्तुत किए। मार्च 2008 में, आर.ई.सी. द्वारा 26 परियोजनाओं के डी.पी. आरस को अनुमोदित किया। शेष तीन जिलों की आर.ई.सी. की स्वीकृति दिसम्बर 2011 में प्राप्त हुई। मार्च 2008 में तीन जिलों के डी.पी.आर. की अस्वीकृति का कोई कारण अभिलेख में नहीं था।

169 परियोजनाओं के चयनित नमूने के डी.पी.आर. के स्वीकृति में लगे समय के विश्लेषण ने यह स्पष्ट किया कि:

a) 26 मामलों में, आर.ई.सी. को स्वीकृति के लिए डी.पी.आर. प्रस्तुत करने की तिथि अंकित नहीं थी।
b) 50 मामलों में, निगरानी समिति से डी.पी.आर. की स्वीकृति नहीं माँगी गई।
c) 99 परियोजनाओं में, डी.पी.आर. की स्वीकृति में लगा समय 45 महीने तक था जोकि **चित्र 7** में प्रदर्शित है।



चित्र 7: डी.पी.आर. की स्वीकृति में लगा समय

विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.) ने उत्तर दिया (अगस्त 2013), कि *"11वीं योजना के तहत आर.जी.जी.वी.वाई. को चालू रखने की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण परियोजनाओं की स्वीकृति में विलंब हुआ जोकि फरवरी 2008 में प्राप्त हुई"।*

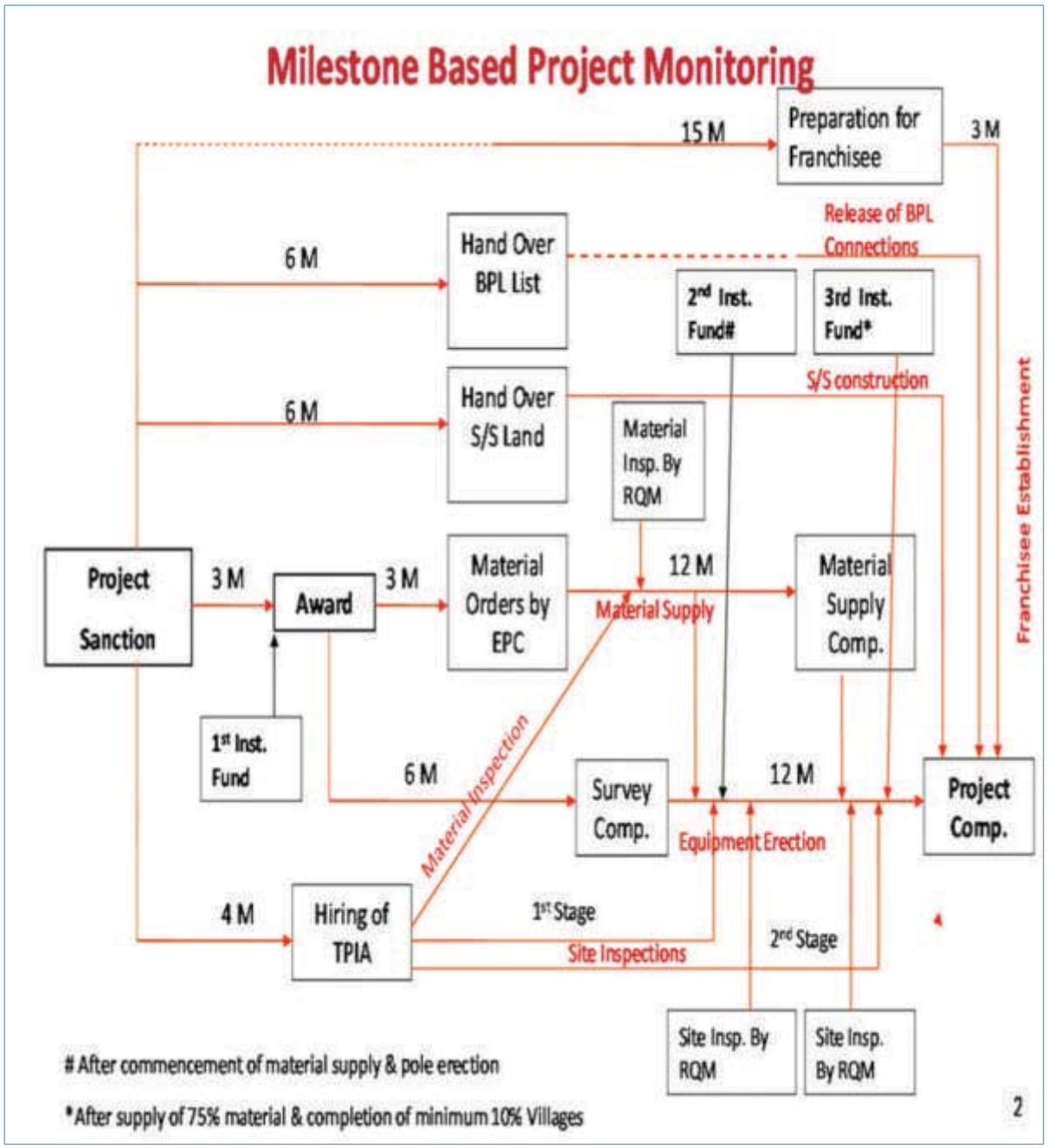
विलंबित स्वीकृति की व्याख्या इस तथ्य के आलोक में देखना चाहिए कि विद्युत मंत्रालय ने 11वीं योजना में स्कीम को चालू रखने के लिए प्रस्ताव केवल सितम्बर 2007 के अंत में दिये।

5.5.2. परियोजना देने में लगा समय

एम.ओ.पी. द्वारा परियोजनाओं को समय पर समाप्त करने के लिए माइल्सस्टोन आधारित परियोजना मॉनीटरिंग कार्य प्रणाली को स्थापित किया गया जो **चित्र 8** में प्रदर्शित है।

बॉक्स 8: स्वीकृति के पहले कार्य का देना

32 परियोजनाओं में, स्वीकृति से पहले ही कार्य दिया गया। यह भी सूचित किया गया कि 32 परियोजनाओं में से 24 परियोजनाएं की कार्य लागत स्वीकृति लागत से अत्यधिक थी जोकि आधिक्य 3.72 प्रतिशत से 67.74 प्रतिशत के बीच थी।



(एम-महीना)

चित्र 8: माइल्सस्टोन आधारित एम.ओ.पी. की योजना निगरानी

(स्रोतः एम.ओ.पी. द्वारा चित्रित)

माइल्सस्टोन आधारित निगरानी निकाय ने यह अनुबद्ध किया कि योजना स्वीकृति के बाद तीन महीने के अंदर योजना दिया जाना था। हालाँकि 576 से 425 योजनाओं में, योजना दिए जाने में लगा समय तीन महीने से अधिक था। अधिकतर देरी 46 महीने तक की थी। दो परियोजनाओं[55] में अधिकतम विलम्ब 46 महीने तक थी (यानी की 3 वर्ष एवं 281 दिन) विलम्ब के कारण परियोजना लागत में भी वृद्धि हुई जैसाकि निम्नलिखित पैरों में बताया गया है, केवल **पाँच राज्यों** के उदाहरणार्थ परीक्षण जाँच मामलों में लागत की यह वृद्धि **₹ 696 करोड़** तक थी।

[55] पश्चिम बंगाल में माल्दा एवं चौबीस परगना

- **असम** में निविदा आमंत्रण सूचना जारी होने की तिथि से कार्य प्रदान करने में लिये गये समय की अवधि 4 से 30 महीने थी, जिसके मुख्य कारण थे–निविदाओं की प्रक्रियाओं का पालन एवं अंतिम रूप देने में देरी, बोली लगाने वालों के साथ मोल–तोल और उन मामलों में आर.ई.सी. से आवश्यक नयी मंजूरी लेना जहाँ एल–1 बोली संस्वीकृत धन राशि से 110 *प्रतिशत* अधिक थी।देरी के कारण संस्वीकृत धनराशि में ₹ 1294.93 करोड़ से ₹ 1617.18 करोड़ (322.25 करोड़) की वृद्धि हुई, चूँकि डी.पी.आर. आकलन मे (एस.ओ.आर.रेट)2005–06 को आधार माना गया जबकि जो कार्य प्रदान किये गये थे उनमें 2008–09 के अघतन एस.ओ.आर रेट को आधार माना गया।

- **बिहार** में– बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने अक्टूबर/दिसम्वर 2006 में निविदा सूचना जारी की। निविदा को अंतिम रूप देने के पश्चात,बोर्ड ने न्यूनतम बोली (₹ 748.40 करोड) को अनुमोदन के लिये (अक्टूबर 2007 में)आर.ई.सी. को भेजा। प्रस्तावों की वैधता जून 2008 तक थी। हालाँकि, एल–1 निविदा के अनुमोदन से पूर्व विद्युत मंत्रालय ने (फरवरी 2008 में) ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये नये लागत मानदण्ड संचारित किये जिनके कारण डी.पी.आर. में संशोधन होना था। अंततः संशोधित डी.पी.आर. को आर.ई.सी. ने मार्च 2008 में संस्वीकृति प्रदान की। आठ जिलों में ₹ 748.40 करोड़ का कार्य प्रदान करने की धनराशि का अनुमोदन अंततः प्रस्तावों की वैधता समाप्त होने के बाद अगस्त 2008 में आर.ई.सी. द्वारा किया गया। परिणामस्वरूप सितम्बर 2008 में नई बोली आमंत्रित की गयी जिसका न्यूनतम दर ₹ 852.09 करोड़ था,जोकि पिछली न्यूनतम बोली से ₹ 103.69 करोड़ अधिक था। अंततः ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के लिये आदेश पत्र (मई 2009 में) जारी किया गया। निविदा को अंतिम रूप देने में बोर्ड द्वारा की गयी देरी की वजह से परियोजना देर से प्रारम्भ हुई।

- **छत्तीसगढ़** में पी.जी.सी.आई.एल ने डी.पी.आर.(बस्तर और दंतेवाड़ा) को बनाने में 22 महीने लिए जबकि आर.ई.सी.ने इनके अनुमोदन के लिये क्रमशः 19 और 8 महीने लिये। इसके अतिरिक्त कार्यों को चतुष्पक्षीय करार की तिथि से (नवम्बर 2005) टर्नकी ठेकेदारों को 51 माह के विलम्ब से दिया गया (मार्च 2010) कार्य देने में हुई अत्यधिक देरी के मुख्य कारण थे डी.पी.आर. बनाने में देरी, आर.ई.सी. द्वारा पूछे गये प्रश्नों के अनुपालन में देरी, डी.पी.आर.के मंजूरी में विलंब और पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा कार्य करने से मनाही। परिणामस्वरूप, बस्तर एवं दंतेवाड़ा परियोजनाओं को 10वीं पंचवर्षीय योजना में सस्वीकृत नहीं किया जा सका जबकि दोनों जिलों में चतुष्पक्षीय समझौते को बहुत पहले ही नवम्बर 2005 में कार्यान्वित किया जा चुका था।देरी की वजह से लागत में ₹ 174 करोड़ की वृद्धि हुई।

- **मध्यप्रदेश** में–तीन परियोजनाओ[56] के मामले में संविदा संस्वीकृत की तारीख (2006–07) और ठेका देने की तिथि (जून 2009) के बीच दो वर्ष से ज्यादा समय बीत गया। आर.ई.सी. एवं पी. आई.ए. दोनो की वजह से हुई क्योंकि आर.ई.सी. ने पी.आई.ए. से ठेका देने की प्रकिया को रोके रखने का निवेदन किया था और पी.आई.ए. (पूर्व डिस्कॉम) ने प्रथम किस्त जारी करने के लिये आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया। इस कारण वैधता अवधि के अन्दर आर्डर नहीं किए जा सके। इसी बीच पुरस्कृत प्रक्रिया और बाधित हो गयी, क्योंकि एल–1 बोली लगाने वाले द्वारा लागत वृदि माँगी गयी जिसकी वजह से पुर्न निविदा में **₹ 4.26 करोड़** का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- **सिक्किम** में– इस तथ्य के बाबजूद कि परियोजनाओ को दसवीं एवं ग्यारहवीं योजना में मंजूर किया गया था, पी.आई.ए. यानि कि ऊर्जा एवं बिजली विभाग,(ई.पी.डी.)ने बोली मूल्यांकन फरवरी 2009 में ही पूरा किया। परिणामस्वरूप ₹ 43.97 करोड़ की पहली किस्त आर.ई.सी.द्वारा फरवरी 2009 में जारी की गयी। कार्यों के आदेश देने को अंतिम रूप देने में हुई परिहार्य विलंब के

[56] नरसिंहपुर, सतना एवं टीकमगढ़

कारण न केवल आर.ई.सी. द्वारा निधि को जारी करने में देरी हुई,बल्कि परियोजना की लागत में भी 57.11 करोड़ से 148.91 करोड़ तक की वृद्धि (**₹ 91.80 करोड़**) हुई।

विद्युत मंत्रालय ने कथन स्वीकारते हुए (अगस्त 2013) कहा कि *"पी.आई.ए. ने विभिन्न कारणों से परियोजनाओं को कार्य आदेश देने में काफी समय लिया जैसे कि निविदा पर खराब प्रतिक्रिया, अयोग्य बोलीदाता, बिजली कम्पनीयों द्वारा आर.ई.कार्यों को विभागीय तौर पर निष्पादन करना जो कि टर्नकी आधार पर कार्य को निष्पादित करने में नौसिखिये है। हालाँकि एम.ओ.पी./आर.ई.सी. परियोजनाओं को कार्य आदेश देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये पी.आई.ए.के साथ लगातार प्रयास किये"।*

बॉक्स 9 - डी.पी.आर. अनुमोदनों के रोचक मामले

केस–1 जम्मू कश्मीर– आर.ई.सी. द्वारा मात्रा में तर्कहीन कटौती

राजौरी परियोजना के लिय डी.पी.आर. (अगस्त 2005 में), जम्मू कश्मीर राज्य विधुत विकास निगम (जे. एण्ड के. एस.पी.डी.सी) लि. द्वारा ₹ 69.10 करोड़ की अनुमानित लागत पर आर.ई.सी. को पेश किया गया था। आर.ई.सी.द्वारा परियोजना को ₹ 30.27 करोड़ की कुल लागत पर मार्च 2008 में मंजूर किया गया था। परियोजना को अनुमोदित करते समय आर.ई.सी. द्वारा कुछ घटकों को कम किया गया था।उदाहरणार्थ प्रतिगाँव एल.टी.लाइन की लम्बाई 0.5 कि.मी. प्रतिगाँव तथा वितरण ट्राँसफार्मरों की संख्या जितनी क्षमता एक परिवारको लोड आवश्यकता की होती है, तक सीमित थी (0.5 किलोवॉट बी.पी.एल. परिवारों के अलावा अन्य परिवारों के लिये तथा 0.06 किलोवॉट बी.पी.एल. परिवारों के लिये)। ₹ 37.77 करोड़ की लागत पर (दिसम्बर 2009) में कार्य पुरस्कृत करने के बाद, मार्च–अप्रैल 2010 में ठेकेदार द्वारा एक पूर्व–निष्पादन सर्वेक्षण कराया गया। इसके बाद फरवरी 2012 में 4–1/2 वर्षों से अधिक समय के बाद आर.ई.सी.ने एच.टी.एल.टी.लाइन के संन्दर्भ में लगभग वही मात्रा अनुमोदित की जो कि पहले प्रस्तावित की गयी थी तथा परियोजना की लागत को ₹79.97 करोड़ तक संशोधत किया गया।

केस–2 आँध्रप्रदेश–औचित्य के बिना अनुमोदन

डिस्काँम द्वारा प्रारम्भिक डी.पी.आर. सितम्बर 2005 में पेश की गयी तथा डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनीयों द्वारा संशोधित लागत अनुमान (आर..सी.ई.) फरवरी 2010 एवं अगस्त 2010 के मध्य पेश किये गये। आर.ई.सी. ने प्रस्तुत संशोधितलागत को (जुलाई 2010 से मार्च 2011) अनुमोदित कर दिया। इस स्तर पर आर.सी.ई. की प्रस्तुत से अनुमानों में संशोधन अनावश्यक हो गया क्योकि उस समय तक डिस्कॉम (विवरण कम्पनियाँ) निष्पादन के अंत में थीं या निष्पादन पूर्ण हो चुका था। इसलिये संशोधित अनुमान कमोवेश,वास्तव में प्रयोग की गयी मात्रा (प्रेषण के समय तक) एवं वास्तव में जारी की गयी सेवाओं का एक विवरण था न कि एक अनुमान या दिशानिर्देश जिनका समुचित निष्पादन के लिये पालन किया जाना था। आर.ई.सी.ने भी डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनियों द्वारा बढ़ोत्तरी के लिये बताये गये कारणों को मात्रा में परिवर्तन की कठोर जाँच के बिना ही स्वीकार कर लिया।

उत्तर निगरानी और योजना बनाने के लिये प्रणाली में खामियों को रेखांकित करता है जिसके लिये पुरस्कार प्रक्रिया को तेज करने के लिये पी.आई.ए. के साथ समन्वय तंत्र के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होगी।

5.5.3. कार्य पूरा होने में देरी

आर.ई.सी. के संस्वीकृत पत्र के अनुसार, प्रत्येक परियोजना को प्रथम किश्त के जारी होने की तारीख से दो वर्षों के भीतर पुरा हो जाना चाहिये था। 31 मार्च 2012 तक, 169 चुनी हुई परियोजनाओं में से 161

परियोजनाओं में 3 महिने से लेकर 5 वर्ष से अधिक तक देरी हुई, जैसा कि **अनुलग्नक 9** में बताया गया है। इसके अलावा 31 मार्च 2012 तक आर.ई.सी. से द्वारा केवल पाँच परियोजनाओ[57] को पूर्ण होने की सिफारिश की गई थी। हालांकि, 31 मार्च 2013 तक भी, एम.ओ.पी. द्वारा किसी परियोजना को समाप्त घोषित नहीं किया गया।

विघुत मंत्रालय ने लेखापरीक्षा का कथन स्वीकार करते हुए (अगस्त 2013) में बताया कि,

"काफी परियोजनाएं कार्यक्षेत्र और लागत में अक्सर संशोधन एवं संशोधित मानदण्डों के अनुमोदन से सम्बंधित देरी, राज्यों द्वारा नये उपकेंद्रों के लिए उपयुक्त भूमि के आवंटन और सौंपने में देरी, रेलवे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विभागों से अनापत्ति, ठेकेदारों का खराब प्रदर्शन आदि के निर्धारित समय में पूरानहीं हो सकीहालांकि, आज की तारिख (अगस्त 2013) तक, आर.ई.सी ने 55 परियोजनाओ को पूर्ण प्रेषित करने के प्रस्तावों को अनुमोदित किया है।"

इसके अतिरिक्त, तय समय के अनुसार कार्यों के समापन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संविदा में एक निश्चित समापन तिथि थी और परिनिर्धारित नुकसान को लागू करने के लिए संविदा में एक खंड सम्मिलित किया गया था। संविदात्मक दायित्व के अलावा यह ये भी सुनिश्चित करता है कि लाभार्थियों को बिना विलम्ब के उनके वांछित लाभ मिले।

हालांकि आर.जी.जी.वाई. परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में,यह देखा गया कि एल.डी. से सम्बंधित खण्ड[58] को प्रासंगिक समझौतों में शामिल किया गया था, लेकिन नियंत्रण के लिये इसका उपयुक्त उपकरण की तरह प्रयोग नहीं किया जा सका 31 मार्च 2012 तक चुनी गयी 169 परियोजनाओं में से समापन के लिये अनुबंधित तारीखों के संन्दर्भ में 149 परियोजनाओं में 5 महीने से लेकर 5 वर्षों तक की देरी हुई। (जवाब देही तय करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, उन मामलों में भी नहीं जिनमें देरी प्राथमिक रूप से ठेकेदार की वजह से हुई।)

ठेकेदार द्वारा योजना को समय से पूर्ण न करने के दोष के बावजूद 14 राज्यों में पी.आई.ए. द्वारा **₹ 166.40 करोड़** का परिनिर्धारित नुकसान (एल.डी.) नहीं लगाया गया। 4 राज्यों में परिनिर्धारित नुकसान (एल.डी.) सीमा की कम वसूली ₹ 22.18 करोड़ थी। एलडी मामलों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक 10** में है।

पी.आई.ए. ने विस्तारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी, दोषी को यह सूचित करते हुए कि एल.डी. को संविदा के अनुसार लगाया जायेगा, नोटिस देने की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

विघुत मंत्रालय ने अपने उत्तर (अगस्त 2013 में) में कहा कि:

"बिना अपवाद, कई राज्यों में आर.जी.जी.वी.वाई. परियोजनाएँ, संविदा में पूर्व निर्धारित समय सीमा में प्रगति नहीं कर सकी। जैसा कि पी.आई.ए. ने सूचित किया, कि एल.डी को तभी लगाया जायेगा जब देरी ठेकेदार के खराब प्रदर्शन के कारण हो। यद्यपि, निर्धारित लक्ष्य में अविलम्ब के लिए एकाकी ठेकेदार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसके अतिरिक्त पी.आई.ए. द्वारा, समय का विस्तार धीमी प्रगति के लिये विभिन्न गतिविधियों/कारकों को ध्यान में रखकर दिया गया और अतः कुछ राज्यों

[57] बर्धबान, मुर्शीदाबाद नांदेड, पंचमहल और उत्तर दिनाजपुर

[58] त्रिपक्षीय सहमति के उपखण्ड से सहमत, सभी हस्ताक्षरित ठेकों में एक समरूपी उपखण्ड था कि लिक्विडेटेड डैमज, उनकी तरफ से विलम्ब होने पर ठेकेदारों पर आरोपित हो ना था। निर्दिष्ट तिथि तक ठेकेदार की गलती के कारण कार्य पूरा न होनें पर, ठेके के पूरे मूल्य के पाँच प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक, 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से लिक्विडेटेड डैमेज आरोपित होने थे।

में एल.डी का कोई दावा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, पी.आई.ए ने सूचित किया है, कुछ राज्यों में एल.डी. को लगाने की प्रक्रिया कार्याधीन है और परियोजनाओं के पूर्ण होने पर इन्हे अन्तिम रूप दिया जायेगा।"

विद्युत मंत्रालय द्वारा अग्रेषित राज्य स्तर के उत्तरों का निरीक्षण करने पर छः राज्यो[59] के मामलों में जिनमें उतर दिये गये थे ,यह पाया गया कि मौलिक लैटर ऑफ अवार्ड (एल.ओ.ए.) के अनुसार एल.डी. लगाने की आवश्यकता नहीं रही) आर.ई.सी. द्वारा समय विस्तार क्योंकि और उसका अनुमोदन करने के कारण। परियोजनाओं के निष्पादन में देरी के लिये किसी भी स्तर जैसे कि पी.आई.ए,आर.ई.सी. एवं विद्युत मंत्रालय पर जवाब देही निश्चित नहीं की गयी। इसी प्रकार संविदा के पत्रों में एल.डी. खण्ड को अप्रासंगिक बना दिया गया। इसके विपरीत ,यदि देरी के लिये ठेकेदार जिम्मेदार नहीं थे तो ऐसा प्रतीत होता था पूरी जिम्मेदारी पी.आई.ए.पर जाती है। हालाँकि,न तो पी.आई.एस. द्वारा गलती करने वाले कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही की गयी और न ही आर.आ.सी./एम.ओ.पी. ने पी.आई.ए. की जवाब देही को जानने के लिये कोई कार्यवाही की जिसकी वजह से समय–सीमा अप्रासंगिक हो गयी ।

एक्ज़िट कॉन्फ्रेंस (सितम्बर 2013) के दौरान ,आर.ई.सी द्वारा सूचित किया गया कि एल.डी को परिधर्य बनाने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

5.5.4. वेब आधारित निगरानी पद्धति

आर.ई.सी. ने (2008) में, एम.आई.एस. द्वारा 11वीं योजना की परियोजनाओं के लिये एक नवीन वेब आधारित निगरानी पद्धति, जिसमें लक्ष्यआधारित निगरानी सम्मिलित थी, के रूप में आरम्भ किया था। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी प्रदान से पहले तथा बाद की अनुसूचियों के द्वारा अपवाद प्रतिवेदनों से की जानी थी। पद्धति में लक्ष्यों अधोरित उपलब्धियों को लिया गया था (जिन्हें 11वीं योजना की परियोजनाओं के लिये निधि को निर्गम से जोड़ा जाना था।)

हालाँकि वेब एम.आई.एस.में कार्य–वार लक्ष्योधारित आँकड़ें दर्ज नहीं किये गये जिसके कारण यह परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने में एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी को कम करने में अप्रभावी रही।

5.6. संविदा के प्रदान में उल्लंघन

दो राज्यों के 29 परियोजनाओं, जिनकी लागत ₹ 548.61 करोड़ थी, जिन्हें अयोग्य ठेकेदारों को प्रदान किया गया था, जो निम्नलिखित हैं:

- **जम्मू–कश्मीर** में, मैसर्स पीर पंचाल कन्सट्रक्शन प्राइवेट लि. न तो व्याव्सायिक निविदा प्रस्तुत करने की तारीख तक राज्य के कर विभाग में पंजीकृत थी और न फर्म ने निविदा दस्तावेजों के साथ टैक्स मंजूरी पत्र प्रस्तुत किया। मूल्यांकन के समय, फर्म को दस्तावेजों को आधार पर अस्वीकार किया जाना चाहिये था। हालांकि मुख्य अभियन्ता द्वारा निविदा को स्वीकार कर किय गया और 3 आर.जी.जी.वी.वाई. कार्य जिनकी लागत ₹ 101.2 करोड़ थी उक्त ठेकेदार को कार्य निष्पादन के लिये प्रदान किया गया।

[59] असम, गुजरात, हरियाणा, मिज़ोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा

- 2 आर.ई.सी. के खरीद दिशानिर्देशों में निर्दिष्ठ था कि संविदा का कार्यान्वयन टर्न–की पैकेजों में किया जाये। तमिलनाडु में इन शर्तों को पूरा करने पर, तमिलनाडु विधुत बोर्ड ने (मार्च 2008) में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मैसर्स तमिलनाडु लघु उधोग निगम लि. (तानसी) को एकल संविदा आधार पर टर्न–की संविदा पुरस्कृत करने के लिये अनुमति माँगी। कम्पनी द्वारा इस तरह का निवेदन आर.ई.सी. के खरीद दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का उल्लंघन था। भारत सरकार की निगरानी समिति ने (मार्च 2008 में) बिना बोली प्रक्रिया के नामांकन आधार पर तानसी को टर्नकी के आधार पर 26 जिलों के लिये आर.जी.जी.वी.वाई. कार्यों के कार्यान्वयन के लिए ₹ 441.41 करोड़ मूल्य के कार्य प्रदान किये। तानसी, न ही वितरण ट्रॉसफार्मरों का और न ही कन्डक्टरों का निर्माता था। फिर भी क्षमता का आकलन किये बगैर तानसी को टर्न–की ठेकेदार नामित किया गया। प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग (दिसम्बर 2008) में निर्देश दिया कि बी.पी.एल. परिवारों के लिये विधुतीकरण एवं डी.टी ढाँचों को खड़ा करने का जो घटक है उसे तानसी के कार्यक्षेत्र से बाहर किया जाये एवं उसे सीधे विधुत वितरण अंचल द्वारा विकेन्द्रित आधार पर निपटाया जाये। यह इंगित करता है कि राज्य सावर्जनिक उपक्रम का नामांकन केवल प्रतियोगी बोली प्रक्रिया द्वारा टर्न–की ठेकेदार की नियक्ति की शर्त के निवारण के लिये किया गया था ।

इसके अतिरिक्त, 26 अगस्त 2008 में राजस्थान में बाँसबाड़ा परियोजना का कार्य आई.सी.एस.ए हैदराबाद (ठेकेदार) को प्रदान कियागया था। पी.आई.ए. की कारपोरेट स्तरीय क्रय समिति के यह जानने के बावजूद कि ठेकेदार ने पिछला कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं किया था और वह कार्य अभी भी अपूर्ण है फल्तः यह कार्य उसे प्रदान किया गया बाँसवाडा परियोजना का कार्य जिसे कार्यादेश की तारीख से 14 महीनों के अदंर पूर्ण हो जाना चाहिए था, मार्च 2012 तक अपूर्ण रहा। इस प्रकार बिना पिछला रिकार्ड देखे बगैर ठेकेदार को कार्य प्रदान करने के कारण बाँसबाडा परियोजनाओं में देरी हुई।

अजमेर, सीकर और झुनझूनू परियोजनाओं के संविदा दस्तावोजों की आवश्यक अहर्ता यह थी कि बोली लगाने वाले के पास संविदा की कुल अनुमानित लागत का 25 *प्रतिशत* कार्य अनुभव हो। मैसर्स ऐनजैलीक इंटरनेशनल लि. डंगरपुर नई दिल्ली को (मई 2006) ये तीन परियोजना, चौथी परियोजना, के साथ डुंगरपुर प्रदान की गयी इस तथ्य के बाबजूद कि फर्म के पास, के (शुरूआती तीन परियोजनाओ की आवश्यक ₹10.74 करोड़) एवज में ₹ 7.77 करोड़ कार्य का अनुभव था।

ए.आर.ई.पी. योजना के अन्तर्गत, करौली में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य की परियोजना को प्रदान करने के लिए निविदा सूचना के एवज में, एकल प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। चूँकि फर्म निविदा दस्तावेजों की शर्तो को पूरा नहीं कर रही थी। इसलिये जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. के बोर्ड ने अर्हता मानदण्डों को हटा दिया और परियोजना को फर्म (जनवरी 2006 में) को प्रदान कर दिया गया।

विद्युत मंत्रालय ने (अगस्त 2013 में) अपने उत्तर में कहा कि "*निविदा जारी करने एवं पुरस्कृत करने की जो प्रक्रिया है वह पी.आई.ए. के क्षेत्र में आती है। पी.आई.ए को निविदा प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिये। हालाँकि, इस मामले पर सम्बधित पी.आई.ए को बातचीत की गयी हैऔर उनसे तथ्य एवं आकड़ों की सत्यता पर टिप्पणी एवं* ***स्पश्टीकरण मांगे*** *गये है।*"

एक्ज़िट कान्फ्रेंस (सितम्बर 2013) में, आर.ई.सी ने उल्लेखित किया कि 12वीं योजना के अन्तर्गत खरीद के लिये एक मानक निविदा दस्तावेज निर्धारित किया जा रहा है जिसमें आर.जी.जी.वी.वाई.के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न कार्यों के लिये अहर्ता मानदण्ड शामिल है।

5.7. मोबिलाइजेशन अग्रिम (एम.ए)

ग्रामीण विधुतीकरण परियोजना के कार्यान्वयन में वस्तु एवं सेवाओं की खरीद के लिये आर.ई.सी. द्वारा जारी दिशानिर्देशो[60] के अनुसार माल की आपूर्ति के मामले में, घटकों के कार्य से पहले वाले दामों का 15 *प्रतिशत* और कुल स्थापन मूल्य का 10 *प्रतिशत* प्रारम्भिक अग्रिम के रूप में दिया जाना था। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सतर्कता विभाग (सी.वी.सी.) के दिशानिर्देशों के अनुसार ठेकेदार को एम.ए. का भुगतान अनिवार्यता पर आधारित होना चाहिये और इसकी वसूली समय आधारित हो और न कि कार्य की प्रगति से संबंधित हो। एम.ए. की देय रकम पर भी ब्याज लगाया जाना चाहिए, उसकी वसूली सारणी आदि को निविदा दस्तावेज में स्पष्ट बताया जाना चाहिये। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यदि ठेकेदार कार्य का निष्पादन नहीं भी कर रहा हो या धीमी गति से कर रहा हो, अग्रिम की वसूली शुरू की जा सकती है और इस तरह अग्रिम के दुरूपयोग की सम्भावना कम की जा सकेगी।

बॉक्स–10 जम्मू और कश्मीर–प्रत्यक्ष सुधार को संबद्ध किये बिना भुगतान

राजौरी परियोजना के अवार्ड पत्र (26 दिसम्बर 2009) के अनुसार परियोजना कार्य का निष्पादन टर्न की के आधार पर किया जाना था। जबकि ठेकेदार ने साम्रगी को कार्य स्थल पर रख दिया, भुगतान के लिए दावा पस्तुत किया और भुगतान प्राप्त किया जिसमें मार्च 2012 तक की संचारित और स्थापना अग्रिम राशि 25.34 करोड़ (अवार्ड कीराशि ₹ 37.77 करोड़ की 67 प्रतिशत) भी शामिल थे। कार्य के विभिन्न संघटको का प्रत्यक्ष सुधार उस दिन तक 3 से 29 *प्रतिशत* के बीच था ।

इन मामलों का राज्यवार विवरण जहाँ आर.ई.सी. या सी.वी.सी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया जिसकी वजह से ठेकेदार को अनुचित लाभ मिला या परिहार्य आर्थिक नुकसान हुआ, **अनुलग्नक 11** में दिये गये है। पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताएँ इस प्रकार हैं:

- 11 राज्यों[61] में संविदाओं में एम.ए. की समय आधारित वसूली एवं इस पर ब्याज की वसूली पर जोर नहीं दिया गया । इस कारण, 8 राज्यो[62] में **₹ 103.57 करोड़** तक की राशि (केवल जाँच परीक्षा परियोजनाओं) 3 महीने (**अरूणाचल प्रदेश**) से लेकर 42 महीने (**गुजरात**) तक अवरोधित रही।

- **गुजरात**,[63] **नागालैंड** और **सिक्किम** में निर्धारित मानकों/संविदात्मक शर्तो से ₹ 29.61 करोड़ से ज्यादा की एम.ए. की राशि प्रदान की गई।

- 11 राज्यों[64] के 57 परियोजनाओं के नमूना जाँच में पता चला कि ठेकेदारों को ₹ 450 करोड़ से अधिक राशि के ब्याज रहित एम.ए को जारी के कारण संबधित राज्य सरकारों को ₹ 58.33 करोड़ का वित्तीय घाटा सहना पड़ा। यह कार्य वित्तीय रूप से विवेक पूर्ण नहीं था, क्योकिं पी.आई.ए (डिस्कॉम/राज्य विद्युत बोर्ड) योजना के लिए आर.ई.सी से प्राप्त ऋण पर

[60] ठेके की विशेष शर्तें (खण्ड 1ए)
[61] अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंण्ड, सिक्कम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल
[62] अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नगालैण्ड और पश्चिम बंगाल
[63] दो डिस्काम, पी.जी.वी.सी.एल. और यू.जी.वी.सी.एल.
[64] अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंण्ड, सिक्कम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल

10–12 *प्रतिशत* का ब्याज भुगतान कर रहे थे जबकि ठेकेदारों को ब्याज मुक्त अग्रिम दिया जा रहा था।

- कार्य सम्पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के समाप्त होने के पश्चात भी एम.ए. को वसूला हीं गया। जैसे **गुजरात** और **मणिपुर** में।

बॉक्स–11 कार्यान्वयन एजेंसी के कर्मचारियों के द्वारा की गई भूल

छत्तीसगढ़ मे ₹ 2.28 करोड़ का एम.ए. अगस्त 2010 में जारी किया गया जिस पर ब्याज अदा किया जाना था। जबकि मई 2011 तक ₹ 0.50 करोड़ वसूल किये गये, तत्पश्चात मुख्य–अभियंता के निर्देश से वसूली को रोक दिया गया।

नागालैंड में दो ठेकेदारों को ₹ 4.23 करोड़ को एम.ए. का भुगतान किया गया (जनवरी 2007 और जून 2007) जिसमें से ₹ 2.62 करोड़ की राशि को वापस कर दिया गया। तत्पश्चात ठेका निरस्त कर दिया गया और ठेकेदार को ₹ 1.61 करोड़ की असमंजित राशि वापस करने को कहा गया जोकि 32 माह तक नहीं दी गई। ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

एम.ओ.पी. ने उत्तर दिया (आगस्त 2013) कि *"**गुजरात** में कार्यान्वयन एजेंसी के अनुसार (फरवरी 2013) मोबिलाईजेशन एडवांस ठेके के निबधंनों के अनुसार जारी किया गया, जबकि **पश्चिमी बंगाल** में डब्ल्यू. बी.एस.ई.डी.सी.एल. ने कहा (फरवरी 2013) कि ब्याज रहित अग्रिम का उपबंध बिड में शामिल किया गया था और एल.ओ.ए बोर्ड कमेटी की स्वीकृति से दिया गया था। **नागालैंड** में ऊर्जा विभाग ने सूचित किया कि 15 प्रतिशत एम.ए. जोकि ठेके के निबंधनों में अनुसूचित थे, में से 25 प्रतिशत टर्नकी ठेकेदारों को दिये गये ,जो दी गई राशि के समतुल्य बी.जी. देने के लिये तैयार थे। चुंकि प्रथम किश्त से में जारी निधि बाद में जुड़नी थी, पर्याप्त कार्य को त्वरित गति से करने के आशय से ऐसा किया गया।"*

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में जांचना चाहिए कि दस्तावेजो में ऐसा कोई आश्वासन ऑडिट को उपलब्ध नहीं कराया गया जो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि एम.ए. के साधन को केवल कार्य को त्वरित करने में उपयोग किया गया और न कि ठेकेदारों को लाभान्वित करने के लिये।

5.8. अतिरिक्त व्यय

परियोजना के प्रस्तावों में मदवार कार्यवृत का सार, शामिल मात्रा इत्यादि को शामिल किया जाना था जोकि ग्रामीण–विद्युत वितरण का, ग्रामीण विद्युतीकरण की आधारभूत संरचना इत्यादि तैयार करे। परियोजना के कार्यान्वयन के समय यदि परियोजना के पैरामीटरों में कोई परिवर्तन हो, या परियोजना लागत में वृद्धि या कमी हो तो पुनरीक्षित लागत अनुमानों (आर.सी.ई.) को संस्वीकृति हेतु आर.ई.सी को प्रस्तुत किये जाने चाहिए। तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर आर.ई.सी. पुनरीक्षित अनुमान लागतों को संस्वीकृति देती जोकि निम्न स्थितियों में होता:

(i) कार्य क्षेत्र में परिवर्तन
(ii) संविधिक उद्ग्रहण में परिवर्तन
(iii) मूल्य वृद्धि

(iv) परियोजना की समय अवधि का बढ़ना (जोकि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के नियत्रंण से बाहर हो।

उपरोक्त कारको में विभिन्न परियोजनाओं में ₹ 41.42 करोड़ के वित्तीय प्रभाव की चूक भी थी जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

5.8.1. अनुपयुक्त कार्य

यहा पर ऐसे उदाहरण भी थे जहां ₹ 25.13 करोड़ के खर्च शामिल किये गये जोकि ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित या आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत योग्य नहीं थे परिणाम स्वरूप आर.ई.सी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई।

- **बिहार** में आर.ई.सी.[65] के दिशा निर्देशों के विरुद्ध, 55 अन–इलेक्ट्रीफाइड गाँव और 38 डी–इलेक्ट्रीफाइड गाँव[66] के साथ–साथ एक से दस परिवारों की डी.पी.आर. में शामिल किया गया। बाद में इन मामलो में **₹ 12.09 करोड़** का[67] कार्य इन ठेकेदारों को दिया गया।
- **जम्मू और कश्मीर** में, पुलवामा और राजौरी परियोजनाओं की संस्वीकृति के समय, एम.ओ.पी. /आर.ई,सी. ने स्पष्टतया, 11 के.वी. लाइन के रिकन्डटररिंग के मद को इस आधार पर निरस्त किया कि ऐसे मद आर.जी.जी.वाई. के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वित्त पोषित होने के योग्य नहीं थे, और इन्हें व्यवस्था सुधार योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाना चाहिए था। तदापि अनंतनांग परियोजना में आर.ई.सी. ने 354.90 किमी. के रिकंडक्टरिंग के लिए 11 के.वी. लाइन, जिसकी अनुमानित लागत रु 7.88 करोड़ थी को पारित किया,जबकि पी.आई.ए. ने इसी परियोजना में मार्च 2012 तक **रु 5.44 करोड़** का खर्च 221.45 किमी. के रिकंडक्टरिंग के लिए 11 के.वी लाइन को पूरा करने में किया।
- **मध्यप्रदेश** में,(बालाघाट, रीवा और सिधि जिलों मे) **₹ 7.60 करोड**[68]. का भुगतान, फीडर सैपरेशन से संबंधित कार्य के लिए आर.जी.जी.वी.वाई निधि से किया गया,जबकि ये कार्य आर.जी.जी.वाई. के अंतर्गत शामिल नहीं था।

[65] गांव जहां 100 से अधिक की जनसंख्या थी, को आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए शामिल किया गया था।
[66] आठ जिले जहां बोर्ड परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी था।
[67] 93 गांव x ₹ 13 लाख
[68] बालाघाट (एक फीडर, ₹1.32 करोड़), सिधी (6 फीडर ₹ 5.26 करोड़) रेवा (3 फीडर ₹ 1.02 करोड़)

बॉक्स 12: हरियाणा के बी.पी.एल. परिवारों में मीटरों के प्रावधान में हुए भेदभाव के कारण हुऐ निष्फल/अधिक व्यय।

बी.पी.एल. परिवारों की एकल फेज मीटर, सेक्योर और एल. एण्ड टी.के., कनेक्शन प्रदान किये जाने थे। डी.एच.बी.वी.एन.एल. के प्रबंधन ने निर्धारित किया (मई 2010) कि सेक्योर और एल. एण्ड टी. के मीटर (जिनकी कीमत ₹ 1,000 प्रति मीटर) जो ठेकेदारों द्वारा खरीदे गये, उनसे ले लिए गऐ और उच्च मूल्य ग्राहकों (7.5 के.वी. और अधिक लोड वाले) के पपरिसरों में स्थापित किये गये तथा कम लागत वाले मीटर कीमत लगभग ₹ 400 डी.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा खरीदे गये तथा ठेकेदारों को बी.पी.एल ग्राहकों के परिसरों में स्थापित करने हेतू दिये गये। फलस्वरूप रु. 0.54 करोड़ का अधिक दावा बी.पी.एल. कनेक्शन पर हुआ जोकि आर.ई.सी. से स्वीकृत नहीं था।

डी.एच.बी.वी.एन.एल. के प्रबंधन ने कहा कि *"ये सैक्योर और एल. एण्ड टी. मीटर उच्च मूल्य ग्राहकों को प्रदान किये गये ताकि हानि को कम किया जा सके क्योकिं ये मीटर अधिक परिशुद्ध थे"* ।

5.8.2. कार्य जो नहीं किये गये या अवास्तविक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया गया भुगतान

चार राज्यों में **₹ 10.68 करोड़** का खर्च ऐसे कार्यों पर किया गया जोकि नहीं किये गये या अवास्तविक परिसम्पत्तियों के निर्माण से संबंधित था जैसा कि नीचे वर्णित है:

- यद्यपि **गुजरात** में ठेकेदारों को प्रत्येक बी.पी.एल. कनैक्शन के लिए ₹ 2,200/₹ 1,500 की राशि भूयोजन की लागत सहित दी गई थी, लेकिन वास्तव में कनेक्शनों के साथ भूयोजनों को ठेकेदारों द्वारा पंचमहल (एम.जी.वी.सी.एल), सूरत (डी.जी.वी.सी.एल), महसाना और पाटन (यू.जी.वी.सी.एल.) जिलों में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.59 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया जबकि भावनगर, पोरबंदर और सुरेन्द्रनगर जिलों में टर्नकी ठेकेदारों द्वारा भूयोजन के साथ कनेक्शन उपलब्ध कराये गये।

 डी.जी.वी.सी.एल. ने (मार्च 2013 में) लेखापरीक्षा की उक्ति को स्वीकार किया और कहा कि *''ठेकेदारों के बिलों से समुचित वसूली की जाएगी''*।

 एम.जी.वी.सी.एल. और यू.जी.वी.सी.एल. ने कहा (फरवरी/मार्च 2013) कि *''भूयोजन की दर को डी.पी.आर. और सामग्री के बिल में विचार नहीं किया गया था, अतः भूयोजन को कार्य क्षेत्र के अनुसार नहीं किया गया। बाद का उत्तर स्वीकार्य था क्योंकि ठेकेदारों को सेवा कनैक्शनों के लागत के भुगतान में भूयोजन की लागत भी शामिल थी।''*

 बाद का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सर्विस कनैक्शनों की लागत का भुगतान 'भूयोजन' की लागत को सम्मिलित करके ठेकेदार को किया गया था।

- **कर्नाटक** में 'इन्डी' विभाग मे, एच.ई.एस.सी.ओ.एम. के आतंरिक लेखा परीक्षा विंग ने (मार्च 2010) यह पाया कि ठेकेदारों को आवस्तविक परिसम्पत्तियों के लिए भुगतान किया गया। आंतरिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षो के आधार पर एच.ई.एस.सी.ओ.एम. के विशिष्ट दलों को इन्डी

विभाग के द्वारा किये गये कार्यो की सभी माप पुस्तकों की जांच हेतु तैनात किया गया। 6311 में 3992 स्थापनाएं आधारभूत तंत्र के सहित काल्पनिक पाई गई जिसके लिए ₹ 4.09 करोड़ का भुगतान किया गया था।

जबकि एच.ई.एस.सी.ओ.एम ने ठेकेदारों को कारण स्पष्ट करने हेतु नोटिस जारी किया तथा कंपनी को ब्लैक–लिस्ट (आगस्त 2011) किया, तथा टेंडर प्रक्रिया या एच.ई.एस.सी.ओ.एम. के अंतर्गत के कार्य निष्पादन में शामिल होने से कम से कम दो वर्ष के लिए वंचित कर दिया। कंपनी के बकाया बिल जोकि एच.ई.एस.सी.ओ.एम. के पास थे वे केवल ₹ 0.60 करोड़ तक के थे और **₹ 3.49 करोड़** की शेष राशि की वसूली के लिए कोई माध्यम नहीं था।

एच.ई.एस.सी.ओ.एम. ने अनियमितताओं को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2013) कि *''ठेकेदार के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किये गये है और 43 अधिकारियों/कर्मियों जिन्होनें अनियमितता बरती थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।''*

- **नागालैंड** में,विभाग ने दीमापुर और वोका परियोजनाओं में डी.टी. के स्थापित किये जाने और एल.टी.पोलो के निर्माण के बिना **₹ 0.32 करोड़** का समेकित भुगतान किया।

- **उत्तर प्रदेश** में, 33/11 के वी के सबस्टेशन बलरामपुर और नवाबगंज और संबद्ध लाइने मौलिक डी.पी.आर., इलाहाबाद परियोजना में शामिल किये गये थे, ये सबस्टेशन हालांकि विभागीय तौर पर निर्मित किये गये तथा योजना से हटा दिये गये। इनके स्थान पर औंटा और झूईलाचीपुर सबस्टेशन और संबद्ध लाईनों का निर्माण **₹ 4.28 करोड़** की लागत पर क्रमशः जून 2009 और जनवरी 2009 में किया गया था जिन्हें टाला जा सकता था यदि डी.पी.आर तैयार करते समय आवश्यकताओं को सावधानी से ध्यान में रखा जाता।

बॉक्स 13 : मणिपुर अवास्तविक परिसंपत्तियाँ

विभाग ने (31 मार्च 2011मे) मैसर्स साइन आर्टस सेंटर के साथ, विशनुपुर, चूराचांदपुर और इंफाल पश्चिमी जिलों में साइन बोर्ड की सप्लाई और स्थापना करने हेतु अनुबंध किया। इस संबंध में कार्य के सफलतापूर्वक समापन के पश्चात भुगतान किया जाना था। विभाग ने कंपनी को ₹ 0.28 करोड़ का भुगतान विशनुपुर, चूराचांदपुर और इंफाल पश्चिमी जिलों में साइन बोर्ड की आपूर्ति और स्थापना हेतु किया।

लेखा परीक्षा द्वारा 30 चयनित गांवों में 3 नमूना जिलों प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया और पाया गया कि किसी भी गांव में कोई भी साइनवोर्ड नहीं लगाया गया या यह पाया गया कि विशनपुर,चुराचांदपुर और इंफाल पश्चिमी जिलों में अनुबंध से पहले ही भुगतान किया गया।

विभाग ने (जुलाई 2013) जवाब में कहा कि *''साइनबोर्ड को स्टोर रूम में रखा गया था, क्योंकि वे अकसर चोरी हो जाते थे''।*

साइनबोर्ड को स्टोर रुम में जमा करके रखने से अपेक्षित उद्देश्य ही समाप्त हो गया जिसके लिए ₹ 0.28 करोड़ का खर्च किया गया था। विभाग को ऐसा जरिया तैयार करना चाहिए था जिससे साइन वोर्ड की चोरी को रोका जा सके।

5.8.3. प्रयोग में नहीं लायी गई परिसंपत्तियों पर निष्फल/व्यर्थ का व्यय

चिह्नित क्षेत्रो में परियोजनाओं के निर्माण,विकास और कार्यान्वयन, जिसमें योजना,डिजाइन और अभियन्त्रिकी शामिल हो, आर.ई.सी. के दिशानिर्देशों के विनिर्दिष्टों और निर्माण मानकों जहां लागू हो, के आधार पर होना चाहिए था । जबकि तीन राज्यों में ये मानक लागू नहीं किये गये जिसके कारण **₹ 4.79 करोड़** का व्यर्थ व्यय हुआ:

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) ने कहा (मार्च 2006) कि नये ग्राहक मीटर स्थिर प्रकार के होंगे।लाइसेंस धारियों द्वारा ऐसे मीटर जोकि उपरोक्त विनिदिष्टों के अनुसार नहीं है बदले जाने चाहिए। स्थेतिक उर्जा मीटर इलैक्ट्रॉनिक मीटरों के मुकाबले अधिक उर्जादक्ष है और टैंपर प्रुफ हैं तथा इसमें मीटर टैंपरिंग भी दर्ज होती है। आर.ई.सी. ने (दिसंबर 2006) में असम में गोलपारा परियोजना के डी.पी.आर को स्वीकृत किया और कार्य आदेश अप्रैल 2007 में प्रदान किया गया।

 गोलपारा असम में आपूर्ति किये गये सभी मीटर सीईए द्वारा विनिर्दिष्ट प्रकार के नहीं थे। अतः 31,025 मीटर जोकि **₹ 2.21 करोड़** की लागत पर खरीदे गये थे ,उनके बेकार हो जाने का खतरा था क्योंकि एन.आई.टी ने विनिर्दिष्टताओं को इंगित नहीं किया था ।

- **उत्तर प्रदेश** में बी.पी.एल कनेक्शनों के साथ स्थापित किये गये मीटरों पर किया गया खर्च **₹ 12.34 करोड़**[69] का खर्च व्यर्थ व्यय हो गया क्योकिं बी.पी.एल परिवारों का विल भुगतान स्थिर दर आधार पर किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त ₹ 2.58 करोड़[70] का खर्च ऊर्जा मीटरों की स्थापना, वितरण ट्रॉसफार्मरों पर भी व्यर्थ खर्च हो गये। क्योंकि ट्रॉसफार्मर–वार ऊर्जा का लेखाकरण, लेखापरीक्षण जिसके लिए ये ट्रॉसफार्मर स्थापित किये गये थे, नहीं किया जा रहा था।

5.9. ठेकेदारों को अनुचित लाभ

₹ 114.40 करोड़ की राशि का अनुचित लाभ ठेकेदारों को देने के उदाहरण जोकि नीचे दर्शाए गये है जिनके फलस्वरुप परियोजना लागत में समान राशि की परिहार्य वृद्धि हुई।

5.9.1. अपर्याप्त कीमत वसूली और उच्च दरों पर भुगतान

- **आन्ध्र प्रदेश** में कार्य के नये मदों जैसे आर. एस. ज्वाइंट्स, प्लेन सीमेंट कंकरीट पोल (पीसीसी) के स्थान पर आर.एस.बीम के कार्य को उसी ठेकेदार को पहले से तय दरों पर ही दे दिया गया जब कि दरों में कमी हो रही थी। जिसके परिणाम स्वरुप **₹ 4.11 करोड़** का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त मूल्य परिवर्तन की धारा को आर.जी.जी.वी.वाई के कार्यो[71] के समझौते में शामिल नहीं किया गया क्योंकि सहमत दरें स्थिर थी। इसके बावजूद तीन डिस्कॉमों ने मूल्य परिवर्तन **₹ 4.90 करोड़** की परिवर्तित राशि का भुगतान समझौतों के नियमों और शर्तों के विरूद्ध किया।

[69] 95299 मीटरों x ₹ 1295 = ₹ 12.34 करोड़

[70] 19711 डी टी मीटर x ₹ 1310= ₹ 2.58 करोड़

[71] जांच परख की गई परियोजनाएं नार्दन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (एन.पी.डी.सी.एल) इस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (ई.पी.डी.सी.एल) और सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एस.पी.डी.सी.एल)

- आर.ई.सी. द्वारा जारी परियोजना सूत्रीकरण दिशानिर्देशों के अनुसार सेंट्रल एक्साईज परियोजना लागत का हिस्सा, आर.जी.जी.वी.वाई. के अन्तर्गत है। **असम** में पाँच पैकेजो[72] के अनुबंध को प्रदान करते समय आपूर्ति मूल्यों को उत्पाद शुल्क सहित माना गया (14 से 16 प्रतिशत)। बाद में उत्पाद की दर 14 प्रतिशत, 10 *प्रतिशत* और 8 *प्रतिशत* चरणबद्ध तरीके में कम हुई। पी.आई.ए. ने सामग्रियों की आपूर्ति पर स्थिर दरों, जो कि सहमति के अनुरूप थे, पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया क्योंकि समझौते में उत्पाद शुल्क का वास्तविक दर पर भुगतान से संबंधित कोई भी धारा नहीं थी। अतः समझौते में स्वाभाविक कमी के कारण पी.आई.ए. को अन्यथा परिहार्य **₹ 1.41 करोड़** का भुगतान ठेकेदारों को करना पड़ा।

- **बिहार** में, एल.ओ.ए की नियम और शर्तो के अनुसार (मई 2009 में) दर छह[73] जिलों में, ट्रॉसफार्मरों केबलों और कंडक्टरों की लागत के संबध में मुल्य समायोजन करना पड़ा जोकि मूल्य परिवर्तन धारा के आधार पर था। जबकि विद्युत ट्रांसफार्मरों और वितरण ट्रांसफार्मरों का भुगतान बिना मुल्य परिवर्तन धारा को ध्यान में रखते हुए स्थिर आधार पर किया गया था। यद्यपि ट्रांसफार्मर का मूल्य कम[74] हो गया था, फिर भी पी.आई.ए. ने मूल्य परिवर्तन खण्ड को ध्यान में रखे बिना मार्च 2012 तक **₹ 2.76 करोड़** की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया।

- **मणिपुर** में (इम्फाल पश्चिमी और चूराचांदपुर जिलों में) निविदा समिति (टी.सी.सी.) टर्नकी आधार पर आपूर्ति और स्थापना कार्यो का अवार्ड न्यूनतम बोलीधारक मेसर्स के.ई.सी. इंटरनेशनल लिमिटेड गुडंगाव के स्थान पर क्रमशः तीसरे और दूसरे न्यूनतम बोली धारकों (आगस्त 2009) को देना स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त न्यूनतम कंपनी को अनदेखा करके, कार्यो को एल 3 और एल 2 कंपनियों को प्रदान करने के फलस्वरूप ₹ 13.82 क रोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

- **सिक्किम** में, आर.जी.जी.वी.वाई. योजना के अन्तर्गत पी.आई.ए. द्वारा पी.एल.ओ.ए. दरें स्वीकार (फरवरी 2009) की गई वह दर अनुसूची (एस.ओ.आर.) 2008 से लगभग 200 प्रतिशत ऊपर थी जबकि पी.आई.ए. के लगभग उसी समय इसी प्रकार (आर.जी.जी.वी.वाई. के अलावा) के स्वयं के रखरखाव कार्य एस.ओ. आर दरों के निकट दरों पर प्रदान किये गये। उदाहरण के तौर पर, 11/0.43 के.वी, 3 फेस 25 के.वी.ए. वितरण ट्रांसफार्मर का मूल्य एस ओ आर 2008 के अनुसार ₹ 55,800 था जबकि आर.जी.जी.वी.वाई. कार्य के लिये एल.ओ.ए. के अनुसार दर ₹ 1,68,286 (201 प्रतिशत एस.ओ.आर. से ज्यादा) थी इससे ₹ 28.60 करोड़ तक का अतिरिक्त व्यय हुआ।

- **उत्तर प्रदेश** में, उत्याद शुल्क, व्यापार शुल्क की गलत गणना और गलत दर पर भुगतान करने के कारण मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एम.वी.वी.एन.एल.) ने **₹ 3.15 करोड़** का अतिरिक्त भुगतान किया जिस की **अनुलग्नक 12** में बताया गया है। पाँच परियोजनाओं[75] में भी, सामग्री[76] की खपत में बर्बादी (वास्तव में प्रयोग की गई सामग्री की मात्रा के एक *प्रतिशत* तक) और ठेकेदारों को तद्नुसार भुगतान किया गया जिससे **₹ 0.35 करोड़** तक का अनुचित लाभ दिया गया।

[72] बारपेटा, बोंगाईगांव, गोलपारा, कार्बी एंगलौंग और मोरीगांव
[73] बेगूसराय, कटिहार, खगड़िया, समस्तीपुर, शेखपूर और सुपौल
[74] स्त्रोत– इंडियन इलैक्ट्रीकल और इलैक्ट्रोनिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (आई.ई.ई.एम.ए.) परिपत्र
[75] इटावा, जालान, ललितपुर, मिर्जापुर और मुरादाबाद
[76] इंसुलेटर्स, डिस्क फिटिंगस, कंडक्टर्स, पी.सी.सी. पोल्स, 10 के.वी.ए. और 16 के.वी.ए. ट्रान्सफार्मरस

5.9.2. सामग्री की कमी/सन्देहपूर्ण दावे

- **कर्नाटक** में, तृतीय दल निरीक्षण एजेन्सियों (टी पी आई ए) द्वारा चार परियोजनाओं[77] की प्रथम स्तरीय निगरानी के दौरान जारी प्रतिवेदन ने दर्शाया कि बिल में दर्शित विभिन्न मात्रायें (बी ओ क्यू) और वास्तव में कार्यान्वित/पारित बिल में मात्रायें और वास्तविक मात्रायें निरीक्षण में भिन्नता पायी गई। टी.पी.आई.ए. के अनुसार मात्रायों मे कमी की कुल राशि **₹ 5.72 करोड़** तक (बी.पी.एल. सेवा कनेक्शन वितरण ट्रॉसफार्मर केन्द्रों सहित) थी। तीन परियोजनाओं[78] में, पी. आई.ए. ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया कि क्या इंगित राशि की वसूली हो गई थीं। ठेकेदारों द्वारा दो जिलों (बीजापुर और गदग) में दी गई बैंक गांरटी ठेके[79] के पूर्ण होने से पहल ही खत्म हो गई जो कि सम्बन्धित कर्मचारियों की लापरवाही को दर्शाता है।

- **मणिपुर** में, (पश्चिम इम्फाल जिला) ₹ 11.13 करोड़ की सामग्री और उपकरण की आपूर्ति के लिये बीजक तारीखों को इन 51 बिलों के वितरण चालानों के संदर्भ में सत्यापित करना संभव नहीं था, जिन्हे लेखापरीक्षा के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार **₹ 11.13 करोड़** का भुगतान संदेह मुक्त नहीं था।

 इसके इलावा तीन[80] जिलों में, कुछ बीजकों से संकेत मिले कि **₹ 8.80 करोड़** की राशि के बिलों का भुगतान या तो मदों की सुर्पुदगी से पहले या बीजक की तिथि पर ही किया गया जोकि सम्भव नहीं है क्योकि मदों की सुपुर्दगी राज्य के बाहर से होनी थी और भुगतान करने से पहले अन्य अधिकारिक प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना था। कलकत्ता से इम्फाल तक वस्तुओं की सुपुर्दगी मे सड़क द्वारा केवल एक से दो दिन लगे जोकि दूरी और राज्य की स्थलाकृति को देखते हुये सम्भव नहीं है। विभाग ने मूल सुर्पदगी चालान, मदों की प्राप्ति एवं मदों को जारी करने के लिये स्टाक पंजिका और सामग्री के प्रेषण का साक्ष्य नहीं दिया।

- **पंजाब** में, के एल.जी. सीस्टल लिमिटेड (गुड़गाँव) को दिये गये कार्य आदेशों (मार्च 2011) को रद्द करने के बाद, पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड, (पी.एस.पी.सी.एल.) ने ₹ 11.23 करोड़ मूल्य की सामग्री में कमी (अक्तूबर 2011) पाई। ₹ 12.01 करोड़ मूल्य की अनिर्मित सामग्री, जिसका भुगतान फर्म को किया जा चुका था, को आर.जी.जी.वी.वाई. से सम्बन्धित स्टोर में रखने की बजाय, पी.एस.पी.सी.एल. के स्टोर में स्थानांतरित किया गया।

- **उत्तर प्रदेश** में, टी पी.आई.ए. द्वारा मिर्जापुर परियोजना के 26 गाँवों के सन्दर्भ में जारी किये गये प्रतिवेदन मे बताया गया कि **₹ 0.30 करोड़** मूल्य की सामग्री साइटों पर नहीं पाई गई। हालांकि संबंधित अधिकारी ने इन मदों को आर.ई.सी. द्वारा निधि के वितरण के लिए कार्यन्वित परियोजना लागत मे शामिल कर लिया।

 इसके अतिरिक्त इलाहाबाद परियोजना के 58 गाँवों और मिर्जापुर परियोजना के 18 गाँवों के सम्बन्ध में द्वितीय स्तर की निगरानी मे पाया गया कि 29 वितरण ट्रांसफार्मर, 108 डी टी मीटर और 169 खम्बे या तो दिये ही नहीं गये या लापता थे। इस संबंध में ठेकेदार/संबंधित अधिकारी द्वारा लापता/नहीं दिये उपकरणों को लगाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई।

[77] बीजापुर, गडग, कोलार एवं रायचूर
[78] बीजापुर, गडग तथा रायचूर
[79] दिसम्बर 2008 में वीजापुर पूरा हुआ था और मार्च 2009 में गड़क पूरा हुआ था।
[80] विष्णुपुर, चूराचांदपुर एवं पश्चिम इम्फाल

इसके परिणामस्वरूप लाभार्थीयों को योजना के लाभ से वंचित रखने के अलावा **₹ 0.29 करोड़** की सीमा तक ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया।

5.9.3. ठेकेदार के खराब प्रदर्शन के बावजूद सुरक्षा जमा का जब्त ना करना

गुजरात में, पी.जी.वी.सी.एल. द्वारा अप्रैल 2008 में भावनगर जिले में एक ठेकेदार को 13 महीनों में पूर्ण करने के लिये ₹ 12.36 करोड़ की लागत का कार्य प्रदान किया गया। ठेकेदार ने केवल ₹ 3.25 करोड़ मूल्य का कार्य जोकि कुल ठेके के मूल्य का 26.29 प्रतिशत था, पूरा किया और मार्च 2011 में कार्य छोड़ दिया। पी.जी.वी.सी.एल. ने 17 मई 2011 को ठेकेदार को एक सूचना जारी की लेकिन **₹ 1.24 करोड़** की बैंक गारंटी को नहीं भुनाया जिसे ठेकेदार ने प्रतिभूति जमा के रूप में दिया था।

5.9.4. करों में कटौती न करना

एल.ओ.ए. की नियमों एवं शर्तों के अनुसार, सभी कर और शुल्क जिसमें प्रवेश कर (ई.टी.), मूल्य वर्धित कर (वी.ए.टी.) और अन्य साविधिक उदग्रहण जैसे कि आयकर (आई.टी.), स्त्रोत पर कर कटौती (टी.डी. एस.) इत्यादि शामिल है, जो ठेकेदार के दायित्व होंगे, बिल के आपूर्ति भाग से कटौती की जायेगी और सम्बन्धित कर सग्रहण अधिकारियों को जमा की जायेगी।

इस तरह के मामले जिनमें ₹ 16.59 करोड़ राशि का अनुचित लाभ ठेकेदार को करों के न लगाने/गैर वसूली/कम वसूली के कारण पहुँचाया गया, इस संक्षेप में नीचे दिय गया हैं एवं **अनुलग्नक–13** में विस्तृत रूप से दिये गये है।

- तीन राज्यों में (**असम, छत्तीसगढ़ और मणिपुर**) ₹ 5.21 करोड़ का वैट व ₹ 1.04 करोड़ का प्रवेश शुल्क **(छत्तीसगढ़ में)** ठेकेदारों से वसूल नहीं किया गया।
- छः राज्यों में (**असम, गुजरात, केरल, महाराश्ट्र मणिपुर व त्रिपुरा**) ऐसे उदाहरण हैं जहां इमारत और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर ₹ 7.81 करोड़ की राशि ठेकेदारों से वसूल नहीं की गयी।
- **छत्तीसगढ़** में **₹ 2.08 करोड़** की टी डी एस राशि ठेकेदारों से नहीं ली गयी।
- **त्रिपुरा** में, ₹ 0.45 करोड़ के कार्य अनुंबध कर को नहीं काटा गया।

विद्युत मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2013) कि *''निविदा की प्रक्रिया व परियोजना के आदेश प्रदान करना राज्य सरकारों के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत पी.आई.ए. के दायरे में आते हैं। अतः राज्य सरकारों/पी.आई.ए. को निविदा प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिये।''*

उत्तर को इस तथ्य के विरूद्व देखा जाना है कि उपरोक्त समस्याएं काफी हद तक आर.ई.सी. द्वारा उपयुक्त चेकलिस्ट/प्रारूपों को पी.आई.ए. से लेकर प्रस्तुत करने से नियंत्रण त्ंत्र के एक भाग के रूप में कम की जा सकती थी और यदि आवश्यक हो तो दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन करके भी दूर किया जा सकता है।

ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने के मामले पर जब एक्जिट सम्मेलन (सितम्बर 2013) में चर्चा की गयी, तो आर.ई.सी. ने सूचित किया कि इस तरह की कमियों को परिहार्य बनाने के लिये आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये जा रहे हैं।

5.10. पी.आई.ए. द्वारा उचित परिश्रमिता का अभाव

उदाहरण के रूप में मामलें जहाँ, निविदा टर्नकी आधार पर दी गई लेकिन इनकी दरों एवं लाभ राशियों में अनियमित एवं अनुचित भिन्नताऐ थीं जिनका ₹ 263.44 करोड़ का वित्तीय प्रभाव था, उन्हें नीचे दर्शाया गया है।

क) **<u>एक ही मद में पूर्व कारखाना दरों में अन्तर–सिक्किम</u>** में विभिन्न पूर्व कारखाना दरों (मालभाड़ा और बीमा को छोड़कर) सभी आठ पैकेजों मे समान विनिर्देश की समान सामग्री की आपूर्ति को अनुमति दी गई। विभिन्न टर्नकी ठेकेदारों के लिये एक ही विवरण की वस्तुओं मे दरों में भिन्नता स्वीकार करने के लिए रिकार्ड में कोई तर्क नहीं था। इकाई दरों में अन्तर ₹ 16.25 करोड़ के कुल वित्तीय प्रभाव के साथ (₹ 0.74 करोड़ से ₹ 1.35 करोड़) करीब 83 प्रतिशत बढ़ गया।

ख) **<u>विभिन्न दरें–विभिन्न ठेकेदार– पड़ोसी जिले</u>– जम्मू व कश्मी**र की लेह और कारगिल परियोजनाओं में विभिन्न मदें पर दी गई। उसी राज्य के उन्हीं मदों से तुलना करने पर अत्याधिक दरों [81] (पूर्व कार्य परिवहन खर्च को छोड़कर) जिसके कारण ठेकेदार को ₹ 46.06 करोड़ का अनुचित लाभ मिला। इसी तरह **बिहार** में बोर्ड ने पडोसी जिलों मे निविदाकर्ताओं द्वारा समान क्षमता एवं विशिष्टता वाले मानक वस्तुओं की दरों की तुलना नहीं की/13 प्रमुख मदों की दरों को स्वीकृत किया गया जिसके कारण ₹ 123.47 करोड़ की अतिरिक्त लागत आयी।

ग) **<u>एक ही तरह की सामग्री–एक ही ठेकेदार–ही जिला लेकिन विभिन्न दरें</u>– पश्चिम बंगाल** में, विभिन्न पैकेजो की दरों की तुलना में दर्शाये कि (एक जैसी सामग्री के विनिर्देशन) एक ही सामग्री की पूर्व कार्य दरें (ढुलाई व बीमा के अतिरिक्त) एक ही जिले में एक ही ठेकेदार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न पैकेजों के लिये भिन्न थी। परिणामस्वरूप चार जिलों के नौ पैकेजों में ₹ 8.04 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

घ) **<u>अनावश्यक रूप से अधिक लाभ राशि</u>– उत्तर प्रदेश** में, पाँच मुख्य मदों[82] के सम्बन्ध में ठेकेदारों की उनकी अपनी क्रय दरों, बाजार दरा एवं यू पी पी सी एल दरों की तुलना ने दर्शाया कि ठेकेदारों ने 15 प्रतिशत डी एस आर[83] स्वीकृत लाभ के स्थान पर 16 से 430 प्रतिशत तक खरीद में लाभ उद्वत और प्राप्त किया। इसके परिणाम स्वरूप आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत केवल इन वस्तुओं की खरीद मे ₹ 49.84 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। **मणिपुर** की तीन परियोजानाओं [84] में, अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि आपूर्ति मूल्य (₹ 29.78 करोड़) निर्माता मूल्य (₹ 10.00 करोड़) से ₹ 19.78 करोड़ अधिक रहा।

विद्युत मंत्रालय ने अपने उत्तर (अगस्त 2013) में बताया कि *"विभिन्न पी.आई.ए. द्वारा निविदाओं के मूल्यांकन के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी राज्यों की है। तथापि, यह मामला राज्य प्राधिकरणों के बीच उठाया गया है।"*

[81] 2X2.5 स्क्वायर एम.एम. एल्यूमिनियम कन्डक्टर इन्सूलेटेड तार श्रीनगर में कार्य स्थलज पर प्रति मद (₹ 56.70), लेह में (₹ 1,12,491) और कारगिल में (₹ 92,958)

[82] 2.5 स्क्वायर एम.एम X 2 कोर पी.वी.सी.तार, 10 के वी ए और 16 के वी ए डिस्ट्रीव्यूशन ट्रॉसफार्मर्स, 5 एम.वी.ए विद्युत ट्रॉसफार्मर्स,

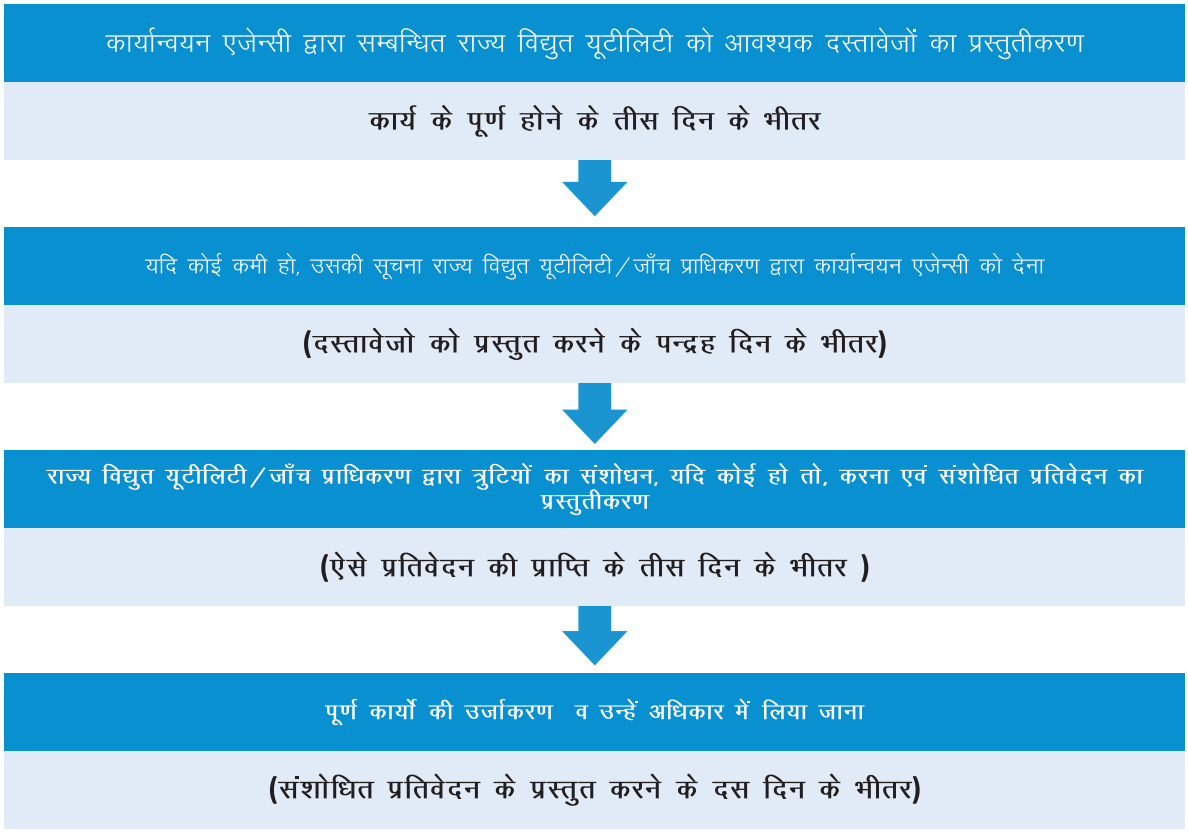
[83] दिल्ली अनुसूचित दर

[84] पश्चिम इम्फाल, चूराचांदपुर और विष्णुपुर

उत्तर इस तथ्य के खिलाफ देखा जाना है कि विभिन्न पी.आई.ए. द्वारा निविदाओं के मूल्यांकन की प्रणाली ने काफी लचीला छोड़ दिया गया जिससे आर.जी.जी.वी.वाई. की लागत पर परिहार्य बोझ पड़ा और लाभार्थियों को अनुपातिक लाभ नहीं मिल सका।

5.11. पूर्ण गाँवों को सौंपना

आर.ई.सी. द्वारा पार्टियों[85] से किये गये समझौतों[86] में उल्लिखित था कि राज्य विद्युत उपयोगिताओं (एस.पी.यू.) को परियोजना चालू होने के बाद (पूर्ण या आंशिक जैसा भी मामला हो) पूर्ण परियोजनाओं को अधिकार में लेना सुनिश्चित करना था। तत्पश्चात एस.पी.यू. परियोजना (पूर्ण या आंशिक जैसा भी मामला हो) के प्रचालन एवं रखरखाव के लिये खुद के खर्चे पर स्वयं उत्तरदायी थे। योजना के तहत पूर्ण की गयी परियोजनाओं को नीचे दी गई अनुसूची मे दर्शाये गये **चित्र 9** के अनुसार अधिकार में लिया जाना था।



चित्र 9: पूर्ण परियोजनाओं के लिये अनुसूची

नीचे दिये विवरण के अनुसार, चार राज्यों में एस.पी.यू. ने आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत पूर्ण परियोजनाओं के 802 गाँवों को अधिकार में नहीं लिया :

[85] राज्य सरकारें, राज्य पावर यूटिलिटिज और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सी.पी.एस.यूज)
[86] द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, चातुर्थ पक्षीय

- **बिहार** के, कटिहार व सुपौल जिलों के 14 गाँव जून 2011 से सितम्बर 2011 के दौरान ठेकेदारों द्वारा सौपें जाने के लिये तैयार थे तथापि पी.आई.ए. छः से नौ मास (मार्च 2012) के समाप्त हो जाने पर भी इन गाँवो का निरीक्षण नहीं किया व अधिकार में नहीं लिया गया। इसके अतिरिक्त दरभंगा जिले में ऊर्जा मंत्रालय के इस निर्णय के बावजूद कि दो गाँवों (मिल्की एवं भूवे) के आधारभूत ढाँचे को एस.पी.यू. द्वारा अधिकार में लिया जाये, नहीं लिये गये (फरवरी 2012)।
- **छत्तीसगढ़** में, बस्तर व दन्तेवाड़ा परियाजनाओं के 473 पूर्ण गाँवो में से, 340 गाँव एस.पी.यू. द्वारा अधिकार में नहीं लिये गये (गाँवों को अधिकार में लिये जाने में भी एक से नौ महीने की देरी थी।
- **जम्मू एवं कश्मीर** की राजौरी परियोजना के 39 गाँव जिन्हें आर.जी.जी.वी.वाई. के अन्तर्गत मार्च 2012 तक पूर्ण बताया गया था, विद्युत रखरखाव एवं ग्रामीण विद्युतीकरण डिवीजन द्वारा अधिकार में नहीं लिये गये।
- **मिजोरम** में, 439 पूर्ण गाँवों में से, 407 गाँव ठेकेदार द्वारा एस.पी.यू. को नहीं सौंपे गये।

ठेकेदारों द्वारा, चिंहित कमियों के संशोधन में देरी, टी.पी.आई.ए. द्वारा अनुपालन का निरीक्षण (त्रुटियों/कमियों का संशोधन) टर्नकी ठेकेदारों द्वारा वास्तव में कार्य पूर्ण होने से पहले कार्य को पूर्ण घोषित करना, विद्युत निरीक्षणालय द्वारा निरीक्षण में देरी आदि पूर्ण परियोजनाओं/गाँवों को अधिकार में न लिये जाने के कारण बताये गये।

गाँवों को अधिकार में देरी से लिये जाने के कारण संभवतः चोरी, गुणहास, नई खड़ी की गई आधारभूत संरचना की चोरी हो सकती है। उदाहरणतः **बिहार** में, आधार भूत संरचना के घटकों की चोरी देखी गई। **सीतामढ़ी** जिले के दो 33/11 के वी उप–स्टेशनों परिहार व सुप्पी 13 माह की देरी से बी एस. ई.बी. द्वारा अधिकार मे लिये (जून 2012) गये। 5 कि. मी. लाईन के विस्तार के 33 केवी लाईन के संचालक और सुप्पी उप स्टेशन के 63 के वी ए स्टेशन ट्रांसफार्मर के क्वायल एवं तेल चोरी हो गये। फलस्वरूप, पूर्ण चम्पारान जिले के गाँव जितकाहियाडीह को विद्युत नहीं दी गई। पश्चिमी चम्पारन व पूर्वी चम्पारन में क्रमशः 69 व 23 चोरी के मामले देखे गये, जिसने कार्य के पूर्ण होने पर प्रणाली के चालू करने में बाधा पैदा की।

विद्युत मंत्रालय ने आश्वासन (अगस्त 2013) दिलाया कि "*मामला सम्बन्धित पी.आई.ए. से उनकी टिप्पणी उत्तर हेतु ले लिया गया है।*"

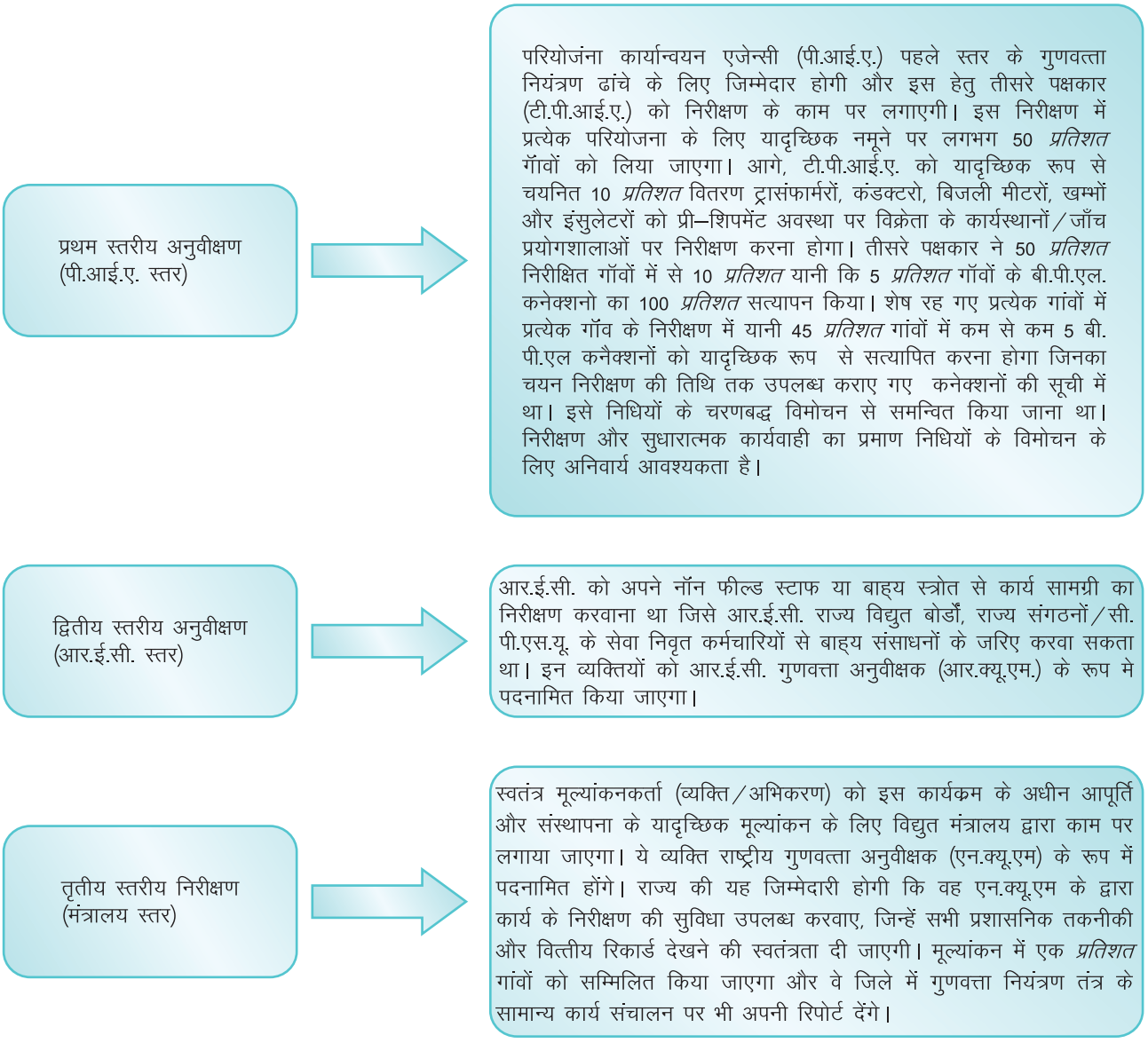
सिफारिश

आर 5 : एम.ओ.पी., राज्यों के साथ गहन समन्वय में प्रत्येक महत्वपूर्ण स्तर पर कार्य की प्रगति जाँचने के लिए एकरूप/मानक व्यवस्था के गठन पर विचार करे, जिससे कि ठेका प्रबंधन में होने वाली आम एवं परिहार्य अनियमितताओं/कमियों जैसे कि सांविधिक देनदारियों की कटौती न करना, हानि क्षतिपूर्तियों की वसूली न होना एवं ठेकेदारों को किये गए अधिक भुगतानों को रोका जा सके।



6.2. तीन स्तरीय अनुवीक्षण तंत्र

11वीं योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) को निरंतर जारी रखते हुए विद्युत मंत्रालय ने एक तीन स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र पर विचार किया जैसा कि **चित्र 10** में दर्शाया गया है।



चित्र 10 : तीन स्तरीय निरीक्षण तंत्र

6.2.1. प्रथम स्तरीय निरीक्षण

निरीक्षण के प्रत्येक स्तर पर निरीक्षण प्रलेखन, समापन, विस्तार और प्रतिवेदन में कमियॉ देखी गई जिनके कारण परियोजना के कार्य की गुणवत्ता के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना थी। व्याख्यात्मक मामलों का नीचे वर्णन किया गया है:-

निरीक्षण

- **हरियाणा** में चुनिंदा गाँवों में ठेकेदारों और कार्यान्वयन अभिकरणों जैसे कि यू.एच.बी.वी.एन. एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. के द्वारा अपेक्षित निरीक्षण नहीं किया गया।
- **मिजोरम, त्रिपुरा**[88] और **उत्तराखंड** में कार्य की गुणवत्ता जाँच को सुनिश्चित करने के लिए पी. आई.ए. द्वारा कोई भी गुणवत्ता नियंत्रण संमोजक (क्यू.सी.सी.) को नियुक्त नहीं किया गया।
- आगे, **मिजोरम और सिक्किम** में ई.पी.डी. ने विस्तृत गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम तैयार नहीं किया जैसा कि आर.ई.सी. के गुणवत्ता नियंत्रण की नियमावली में अनुबद्ध था।

प्रलेखन

- **छत्तीसगढ़** में, क्यू.सी.सी. ने कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किए यह प्रमाणित करने के लिए पी. आई.ए. और टी.पी.आई.ए. के टर्नकी ठेकेदारों ने आर.ई.सी. के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना का निरीक्षण किया।
- **नागालैंड** में ऐसे कोई अभिलेख नहीं थे जो दर्शाते कि टी.पी.आई.ए. ने यह पता लगाने के लिए गाँवों का दुबारा दौरा किया है कि क्या ठेकेदारों द्वारा कमियों और त्रुटियों को संशोधित कर दिया गया है।
- **राजस्थान** में, चुनिंदा दस जिलों में संबंधित परियोजना गुणवत्ता नियंत्रण सह–संयोजक (पी.क्यू.सी.सी.) के पास टर्नकी ठेकेदारों द्वारा निष्पादन कार्यों के सत्यापन और निरीक्षण के कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।
- **त्रिपुरा** में, पी.क्यू.सी.सी. ने गुणवत्ता नियंत्रण पर मासिक प्रगति रिपोर्ट आर.ई.सी. को अप्रैल 2009 से जनवरी 2012 तक प्रस्तुत नहीं की जिसके लिए उसकी नियुक्ति हुई थी।

समापन

- **असम** में (कार्बी ऐंगलौंग और मोरीगांव जिलों) आदेश जारी होने (27 जनवरी 2011) के 90 दिनों के भीतर चुनिंदा गाँवों का निरीक्षण होना था परंतु दोनों में क्रमश : 17 और 22 गाँवों के निरीक्षण में 16 माह का विलम्ब हुआ।
- **कर्नाटक** में, गुलबर्गा विद्युतीकरण आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (जी.ई.एस.सी.ओ.एम.)के अंतर्गत तृतीय पक्ष द्वारा कार्यों के निरीक्षण का पहला चरण तीन माह की अनुबद्ध समय सीमा की तुलना में करार की तिथि से 18 माह की देरी के बाद केवल जुलाई 2011 में संपन्न हो सका।

[88] जनवरी 2012 से किसी भी अधिकारी को परियोजना गुणवत्ता नियंत्रण संमोजल के रूप में पदनामित नहीं किया गया है।

विस्तार - सात राज्यों में, विस्तार के संबंध में आर.ई.सी. द्वारा अनुबद्ध 50 *प्रतिशत* गाँवों के मानदंड की तुलना में तृतीय पक्ष के निरीक्षण अपर्याप्त थे। एल.ओ.ए तिथियों की अपेक्षा इन घटी हुई संख्याओं को पूरा करने मे विलम्ब होते रहे। राज्यवार ब्यौरे **तालिका 22** में दिये गये है।

तालिका 22 : प्रथम स्तरीय सनुवीक्षण में अपर्याप्त विस्तार

क्रम सं.	राज्य का नाम	टिप्पणी
1.	**आंध्र प्रदेश**	ई.पी.डी.सी.एल. द्वारा अनुबंधित तृतीय पक्ष निरीक्षण अभिकरण (में गोदावरी इंजिनियर्स) ने कुल कार्यों के 10 प्रतिशतको भी समाविष्ट नहीं किया।
2.	**अरूणाचल प्रदेश**	पंपुमपरे में, एल.ओ.ए द्वारा अनुबधित शर्तो के विरूद्ध जिसमें कि गाँवों को अप्रैल 2010 तक समाविष्ट किया जाना था, उसमें से केवल 33 *प्रतिशत* (99 गाँवों में से 32 गाँव) का ही मार्च 2012 तक टी.सी.आई. एल. द्वारा निरीक्षण किया गया।
3.	**जम्मू और कश्मीर**	सितंबर 2012 तक,टी.पी.आई.ए 112 निवास–स्थानों में से केवल 38 निवास–स्थानों का निरीक्षण कर पाया जिन्हें जून 2012 तक निरीक्षित किया जाना अपेक्षित था।
4.	**झारखंड**	50 *प्रतिशत* गाँवों का प्रथम स्तरीय निरीक्षण दो चरणों में किया जाना अपेक्षित था पहला चरण 10 *प्रतिशत* गाँवों में आधार भूत संरचना की पूर्णता के बाद और दूसरा चरण 90 *प्रतिशत* गाँवों में कार्यों की समाप्ति के बाद। पश्चिम सिंहभूम में टी.सी.आई.एल. (सितंबर 2008 में नियुक्त) द्वारा 820 गाँवों का निरीक्षण किया जाना था जिसने 818 गाँवों में प्रथम स्तर का निरीक्षण किया। तथापि, दूसरे स्तर का निरीक्षण केवल 91 गाँवों में किया गया (मई 2012) इस प्रकार सितंबर 2008 से 44 माह की देरी के बाद भी टी.पी.आई का समापन केवल 11 *प्रतिशत* गाँवों में हो सका।
5.	**नागालैंड**	तीन जाँच–परीक्षित जिलों में टी.पी.आई.ए.एल.ओ.ए. (जून 2009) कीतिथि से 18 माह में 227 गाँवों को समाविष्ट करना था। अप्रैल 2012 तक, केवल 105 गाँव (लक्षित गाँवों का केवल 46 प्रतिशत) ही समाविष्ट हो सके। इन तीन जिलों में से दो में (वोखा और मोन) समाविष्टि क्रमशः सात *प्रतिशत* (64 में से 6 गाँव में) और 9 *प्रतिशत* (55 में से केवल 4 में) थी।
6.	**पंजाब**	पी.आई.ए. ने 55, 919 कनेक्शनों, और 2,683 वितरण ट्रांसफार्मर (25 के.वी.ए.) में से केवल 34, 651 (62 प्रतिशत) कनेक्शन और 193 (सात *प्रतिशत*) वितरण ट्रांसफार्मर निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाए।
7.	**सिक्किम**	कार्यक्षेत्र के अनुसार, वे गाँव जिनका प्रथम चरण में निरीक्षण किया गया थ उनका दूसरे चरण के दौरान दुबारा निरीक्षण होना था। फिर भी, लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध करवाए गए अभिलेखो के अनुसार टी.पी.आई.ए ने दूसरे चरण का निरीक्षण करते हुए प्रथम चरण में समाविष्ट गाँवों का निरीक्षण नहीं किया।

कुछ व्याख्यात्मक मामले जहाँ या तो रिपोर्टों को प्रस्तुत करने/न प्रस्तुत करने में काफी विलम्ब हुआ अथवा रिपोर्ट अपेक्षाओं के अनुसार नहीं थी उन्हे नीचे दर्शाया गया है:

- **छत्तीसगढ** में एल.ओ.ए के अनुसार टी.पी.आई.ए. रिपोर्ट को कार्य के अभ्यर्पण की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाना था। जाँच–परीक्षित जिलों से संबंधित चार निरीक्षण रिपोर्टें टी.पी.आई.ए. द्वारा तीन से पॉच माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई।
- **राजस्थान** में, रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा 'राइट्स'', एक सी.पी.एस.यू. को जे.वी. वी.एन.एल द्वारा 10वीं योजना के अंतर्गत कार्य के निरीक्षण हेतु टी.पी.आई.ए. के रूप में नियुक्त किया गया था। टी.पी.आई.ए ने केवल गाँव स्तर पर रिपोर्ट प्रस्तुत की और परियोजना के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- **उत्तर प्रदेश** में, कार्यान्वयन अभिकरणों (डिस्कॉम) द्वारा आर.आई.टी.ई.एस. विद्युत अनुसंधान और विकास संस्था (ईरडा) और (मीकोन) को टी.पी.आई.ए. के रूप में नियुक्त किया गया बार–बार विनती करने के बावजूद मिर्जापुर परियोजना की निरीक्षण रिपोर्ट (मीकोन) का छोड़कर इन अभिकरणों की निरीक्षण रिपोर्टें उपलब्ध नहीं करवाई गई।

चार राज्यों में टी.पी.आई.ए. निरीक्षणों की गुणवत्ता में भी कमियों को देखा गया जैसे कि **तालिका 23** दिखाया गया है।

तालिका 23 : टी.पी.आई.ए. निरीक्षणों की घटिया गुणवत्ता

क्रम संख्या	राज्य का नाम	निरीक्षण की मात्रा निरीक्षण की गुणवत्ता/त्रुटियों का संशोधन टिप्पणी के संबंध में
1.	**आंध्र प्रदेश**	एन.पी.डी.सी.एल में, तारों का प्रयोग खम्भ परियोजना के अस्वाराव पेट मंडल के अच्युतापुर गाँव में सभी जांच परीक्षित सेवाओं में घटिया गुणवता वाली सेवा किया गया। घटिया गुणवत्ता वालीसेवा तारों का प्रयोग का अपर्याप्त निरीक्षण का कारण पता न लग सका और वह कुछ ही दिनों में जल गई।
2.	**अरूणाचल प्रदेश**	टी.पी.आई.ए. ने बी.पी.एल निवास–स्थानों को सेवा कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराने पर कोई टिप्पणी नहीं की। मुख्य लाईन से तार में जोड़ लगा कर बिजली चोरी का भी समय पर पता नहीं लगा।
3.	**झारखंड**	एल.ओ.ए. (सितबर 2008) के अनुसार टी.सी.आई.एल. को सभी दस्तावेजों जैसे कि संविदा दस्तावेज, आर.ई.सी के विशेष विवरण दस्तावेज 'पर्ट' चार्ट,रेखाचित्रों आदि का निरीक्षण करना था। फिर भी 416 विद्युतीकृत गाँवों में दस्तावेजो जैसे कि रेखाचित्रों/नक्शों आदि के बिना निरीक्षण किया गया।
4.	**कर्नाटक**	एन.पी.टी.आई. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं थी क्योकि इंडी ब्लाक में इनके द्वारा सामने लायी गई मात्राओं में कमियॉ'हेसकाम' के एक दल के द्वारा किए गए क्षेत्र सर्वेक्षण में गलत पायी गई।

टी.पी.आई.ए. द्वारा प्रकाश में लाए गए दोषों की प्रतिक्रिया में की गई सुधारात्मक कार्यवाही में भूलों या कमियों का ब्यौरा **अनुलग्नक 14** में दर्शाया गया है।

बॉक्स 14 : बुनियादी स्तर पर पर्याप्त निरीक्षण का अभाव

धौलपुर, राजस्थान में, मैसर्स डी कंट्रोल लिमिटेड (फर्म) को 622 गांवों के विद्युतीकरण के लिए अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति करानी थी। ठेकेदार के दोष के कारण कार्य को बाद में रद् कर दिया गया। बाद के सत्यापन ने यह दर्शाया किया कि फर्म द्वारा ऐसे 122 गाँवों में कार्य किया गया था जो कि डी.पी.आर में समाविष्ट नहीं थे। ठेके की समाप्ति तक 17,284 कनेक्शनों के विरुद्ध, फर्म ने केवल 2775 कनेक्शन प्रदान किए जिनमें से 896 कनेक्शनों का विमोचन डी.पी.आर से परे चला गया।कार्य आदेश के अनुसार संबंधित नोडल अधिकारी सही गुणवता सामग्री की प्राप्ति सुनिश्चित करने और माप बही के सत्यापन के पश्चात् भुगतान करने की सलाह देने के लिए उत्तरदायी थे। डी.पी.आर. से परे कार्य का निष्पादन यह दिखाता है कि उत्तर दायी नोडल अधिकारीकार्य का निरीक्षण नहीं कर रहे थे।

ऐसी ही स्थिति **बिहार** के **कटिहार, सुपौल**, और **खगड़िया** जिलों में भी देखी गई जहाँ अनुमोदित डी.पी.आर के अनुसार गाँव के विद्युतीकरण का निष्पादन नहीं किया गया। इन जिलों के 59 गाँवों में अनुमोदित संख्या से 3,481 अधिक बी.पी.एल कनेक्शनों का विमोचन किया गया।

विद्युत मंत्रालय (अगस्त 2013) ने निष्कर्ष को स्वीकारा और कहा कि *"यह सत्य है कि ठेकेदार और पी.आई.ए. गुणक्ता। नियंत्रण नियमावली के समान गुणक्ता। आश्वासन के लिए कानूनी* दस्तावेजों *का निर्वाह* नहीं *कर सके।पी.आई.ए. को आवश्यक निर्देश जारी किए गए है कि उनके द्वारा गुणवत्ता आश्वासन प्रतिक्रिया के लिए उचित कानूनी दस्तावेजों का निर्वाह किया जाए।"*

6.2.2. द्वितीय स्तरीय निरीक्षण

द्वितीय स्तर पर आर.ई.सी द्वारा निरीक्षण कार्यो को विख्यात निरीक्षण अभिकरणों से आउट सोर्स अथवा आर.ई.सी गुणवता अनुवीक्षक (आर.क्यू.एम.) के रूप में पदनामित सेवानिवृत कर्मचारियों से करवाया जाना था। आर.ई.सी को महाप्रबंधक स्तर के कार्यपालक को आर.ई.सी.गुणवत्ता नियंत्रण संयोजक (आर.क्यू.सी.सी.) के रूप में पदनामित करना था। उन्हे आर.जी.जी.वी.वाई परियोजना के लिए गुणवत्ता नियंत्रण नियामावली के कार्यान्वयन का समन्वर्यकरण और निरीक्षण करना था। आर.ई.सी.दो चरणों में गुणवत्ता जाँच सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है जैसे कि **चित्र 11** में दिखाया गया है। निरीक्षण क्षेत्र गुणवत्ता योजना (एफ.क्यू.पी.) के अनुसार किया जाना था।

- **प्रथम चरणः** कार्यस्थल पर संपूर्ण परियोजना के 30 से 50 *प्रतिशत* कार्य की समाप्ति होने पर। इसमे यादृच्छिक रूप से चयनित पॉच *प्रतिशत* गाँव नमूने के रूप में होंगे।

- **दूसरा चरणः** तृतीय पक्षीय निरीक्षण अभिकरण (टी.पी.आई.ए.) के निरीक्षण की समाप्ति के बाद पी.क्यू.सी.सी. द्वारा अधिसूचित गाँवों में 90 *प्रतिशत* कार्य की समाप्ति के उपरांत यादृच्छिक रूप से चयनित 10 *प्रतिशत* गाँवों के सहित प्रथम चरण में निरीक्षित 5 *प्रतिशत* गाँव नमूने के रूप में होंगे।

दोनों चरणों में

- सभी परियोजनाएं एवं जिले एव सभी टर्नकी ठेकेदारों को शामिल करना था
- विद्युतीकृत एवं अविद्युतीकृत गाँवों को शामिल करना था।
- नमूने में जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र के गाँवों को शामिल करना था।

सब स्टेशनों का निरीक्षण

प्रथम चरण	**द्वितीय चरण**
• कम से कम एक नया सब स्टेशन • कम से कम एक सब स्टेशन का संवर्धन	• 25 *प्रतिशत* (कम से कम एक) नये सब स्टेशन प्रथम चरण में निरीक्षित सब स्टेशनसहित • पाँच *प्रतिशत* (कम से कम एक) संवर्धन सब स्टेशन प्रथम चरण में निरीक्षित सबस्टेशन सहित।

केवल द्वितीय चरण में

- 25 *प्रतिशत* निरीक्षित गाँवों में बी.पी.एल परिवारों का 100 *प्रतिशत* सत्यापन अर्थात् 2.5 *प्रतिशत* गाँव।
- गाँवों के प्रत्येक अर्थात 7.5 *प्रतिशत* गाँव में यादृच्छिक रूप से चयनित कम से कम पाँच बी.पी.एल. कनेक्शनो को निरीक्षण की तिथि तक उपलब्ध कराई गई कनेक्शनों की सूची में से सत्यापित किया जाना था।

चित्र 11: द्वितीय चरण अनुवीक्षण का क्षेत्र

अनुप्रबध संभाव्यता दूसरे चरण में गुणवत्ता एवं प्रभावक्ता में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयीं।

प्रथम चरण निरीक्षण:

- चार राज्यो में (**केरल, मिजोरम, पंजाब एवं सिक्किम**) प्रथम चरण निरीक्षण नहीं किया गया।

 विद्युत मंत्रालय ने (अगस्त 2013) उत्तर दिया कि "कार्य की धीमी भौतिक प्रगति के कारण, प्रथम चरण का निरीक्षण नहीं किया गया था"।
- पाँच राज्यो में (**बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय एवं नागालैंड**) प्रथम चरण निरीक्षण में 27 से 88 *प्रतिशत* की कमी पाई गई।

द्वितीय चरण निरीक्षण:

- नौ राज्यों में (**बिहार,जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान एवं सिक्किम**) द्वितीय चरण निरीक्षण नहीं हुआ/ एम.ओ.पी. ने उत्तर (अगस्त 2013) में कहा कि धीमी भौतिक प्रगति के कारण द्वितीय चरण निरीक्षण नहीं किया गया।
- ग्यारह राज्यों में (**असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल**) द्वितीय चरण निरीक्षण में 25 से 95 *प्रतिशत* की कमी थी।

यहाँ तक कि जहाँ पर निरीक्षण किये गये वे बहुत पहलुओं से अपूर्ण थे या अपर्याप्त दस्तावेजों के प्रमाण पाए गए थे। उदाहरणार्थ,

- **आन्ध्र प्रदेश** में, आर.ई.सी (क्षेत्रीय कार्यालय) हैदराबाद ने चयनित परियोजनओं में परिलक्षित गाँवों के 66.13 *प्रतिशत* से 93.06 *प्रतिशत* तक निरीक्षण किये, और यद्यपि 100 *प्रतिशत* बी.पी. एल कनेक्शनों की जाँच की जानी थी आर.ई.सी (क्षेत्रीय कार्यालय) हैदराबाद ने समापन प्रतिवेदन अपने मुख्यालय भेजने से पहले योजना के अंर्तगत बी.पी.एल कनेक्शनों की संम्पूर्ण विवरण सहित लिस्ट प्राप्त नहीं की थी।
- **नागालैन्ड** में, आर.ई.सी गुणवत्ता निरीक्षण दल द्वारा आच्छादन का *प्रतिशत* निर्देशित मानक से नीचे थे केवल 52 से 58 *प्रतिशत* परिलक्षित गाँवों को चयनित परियोजनाओं में आच्छादित किया जा सका।
- **मणिपुर** में, द्वितीय चरण के अन्तर्गत पूर्ण किये जा चुके थे 32 निरीक्षणों[89] के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने थे (अक्तूबर 2012)
- **सिक्किम** में, प्री शिपमेन्ट चरण में माल का निरीक्षण आर.ई.सी द्वारा जैसा ई.पी.डी द्वारा बतलाया गया है किया गया लेकिन जाँच के लिए कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया।
- **उत्तराखंड** में जैसा कहा गया था कि आर.ई.सी टीम ने योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों की जाँच की। हांलाकि दूसरी चरण की निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतिलिपियाँ एवं उनकी अनुपालना को प्रस्तुत नहीं किया गया।

आर.क्यू.एम निरीक्षण प्रतिवेदनों पर लिए गये सुधारात्मक कदम

- आर.क्यू.एम ने 11वी योजना में 98 नमूना जाँच परियोजनओं में 28 परियोजनाओं में कमियाँ पायी जबकि चार परियोजनाओं की त्रुटियों पूर्णतः सुधार दिया गया, तीन परियोजनाओं[90] की कमी को 16, 54 और 66 *प्रतिशत* तक सुधारा गया। आगे, 21 परियोजनाओं में, 30 सितंबर 2012तक कमियो को नहीं सुधारा गया था।

[89] पूर्वी इम्फाल,पश्चिमी इम्फाल,विष्णुपुर एवं धोवाल जिले
[90] बुलधाना, सिंधुदुर्ग और उत्तरी त्रिपुरा

एम.ओ.पी. ने बताया (अगस्त 2013) कि *''आवश्यकता से कम भौतिक प्रगति होने के कारण निरीक्षण नहीं किये गये थे। कमियो के सुधार के मसले पर ये कहा कि यह एक अनवरत प्रक्रिया है और पी.आई.ए के द्वारा की जाती है जिसकी आर.ई.सी. द्वारा निरन्तर निगरानी की जाती है इस प्रक्रिया को बदला नहीं जा सकता यद्यपि प्रमुख कमियां भी हो।''*

6.2.3. तृतीय की निगरानी

11वीं योजना में आर.जी.जी.वी.वाई. के विस्तारण के लिए एम.ओ.पी द्वारा सी.सी.ई.ए. को प्रस्तुत विवरण (दिसबंर 2007) के अनुसार तीसरे चरण की निगरानी को एम.ओ.पी द्वारा की जानी थी। तीसरे चरण की निगरानी की विस्तृत के संरचना को रूपरेखा **चित्र 10** में दिखाया गया है। हालाँकि एम.ओ.पी. ने जुलाई 2010 तक तृतीय चरण के मूल्याकंन के संबध में कोई कार्यवाही नहीं की।

एम.ओ.पी. ने बताया (मई 2013) कि *''11वीं योजना को फरवरी 2008 में अधिसूचित किया गया था एवं अधिकतर परियोजनाओं को मार्च–अप्रैल 2008 तक स्वीकृति दे दी गई थी एवं 2008–09 में प्रदान कर दिये गये थे। कुछ परियोजनाओं का कार्य 2010 में प्रदान दिया गया। गाँवों के विद्युतीकरण की 30 प्रतिशत की प्रारंम्भिक भौतिक प्रगति, के एन.क्यू. एम द्वारा प्रथम चरण निरीक्षण 2010 से दिखना आरम्भ हुआ। एम.ओ.पी. ने कहा (अगस्त 2013) कि 11वीं परियोजना के तीसरे चरण के निगरानी का यथार्थ निष्पादन एन.क्यू. एम. की नियुक्ति के समय से प्रभावित नहीं था, जोकि इस तथ्य से प्रमाणित है कि दो वर्ष का एन.क्यू.एम के ठेके को दूसरे चरण के निरीक्षण के लिए भौतिक प्रगति की आवश्यकतानुरूप बढ़ाना पड़ा था।''*

उत्तर को इस तथ्य के आधार पर देखना चाहिए कि आर.ई.सी (द्वितीय चरण की निगरानीके लिए जिम्मेदार) को ग्रामीण विद्युतीकरण के 30 *प्रतिशत* भौतिक प्रगति पश्चात् आर.क्यू.एम को नियुक्त करना था। आर.क्यू.एम. की नियुक्ति की प्रक्रिया को आर.ई.सी द्वारा जून 2008 में प्रारम्भ किया गया एवं आर.क्यू.एम की नियुक्ति जनवरी 2009 में प्रारम्भ हुई। हालांकि एम.ओ.पी ने अगस्त 2010 तक तीसरी चरण की निगरानी के अन्तर्गत जिम्मेदारी को निभाने के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की। आर.जी.जी.वी.वाई परियोजनाओं की दिशा निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं को इस दो वर्षों में पूर्ण करना था जैसे कि जो 2008 में संस्वीकृत किये गये उन्हे 2010 तक पूरा करना था। इस कालखण्ड के दौरान एम.क्यू.ए की नियुक्ति न करना दर्शाता है कि अतिआवश्यक निगरानी क्रियाकलापों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण स्तरों पर नहीं निभाया गया था।

- सी.सी.ई.ए के अनुमोदन के दो वर्षो से अधिक समय के उपरांत एम.ओ.पी ने अपनी जिम्मेदारी (अगस्त 2010) में एन.क्यू.एम की नियुक्ति के साथ आर.ई.सी को दे दी, जिसे एन.क्यू.एम की नियुक्ति की जिम्मेदारी दी। संयोगवश आर.ई.सी, आर.क्यू.एम (द्वितीय चरण) की निगरानी का दायित्व भी निभा रहा था। गुणवत्ता निगरानी (आर.क्यू.एम एवं एन.क्यू.एम) के दोनों स्तरों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना संभव नहीं था क्योंकि दोनों कार्य आर.ई.सी द्वारा किये जा रहे थे।

एम.ओ.पी. ने उत्तर (अगस्त 2010) दिया कि "चरण **II**–में आर.क्यू.एम एवं चरण–**III** में एन.क्यू.एम. को स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा था। प्रत्येक राज्य में अलग–अलग एजेंसियां समवर्ती मूल्याकंन/अनुश्रवण भिन्न चरणों में कर रही थी जिससे दोनों चरणों की समवर्ती मूल्यांकन की स्वतंत्रता को बनाए रखा गया। आर.ई.सी ने एक नोडल एजेंसीं होने के नाते केवल नियुक्ति, प्रगति की समीक्षा एवं इन स्वतंत्र एजेंसियों की अनुश्रवण को सुसाध्य बनाया था"।

उत्तर इस तथ्य को नहीं नकार सकता कि दोनों एजेंसियों को आर.ई.सी. द्वारा नियुक्त किया गया जबकि यह एम.ओ.पी की जिम्मेदारी थी कि एन.क्यू.एम. को नियुक्त करे जैसा कि सी.सी ई.ए. के विवरण में था। इन जिम्मेदारियों के वियोजन से आर.जी.जी.वी.वाई. के अन्तर्गत परियोजनाओं के केवल अनुश्रवण की प्रभावशीलता एवं गुणवत्ता नियंत्रण संरचना को आर.जी.जी.वी.वाई के अन्तर्गत परियोजनाओं को बढ़ाया।

एम.ओ.पी के स्तर पर तीसरे चरण की अनुश्रवण का लेखापरीक्षा के महत्व को समापन सम्मेलन (सितंबर 2013) में व्यक्त किया गया और इस पर यह सहमति हुई कि एम.ओ.पी आर.ई.सी के बजाय अपने स्तर पर तीसरे चरण के निरीक्षण के लिए स्वतंत्र एजेंसियों की नियुक्ति करेगा।

एन.क्यू.एम द्वारा उल्लेखित विसंगतियों पर सुधारात्मक कार्यवाही में पाई गई निम्नलिखित महत्वपूर्ण त्रुटियों को इंगित किया जा रहा है:

- **बिहार** में, (पश्चिम चंपारन जिले का पिपरिया गांव) में तृतीय चरण परीक्षण में पाया गया कि ठेकेदार ने ए.सी.एस.आर वीज़ल कडंक्टर एवं तार में प्रतिवेदित गुणवत्ता से कम काम किया था। इन विसंगतियों को अभी भी सही किया जाना (अक्तूबर 2012) बाकी था।

- **आसाम** में (कारबी, एंगलौंग) 11 केवी एच.टी. लाइन, 3 फेज, 4 तार ऊपरी तारों, 1 फेज 2 तार ऊपरी तारें, माल का अल्प उपयोग, स्टील टैबुलर के स्थान पर पी.एस.सी खम्बों के निर्माण के निष्पादन आदि में विसंगतियाँ पाई गई।

एम.ओ.पी ने बताया (फरवरी 2013) कि "एन.क्यू.एम. के अन्तर्गत निरीक्षणों की प्रगति का नियमित रूप से निगरानी समिति के साथ विचार हुआ परन्तु एन.क्यू.एम. के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श नहीं हुआ"। एम.ओ.पी. ने आगे कहा (अगस्त 2013) कि "एन.क्यू.एम द्वारा उल्लेखित कमियों को सुधारने के लिए आर.ई.सी. ने पी.आई.ए. के साथ नियमित रूप से अनुसरण किया इन कमियों के शीघ्र अनुपालन के लिए नियमित रूप से पत्र लिखे गये।

उत्तर केवल एन.क्यू.एम के प्रतिवेदनों को एम सी बैठकों व दूसरे उच्च स्तर पर विचार विमर्श न करने के गलत प्रभावों को रेखांकित करता है जिसे सही ढ़ंग से करने पर एम.ओ.पी./पी.आई.ए. को ठेकेदार एजेंसियों के निष्पादन में सुधार एवं समय पर सुधारात्मक कदम उठाने के अवसर प्रदान कर सकता था।

6.3. प्रबंधन सूचना प्रणाली

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी) की सहायता से 2005 में आर.ई.सी ने आर.जी.जी.वी.वाई के लिए वेब आधारित एम आई एस के विकास की एक प्रक्रिया की शुरुआत की। एन.आई.सी. ने चरणबद्ध तरीके से आर.ई.सी को सॉफ्टवेयर सौंपे। पहला सम्पूर्ण सॉफ्टवेयर को (जून 2006) में सौंपा गया। वेब आधारित एम.आई.एस चलने के लिए केवल जनवरी 2008 में ही तैयार हो सका था, परंतु वास्तविक रूप से यह 10वीं प्लान के अंतिम दो वर्षो के बाद (मई 2008) में लांच हो पाई, जिस दौरान 235 आर.जी.जी.वी.वाई. परियोजनाओं को क्रियान्वयन के लिए मंजूरी दी गई थी। तब तक, 151 परियोजनाओं के लिए क्रियान्वयन का निर्धारित समय, जो कि अवार्ड प्रदान करने के दो वर्षों के बाद माना जाता था समाप्त हो चुका था। इस प्रकार, परियोजनाओं के लिए समग्र एम.आई.एस के लाभ केवल 10वीं योजना की समाप्ति के बाद उपलब्ध हो पाए।

एम आई.एस. के डॉटा के अधिग्रहण एवं उन्नयन में निम्नलिखित कमियां पाई गई:

6.3.1. एम.आई.एस. द्वारा अभिग्रिहित डॉटा फील्ड

एम.आई.एस. में डॉटा अभिग्रहण की सुविधा नहीं थी जो कि विश्लेषण निष्पादन में उपयोगी होती और क्रियान्वयन की स्थिति को उच्च प्रबंधन को अवगत करती, जो निम्नलिखित है:

- जहाँ पर एम.आई.एस ने आर.जी.जी.वी.वाई के अन्तर्गत विद्युतीकृत गाँवों की सूची एवं अन्य मानको को दर्शाया परन्तु उन गाँवों में विकसित आधारभूत संरचना का विवरण अपूर्ण था।
- तिथि वार जारी की गई किस्तों का विवरण एवं पी.आई.ए. द्वारा खर्च का लेखा उपलब्ध नहीं था।
- निम्नलिखित विवरण भी उपलब्ध नहीं थे:
 - पी.आई.ए. द्वारा आर.ई.सी. को डी.पी.आर. प्रस्तुत करने की तिथि
 - डी.पी.आर. के मूल्यांकन एवं सक्षम पदाधिकारी को प्रस्तुति की तिथि
 - एन.आई.टी जारी करने की तिथि
 - निविदा खोलने की तिथि
 - निगरानी समिति को सिफारिश करने की तिथि
 - प्रथम किस्त जारी करने की तिथि
 - संशोध(नों) की तिथि(याँ)
- परियोजनाओं से संबंधित वे डॉटा जो बीच में बंद किये गए/छोड़ दिये गये/समाप्त किये गये/मध्य में रोके गये थे, नहीं मिल सके।
- विद्युतीकरण के पश्चात ऊर्जीकृत गाँवों की संख्या उपलब्ध थी जबकि अन्य जानकारियाँ जैसे विद्युतीकरण की तिथियाँ, ऊर्जाकरण की तिथियाँ आदि के साथ सभी विद्युतीकृत गाँवों की सूची आदि उपलब्ध नहीं थी।
- राज्य एवं जिला स्तरीय समन्वय समितियों की बैठकों का निष्कर्ष एवं इन बैठकों में लिए गये निर्णयों के अनुपालन का विवरण उपलब्ध नहीं था।

विद्युत मंत्रालय ने (अगस्त 2013) कहा कि "2006 के अंत से वेब पोर्टल परिचालन में था। हालाँकि उद्घाटन कार्यक्रम पोर्टल विज्ञापित करने के लिए मई 2008 में हुआ जबकि यह किसी भी सर्च इंजन से उपलब्ध था एवं सभी लाभार्थी इसका उपयोग कर रहे थे"।

उपरोक्त अनियमित्तायें केवल इस बात की ओर इशारा करती हैं कि एम आई एस परिष्करण और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

6.3.2. सूचना प्रबंधन प्रणाली में उपलब्ध आँकड़े

यद्यपि अनेक प्रकार के डॉटा को अभिग्रहण करने के प्रावधान थे, परन्तु आर.ई.सी द्वारा 576 परियाजनाओं के संबंध में उपलब्ध कराये गये एम.आई.एस डॉटा में कुछ कमियाँ थी।

- 460 आर.जी.जी.वी.वाई परियोजनाओं में लागत में संशोधन से संबंधित डॉटा का अध्यतन नहीं किया गया।
- पाँच परियोजनाओं में मंजूरी एवं कार्य सौंपने की तिथि रिक्त थी।

- प्रदान की तिथि को 59 मामलों में अद्यतन नहीं किया गया।
- दो परियोजनाओं मिजोरम का लुंगलेई जिला (10वीं योजना) एवं राजस्थान का बाड़मेर जिला (11वी योजना) में मंजूरी की तिथि रिक्त थी।

एम.आई.एस में उदाहणार्थ कमियों को **तालिका 24** में उल्लेखित किया गया है।

तालिका 24: एम.आई.एस आँकड़ों में त्रुटियाँ

क्रम संख्या	मद का नाम	एम. आई.एस के अनुसार अपनाई गई संख्या के अनुसार तिथि 31 मार्च 2012 तक (सैट 1)	एम.आई.एस के अनुसार अपनाई गई संख्या के अनुसार तिथि 31 मार्च 2012 तक (सैट 2)
1.	यू.ई/डी.ई का संशोधित विस्तारण	1,10,886	1,10,809
2.	विद्युतीकृत गाँवों की संचित उपलब्धि	2,47,243	2,48,553
3.	2011–12 के दौरान विद्युतीकृत गाँवों की उपलब्धि	57,654	58,964
4.	बी.पी.एल घरों की संचित उपलब्धियां	1,94,24,785	1,94,25,283
5.	2011–12 के दौरान बी.पी.एल घरों की संचित उपलब्धियां	34,44,404	34,44,902

विद्युत मंत्रालय ने (अगस्त 2013) अपना उत्तर दिया कि "आर.जी.जी.वी.वाई का प्रारम्भिक एम.आई.एस. (31 मार्च 2012) यू.ई. गाँवों के संशोधित विस्तारण में वृद्धि के कारण संशोधित किया। जैसे उत्तराखंड के संबंध में 1434 से 1511 अर्थात 77 अविद्युतीकृत गाँव की वृद्धि जोकि 31 मार्च 2012 के संशोधित एम.आई.एस में शामिल किया गया था एवं अन्य सभी राशियां वही थी"।

दिया गया उत्तर अविद्युतीकृत गाँवों जैसा कि ऊपरी तालिका 24 में इंगित है अतिरिक्त अन्य मदों में अन्तरों की व्याख्या नहीं करता है।

6.4. राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.) एवं जिलास्तरीय समन्वय समिति (डी.एल.सी.सी.)

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 166 के अनुसार, उपयुक्त सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक समिति नियुक्त होगी जो कि प्रत्येक जिले में विद्युतीकरण के विस्तारण का समन्वन व समीक्षा करेगी एवं आपूर्ति बिजली की गुणवत्ता, उपभोक्ताओं के संतोष की समीक्षा करेगी एवं इसकी कार्यक्षमता एवं संरक्षण को सुधारेगी। एम.ओ.पी (मई 2008) ने कहा कि तरह तरह की अड़चनों के कारण परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा नहीं किया जा सका। परियोजनाओं का अच्छी गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करना चाहिए। एम.ओ.पी. ने पुनः (मई 2008, जुलाई 2009 एवं सितम्बर 2009) भागीदार राज्यों का इन समितियों के गठन के लिए आह्वान किया, जिसमें गृह मामलो का विभाग, राजस्व एवं उत्पाद, आर.ई.सी. एवं लोक प्रतिनिधियों के भी प्रतिनिधि[91] शामिल हो और महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए उत्तरदायित्व को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक परियोजना/जिले की महीनेवार परियोजना की प्रगति की समीक्षा एवं उपलब्ध जबावदेही के लिए जिले में बैठकें आयोजित करें। यह भी सुझाव दिया गया कि

[91] एम.पी, एम.एल.ए, एन.जी.ओ., अध्यक्ष जिला परिषद

कार्यान्वयन के मामले एवं समस्याएं जो कि जिला स्तर समितियों द्वारा न ही सुलझायी जा सकी हो, मुख्यसचिव की अध्यक्षता में गठित एल.एल.सी.सी द्वारा सुलझाया जा सके"।

जहां उत्तराखंड में एस ल सी सी की कोई मीटिंग नहीं हुई वही 11 राज्यों[92] में सिर्फ पाँच में से एक मीटिंग हुई थी।

हालाँकि, डी.एल.सी.सी **तालिका 25** में निर्धारित समय की तुलना में कभी–कभी ही मिली थी।

तालिका 25 : डी एल सी सी की मीटिंग का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	डी.एल.सी.सी. के गठन की तिथि	वर्ष मे होनी वाली अनिवार्य मीटिंग की न्यूतम संख्या	डी.एल.सी.सी. की स्थापना से अब तक हुई मीटिंग की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	7*	05.03.05	84	21
2.	अरूणाचल प्रदेश	2*	गठित नहीं किया गया (मार्च 2013 तक)	24	शून्य
3.	बिहार	13*	06.07.04	156	6
4.	छत्तीसगढ़	5*	10.03.04	60	06
5.	गुजरात	25	25.07.07 से 18.08.11	300	93
6.	हरियाणा	5*	01.09.05	60	01
7.	हिमाचल प्रदेश	4*	23.06.05	52	5
8.	जम्मू एवं कश्मीर	3*	02.02.06	36	19
9.	केरल	4*	12.06.08	48	18
10.	कर्नाटक	7*	दिसंबर 2005	84	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	3	शून्य	36	05
12.	मेघालय	7	14.10.04	84	48
13.	मिजोरम	8	25.04.06	96	12
14.	नागालैण्ड	3*	18.10.05	36	9
15.	पंजाब	5*	25.08.06	60	32
16.	सिक्किम	4	16.09.06	48	07
17.	उत्तराखंड	13	10.09.04	156	47
18.	तमिलनाडु	7*	11.08.2008 से 08.12.2009	84	03
19.	त्रिपुरा	2	23.12.05	24	कोई भी अलग से बैठक नही हुई
20.	पश्चिम बंगाल	11*	05.05.09	396	187

* नमूने मे ली गई परियोजनाओं

[92] अरूणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महराष्ट्रा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड़ एवं सिक्किम।

यह दर्शाता है कि राज्य परियोजनाओं के कार्यवन्यन में आने वाली रुकावटों को दूर करने और आर.जी.जी.वी.वाई. के प्रभाव में सुधार हेतु डी.एल.सी.सी./एस.एल.सी.सी. की मीटिंग करने हेतु गम्भीर नही थे।

नागालैंड से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्ति को विद्युत मंत्रालय ने स्वीकारा (अगस्त 2013), परंतु त्रिपुरा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल एवं गुजरात के संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और शेष राज्यों के संबंध में कोई भी उत्तर नहीं दिया।

सिफारिश

आर 6: एम.ओ.पी द्वारा राज्य स्तरीय समन्वय समितियों की बैठकों के समीक्षा परिणामों को नियमित रूप से एक निश्चित तिथि तक राज्यों के मुख्य सचिवों से माँगा जाए। त्रुटियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाये जिससे कि क्रियान्वयन की प्रभावशीलता को बढ़ाने व परिणामों को प्राप्त करने के मायनों में यह प्रयास अपेक्षित परिणाम दे।

मार्च 2012 को राज्यवार अविद्युतीकृत गाँवों को विद्युतीकृत लक्ष्यों व उपलब्धियों, ग्रामीण आवासीय विद्युतीकरण लक्ष्य व उपलब्धियां, और बी.पी.एल. आवासों का विद्युतीकरण लक्ष्य व उपलब्धियां क्रमशः अनुलग्नक 15, 16 और 17 में दशाई गई है।

आर.जी.जी.वी.वाई. आवासों एवं सभी गांवों या आवासों को विद्युतीकरण करने के अपने लक्ष्य को मार्च 2010 तक और 24 महीनों (मार्च 2012 तक) की देरी के बावजूद भी प्राप्त नहीं किया था।

इसके अलावा, आर.जी.जी.वी.वाई. के लक्ष्यों में ग्रामीण विकास परियोजनाओं को बढ़ाना, रोजगार उत्पन्न करना एवं गरीबी को, आई.टी., शिक्षा, स्वास्थय सेवा, शीत चेन गांव एवं खादी उद्योग लघु उद्योग, सिंचाई इत्यादि के माध्यम से खत्म करना था। विद्युत मंत्रालय ने अनिवार्यता का कोई विशेष अध्ययन नहीं किया था। इस प्रकार, विद्युत मंत्रालय के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं था जिससे मालूम किया जा सके क्या वास्तव में आर जी जी वाई कि परिणामी लाभ प्राप्त हुए हैं।

विद्युत मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए बताया (अगस्त 2013) कि "उन्होंने आर.जी.जी. वी.वाई. के अंतर्गत विभिन्न मापदंडों के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सभी ठोस प्रयत्न किए थे। यद्यपि पी. आई.ए. द्वारा ठेके देने में देरी, पी.आई.ए. को राज्यों द्वारा बी.पी.एल. सूची देने में देरी, अपर्याप्त परियोजना प्रबंधन क्षमता इत्यादि के कारण उपलब्धि प्राप्त करने में बाधा आई।

बॉक्स 15: उत्तर प्रदेश – बी.पी.एल. कैनक्शनों को जारी न करना

186 गांवों में, सात परियोजनाओं (इलाहाबाद, बाराबंकी, इटावा, जालौन, कानपुर नगर, कौशाम्बी और ललितपुर) में बी.पी.एल. के 1141 कनेक्शन दिए जाने की योजना थी। इन गांवों में बिजली की आपूर्ति हेतु अवसंरचना के विकास पर ₹ 12.94 करोड़ की लागत के बावजूद जैसे इन गाँवों में बिजली की आपूर्ति हेतु लाईन और ट्रांसफार्मरों, के बावजूद, कोई बी.पी.एल. कनेक्शन नहीं दिया गया था (सितम्बर 2012)

7.2. ए.पी.एल. परिवारों को शामिल न करना

31 मार्च 2012 तक, देश में 5.46 करोड. ए.पी.एल. परिवारों के एवज में केवल 1.83 करोड़ ए.पी.एल. परिवार के विद्युतीकरण के लिए लक्ष्य एवं मंजूर विस्तारण किया गया था।

- 31 मार्च 2012 तक केवल 24.24 लाख ए.पी.एल. परिवारों को बिजली प्रदान की गई थी। अतः केवल 4.43 *प्रतिशत* अविद्युतीकृत ए.पी.एल. आवासों को बिजली प्रदान की गई थी।
- जबकि 25 राज्यों में से 23 में, 10वीं योजना में ए पी एल आवासों के स्वीकृत लक्ष्यों के 50 *प्रतिशत* से भी कम बिजली प्रदान की गई थी। 11वीं योजना में 25 में से 24 राज्यों में, ए.पी.एल. के स्वीकृत क्षेत्र (लक्ष्यों) के 50 *प्रतिशत* से भी कम बिजली प्रदान की गई थी।
- दसवी योजना के दौरान, 15 राज्यों[94] में एक भी ए पी एल आवास को बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया था। इसी प्रकार, ग्याहरवी योजना के दौरान, 11 राज्यो[95] के किसी भी एपीएल आवास को बिजली प्रदान नहीं की गई थी।

[94] असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, मणिपुर, मेधालाय, मिजोरम, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

विद्युत मंत्रालय (अगस्त 2013) ने कहा कि ''ए.पी.एल. लाभ्यार्थियों को कनेक्शन देने से सम्बधित सूचना जिन्हे सामान्यता आर.जी.जी.वी.वाई. योजना के पूरा होने के पश्चात् जारी किया जाता है, डिस्कोम ने आर.ई.सी. को नहीं भेजी और परिणामतः आर.जी.जी.वी.वाई. के एम आई एस में नहीं लिया गया। इसके अलावा ए.पी.एल. आवासों को कनेक्शन जारी करने के आंकड़े दर्शाये थे वे वास्तिवकता को नहीं दर्शाते क्योकि अधिकतर राज्यों ने सूचना नहीं भेजी थी''।

विद्युत मंत्रालय का उत्तर संकेत करता है कि पी.आई.ए. और आर.ई.सी. के बीच समन्वय की कमी थी। यह भी दर्शाता है कि एम.आई.एस., आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत दर्शायी, ए.पी.एल. आवासों कवरेज के संदर्भ में सही स्थिति नहीं बताता है।

7.3. वितरण एवं उत्पादन विकेन्द्रिकरण परियोजनाओं का लागू न होना

मार्च 2005 में, आर.जी.जी.वाई. ने उन गांवों में जहाँ ग्रिड संबंधता या तो व्यहार्य नहीं थी या लागत प्रभावी नही थी और जहाँ अपरंपरागत ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.), 25,000 गाँव का, सुदूर ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम[96] के अंतर्गत अपरम्परागत ऊर्जा स्त्रोत से बिजली प्रदान नहीं की जानी थी, डी.डी.जी. परियोजनाओं को शुरू किया। डी.डी.जी. को पारंपरिक या नवीकरण या अपरम्परागत उर्जा स्रोत जैसे बायोमास, जैव ईधन, बायोगैस, लघुजल, भूतापीय, सौर इत्यादि, स्त्रोतों द्वारा लागू करना था। भारत सरकार से 90 *प्रतिशत* सहायता और 10 *प्रतिशत* ऋण वित्तीय संस्थानों से या राज्यों की अपनी निधि से या आर.ई.सी., से दी जानी थी। आर.जी.जी. वी.वाई. के अंतर्गत डी.डी.जी. परियोजनाओं को स्वीकृत करते समय, आर.जी.जी.वी.वाई. की मॉनीटीरिंग कमेटी को किसी प्रकार की पुर्नवृत्ति से बचने के लिए एम.एन.आर.ई. से समन्वय की उम्मीद थी।

जबकि डी.डी.जी. मार्च 2005 में शुरू हुई, विद्युत मंत्रालय ने ग्यारहवीं योजनाओं के आर.जी.जी वी.आई. के चलते 2008 में इसी प्रकार की परियोजनाओं हेतु ₹ 540 करोड़ का प्रावधान किया था। यह प्रावाधान, डी डी जी परियोजनाओं के अंतर्गत शुरू होने वाले संभावत परियोजनाओं की कुल संख्या बताए बिना ही किया था। गाँवों की स्पष्ट सूची/चयन जहां डी.डी.जी. परियोजनाएं होनी थी, वह भी उपलब्ध नही थी।

जबकि 18 मार्च 2005 को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी शुरुआती मार्गदर्शिका में निहित था कि डी.डी.जी. परियोजनाओं को स्कीम की अधिसूचना की तिथि मार्च 2007 से दो वर्षों के भीतर कार्यान्वित की जाएगी, फिर भी पहली परियोजना केवल जुलाई 2010 में स्वीकृत हुई थी।

इसके अलावा, जनवरी 2008 में, डी.डी.जी. परियोजनाओं हेतु पूंजीगत सहायता के प्रावधान को अनुमोदित करते समय सी.सी.ई.ए. नोट में बताया गया स्कीम को स्वीकृति के एक महीने के अंदर तथा डी.डी.जी. परियोजना की मार्गदर्शिका जारी करनी थी और कार्यावन्वन को 2012 तक पूरा किया जाना था। फिर भी, विद्युत मंत्रालय ने डी.डी.जी. मार्गदर्शिका को जारी करने में एक वर्ष का समय लिया अर्थात् जनवरी 2009।

विद्युत मंत्रालय ने जवाब में बताया (फरवरी 2013) कि *''यह एक नई योजना थी जिसे उपयुक्त दिशा निर्देश की आवश्यकता थी। इसके लिए राज्यों के साथ परामर्श की आवश्यकता थी और परामर्शता के*

[95] असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, केरल, मणिपुर, मेद्यालय, मिजोरम, ओडीसा, पंजाब और त्रिपुरा

[96] आदेश सं. 44/19/2004/डी (आर ई) दिनांक 18 मार्च 2005

बाद, अत्तः 12 जनवरी 2009 को दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया। आगे, यह भी बताया कि डी.डी.जी. *हेतु निधि जारी करने की आवश्यकता 2011–12 में पड़ी''। विद्युत मंत्रालय ने आगे बताया (अप्रैल 2013) कि 12 जनवरी 2009 में* डी.डी.जी. *की मार्गदर्शिका जारी की गई थी और संशोधित मार्गदर्शिका 5 जनवरी 2011, 17 मार्च 2011, तथा 18 मार्च 2011 में जारी की गई। इन मार्गदर्शिका में, कहीं भी* डी.डी.जी. *को दो वर्ष में पूरा होना था, उल्लेखित* नहीं *था। इसमें कहीं भी राज्यवार और लागत वार कोई विशिष्ट लक्ष्य भी नहीं थे।''*

विद्युत मंत्रालय ने डी.डी.जी. मार्गदर्शिका को बार–बार संशोधित किया जो बताता है कि एम.ओ.पी. खुद भी डी.डी.जी. परियोजनाओं के बारे में स्पष्ट नहीं थी। आगे, सी.सी.ई.ए. के नोट में एम.ओ.पी. के अपने प्रस्तावो में इन परियोजनाओं को दो वर्षों में पूरा होना था।

इसे, इस तथ्य के साथ देखने की आवश्यकता है कि जबकि परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया था परन्तु फरवरी 2013 तक कोई निधि वितरित नहीं की गई थी। 2011–12 से विद्युत मंत्रालय ने अपने लक्ष्य ''कार्यावन्यनित होनी वाली परियोजनाओं'' को ''संख्या से दी जाने वाली निधि की राशी'' में परिवर्त्ति कर दिया था। 2011–12 में, डी.डी.जी. परियोजनाओं को 150 करोड़ के स्वीकृत लक्ष्य के विपरीत ₹ 151.85 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया था। 2012–13 में, डी.डी.जी. के स्वीकृरण एवं वितरण हेतु लक्ष्य क्रमशः रू 300 करोड़ एवं रू 100 करोड़ थे। 2012–13 के लक्ष्यों के, विद्युत मंत्रालय ₹ 7.58 करोड़ की परियोजनाओं को ही स्वीकृत कर पाया था, परंतु फरवरी 2013 तक कोई निधि वितरित नहीं की गई थी।

31 मार्च 2012 को, आर.ई.सी. द्वारा उपलब्ध एम आई एस आंकड़ो से यह पता लगता है कि 2010 तक, डी.डी.जी. की 263 परियोजनाओं में संयुक्त राशि ₹ 264 करोड़ स्वीकृत की गई थी। जबकि डी.डी.जी. हेतु निधि को जारी करने की आवश्यकता 2011–12 में पड़ी थी, मामला विद्युत मंत्रालय (फरवरी 2013) में विचाराधीन था जोकि डी.डी.जी. परियोजनाओं के परिचालन में गंभीरता की आवश्यकता को दर्शाता है।

विद्युत मंत्रालय ने निर्गम संगोष्ठी (सितम्बर 2013) में बताया कि डी.डी.जी. परियोजना का विस्तार पहले से हुए विद्युतीकृत गांवो को सम्मिलित करने के लिए करा गया था बिजली आपूर्ति जहां बिजली आपूर्ति दिन में छः घंटों से कम थी। इसके अतिरिक्ति, गांव जहां ग्रिड संबंधता या तो व्यावहारिक नहीं थी या लागत प्रभावी नहीं थी। यह, डी.डी.जी. को अधिक व्यावहार्य बनाने के लिए परियोजना विकास कर्ताओं को, आंशिक विद्युतीकृत गांवों और अविद्युतीकृत गाँवों दोनों के सनिहित समूहों को सम्मिलित करने की अनुमति दी।

फिर भी तथ्य यही रहा कि डी.डी.जी. परियोजनाओं पर केन्द्रित अभिगम अनुपस्थिति/गायब थी और जो परियोजनाएं (अर्थात् 2007 तक) पूरी की जानी थी वह अभी (फरवरी 2013) तक शुरू भी नहीं हुई थी।

7.4. विद्युतिकृत गांवों की असक्रियता

योजना का वास्तविक लाभ ग्रामीण जनता को केवल तभी मिल सकता है जब उनके आवास में विद्युत प्रवाह और वास्तविक सक्रियता के लिए अवसंरचना का सृजन हो। 31 मार्च 2012 तक, अविद्युती/विद्युती गांवों के विद्युतीकरण हेतु संचित उपलब्धी 1,04,496 थी। जबकि, 31 मार्च 2012 तक, दसवी और ग्यारहवी योजना अवधि के दौरान, 1,04,496 गांवों में विद्युतकरण में से केवल 94,932 गांवों में ही वास्तव में बिजली चालू की गई थी। अतः दसवीं योजना के परियोजनाओं में शत *प्रतिशत*

सक्रियता प्राप्त नहीं की गई थी जबकि योजना की समाप्ति को पांच वर्ष बीत चुके थे। ग्यारहवीं योजना परियोजनाओं के मामले में, आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत 80 *प्रतिशत* गांव के विद्युतीकरण को योजना अवधि के अंत तक सक्रिय किया गया था।

यद्यपि, बुनियादी ढांचे को उन राज्यों में स्थापित किया गया था जो राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के आरंभ होने पर विद्युतीकरण में पीछे रह गये थे, लेकिन ऊर्जीकरण की प्रगति की आवश्यकता थी। उदाहरणार्थ 11वीं योजना अवधि के दौरान अरूणाचल प्रदेश में विद्युतीकृत गाँवों को केवल 26.96 *प्रतिशत* ऊर्जीकृत किया गया था तथा मिजोरम में विद्युतीकृत गाँवों को केवल 35.48 *प्रतिशत* ऊर्जीकृत किया गया।

आर.जी.जी.वी.वाई. परियोजनाओं पर आर.ई.सी. की एम आई एस रिपोर्ट के अनुसार, 10वीं तथा 11वीं योजना के दौरान 398 तथा 277 उप–केन्द्रों मे से केवल क्रमशः 360 तथा 80 उप–केन्द्रों को ही चालू किया गया (मार्च 2012)।

विद्युत मंत्रालय ने वक्तव्य दिया (मई 2013) कि ऊर्जीकरण में अंतराल के मुख्य कारण 33/11 के.वी. उप–केन्द्रों की अपूर्णता, रास्ते के अधिकार की समस्या, रेलवे अनापत्ति प्राप्त करने में देरी आदि थे। विद्युत मंत्रालय ने आगे जवाब दिया (अगस्त 2013) कि *"एक गाँव की पूर्णता एवं उसके ऊर्जीकरण करने में 3 महीने को समय अंतराल है तथा 3 महीने के अंतराल के मद्देनजर 31 मार्च 2012 तक 9564 की बजाय 5985 गाँवों के ऊर्जीकरण का अंतर है।"*

विद्युत मंत्रालय का जबाब इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि 3 जून 2010 को हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में पहले से पूर्ण गाँवों को जून 2010 तक और कार्य समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर ऊर्जीकृत किया जाना प्रस्तावित था। पूर्ण गाँवों को ऊर्जीकृत नहीं किये जाने के कारण अभीष्ठ लाभार्थियों को मिलने वाला विद्युतीकरण का वास्तविक लाभ विलम्बित हो जाता। आगे, ऐसे विलम्ब से नये स्थापित बुनियादी ढांचे की चोरी तथा गुणह्रास करे बढ़ावा मिल सकता है।

7.5. राजस्व स्थिरता

आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत पी.आई.ए. को विद्युतीकरण के मूलभूत ढाँचों के विकास हेतु निधि प्रदान की गई थी। आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत निर्मित इन मूलभूत ढाँचों को बनायें रखने के क्रम में एवं विद्युत आपूर्ति[97] की अबाधित गुणवत्ता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक था कि परियोजना लम्बे समय तक राजस्व रूप मे स्थिर हो। इसके स्थान पर राजस्व स्थिरता को सुनिश्चित करने के क्रम में यह महत्वपूर्ण होगा कि एक व्यवाहार्ययुक्त वाणिज्यिक प्रक्रिया हो जिससे विद्युत आपूर्ति किये जाने की कीमत वसूल की जाती एवं राजसहायता निर्गत की जाती। 18 मार्च 2005 एवं 6 अगस्त 2008 को एम.ओ.पी. के द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों मे विशेष रूप से उल्लेखित था कि योजना के कार्यान्यवन के लिये राजस्व स्थिरता एवं फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति, की दो महत्वपूर्ण शर्ते थीं। एम.ओ.पी. ने इन मुद्दों को आर.जी.जी.वी.वाई. के कार्यान्वयन हेतु जारी दिशानिर्देशों को निम्नलिखित प्रावधानों के साथ समाविष्ट करते हुए संज्ञान में लिया

- फ्रेंचाइजियों के लिये थोक आपूर्ति प्रशुल्क का इस प्रकार निर्धारण हो ताकि वाणिज्यिक व्यहवारता सुनिश्चित हो

[97] योजना के अन्तर्गत विकासित मूल ढाँचे के रखरखाव की लागत सम्मिलित

- राज्य सरकारों द्वारा इलेक्टिसिटी एक्ट, 2003 के अन्तर्गत एस.पी.यू. को आवश्यक सब्सिडी का प्रावधान।

फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा समझा गया था कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) ने चेतावनी दी (27 नवम्बर 2006) कि तय व्यवस्था को लाये बगैर योजना राज्य विद्युत बोर्डो (कार्यान्यवन एजेंसियाँ) को (आगे) अतिरिक्त वित्तीय अवसाद/संकट में धकेल देगी। वास्तव में एम.ओ.एफ. का मत था कि उस समय तक आर.जी.जी.वी.वाई. के कार्यान्यवयन के संदर्भ मे, राजस्व स्थिरता एवं उपयुक्त फ्रेंचाइजी (प्रणाली) के प्रमुख मुददे जो ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य क्रम के मुख्य स्तंभ के रूप में तय किये गये थे, कही भी संज्ञान में नहीं लाये गये।

उर्पयुक्त दोनों शर्तों को 10वीं योजना (2002–2007) तथा 11वीं योजना (2007–2012) के कार्यान्यवन में उपयुक्त ढंग से संज्ञान में नहीं लाया गया।

एम.ओ.पी. ने जवाब दिया (अगस्त 2013) कि *"मंत्रालय ने प्रस्तावित किया है कि फ्रेंचाइजी के परिनियोजन की शर्त को आर.जी.जी.वी.वाई. की दसवीं एवं ग्यारहवी योजनाओं तथा (आर.जी.जी.वी.वाई. की बाद के प्लान) बारहवीं योजना में भी आवश्यक न बनाया जायें। इसे सी.सी.ई.ए. के द्वारा स्वराकृति भी दे दी गई है।"*

जवाब का इस तथ्य के सापेक्ष अवलोकन किया जाना आवश्यक है कि फ्रेंचाइजी का मुद्दा स्पष्ट रूप से विस्तृत विचार विमर्श के बाद इन्हें ग्रामीण विद्युतीकरण के मुख्य स्तम्भ के रूप में शामिल किया गया था। फ्रेंचाईजियों द्वारा राजस्व स्थिरता, पारेषण एवं वितरण हानियों से कमी न कर पाने के लिए आंशिक रूप से पी.आई.ए. द्वारा आर.जी.जी.वी.वाई. के फ्रेचाईजियों से सबंन्धित दिशानिर्देशों पर (मार्च 2005) ध्यान दिया जाना और इन दिशानिर्देशों का आर.ई.सी./एम.ओ.पी. द्वारा राज्य से अनुपालन कराने की अक्षमता, कारण थे। वास्तविकता यह है कि राजस्व स्थिरता, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी और फ्रेंचाईजियों द्वारा वाणिज्यिक हानियों में कमी के पहलू लाभार्थियों को योजना का दार्धकालिक लाभ प्रदान करने एवं दूरगामी परिणामों की सफल उपलब्धि के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण बने रहेंगे।

7.5.1. व्यवसाय योजना

आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत परियोजनाओं के निरूपण से संबंधित आर.ई.सी. द्वारा जारी दिशा निर्देशों में व्यापारिक योजना[98] का प्रस्तुतीकरण जिसमें निवेश[99], परिचालन लागत[100] और इनपुट बल्क पावर की लागतों के फलस्वरूप अगले 15 वर्षो के लिये नगद बर्हिगभन का विवरण और उपभोक्ताओं को श्रेणीवार विद्युत बिक्री, राजस्व सब्सिडी एवं राजस्व से धन आवक का विवरण आवश्यक था।

इसमे चयनित 162 डी.पी.आर. में से 81 ऐसे मामले थें जिनमे व्यवसाय योजना अधूरी थीं/नहीं प्रस्तुत की गई थीं। उदाहरण के तौर पर, असम में, पी.आई.ए. द्वारा गोलपारा, बारपेटा, बोंगाईगाँव, मोरी गाँव तथा कार्बी एंगलोंग जिलों के संबंध में प्रस्तुत की गई व्यवसाय योजनाएँ, जो आर.जी.जी.वी.वाई.[101] के उद्देश्य तथा राष्ट्रीय विद्युत पोलिसी (एन.ई.पी.) के विपरीत बनाई गई थी। योजना का लक्ष्य बी.पी.एल.

[98] फॉरमेट एफ 4 (आर.ई.सी. प्रोजेक्ट फार्मूलेशन गाइडलाइन्स)
[99] आरंभिक पूंजी निवेश एवं भविष्य में नेटवर्क को विस्तार
[100] बिलिंग की लागत तथा राजस्व संग्रहण, ओ एण्ड एम खर्चे, ह्रास, इंश्योरेंस, ऋण किस्त ब्याज की अदायगी आदि
[101] आर.जी.जी.वी.वाई., परियोजना को दो साल के अन्दर पूरा करने का प्रबंध

घरों (1.30 लाख) तथा ग्रामीण आवासीय परिवार, बी.पी.एल. को छोड़कर (1.28 लाख), क्रमशः दो साल से 15 साल तथा पाँच साल से 15 साल की बीच की अवधि में विद्युतीकृत करने का था। आगे, 1.30 लाख बी.पी.एल. परिवारों को ₹ 2.75 प्रति इकाई की ऊर्जा दर से नियोजित विद्युत कनेक्शन के लिए व्यापार योजना में राजस्व पूर्वानुमान आधारित था, जबकि वास्तविक ऊर्जा दर केवल ₹ 2.50 प्रति इकाई था, जिससे संभावित राजस्व संग्रहण में कमी हो गई। अतः अधिक वास्तविक आधार पर एवं आर.जी.जी.वी.वाई. के समग्र लक्ष्यों के अनुसार व्यापार योजना तैयार करने की आवश्यकता थी।

7.5.2 राजस्व संग्रहण

महाराष्ट्र में, उपभोक्ताओं की पहचान में कमियाँ, प्रथम बिल को जारी करने में देरी, बिलों को जारी न करना इत्यादि मुद्दों का वर्णन नीचे दिया गया है। इस तरह की गलतियों से ₹ 2.98 करोड़ तक की कम वसूली हुई एवं ₹ 10.88 करोड़ राशि थी।

महाराष्ट्र में, ऐसी कोई क्रियाविधि नहीं थी जिससे ठेकेदारों को प्रभावी भुगतान करने से पहले, लाभार्थियों को ठेकेदारों द्वारा दिये गये संयोजन तथा बिलिंग प्रयोजन के लिये सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम से जोड़े गए संयोजनों में मेलमिलाप हो सके।

- चुनी गई दस परियोजनाओं में सात[102] में सितम्बर 2011 तक बाँटे गए ₹ 2.10 लाख बी.पी.एल संयोजनों में से ₹ 0.47 लाख बी.पी.एल उपभोक्ताओं को छः से 14 महीने बीत जाने के बाद भी प्रथम बिल जारी किया जाना शेष था।
- इसके अलावा, बिलिंग प्रकिया के लिये दो महीने की प्रारंभिक समयावधि को ध्यान में रखते हुए दस चयनित परियोजनाओं में, 5,930 बी.पी.एल. आवासीय परिवारों को प्रथम बिल जारी करने में एक वर्ष से ज्यादा की देरी हुई।
- अगस्त 2012 के अंत तक, 7623 बी.पी.एल. उपभोक्ताओं से जिनका बिलों का भुगतान न करने के कारण कनेक्शनस हमेशा के लिये काट दिये गये थे, से ₹ 1.67 करोड़ की राशि वसूल होनी थी। इसके अतिरिक्त, इन दस परियोजनाओं से 1.44 लाख उपभोक्ताओ से, ₹ 9.21 करोड़ की राशि वसूल होनी थी। इस तरह कुल राशि 10.88 करोड़ (₹ 9.21 करोड़ जमा ₹ 1.67 करोड़) के विरूद्ध, पी.आई.ए. के पास प्रतिभूति जमा राशि केवल ₹ 0.23 करोड़ थी, शेष ₹10.65 करोड़ की कमी रही।

7.5.3 राजस्व सब्सिडी का प्रावधान

आर.जी.जी.वी.वाई. के क्रियान्वयन के दिशानिर्देशों में विद्युत एक्ट 2003 के अनुसार राज्य सरकारों के द्वारा एस.पी.यू को अपेक्षित राजस्व सब्सिडी के प्रावधान होने चाहिए थे।

"यदि राज्य सरकार को किसी उपभोक्ता या उपभोक्ता श्रेणी के लिए राज्य विद्युत आयोग द्वारा धारा 62 के अंतर्गत निर्धारित टैरिफ में सब्सिडी देना चाहती है तो वह धारा 108 में निहित प्रावधानों के बावजूद राज्य विद्युत आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से अग्रिम राशि का भुगतान इस सब्सिडी के दिए जाने से प्रभावित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के लिए करेगी।

[102] अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, नासिक, सांगली, सिंधुदुर्ग तथा थाणे–कल्याण

बशर्ते कि राज्य सरकार का इस प्रकार का कोई भी दिशा–निर्देश प्रभावी नहीं होगा यदि इस धारा में निहित प्रावधानों के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है तथा राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ, आयोग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी करने की प्रभावी होगा"।

यह प्रदत्त है कि अगर भुगतान इस अनुभाग में शामिल प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई भी दिशानिर्देश प्रभावी नहीं होगा और इस स्थिति में राज्य संघ द्वारा तय दरें संघ के द्वारा जारी होने के तिथि से मान्य होंगे।"

अतः, राज्य सरकारों को, बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के लिये कम किये गये प्रशुल्क से उत्पन्न होने वाले राजस्व के अनुमानित घाटे के संदर्भ में अग्रिम रूप से विद्युत वितरण लाइसेन्स धारकों[103] को क्षतिपूर्ति करनी थी जो संबंधित राज्यों में विद्युत वितरण के लिए जिम्मेदार थे। तथापि आवश्यक राजस्व सब्सिडी का कम किये गये बी.पी.एल. प्रशुल्क के कारण सात राज्यों में भुगतान नहीं किया गया था जैसे कि **असम, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश** तथा **पश्चिम बंगाल**। तीन उदाहरणों की चर्चा नीचे की गई है:

- **गुजरात** में, फरवरी 2009 से बी.पी.एल. उपभोक्ता के लिये प्रशुल्क, सामान्य प्रशुल्क से कम था, तथापि, राज्य सरकार ने कम किये गये बी.पी.एल. प्रशुल्कों के लिये एस.पी.यू. को मुआवजे का भुगतान सब्सिडी के रूप में नहीं किया था।
- **कर्नाटक** में, यद्यपि, दो डिस्कॉमो (2005–06 दौरान के बी ई एस सी ओ एम तथा 2008 से 2010 के दौरान सी.ई.एस.सी.ओ.) ने बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को 18 यूनिट तक विद्युत निःशुल्क प्रदान की थी, राज्य सरकार ने इस अवधि की राजस्व सब्सिडी का भुगतान डिस्कॉमों को नहीं किया था।
- **उत्तर प्रदेश** मे, राज्य सरकार द्वारा एस.पी.यू. को सब्सिडी की प्रतिपूर्ति 2005–06 से 2010–11 के दौरान कुल मिलाकर ₹ 1758.85 करोड़ कम की थी।

7.5.4 राज्यों में फ्रेंचाईजियों की नियुक्ति

फ्रेंचाईजियों[104] के परिनियोजन के माध्यम से राजस्व संपोषण को सुनिश्चित किया जाना था। फ्रेंचाइजी, गैर–सरकारी संस्थाये, उपयोगी संस्थाएं, सहकारी एवं पंचायती राज संस्थान हो सकते थे। सी.सी.ई.ए. को विद्युत मंत्रालय के नोट (फरवरी 2005) के अनुसार योजना के अंतर्गत वित्त पोषित परियोजनाओं में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिये फ्रेंचाईजियों के परिनियोजन के विस्तृत विवरण के संदर्भ में सब्सिडी देने से पहले राज्य सरकारों की पूर्व प्रतिबद्धता प्राप्त की जाये।

31 मार्च 2012 को आर.जी.जी.वी.वाई. परियोजनाओं की स्थिति रिपोर्ट दर्शाती थी कि 37614 फ्रेंचाईजियों को 17 राज्यों में परिनियोजित किया गया था जिन्होंने 3,53,049 गाँवों में से 1,75,655 गाँवों को इस परियोजना के अन्तर्गत शामिल किया। इसका अर्थ है कि इस परियोजना के अन्तर्गत तकरीवन आधे (49.75 प्रतिशत) गाँवों में ही फ्रेंचाईजियों को परिनियोजित किया गया था। आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, केरल, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम तथा तमिलनाडू कुल दस राज्यों में किसी भी फ्रेंचाईजियों को नियुक्त नहीं किया गया था। फ्रेंचाईजियों का 76.88 प्रतिशत, 28,919

[103] डिस्कॉम/राज्य विद्युत बोर्ड

[104] जैसाकि एम.ओ.पी. द्वारा बताया गया (अगस्त 2013), 10वीं 11वीं और 12वीं योजना परियोजना के लिए फ्रेंचाइजिज के तैनाती की आवश्यक शर्त को शिथिल कर दिया गया था।

फ्रेंचाईजियों को केवल दो राज्यों[105] में परिनियोजित किया गया था। वास्तव में, कुछ राज्यों ने बहुत ही असंगत प्रक्रियाओं को अपनाया था। उदाहरणार्थ,

- आर.ई.सी. की दिशा–निर्देशों के अनुसार, फ्रेंचाईजियों के विकास पर फ्रेंचाईजियों को दस प्रतिशत से ज्यादा प्रतिफल (रिटर्न) नहीं देनी थी। **असम** में एस.पी.यू. द्वारा बल्क सप्लाई टैरिफ तय करते हुए 2 प्रतिशत टैरिफ जोकि एल टी लाइन की रखरखाव के लिये था को देने के बाद 15 प्रतिशत के प्रतिफल पर विचार किया गया। इस प्रकार, फ्रेंचाईजियों को अनुबद्ध दर से अधिक का प्रतिफल देते हुए अनुचित लाभ प्रदान किया गया।
- **हरियाणा** में, आर.ई.सी. के दिशा–निर्देशों के अनुसार न तो डिस्कॉम ने फ्रेंचाईजियों को नियुक्त किया न ही वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित रखने के लिये हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) से फ्रेंचाईजियों के बल्क सप्लाई टैरिफ निर्धारित किया। इसके स्थान पर डिस्कॉम ने मीटर रीडिंग, बिल वितरण तथा राजस्व संग्रहण से संबंधित कार्य को गैर–सरकारी संगठन जैसे कि हरियाणा भूतपूर्व सैनिक लीग (एच.ई.सी.एल.) को आडटसोर्स कर दिया।
- **मध्य प्रदेश** में, एक डिस्कॉम (केन्द्रीय) ने आर.ई.सी. के दिशा–निर्देशों के अनुसार फ्रेंचाईजियों के विकास पर एक ग्राम सेवक योजना शुरू की जो फ्रेंचाईजी की परिभाषा के अन्दर नहीं आता। ग्राम सेवक योजना को 26 दिसम्बर 2011 से निरस्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त दूसरे डिस्कॉम (पश्चिम) ने आर.जी.जी.वी.वाई. के निधि पोषित जिलों में ज्यादा फ्रेंचाईजियों के सहयोग लेने के लिये एक विस्तार कार्यक्रम प्रतिपादित किया। इसने बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये लेकिन मार्च 2011 तक केवल सात ग्राम पंचायतों में ही फ्रेंचाईजियों को नियुक्त किया और उसके बाद किसी भी अन्य फ्रेंचाईजियों को नियुक्त नहीं किया गया।
- **मेघालय** में, सात परियोजनाओं में से अगस्त 2012 एक केवल जैनतिया हिल्स में ही फ्रेंचाईजियों को नियुक्त किया गया था। जैनतिया हिल्स परियोजना के मामले में, मार्च 2010 से अगस्त 2012 के बीच, 50 समूहों में से 13 समूहों में ही फ्रेंचाईजियों को मासिक मीटर रीडिंग तथा उपभोक्ताओ से राजस्व संग्रहण के लिये लगाया गया तथापि, अगस्त 2012 तक 13 फ्रेंचाईजियों में से सात के संविदा समाप्त हो गये, दो के संविदा निरस्त हो गये तथा एक फ्रेंचाईजी का संविदा (अगस्त 2012) अपद्स्थ हो गया।
- **त्रिपुरा** में, आर.ई.सी., त्रिपुरा राज्य बिजली निगम लिमिटेड (टी.एस.ई.एल.) तथा राज्य सरकार के बीच हुए त्रिपक्षीय करार दिनाँक 31 अक्तूबर 2005 के अनुसार राज्य सरकार एवं टी.एस.ई.एल. को जारी किये दिशा–निर्देशों के अनुसार, विद्युतीकृत गाँवों में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिये फ्रेंचाईजियों को प्रतिनियुक्त करने थे। तथापि, फ्रेंचाईजियों को आर.जी.जी.वी. वाई. दिशा– निर्देशों के अनुसार प्रतिनियुक्त नहीं किया गया था। उनके कार्यो को मीटर रीडिंग तथा ऊर्जा बिलों को सौंपने तक ही सीमित रखा गया था। राजस्व संग्रहण को फ्रेंचाईजियों के दायित्वों तथा भूमिका में सम्मिलित नहीं किया गया था। यद्यपि, 739 आर.जी.जी.वी.वाई. गाँवों में से 530 में 69 फ्रेंचाईजियों का संचालन किया गया, वे आर.ई.सी. द्वारा विधित किसी भी मानकों के अनुरूप नहीं थे।
- **महाराष्ट्र** में, फ्रेंचाईजियों को नियुक्त नहीं किया गया था क्योंकि इसे वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं समझा गया था।

[105] गुजरात और कर्नाटक

- **उत्तराखंड** में, 12 फ्रेंचाईजियों में से केवल चार ने ही एक वर्ष का आंरभिक संविदा समय कार्य किया था तथा बाकी ने सात से आठ महीनों के अन्दर ही कार्य छोड़ दिया। आर.ई.सी. से फ्रेंचाईजियों को फिर से नियुक्त करने के लिये बार–बार पत्राचार के बावजूद डिस्कॉम (डी.आई.एस.ओ.एम.) ने उपरिलिखित उद्धेश्यों को प्राप्त करने के लिये दूसरे फ्रेंचाईजियों को पुनः नियुक्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया।

विद्युत मंत्रालय ने अपने उत्तर में ऊपर दिये गये तथ्यों को स्वीकार (फरवरी 2013) कर लिया तथा कहा कि *"10वीं तथा 11वीं योजना के अर्न्तगत, ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिये फ्रेंचाईजियों की प्रतिनियुक्ति पर विचार करते हुये राजस्व स्थिरता को सुनिश्चित किया गया था। तथापि, यह निष्फल हो गया क्योंकि राज्यों द्वारा बहुत प्रयत्न करने तथा विद्युत मंत्रालय और आर.ई.सी. द्वारा दिये गये समर्थन के बावजूद भी फ्रेंचाईजियों को प्रतिनियुक्ति करने में योग्य नहीं थे। यह सब ग्रामीण, निम्न भार घनत्व, घरेलू उपभोक्ताओं के साथ रियायती प्रशुल्क, बिजली आपूर्ति की सीमित उपलब्धता, सुनिश्चित अवधि में निम्न राजस्व आधार के कारणों से हुआ। कई राज्यों मे, वे गाँव जो आर.जी.जी.वी.वाई. के अन्तर्गत आते हैं, कुल इक्ट्ठा होने वाला राजस्व भी निम्न था क्योंकि ज्यादातर बिजली उन बी.पी.एल. घरों में दी गई जिनके लिये विद्युतीय प्रशुल्क बड़ी मात्रा में सहायता प्राप्त या बिल्कुल निःशुल्क होती है। राजस्व से इक्ट्ठा होने वाला सुनिश्चित रकम फ्रेंचाईजियों के निम्नमात्र खर्चो को पूरा करने एवं उन्हें वित्तीय अयोग्य बनाने में पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, ओड़ीसा जैसे राज्यों में वितरण व्यापार पहले से ही निजी है।"*

जैसा कि ऊपर के पैरा 7.5 में कहा गया था राजस्व स्थिरता तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता, विद्युत मंत्रालय के लिये लगातार चुनौती रहेंगी क्योंकि इसके बिना, योजना के मुख्य लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं होंगे।

7.5.5 फ्रेंचाईजियों का निश्पादन

फ्रेंचाईजियों के विकास के लिये आर.ई.सी. ने अपने दिशा–निर्देश (मई 2006) में, फ्रेंचाईजियों के प्रतिनियुक्ति के लिये छः नमूने उल्लिखित किये हैं।

- नमूना – क : राजस्व फ्रेंचाईजी –संग्रहण आधार पर
- नमूना – ख : राजस्व फ्रेंचाईजी – इनपुट आधार पर
- नमूना – ग : इनपुट आधारित फ्रेंचाईजी
- नमूना – ध : प्रकिया एवं रखरखाव फ्रेंचाईजी
- नमूना – ड़ : ग्रामीण विधुत सहकारी समितियाँ
- नमूना – च : विधुत सहकारी समिति–प्रक्रिया प्रबंधन

वित्त मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2006) कि केवल फ्रेंचाईजियों की नियुक्ति ही काफी नहीं थी जैसाकि वितरण प्रबंधन की व्यवहार्यता के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा उपयोगियों को दी जाने वाली सब्सिडी के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराना एवं ए.टी. एवं सी नुकसानों के माध्यम से वसूली करना और वितरण प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने एवं इसे अधिक व्यवहार्य बनाने हेतु फ्रेंचाईज़ियों के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन ढाँचा बनाना।

आर.ई.सी. द्वारा फ्रेंचाईजियों के विकास के लिये जारी किये गए दिशा–निर्देशों के अनुसार नमूना क को अपनाने के लिये वरीयता नहीं दी गई चूंकि इसकी क्षतिपूर्ति को राजस्व संग्रहण से जोड़ा गया था न कि उस क्षेत्र में आने वाले विद्युत इनपुट से। इसके अतिरिक्त आर.ई.सी. ने 11वीं योजना में आर.जी.जी. वी.वाई. को बनाए रखने के लिये (फरवरी 2008) में विशिष्ट निर्देश जारी किये जिसमें फ्रेंचाईजियों को इनपुट आधार को वरीयता देनी चाहिये ताकि औसत तकनीकी तथा वाणिज्यिक नुकसानों को कम करके राजस्व प्रणाली को कायम रखा जा सके। 17 राज्यों में से जिन्होंने फ्रेंचाईजियों को नियोजित किया था, 15 ने राजस्व फ्रेंचाईजी संग्रहण आधार पर, जैसा कि नमूना। में बताया है को अपनाया था। इसका प्रभाव **गुजरात** में देखा जा सकता है जहाँ पर केवल राजस्व संग्रहण आधार पर फ्रेंचाईजियों को नियुक्त किया गया था। 31 मार्च 2012 को, डिस्कॉम[106] के संबंधित परिमंडल में प्रसारण एवं वितरण नुकसान 13 प्रतिशत (4.95 प्रतिशत के मानदण्ड के सापेक्ष) से 66 प्रतिशत के बीच था।

कर्नाटक में, 2007–2008 से 20011–12 के दौरान एलटी लगाने के लिए राजस्व संग्रह की क्षमता में भिन्नता पाई। रायचुर में छः[107] परियोजना क्षेत्रों में संग्रह क्षमता 10 प्रतिशत से भी कम थी जबकि अन्य परियोजना क्षेत्रों में यह 24 से 67 प्रतिशत की श्रृंखला में आती है, उत्तर कन्नड़ा के अलावा जहाँ यह प्रतिशत्ता 82 प्रतिशत थी।

उत्तराखण्ड में, 31 मार्च 2012 तक, चार चुने गए जिलों में बी.पी.एल. ग्राहकों से ₹ 8.48 करोड़ की वसूली की जानी थी।

फ्रेंचाईजिज के निष्पादन का राज्य विशिष्ट विवरण **अनुलग्नक 18** में दिया गया है।

दिनाँक 23 फरवरी 2007 को एम.ओ.पी. ने टिप्पणी में कहा कि *'वित्त मंत्रालय द्वारा उठाये गए राजस्व स्थिरता पर, जैसाकि विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिनिर्गित फ्रेंचाईजिज की प्रणाली के मूल्यांकन अध्ययन में प्रतिवेदित किया और ऊर्जा व संसाधन टी.ई.आर.आई. व एकीकृत शोध व विकास के लिए कार्यवाही संचालित है के परिणाम काफी प्रभावी है।'* फ्रेंचाईजिज के अंतर्गत गाँवों में, राजस्व संग्रह नाटकीय रूप से बढ़ा है।

एम.ओ.एफ. ने फ्रेंचाईजिज की कार्यप्रणाली के मूल्यांकन करने के लिए करार मूल्यांकन करने का सुझाव दिया। एम.ओ.पी. ने तथापि छः राज्यों में टी.ई.आर.आई व आई.आर.ए.ई.ई. द्वारा किया गया एक सीमित अध्ययन ही प्राप्त किया और इस अध्ययन पर पूर्ण रिपोर्ट उपलबध नहीं की गई। रिपोर्ट का केवल एक सारांश प्रस्तुत किया गया। यह दिखाने के लिए कोई भी तथ्य नहीं था कि अध्ययन द्वारा सुझाए गए संशोधनों को क्रियान्वित किया गया है।

7.5.6 फ्रेंचाइजिज को परिनियोजित करने के विशय में प्रतिबंध को हल्का करना

10वीं योजना में आर.जी.जी.वी.वाई. के प्रारम्भिक कार्यान्वयन के दौरान आर.ई.सी. को मार्च 2005 के योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार फ्रेंचाइजिज के नियुक्ति के विषयाधीन निधियों का निर्गम करना था। जैसाकि सी.सी.ई.ए. नोट (13 नवम्बर 2004) और सी.ओ.एस. नोट (24 दिसम्बर 2004) में बताया गया था कि फ्रेंचाइजिज सिस्टम को सशर्त बनाने का तर्काधार ग्रामीण वितरण के प्रबंधन में सत्तता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना था।

[106] भावनगर, महसाना, पाटन, पंचमहल, पोरबंदर, सूरत एवं सुरेन्द्र नगर

[107] बेलगाँव, बीजापुर, गड़ग, कोलार, रायचुर, और उत्तर कन्नड़

तथापि, जून 2007 में, सचिव, एम.ओ.पी. की अध्यक्षता में एम.सी. द्वारा निर्णय किया गया कि 10 *प्रतिशत* राजसहायता राज्य द्वारा शर्तों के आधार पर निर्गमित की जाएगी। प्रभावी तौर पर राजसहायता को 90 *प्रतिशत* बिना यह सुनिश्चित किए हुए दे दिया कि राजस्व स्थिरता के लक्ष्य प्राप्त कर लिये गए हैं, बावजूद इसके कि फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति सी.सी.ई.ए. द्वारा अनुमोदित नोट की अनिवार्य शर्तों में एक है।

संयोग से, एम.ओ.पी./आर.ई.सी. दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार उस मौके पर जबकि परियोजनाओं को संतोषप्रद रूप से शर्तों के अनुसार कार्यान्वित नहीं किया गया, कि राजसहायता को ब्याज वाले ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

परियोजनाओं के कुछ उदाहरण खुले रखे गए जहाँ समापन प्रतिवेदन इस आधार पर मान्य नहीं किया था क्योंकि डिस्कॉम के पूँजी राजसहायता को ब्याज वाले ऋण के परिवर्तन के खतरे का सहना पड़ेगा जोकि इन निकायों की वित्तीय हानि के रूप में देखी गई थी। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में, डिस्कॉम पूँजी राजसहायता की क्षति को ₹ 158.20 करोड़ थी। यद्यपि आर.ई.सी. विभिन्न राज्यों ने फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति हेतु लिख रहा था। जबकि आर.ई.सी. पूँजी राजसहायता को ब्याज वाले ऋण के रूप में परिवर्तित नहीं कर रहे थे। परिणामतः, पी.ई.ए. द्वारा इस शर्त की अवहेलना हो रही है। उदाहरण के रूप में, मार्च 2011 में रखी गयी एम.सी. की 40वीं बैठक में यह निर्णय किया गया कि 10वीं योजना में परियोजनाओं के लिए अगले तीन महीनों में फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति के लिए एक निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) जारी होनी चाहिए और फ्रेंचाइजियों की अगले छः महीनों में नियुक्ति की जानी चाहिए। तदनुसार राज्यों को सूचित किया गया कि ये समय सारणी में उपार्जित नहीं की गई और न ही परियोजनाओं का समापन किया गया, आर.जी.जी.वी.वाई के अंतर्गत राज्यों को दिए गए अनुदान को ब्याज धारक ऋण के रूप में परिवर्तित करना होगा। राज्य के द्वारा इन निर्देशों का अनुसरण करने के लिए सार्थक कदम न उठाए जाने के बावजूद आर.ई.सी. ने इसके विरूद्ध कार्रवाई नहीं की। (मई 2013)

एम.ओ.पी. ने (मई 2013) में, अपने जवाब में कहा कि *"एम.सी. ने व्यावहारिक कठिनाइयों, क्षेत्रीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया कि परियोजनाओं में निधियों की निर्मुक्ति न होने समेत, विभिन्न कारणों से विलम्ब हो रहा था। समिति ने फ्रेंचाइजियों की तैनाती की नियुक्ति की शर्तों में ढील नहीं दी। समिति ने कार्यक्रम के सहज कार्यान्वयन के लिए फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति पर जोर डाले बिना आर.ई.सी. दूसरी व तीसरी किस्त जारी करने की अनुमति दे दी"।*

एम.ओ.पी. का जवाब केवल उस तथ्य पर बल देता है कि निधियों को मुक्त करने की सन्ता फ्रेंचाइजिज की नियुक्ति की पूर्व शर्त में ढील देने से और परियोजनाओं की असमाप्ति पर दंड न देने के कारण मंद पड़ी।

7.6 लाभार्थी सर्वेक्षण

सुधार स्तर पर जागरूकता का मूल्यांकन व लाभार्थियों के प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करने हेतु नमूना जाँच जिलों में से चुने गए लाभार्थियों से प्रश्नावली का जवाब देने हेतु प्रार्थना की गई थी। लाभार्थी सर्वेक्षण के लिए नमूने चुने गए गाँवों के प्रत्येक नमूना परियोजना से लिये गये थे। सर्वेक्षण के लिए एक व्यवस्थित यादृच्छिक नमूना प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक गाँव से कम से कम पाँच परिवारों को चुना गया। लाभार्थियों से स्थानीय भाषा में एक संरचनाबद्ध प्रश्नावली के द्वारा साक्षात्कार किया गया। 27 राज्यों के 2,148 गाँवों से कुल 10,460 लाभार्थियों से कुल नमूने बनाए गए। प्रत्येक राज्य के लिए नमूना माप अलग–अलग था तथा यह उस राज्य में नमूना जाँच के लिए चयनित परियोजनाओं की संख्या पर

आधारित था। सर्वेक्षण भारतीय लेखापरीक्षा व लेखा विभाग (आई.ए.एण्ड ए.डी.) के लेखापरीक्षा दल द्वारा कराया गया जोकि आर.जी.जी.वी.वाई की निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए परिनियोजित किया गया था।

सर्वेक्षण प्रश्नावली में निम्नलिखित विवरणों के लिए निवेदन किया गया।

(i) क्या कनेक्शन डिस्कॉम द्वारा लगाया गया या लाभार्थियों के निवेदन पर दिया गया;
(ii) कनेक्शन लगाने की तिथि;
(iii) कनेक्शन में ऊर्जा उत्पन्न करने की तिथि;
(iv) सी.एफ.एल. को निःशुल्क लगाने का प्रावधान;
(v) विद्युत की आपूर्ति 6–8 घण्टे प्रतिदिन
(vi) मीटर का प्रावधान;
(vii) योजना के बारे में जागरूकता;
(viii) बिल तथा अदायगी;
(ix) पम्प सैट आदि के लिए विद्युत का इस्तेमाल;
(x) योजना का प्रभाव और
(xi) आर.जी.जी.वी.वाई के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायतें।

लाभार्थी सर्वेक्षण के नतीजे निम्नलिखित हैं:

1. **जागरूकता**– आर.जी.जी.वी.वाई का मुख्य उद्देश्य बी.पी.एल धारकों को मुफ्त में एक फेस का विद्युत कनेक्शन दिलवाना था। इस प्रकार योजना और उसके मुख्य प्रावधानों की जानकारी के बारे में बी.पी.एल. धारकों को जागरूक करना, सफल कार्यान्वयन योजना की एक निश्चित जरूरत थी।

 बी.पी.एल. लाभार्थियों के सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुल नमूनों में से 8,061 लाभार्थी (77 *प्रतिशत*) आर.जी.जी.वी.वाई, व उसके लक्ष्य या लाभ के बारे में जानते ही नहीं थे। हालाँकि टर्नकी ठेकेदारों ने कनेक्शन जारी करने से पहले, सर्वेक्षण किए थे परन्तु जागरूकता के अभाव में गरीबी रेखा से नीचे के आवासीय परिवारों के छूट जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

 7,565 (72 *प्रतिशत*) लाभार्थियों ने कहा कि किसी भी जागरूक कार्यक्रम का संचालन नहीं किया गया।

2. **कनेक्शन का प्रावधान**–जबकि 5,964 (57 *प्रतिशत*) लाभार्थियों ने कहा कि कनेक्शन स्वयं डिस्कॉम द्वारा दिया गया, 3,975 लाभार्थियों (38 *प्रतिशत*) ने कहा कि कनेक्शन उनके निवेदन पर दिया गया था, यानि कि लाभार्थियों के अनुरोध पर और 521 (5 *प्रतिशत*) लाभार्थी कनेक्शनों को प्राप्त करने के माध्यम के बारे में जागरूक नहीं थे।

3. **सी.एफ.एल. का प्रावधान**–यद्यपि इसके अंतर्गत बी.पी.एस. कार्ड धारकों को कनेक्शन के साथ मुफ्त सी.एफ.एल देने का प्रावधान था, केवल 5,253 लाभार्थियों (50 *प्रतिशत*) को मुफ्त सी.एफ.एल दिया गया, 4,678 लाभार्थियों (45 *प्रतिशत*) ने कहा कि कनेक्शन के साथ कोई भी सी.एफ.एल. नहीं दिया और बाकी लाभार्थी सी.एफ.एल. देने के प्रावधान के बारे में विश्वस्त ही नहीं थे।

4. **मीटर लगाना**—राजस्व स्थायित्व के लिए सभी कनेक्शनों के मीटर व बिल तैयार करने के काम को करना जरूरी था। 9,661 लाभार्थियों (92 *प्रतिशत*) ने कहा कि उनके कनेक्शन के साथ मीटर लग गया था, जबकि 343 लाभार्थियों (3 *प्रतिशत*) ने कहा कि कनेक्शन के साथ मीटर नहीं दिये गये थे। बाकी के लाभार्थियों को यह सुनिश्चित ही नहीं था, 3,305 (32 *प्रतिशत*) लाभार्थियों ने कहा कि उनको बिल नियमित नहीं मिल रहे थे।

बॉक्स 16: कनेक्शन के साथ मीटर उपलब्ध नहीं कराये जाने के मामले

कनेक्शन लागत में मीटर की लागत शामिल थी। जिसके अनुसार, ठेकेदारों को कनेक्शन के विशेष नियमों के अनुसार मीटर फिट करना था। तथापि, बी.पी.एल. परिवारों के लाभार्थी सर्वेक्षण से पता चलता है कि यह पहलू कुछ मामलों में लागू नहीं हो पाया जो कि नीचे दिए गए हैं:

- **अरूणाचल प्रदेश** के **पापुमपरे** परियोजना में, 50 बी.पी.एल. परिवारों में से 37 परिवारों ने कहा कि मीटर नहीं लगाये गए और तारे भी पूर्णरूप से नहीं बिछाई गई।
- **नागालैण्ड** में, सर्वेक्षण किए गए 115 बी.पी.एल. परिवारों में से केवल 85 परिवारों को (74 *प्रतिशत*) मीटर बक्सा दिया गया।
- **सिक्किम** में, गंगटोक ब्लॉक के चिसोपानी गाँव के सर्वेक्षण में सभी पाँच लाभार्थियों को और गीजिंग ब्लॉक के उमचुँग गाँव के पाँच में से चार लाभार्थियों को काई मीटर नहीं मिला।

आगे, पहला बिल कनेक्शन जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर जारी होना था। यद्यपि राजस्थान में 518 लाभार्थियों में से 54 ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि डिस्कॉम द्वारा बिल जारी नहीं किये गये थे।

5. **विद्युत आपूर्ति**—8,024 लाभार्थियों (77 *प्रतिशत*) ने कहा कि उन्हें 6 से 8 घण्टे प्रतिदिन की दर से अधिक आपूर्ति मिल रही थी। जबकि 1,605 लाभार्थियों (15 *प्रतिशत*) ने कहा कि उन्हें प्रति 6 घण्टे से भी कम की आपूर्ति मिल रही थी और कहा कि विद्युत आपूर्ति का समय उनकी जरूरत के हिसाब से नहीं था।

सिफारिश

आर 7: एम.ओ.पी. वर्तमान प्रणाली की गहन समीक्षा करे एवं गुणवत्ता की प्राप्ति एवं ऊर्जा की आपूर्ति में विश्वसनीयता एवं राजस्व की प्राप्ति को विशेष रूप से लक्षित कर हुए उन राज्यों पर विशेष बल देते हुए अतिरिक्त बचावों की स्थापना करे जहाँ लक्ष्य प्राप्त किये जाने बाकी थे।

अपेक्षा भौतिक उपलब्धि कम थी। 10वीं और 11वीं योजनाओं के दौरान, मूल रूप से ₹ 26,427.47 करोड़ राशि की स्वीकृत 576 परियोजनाओं के लिए ₹ 31,268.12 करोड़ जारी किए गए। दिसम्बर 2012 तक सभी परियोजनाओं के स्वीकृत लागत अनुमान 34,070.87 करोड़ के संशोधित कर दिए गए।

1,23,601 अविद्युतीकृत गाँवों, 2,30,10,265 बी.पी.एल. आवासों सहित 4,12,88,438 ग्रामीण आवास को सम्मिलित करने के लक्ष्य के विरुद्ध, 1,04,496 अविद्युतीकृत गाँव (84.54 *प्रतिशत*), 1,90,80,115 बी.पी.एल. आवासों (82.92 *प्रतिशत*) सहित 2,15,04,430 ग्रामीण आवास (52.08 *प्रतिशत*), 31 मार्च 2012 तक सम्मिलित थे। तथापि, वास्तविक उपलब्धि को इन तथ्यों के विरुद्ध जाँचने की जरूरत होगी कि योजना समस्याओं से ग्रस्त थी जैसाकि प्रतिवेदन में चर्चा की गई है।

आर.जी.जी.वी.वाई. ने विचार किया कि आर.ई.डी.बी[108], वी.ई.आई[109]. और डी.डी.जी[110] अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और अन्य गतिविधियों की विद्युत की आवश्यकता को सरल करेंगे जिनमें सिंचाई पम्प सैट, छोटे व मध्यम उद्योग, खादी व ग्रामीण उद्योग, कोल्डचैन्स, हैल्थकेयर, शिक्षा और आई.टी. इत्यादि है। यह महसूस किया गया कि इससे सम्पूर्ण ग्रामीण विकास, रोज़गार सृजन और गरीबी उन्मूलन सरल होगा। तथापि, प्रायोगिक रूप में जो परियोजना स्वीकृत की गयी थी, वे प्रत्येक आवास को एक यूनिट बिजली प्रतिदिन के हिसाब से देने की न्यूनतम पहुंच पर आधारित थी।

योजना का निरूपण सूत्रधार प्रारम्भ से ही त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि गाँवों की पहचान और लाभार्थियों का अनुमान अविश्वसनीय आँकड़ों पर आधारित था। योजना कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुपालन नहीं करने, जिसमें महत्वपूर्ण इनपुट जैसे कि अधिकृत बी.पी.एल सूची और आर.ई. योजनाएँ जो कि त्रुटिपूर्ण थीं समेत अलगाव के कई मामलों से परिपूर्ण हैं। आर.जी.जी.वी.वाई. परियोजनाएँ पर्याप्त सर्वेक्षण कार्य के बिना नियोजित थी क्योंकि डी.पी.आर. पुराने आँकड़ों पर आधारित थे और उनमें बहुत सी गलतियाँ थीं। यहाँ ठेकेदारी व्यवस्था, कार्य प्रणाली और संबंधित राज्य सरकार के त्रिपक्षीय करार के प्रावधानों के उल्लघंन के अक्षम उदाहरण थे।

परियोजना का कार्यान्वयन धीमी कार्य प्रक्रिया, व्यर्थ निवेश, कमजोर संचालन, करार में वादों को पूरा न होना, ठेकों को देने में देरी और पूरे कार्य को न सौंपना/देना पर आधारित था।

यद्यपि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विचारणीय देरी ठेकेदारों, पी.आई.ए. और आर.ई.सी. के कारण थी, परियोजनाओं की प्रक्रिया में देरी का परिकलन किसी भी स्तर पर, यानि पी.आर.ए., आर.ई.सी. और एम. ओ.पी. पर निर्धारित नहीं थी जिसकी वजह से अवार्ड पत्रों को देने में एल.डी. क्लॉज को असंगत करार दिया। विपरीतया, यदि ठेकेदार देरी के लिए उत्तरदायी नहीं थे, तो यह लगता है कि पूरा उत्तरदायित्व पी.आई.ए. पर पड़ता है। फिर भी गलती करने वाले अधिकारियों पर पी.आई.ए. ने कोई कार्रवाई नहीं की, न ही आर.ई.सी./एम.ओ.पी. ने पी.आई.ए. के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जो कि समयबद्धता के लिए चिंता की कमी को दर्शाता है।

पी.आई.ए. योजना निधि को अलग ब्याज धारक बैंक खातों में रखने में भी असफल रहा जिसके कारण इस दौरान कोई ब्याज अर्जित नहीं किया जा सका जो कि अंतः परियोजनाओं के लिए निधि की उपलब्धता को बढ़ा सकता था।

[108] ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन

[109] ग्रामीण विद्युतीकरण आधारभूत संरचना

[110] विकेन्द्रीकृत वितरित जेनरेशन

यद्यपि गुणवत्ता को सुनिश्चित हेतु निगरानी तंत्र बनाया गया था, किंतु यह कार्यों की प्रगति के साथ तालमेल बना नहीं सका और परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण तथा उपयुक्त नियंत्रण लागू करने में विलंब हुआ, जिससे नियंत्रण प्रक्रिया लगभग अप्रभावी साबित हुई।

नोडल एजेंसी आर.ई.सी. परियोजनाओं को नियत समय में पूरा करने में असमर्थ रहा, जिसके कारणों में परियोजनाओं को समय पर स्वीकृति न मिलना भी शामिल था। अगर आर.ई.सी. अपना दायित्व और अधिक कारगर तरीके से इस प्रकार निभाता कि डी.पी.आर. क्षेत्र सर्वेक्षण पर आधारित हो ताकि भौतिक व वित्तीय अनुमान अधिक वास्तविक हों तथा परवर्ती संशोधन न्यूनतम हों तो इस अपर्याप्ता से बचा जा सकता था।

लाभार्थी सर्वेक्षण से यह पता चला कि प्रचार को बढ़ाने तथा उसे परिणाम उन्मुख बनाने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण से पता चला कि संबंधित डिस्कॉम (क) बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदान करने के प्रतिबद्ध किए घंटे (ख) संयोजकों से ऊर्जा बिल का उगाही व वसूली में, असफल रहे।

8.2. सिफारिशें

प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का एक सारांश नीचे दिया गया है:

- ✓ *12वीं योजना में नयी परियोजनाओं के कार्यान्वयन से पूर्व एम.ओ.पी. एक स्वतंत्र सर्वेक्षण कराने पर विचार करे और आवृत्ति से बचने के लिए चिन्हित ग्रामों की सूची व लाभार्थियों के अनुमानों को संशोधित करे तथा राज्यों के साथ गहन समन्वय कर यह सुनिश्चित करे कि योजना के लाभ अभीष्ट एवं लक्ष्यित लाभार्थियों को पहुँचें।*

- ✓ *एम.ओ.पी. को चाहिए कि निगरानी प्रतिवेदनों के यथोचित प्रारूपों को बनाकर, आर.ई.सी. द्वारा कार्य के क्षेत्र एवं संबंधित अनुमानों पर और अधिक नियंत्रण बरते जिससे यह सुनिश्चित हो कि परियोजनाएं संस्वीकृति के लिए तभी ली जाएं जब पी.आई.ए. विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण पर आधारित डी.पी.आर. प्रस्तुत कर दें और भौतिक एवं वित्तीय अनुमान तार्किक रूप से सही हों।*

- ✓ *एम.ओ.पी. सभी स्तरों (एम.ओ.पी., आर.ई.सी. व पी.आई.ए.) पर एक लेखा प्रणाली को गठित करने पर विचार करे जो निधियों के वास्तविक निर्गम और प्राप्तियों तथा अप्रयुक्त शेषों पर अर्जित ब्याज की समयोचित निगरानी को सुनिश्चित करे।*

- ✓ *एम.ओ.पी. व नोडल एजेंसी, आर.ई.सी. को पी.आई.ए. द्वारा बैंकों में रखी गयी पूँजीगत सब्सिडी और आर.जी.जी.वी.वाई. निधियों पर, जो परियोजना लागतों के लिए राज्य/स्थानीय करों के भुगतान के लिए प्रयोग की गयी थी पर अर्जित ब्याज को वसूलने/समायोजित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।*

- ✓ *एम.ओ.पी., राज्यों के साथ गहन समन्वय में प्रत्येक महत्वपूर्ण स्तर पर कार्य की प्रगति जाँचने के लिए एकरूप/मानक व्यवस्था के गठन पर विचार करे, जिससे कि ठेका प्रबंधन में होने वाली आम एवं परिहार्य अनियमित्ताओं/कमियों जैसे कि सांविधिक देनदारियों की कटौती न करना, हानि क्षतिपूर्तियों की वसूली न होना एवं ठेकेदारों को किये गए अधिक भुगतानों को रोका जा सके।*

- ✓ *एम.ओ.पी द्वारा राज्य स्तरीय समन्वय समितियों की बैठकों के समीक्षा परिणामों को नियमित रूप से एक निश्चित तिथि तक राज्यों के मुख्य सचिवों से माँगा जाए। त्रुटियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाये जिससे कि क्रियान्वयन की प्रभावशीलता को बढ़ाने व परिणामों को प्राप्त करने के मायनों में यह प्रयास अपेक्षित परिणाम दे।*

- ✓ *एम.ओ.पी. वर्तमान प्रणाली की गहन समीक्षा करे एवं गुणवत्ता की प्राप्ति एवं ऊर्जा की आपूर्ति में विश्वसनीयता एवं राजस्व की प्राप्ति को विशेष रूप से लक्षित कर हुए उन राज्यों पर विशेष बल देते हुए अतिरिक्त बचावों की स्थापना करे जहाँ लक्ष्य प्राप्त किये जाने बाकी थे।*

8.3. मंत्रालय द्वारा की गई उपचारात्मक कार्यवाही

विद्युत मंत्रालय को मसौदा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने के बाद, 2 सितंबर, 2013 को, हुए एक्ज़िट कान्फ्रेंस में सचिव, (विद्युत मंत्रालय) ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकारा तथा बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए सभी बड़े मामलों को ध्यान में रख कर उन्होंने आर.जी.जी.वी.वाई को 12वीं योजनाकाल में जारी करने हेतु दिशा निर्देश तैयार किये हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को 12वीं व 13वीं योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण बुनियादी ढाँचा और आवास विद्युतीकरण स्कीम को जारी करने हेतु दिनाँक 02.09.2013 की कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति इस रिपोर्ट की **अनुलग्नक 19** पर दी गई है।

विद्युत मंत्रालय द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदम जहाँ सराहनीय हैं, वहीं दिशानिर्देशों में सुधारों व शोधन जैसा कि रिपोर्ट में विशेष रुप से चर्चा की गई हैं, की गुंजाइश है।

दिनाँक: 29 नवंबर 2013
स्थान: नई दिल्ली

(आनंद मोहन बजाज)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

प्रतिहस्ताक्षरित

दिनाँक: 29 नवंबर 2013
स्थान: नई दिल्ली

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक 1

31.3.2004 को ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति

(पैरा 1.2 को देखें)

क्र.सं.	राज्य	1991 की जनगणना के अनुसार आवासीय गांवों की कुल संख्या	विद्युतीकृत ग्रामों की कुल संख्या	बकाया अविद्युतीकृत गाँव	विद्युतीकृत ग्रामों की प्रतिशतता
1	आन्ध्र प्रदेश	26,586	26,565	$	100
2.	अरूणाचल प्रदेश	3,649	2,335	1,314	64
3.	असम	24,685	19,081	5,604	77.30
4.	बिहार	38,475	19,251	19,224	50
5	छत्तीसगढ़	19,720	18,532	1,188	94
6.	गोवा	360	360	-	100
7.	गुजरात	18,028	17,940	$	100
8.	हरियाणा	6,759	6,759	-	100
9.	हिमाचल प्रदेश	16,997	16,891	106	99.38
10	जम्मू एवं कश्मीर	6,477	6,301	176	97.28
11.	झारखण्ड	29,336	7,641	21,695	26
12.	कर्नाटक	27,066	26,771	295	98.91
13.	केरल	1,384	1,384	-	100
14.	मध्य प्रदेश	51,806	50,474	1,332	97.43
15.	महाराष्ट्र	40,412	40,351	-	100
16.	मणिपुर	2,182	2,043	139	93.63
17.	मेघालय	5,484	3,016	2,468	55
18.	मिजोरम	698	691	7	99
19.	नागालैंड	1,216	1,216	-	100
20.	उड़ीसा	46,989	37,663	9,326	80.15
21.	पंजाब	12,428	12,428	-	100
22.	राजस्थान	37,889	37,276	613	98.38
23.	सिक्किम	447	405	42	90.60
24.	तमिलनाडु	15,822	15,822	-	100
25.	त्रिपुरा	855	818	37	95.67
26.	उत्तर प्रदेश	97,122	57,042	40,080	58.73
27.	उत्तराखण्ड	15,681	13,131	2,550	83.73
28.	पश्चिम बंगाल	37,910	31,705	6,205	83.63
	कुल (राज्य)	5,86,463	47,382	11,241	80.80
	कुल (संघ शासित राज्य)	1,093	1,090	$	100
	सम्पूर्ण भारत	**5,87,556**	**4,74,982**	**1,12,401***	**80.80**

(स्रोत :–एम.ओ.पी. दिशानिर्देश दिनांक **18** मार्च **2005)**

$ बांकी गांव में विद्युतीकरण संभव नहीं है

*ग्रामीण विद्युतीकरण की नई परिभाषा के अनुसार (*2004-05* से लागू)

अनुलग्नक 2
ग्रामीण आवासीय परिवारों के विद्युतीकरण की स्थिति- 2001 जनगणना
(पैरा 1.2 को देखें)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण आवासीय परिवारों की कुल संख्या	विद्युतीकृत आवासीय परिवार	विद्युतीकृत आवासीय परिवारों का प्रतिशत	अविद्युतीकृत आवासीय परिवारों का प्रतिशत
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,26,76,218	75,61,733	59.65	40.35
2.	अरूणाचल प्रदेश	1,64,501	73,250	44.53	55.47
3.	असम	42,20,173	6,97,842	16.54	83.46
4.	बिहार	1,26,60,007	6,49,503	05.13	94.87
5.	छत्तीसगढ़	33,59,078	15,48,926	46.11	53.89
6.	दिल्ली	1,69,528	1,44,948	85.50	14.50
7.	गोवा	1,40,755	1,30,105	92.43	07.57
8.	गुजरात	58,85,961	42,44,758	72.12	27.88
9.	हरियाणा	24,54,463	19,26,814	78.50	21.50
10.	हिमाचल प्रदेश	10,97,520	10,36,969	94.48	05.52
11.	जम्मू एवं कश्मीर	11,61,357	8,68,341	74.77	25.23
12.	झारखंड	38,02,412	3,79,987	9.99	90.01
13.	कर्नाटक	66,75,173	48,16,913	72.16	27.84
14.	केरल	49,42,550	32,38,899	65.53	34.47
15.	मध्य प्रदेश	81,24,795	50,63,424	62.32	37.68
16.	महाराष्ट्र	1,09,93,623	71,64,057	65.17	34.83
17.	मणिपुर	2,96,354	1,55,679	52.53	47.47
18.	मेघालय	3,29,678	99,762	30.26	69.74
19.	मिजोरम	79,362	35,028	44.14	55.86
20.	नागालैंड	2,65,334	1,50,929	56.88	43.12
21.	उड़ीसा	67,82,879	13,12,744	19.35	80.65
22.	पंजाब	27,75,462	24,82,925	89.46	10.54
23.	राजस्थान	71,56,703	31,50,556	44.02	55.98
24.	सिक्किम	91,723	68,808	75.02	24.98
25.	तमिलनाडु	82,74,790	58,90,371	71.18	28.82
26.	त्रिपुरा	5,39,680	1,71,357	31.75	68.25
27.	उत्तर प्रदेश	2,05,90,074	40,84,288	19.84	80.16
28.	उत्तराखंड	11,96,157	6,02,255	50.35	49.65
29.	पश्चिम बंगाल	1,11,61,870	22,62,517	20.27	79.73

केन्द्र शासित प्रदेश					
1.	अंडमान व निकोबार	49,653	33,807	68.09	31.91
2.	चंडीगढ़	21,302	20,750	97.41	02.59
3.	दादरा व नगर हवेली	32,783	27,088	82.63	17.37
4.	दमन व दीव	22,091	21,529	97.46	02.54
5.	लक्षद्वीप	5,351	5,337	99.74	0.26
6.	पुडुचेरी	72,199	58,486	81.01	18.99
	संपूर्ण भारत	**13,82,71,559**	**6,01,80,685**	**43.52**	**56.48**

(स्रोतः—एम.ओ.पी. दिशानिर्देश दिनांक **18** मार्च **2005)**

अनुलग्नक–3

आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत आर.ई.सी. द्वारा निधियों का 31 मार्च 2012 तक राज्यवार वितरण
(पैरा 1.5 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05 एवं 2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	9	76	238	68	152	142	26	710
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	0	162	83	223	166	40	676
3.	असम	2	35	58	455	450	629	491	2,120
4.	बिहार	327	423	693	631	622	520	260	3,476
5.	छत्तीसगढ़	17	32	50	100	334	164	120	816
6.	गुजरात	0	11	16	46	86	72	27	258
7.	हरियाणा	1	11	22	34	54	18	19	159
8.	हिमाचल प्रदेश	0	7	0	71	110	54	19	261
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0	18	26	163	328	61	68	663
10.	झारखंड	5	257	530	947	689	145	112	2,684
11.	कर्नाटक	63	76	288	62	63	56	43	650
12.	केरल	15	5	0	1	9	29	0	59
13.	मध्य प्रदेश	2	93	140	163	383	256	384	1,421
14.	महाराष्ट्र	0	9	12	112	186	147	49	517
15.	मणिपुर	0	12	5	35	57	86	71	267
16.	मेघालय	0	0	18	11	117	78	94	318
17.	मिजोरम	1	0	0	70	73	70	0	214
18.	नागालैंड	0	4	5	54	49	55	25	192
19.	उड़ीसा	4	56	159	894	889	543	360	2,905
20.	पंजाब	3	0	0	51	0	0	0	54
21.	राजस्थान	49	76	164	269	133	74	200	965
22.	सिक्किम	0	0	0	39	40	39	37	156
23.	तमिलनाडु	0	0	87	17	106	39	36	285
24.	त्रिपुरा	1	0	1	21	48	29	48	148
25.	उत्तर प्रदेश	741	1,382	505	77	173	68	86	3,033
26.	उत्तराखंड	57	249	119	74	92	10	0	601
27.	पश्चिम बंगाल	104	184	73	561	520	449	154	2,045
	कुल योग	**1,403**	**3,014**	**3,368**	**5,110**	**5,987**	**3,998**	**2,772**	**25,652**

अनुलग्नक–4

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित परियोजनाओं का विवरण

(पैरा 2.4 को देखें)

क्र.सं.	राज्य का नाम/ चयनित परियोजनाओं की संख्या	चयनित परियोजना	लागू करने वाली एजेंसी
1.	आंध्र प्रदेश (7)	1. पूर्वी गोदावरी 2. पश्चिमी गोदावरी 3. विजियानगरम्	इस्टर्न पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड (ई.पी.डी.सी.एल.)
		4. महबूब नगर 5. नालगोंडा	सेंट्रल पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड (सी.पी.डी.सी.एल.)
		6. खम्मम	नोर्दन पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड (एन.पी.डी.सी.एल.)
		7. प्रकाशम	सदर्न पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड(एस.पी.डी.सी.एल.)
2.	अरूणाचल प्रदेश (2)	8. लोवर सुबांसीरी 9. पंपुमपारे	पॉवर डिपार्टमेंट
3.	असम (7)	10. करबी ऐंगलौंग 11. मोरीगांव 12. बोंगईगांव 13. बारपेटा 14. गोलपारा	असम स्टेट इलक्ट्रीसिटी बोर्ड (ए.एस.ई.बी.)
		15. सोनीतपुर 16. हैलाकांड़ी	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड़
4.	बिहार (13)	17. सुपौल 18. खगरिया 19. कटिहार	बिहार स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड (बी.एस.ई.बी.)
		20. ईस्ट चंपारन 21. दरभंगा 22. शिवहर 23. वेस्ट चंपारन	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन (एन.एच.पी.सी.)
		24. नालंदा 25. सारन 26. पटना 27. कामूर (भाभुआ) 28. नवादा 29. भोजपुर	पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड़ (पी.जी.सी.आई.एल.)
5.	छत्तीसगढ़ (5)	30. बस्तर 31. दंतेवाडा	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डीस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

			(सी.एस.पी.डी.सी.एल.)
		32. कोरबा	एन.टी.पी.सी.इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एन.ई.एस.सी.एल.)
		33. दुर्ग (पूरक) 34. कवारधा	नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन (एन.एच.पी.सी.)
6.	गुजरात (7)	35. सूरत	दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (डी.जी.वी.सी.एल.)
		36. पंचमहल	मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड(एम.जी.वी.सी.एल.)
		37. भावनगर 38. सुरेन्द्र नगर 39. पोरबंदर	पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (पी.जी.वी.सी.एल.)
		40. मेहसाना 41. पाटन	उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (यू.जी.वी.सी.एल.)
7.	हरियाणा (5)	42. भिवानी 43. फतेहाबाद 44. सिरसा 45. मैवात	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.)
		46. जींद	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.)
8.	हिमाचल प्रदेश (4)	47. चंबा 48. हमीरपुर 49. सिरमौर 50. किन्नौर	हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड (एच.पी.एस.ई.बी.)
9.	जम्मू एवं कश्मीर (4)	51. अनन्तनाग 52. पुलवामा 53. रजौरी	जम्मु एवं कश्मीर स्टेट पॉवर डेवलपमैंट कारपोर्शेन लिमिटेड (जे एण्ड के एस.पी.डी.सी.)
		54. लेह	नेशनल हाईड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन (एन.एच.पी.सी.)
10.	झारखंड (7)	55. वेस्ट सिंहभूम 56. ईस्ट सिंहभूम	झारखंड़ स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड(जे.एस.ई.बी.)
		57. गिरिडिह 58. हजारीबाग 59. कोडरमा	दामोदर वैली कारपोर्शेन (डी.वी.सी.)
		60. देवघर 61. लोहारडागा	एन.टी.पी.सी. इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एन.ई.एस.सी.एल.)
11.	कर्नाटक (7)	62. कोलार	बैंगलोर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (बी.ई.एस.सी.ओ.एम.)

		63.	कोडगू	चामुंडेश्वरी इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (सी.ई.एस.सी.ओ.एम.)
		64.	राईचुर	गुलबर्गा इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (जी.ई.एस.सी.ओ.एम.)
		65. 66. 67. 68.	बेलगाम गडग बीजापुर उत्तर कन्नड़	हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एच.ई.एस.सी.ओ.एम.)
12.	केरल (4)	69. 70. 71. 72.	इद्दूकी मलाप्पुरम वयनाड कोजीकोड़	केरल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड (के.एस.ई.बी.)
13.	मध्य प्रदेश (10)	73.	बेतूल	एम.पी.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एम.पी.एम.के.वी.वी.सी.एल.)
		74. 75. 76. 77. 78.	बालाघाट रीवा नरसिंहपुर सिधी शहडोल	एम.पी.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एम.पी.पी.ओ.के.वी.वी.सी.एल.)
		79. 80. 81.	रतलाम इंदौर धार	एम.पी.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एम.पी.पी.एस.के.वी.वी.सी.एल.)
		82.	अशोक नगर	एन.टी.पी.सी.इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एन.ई.एस.सी.एल.)
14.	महाराष्ट्र (10)	83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.	अहमद नगर बुल्ढाना नांदेड औंरगाबाद सांगली नासिक सिंधुदुर्ग अमरावती थाणे जालना	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एम.एस.डी.सी.एल.)
15.	मणिपुर (3)	93. 94. 95.	चूराचंदपुर इंफाल वेस्ट बिष्णुपुर	पॉवर डिपार्टमैंट
16.	मेघालय (3)	96. 97. 98.	जयंतीयाहिल्स वेस्ट गारोहिल्स वेस्ट खासीहिल्स	मेघालय एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड (एम.ई.ई.सी.एल.)

17.	मिजोरम (3)	99. साईहा 100. एजवाल 101. लंगली	पॉवर डिपार्टमैंट
18.	नागालैंड (3)	102. दीमापुर 103. वोखा 104. मौन	डिपार्टमैंट ऑफ पॉवर
19.	उड़ीसा (7)	105. नयागढ़ 106. नुआपाड़ा	एन.टी.पी.सी.इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एन.ई.एस.सी.एल.)
		107. भद्रक 108. सोनीपुर 109. सुन्दरगढ़ 110. नवरंगपुर	पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (पी.जी.सी.आई.एल.)
		111. गंजम (पूरक)	नेशनल हाईड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन (एन.एच.पी.सी.)
20.	पंजाब (5)	112. अमृतसर 113. फरीदकोट 114. होशियारपुर 115. मनसा 116. सारंगरपुर	पंजाब स्टेट पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.ई.बी.)
21.	राजस्थान (12)	117. उदयपुर 118. बांसवाड़ा 119. चितौरगढ़ 120. झुंझुनू 121. राजसमांद 122. डुंगरपुर	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ए.वी.वी.एन.एल.)
		123. दौसा 124. करौली 125. टौंक	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जे.वी.वी.एन.एल)
		126. चुरू	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जे.डी.वी.वी.एन.एल)
		127. नागौर 128. बारन	पॅवर ग्रिड कार्पोपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.)
22.	सिक्किम (2)	129. ईस्ट सिक्कम 130. वेस्ट सिक्कम	एनर्जी एण्ड पॉवर डिपार्टमेंट
23.	तमिलनाडु (7)	131. कृष्णागिरी 132. टूटीकोरिन 133. नागापट्टिनम 134. त्रिरूवन्नामलाई 135. कान्चीपुरम 136. इरोड 137. विलुपुरम	तमीलनाडु इलैक्ट्रिसीटी बोर्ड (टी.एन.ई.बी.)

24.	त्रिपुरा (2)	138. 139.	ढलाई नॉर्थत्रिपुरा	त्रिपुरा स्टेट इलैक्ट्रिसीटी कार्पोरेशन लिमिटेड (टी. एस.ई.सी.एल.)
25.	उत्तर प्रदेश (15)	140. 141. 142. 143.	कानपुर नगर जालौन इटावा ललितपुर	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डी.वी.वी. एन.एल)
		144. 145.	लखनऊ बाराबंकी	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एम.वी.वी. एन.एल.)
		146.	मुरादाबाद	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पी.वी.वी. एन.एल)
		147. 148. 149. 150. 151.	इलाहाबाद बस्ती सिद्धार्थ नगर मिर्जापुर कौशांबी	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पी.यू.वी.वी. एन.एल)
		152. 153. 154.	रायबरेली सीतापुर कुशी नगर	पॅवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (पी.जी.सी.आई.एल.)
26.	उत्तराखंड (4)	155. 156. 157. 158.	चमौली देहरादून रूद्रप्रयाग टिहरीगढ़वाल	उत्तरांचल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (यू.पी.सी.एल.)
27.	पश्चिम बंगाल (11)	159. 160. 161. 162. 163.	24 परगना (दक्षिण) बर्दवान कूचबिहार मालदा हुगली	वेस्ट बंगाल स्टेट इलैक्ट्रिसीटी बोर्ड (डब्लू.बी. एस.ई.बी.)
		164. 165.	मुर्शिदाबाद उत्तरदिनाजपुर	एन.टी.पी.सी.इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एन.ई.एस.सी.एल.)
		166. 167. 168.	बांकुरा वेस्ट मिदिनापुर (10वीं) वेस्टमिदिनापुर (11 वीं)	पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.)
		169.	पुरूलिया	नेशनल हाईड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन (एन.एच. पी.सी.)
कुल		**169**		

अनुलग्नक 5

2001 जनगणना के अनुसार 80 *प्रतिशत* से अधिक अविद्युतीकृत गाँवों वाले जिलों की सूची

(पैरा 3.5 को देखें)

क्रम सं.	जिले का नाम	राज्य का नाम	अविद्युतीकृत गाँवों की प्रतिशतता	क्या दसवीं योजना में क्रियान्वयन के लिये शामिल किया गया (हाँ/नहीं)
1.	लाँगलई	मिजोरम	80.15	हाँ
2.	बोकारो	झारखण्ड	80.23	हाँ
3.	देबगढ़	उड़ीसा	80.34	नहीं
4.	खगड़िया	बिहार	80.99	नहीं
5.	बान्दा	उत्तर प्रदेश	80.02	हाँ
6.	मुजफ्फरपुर	बिहार	81.21	नहीं
7.	लखीसराय	बिहार	81.89	हाँ
8.	साऊथ गारो हिल्स	मेघालय	82.03	नहीं
9.	कारबी आँगलोंग	असम	82.06	नहीं
10.	समस्तीपुर	बिहार	82.64	नहीं
11.	दरभंगा	बिहार	82.70	हाँ
12.	ज्योतिबा फुले नगर	उत्तर प्रदेश	84.00	नहीं
13.	नॉर्थ काचर हिल्स	असम	84.24	नहीं
14.	महोबा	उत्तर प्रदेश	85.10	हाँ
15.	गजापति	उड़ीसा	85.14	हाँ
16.	रोहतास	बिहार	85.61	हाँ
17.	राँची	झारखण्ड	85.77	नहीं
18.	धुबरी	असम	85.78	नहीं
19.	कैमुर (भबुआ)	बिहार	86.64	हाँ
20.	बक्सर	बिहार	87.09	हाँ
21.	गोपालगंज	बिहार	87.32	हाँ
22.	कोरापुट	उड़ीसा	87.46	नहीं
23.	देवघर	झारखण्ड	87.52	हाँ

24.	रायगढ़	उड़ीसा	87.06	नहीं
25.	शेखपुरा	बिहार	88.01	नहीं
26.	धेमाजी	असम	88.73	नहीं
27.	पूरब चंपारन	बिहार	89.13	हाँ
28.	गढ़वा	झारखण्ड	89.37	हाँ
29.	लोहारडगा	झारखण्ड	89.49	नहीं
30.	सैहा	मिज़ोरम	89.71	नहीं
31.	नबरंगपुर	उड़ीसा	89.71	नहीं
32.	अपर सूबासिरी	अरूणाचल प्रदेश	89.97	नहीं
33.	पश्चिम सिंहभूम	झारखण्ड	90.06	हाँ
34.	गोड्डा	झारखण्ड	90.19	नहीं
35.	शिवहर	बिहार	90.48	हाँ
36.	सारन	बिहार	90.61	हाँ
37.	सीतामढ़ी	बिहार	90.66	हाँ
38.	सहरसा	बिहार	91.14	नहीं
39.	कंधमाल	उड़ीसा	91.15	नहीं
40.	सीवान	बिहार	91.22	हाँ
41.	मधुबनी	बिहार	91.49	हाँ
42.	सुपौल	बिहार	91.83	नहीं
43.	नालन्दा	बिहार	91.88	हाँ
44.	पूर्निया	बिहार	92.30	हाँ
45.	औरंगाबाद	बिहार	92.99	हाँ
46.	भोजपुर	बिहार	93.28	हाँ
47.	चतरा	झारखण्ड	93.30	नहीं
48.	बाँका	बिहार	93.28	हाँ
49.	जमुई	बिहार	93.52	हाँ
50.	ईस्ट कामेंग	अरूणाचल प्रदेश	93.71	नहीं
51.	पश्चिम चंपारन	बिहार	93.73	नहीं
52.	मल्कानगिरी	उड़ीसा	94.14	नहीं

53.	पलामू	झारखण्ड	94.16	हाँ
54.	गिरीडीह	झारखण्ड	94.39	नहीं
55.	दुमका	झारखण्ड	94.60	नहीं
56.	किशनगंज	बिहार	94.79	हाँ
57.	कटिहार	बिहार	94.79	नहीं
58.	नवादा	बिहार	94.81	हाँ
59.	मधेपुरा	बिहार	95.31	नहीं
60.	गुमला	झारखण्ड	95.33	हाँ
61.	साहिबगंज	झारखण्ड	95.34	नहीं
62.	पाकुर	झारखण्ड	95.75	नहीं
63.	जहानाबाद	बिहार	97.08	नहीं
64.	गया	बिहार	97.31	हाँ
65.	अररिया	बिहार	97.61	हाँ

(स्रोत : आर.जी.जी.वी.आई. पर योजना आयोग की मसौदा मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन)

अनुलग्नक 6
अविद्युतीकृत आवासीय परिवारों की भारी संख्या वाले ज़िले की सूचीः जनगणना 2001
(पैरा 3.5 को देखें)

क्रम सं.	ज़िले का नाम	राज्य का नाम	क्या दसवीं योजना के क्रियान्वयन के लिये शामिल किया गया (हाँ / नहीं)
1.	सवाई माधोपुर	राजस्थान	नहीं
2.	वेस्ट खासी हिल्स	मेघालय	नहीं
3.	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश	हाँ
4.	मोन	नागालैण्ड	नहीं
5.	बस्तर	छत्तीसगढ़	नहीं
6.	पन्ना	मध्यप्रदेश	नहीं
7.	बीकानेर	राजस्थान	हाँ
8.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	हाँ
9.	आगरा	उत्तर प्रदेश	हाँ
10.	जाजापुर	उड़ीसा	नहीं
11.	ढलाई	त्रिपुरा	नहीं
12.	करौली	राजस्थान	हाँ
13.	ममित	मिज़ोरम	नहीं
14.	नॉर्थ त्रिपुरा	त्रिपुरा	नहीं
15.	बालेश्वर	उड़ीसा	नहीं
16.	चमफई	मिज़ोरम	नहीं
17.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	हाँ

18.	जौनपुर	उत्तर प्रदेश	हाँ
19.	गंजम	उड़ीसा	हाँ
20.	धौलपुर	राजस्थान	हाँ
21.	बर्धमान	पश्चिम बंगाल	हाँ
22.	लोहित	अरूणाचल प्रदेश	नहीं
23.	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश	हाँ
24.	बारगढ़	उड़ीसा	नहीं
25.	डिब्रूगढ़	असम	नहीं
26.	अपर सुबानसिरी	अरूणाचल प्रदेश	नहीं
27.	नयागढ़	उड़ीसा	हाँ
28.	सरगुजा	छत्तीसगढ़	नहीं
29.	सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	हाँ
30.	कोरिया	छत्तीसगढ़	नहीं
31.	कामरूप	असम	नहीं
32.	पुरी	उड़ीसा	नहीं
33.	देवरिया	उत्तर प्रदेश	हाँ
34.	बंकुरा	पश्चिम बंगाल	हाँ
35.	केन्द्रपारा	उड़ीसा	नहीं
36.	बीरभूम	पश्चिम बंगाल	हाँ
37.	जलपाईगुडी	पश्चिम बंगाल	नहीं
38.	आजमगढ़	उत्तर प्रदेश	हाँ
39.	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	हाँ
40.	रामपुर	उत्तर प्रदेश	हाँ

41.	तिनसुकिया	असम	हाँ
42.	संत कबीर नगर	उत्तर प्रदेश	हाँ
43.	अंबेडकर नगर	उत्तर प्रदेश	हाँ
44.	धेंकमल	उड़ीसा	नहीं
45.	भद्रक	उड़ीसा	नहीं
46.	चंदौली	उत्तर प्रदेश	हाँ
47.	सम्बलपुर	उड़ीसा	नहीं
48.	बांसवाड़ा	राजस्थान	नहीं
49.	अंगुल	उड़ीसा	हाँ
50.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	हाँ
51.	नार्थ 24 परगना	पश्चिम बंगाल	हाँ
52.	बस्ती	उत्तर प्रदेश	हाँ
53.	बलिया	उत्तर प्रदेश	हाँ
54.	नाडिया	पश्चिम बंगाल	नहीं
55.	गोलाघाट	असम	नहीं
56.	हाथरस	उत्तर प्रदेश	हाँ
57.	झांसी	उत्तर प्रदेश	हाँ
58.	जैसलमेर	राजस्थान	हाँ
59.	कुशीनगर	उत्तर प्रदेश	हाँ
60.	हजारीबाग	झारखण्ड	नहीं
61.	सोनितपुर	असम	नहीं
62.	बरेली	उत्तर प्रदेश	हाँ
63.	कानपुर नगर	उत्तर प्रदेश	हाँ

64.	नगाँव	असम	नहीं
65.	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	हाँ
66.	जशपुर	छत्तीसगढ़	नहीं
67.	बाड़मेर	राजस्थान	नहीं
68.	फिरोज़ाबाद	उत्तर प्रदेश	हाँ
69.	जगतसिन्हापुर	उड़ीसा	नहीं
70.	नालबारी	असम	नहीं
71.	सुन्दरगढ़	उड़ीसा	नहीं
72.	दन्तेवाड़ा	छत्तीसगढ़	नहीं
73.	कचर	असम	हाँ
74.	साऊथ 24 परगना	पश्चिम बंगाल	हाँ
75.	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश	हाँ
76.	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	हाँ
77.	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	हाँ
78.	सिद्धार्थनगर	उत्तर प्रदेश	हाँ
79.	बोकारो	झारखण्ड	हाँ
80.	वेस्ट गारो हिल्स	मेघालय	नहीं

(स्रोत : आर.जी.जी.वी.वाई. पर योजना आयोग का मसौदा मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन)

अनुलग्नक 7

राज्य–स्तरीय आर.ई. योजनाओं की अधिसूचना की स्थिति (अगस्त 2013 को)
(पैरा 3.6 को देखें)

क्रम सं.	राज्य का नाम	तिथि जब तक आर.ई. योजना को अधिसूचित किया जाना था	अधिसूचना की तिथि	विलम्ब
1.	आन्ध्र प्रदेश	फरवरी 2007	जुलाई 2011	52महीने
2.	अरूणाचल प्रदेश		मार्च 2009	25 महीने
3.	असम		अप्रैल 2009	26महीने
4.	बिहार		अगस्त 2012	66महीने
5.	छत्तीसगढ़		नवम्बर 2008	20महीने
6.	गुजरात		जनवरी 2008	11 महीने
7.	हरियाणा		दिसम्बर 2011	58 महीने
8.	हिमाचल प्रदेश		अगस्त 2009	30 महीने
9.	जम्मू और कश्मीर		योजना अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है।	
10.	झारखण्ड		अक्तूबर 2009	32 महीने
11.	कर्नाटक		जून 2012	64 महीने
12.	केरल		अक्तूबर 2011	56 महीने
13.	मध्य प्रदेश		दिसम्बर 2008	21महीने
14.	महाराष्ट्र		जुलाई 2009	29 महीने
15.	मणिपुर		सितम्बर 2012	67 महीने
16.	मिज़ोरम		जून 2008	16महीने
17.	मेघालय		मई 2009	27 महीने
18.	नागालैण्ड		मई 2007	3 महीने
19.	उड़ीसा		जून 2009	28 महीने

20.	पंजाब		मार्च 2013	73 महीने
21.	राजस्थान		सितम्बर 2008	19महीने
22.	सिक्किम		योजना अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है।	
23.	तमिलनाडु		दिसम्बर 2007	10 महीने
24.	त्रिपुरा		जुलाई 2011	53महीने
25.	उत्तर प्रदेश		अक्तूबर 2008	20महीने
26.	उत्तराखण्ड		अप्रैल 2012	62 महीने
27.	पश्चिम बंगाल		सितम्बर 2008	19महीने

अनुलग्नक 8
आर.जी.जी.वी.वाई. निधि से राज्य/लोकल कर के अनियमित प्रभार के मामले
(पैरा 4.8 को देखें)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कर	राशि (करोड़ ₹ में)
1.	बिहार	ऐन्ट्री कर राज्य सरकार ने मार्च 2012 तक ₹ 21.13 करोड़ की प्रतिपूर्ति की। यद्यपि, ₹ 4.34 करोड़ प्रतिपूर्ति के लिए बाकी थे (मार्च 2012) आर.जी.जी.वी.वाई निधि से ऐन्ट्री टैक्स भुगतान को स्वीकार करते हुये प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2013) की एन्ट्री कर का भुगतान अनन्तिम है और सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी।	4.34
2.	हिमाचल प्रदेश	वैट और ऐन्ट्री कर करों की राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति कि जानी थी परन्तु इसकी (अक्तूबर 2012 तक) प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।	0.89
3.	जम्मू और कश्मीर	कार्य संविदा कर (तीन परियोजनायें) इंगित करने पर पी.आई.ए. द्वारा कहा गया कि इस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई राशि की प्रतिपूर्ति के मामले को राज्य सरकार के समक्ष रखा गया है।	4.89
4.	कर्नाटक	वैट और कार्य संविदा कर बेलगाम और उत्तरा कन्नड परियोजनाओं में संविदा मूल्य में राज्य कर जैसे कि वैट/डब्ल्यू.सी.टी. शामिल थे, जिनका कि राज्य सरकार से दावा किया जाना था। फिर भी, मामले को प्रतिपूर्ति या छूट के लिए राज्य सरकार के समक्ष नहीं उठाया गया है।	3.16
5.	महाराष्ट्र	वैट और सेवा कर (32 परियोजनायें) ₹ 20.65 करोड़ की प्रतिपूर्ति के दावे को अभी प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है (दिसम्बर 2012) कम्पनी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि करों कीप्रतिपूर्ति के दावे शीघ्र ही भेजे जाएंगें।	20.65
6.	मिज़ोरम	राज्य कर	21.23
7.	पंजाब	राज्य कर/*क्रियान्वयन एजेंसी के उप मुख्य अभियन्ता/आर.ई.पी. ने कहा कि राज्य कर की राशि आर.जी.जी.वी.वाई के अन्तर्गत कार्यों के अंतिम रूप लेने के बाद समायोजित की जायेगी।*	1.60
8.	सिक्किम	वैट और सेस ई.पी.डी. ने कहा (जनवरी 2013) कि आर.जी.जी.वी.वाई. योजना के दिशानिर्देश यह नहीं कहते कि आर.जी.जी.वी.	2.99

		वाई. कार्यों पर राज्य करों को संबंधित राज्य सरकार/राज्य यूटिलिटी द्वारा वहन करना था और इस संबंध में कोई अधिसूचना/प्रपत्र जारी नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एम.ओ.पी.के. का. ज्ञा. (फरवरी 2008) के अनुसार आर.जी.जी.वी.वाई. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत अनुदानों में डयूटी और कर शामिल नहीं है।	
			योग **59.75**

अनुलग्नक 9

कार्य की समाप्ति में विलम्बित मामलों का परियोजना वार विवरण (31-03-2012 तक)

(पैरा 5.5.3 को देखें)

क्रम सं.	राज्य का नाम	परियोजनायें	पहली किस्त देने की तिथि	समाप्ति की लक्ष्यित तिथि (पहली किस्त देने की तिथि से 24 महीने)	समाप्ति की वास्तविक तिथि	कार्य की समाप्ति में विलम्ब (महीनों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	महबूब नगर	21.03.07	20.03.09	प्रगति पर है	36 महीने
		नालगोंडा	21.03.07	20.03.09	प्रगति पर है	36 महीने
		प्रकासम	21.03.07	20.03.09	प्रगति पर है	36 महीने
		खम्मम	29.09.06	28.09.08	प्रगति पर है	42 महीने
		विजियानगरम्	21.03.07	20.03.09	प्रगति पर है	36 महीने
		वेस्ट गोदावरी	21.03.07	20.03.09	प्रगति पर है	36 महीने
		ईस्ट गोदावरी	19.01.09	18.01.11	प्रगति पर है	14 महीने
2.	अरूणाचल प्रदेश	पमपुमपरे	31.03.08	30.03.10	प्रगति पर है	24 महीने
		लोअर सुबनश्री	31.03.08	30.03.10	प्रगति पर है	24 महीने
3.	असम	गोलपारा	31.03.07	30.03.09	प्रगति पर है	36 महीने
		कारबी ऐंगलोंग	06.02.09	05.02.11	प्रगति पर है	13 महीने
		बारपेटा	06.02.09	05.02.11	प्रगति पर है	13 महीने
		मोरीगॉव	30.05.08	29.05.10	प्रगति पर है	22 महीने
		बोंगइगाँव	06.02.09	05.02.11	प्रगति पर है	13 महीने
		सोनितपुर	24.12.08	23.12.10	प्रगति पर है	15 महीने
		हैलाकंडी	03.03.09	02.03.11	प्रगति पर है	12 महीने
4.	बिहार	कटिहार	03.03.09	02.03.11	प्रगति पर है	12 महीने
		सुपौल	03.03.09	02.03.11	प्रगति पर है	12 महीने
		खगरिया	03.03.09	02.03.11	प्रगति पर है	12 महीने
		भोजपुर	21.03.07	20.03.09	प्रगति पर है	36 महीने
		कैमुर	31.01.05	30.01.07	प्रगति पर है	62 महीने
		नालंदा	07.02.06	06.02.08	प्रगति पर है	49 महीने
		नवादा	21.03.07	20.03.09	प्रगति पर है	36 महीने
		पटना	31.01.05	30.01.07	प्रगति पर है	62 महीने
		सारन	31.01.05	30.01.07	प्रगति पर है	62 महीने
		पूर्वी चम्पारन	04.03.05	03.03.07	प्रगति पर है	60 महीने
		पश्चिम चम्पारन	16.10.08	15.10.10	प्रगति पर है	17महीने
		दरभंगा	04.03.05	03.03.07	प्रगति पर है	60 महीने
		शिवहर	04.03.05	03.03.07	प्रगति पर है	60 महीने
		कोरबा	06.06.08	05.06.10	प्रगति पर है	21महीने
		कवरधा	21.03.07	20.03.09	प्रगति पर है	36 महीने

5.	गुजरात	भावनगर	30.05.08	29.05.10	प्रगति पर है	22महीने
		मेहसाना	30.05.08	29.05.10	प्रगति पर है	22महीने
		पंचमहल	04.10.06	03.10.08	आर.ई.सी. द्वारा समाप्ति के लिए अनुमोदित	41महीने
		पाटन	16.10.08	15.10.10	प्रगति पर है	17महीने
		पोरबंदर	03.12.09	02.12.11	प्रगति पर है	03 महीने
		सूरत	04.03.09	03.03.11	प्रगति पर है	12 महीने
		सुरेन्द्र नगर	03.12.09	02.12.11	प्रगति पर है	03 महीने
6.	हरियाणा	जींद	03.09.09	02.09.11	प्रगति पर है	06 महीने
		सिरसा	03.12.08	02.12.10	प्रगति पर है	15 महीने
		भिवानी	11.12.08	10.12.10	प्रगति पर है	15 महीने
		फतेहाबाद	26.02.09	25.02.11	प्रगति पर है	13 महीने
		मेवात	26.02.09	25.02.11	प्रगति पर है	13 महीने
7.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	19.03.07	18.03.09	प्रगति पर है	36 महीने
		हमीरपुर	03.03.09	02.03.11	प्रगति पर है	12 महीने
		सिरमौर	03.03.09	02.03.11	प्रगति पर है	12 महीने
		किन्नौर	09.07.09	08.07.11	प्रगति पर है	08 महीने
8.	जम्मू और कश्मीर	राजौरी	21.12.09	20.12.11	प्रगति पर है	03 महीने
		अनंतनाग	19.01.09	18.01.11	प्रगति पर है	14 महीने
		पुलवामा	21.12.09	20.12.11	प्रगति पर है	03 महीने
		लेह	03.12.08	02.12.10	प्रगति पर है	40 महीने
9.	झारखण्ड	वेस्ट सिंहभूम	21.03.07	20.03.09	प्रगति पर है	36 महीने
		ईस्ट सिंहभूम	21.03.07	20.03.09	प्रगति पर है	36 महीने
		देवघर	30.03.07	29.03.09	प्रगति पर है	36 महीने
		लोहारडागा	08.09.08	07.09.10	प्रगति पर है	18 महीने
		कोडरमा	21.03.07	20.03.09	प्रगति पर है	36 महीने
		हज़ारीबाग	31.03.08	30.03.10	प्रगति पर है	24 महीने
		गिरिडीह	31.03.08	30.03.10	प्रगति पर है	24 महीने
10.	कर्नाटक	कोलार	17.04.06	16.04.08	प्रगति पर है	47 महीने
		रायचूर	22.03.06	21.03.08	प्रगति पर है	48 महीने
		बीजापुर	08.02.06	07.02.08	प्रगति पर है	49 महीने
		गडग	08.02.06	07.02.08	प्रगति पर है	49 महीने
		कोडागू	06.10.09	05.10.11	प्रगति पर है	05 महीने
		बेलगाम	31.03.08	30.03.10	प्रगति पर है	24 महीने
		उत्तर कन्नड	31.03.08	30.03.10	प्रगति पर है	24 महीने
		इद्दुकी	21.03.07	20.03.09	प्रगति पर है	36 महीने
11.	मध्य प्रदेश	इंदौर	21.07.06	20.07.08	प्रगति पर है	44 महीने
		धार	05.02.09	04.02.11	प्रगति पर है	13 महीने
		रतलाम	05.02.09	04.02.11	प्रगति पर है	13 महीने

		बेतुल	06.03.09	05.03.11	प्रगति पर है	12 महीने
		नरसिंगपुर	16.12.09	15.12.11	प्रगति पर है	03 महीने
		बालाघाट	30.03.09	29.03.11	प्रगति पर है	12 महीने
		रीवा	31.07.09	30.07.11	प्रगति पर है	08 महीने
		शहडोल	31.03.09	30.03.11	प्रगति पर है	12 महीने
		अशोक नगर	20.07.06	19.07.08	प्रगति पर है	44 महीने
12.	महाराष्ट्र	अहमदनगर	23.10.08	22.10.10	प्रगति पर है	17 महीने
		बुलढाना	28.08.08	27.08.10	प्रगति पर है	19 महीने
		नान्देड़	29.03.07	28.03.09	आर.ई.सी. द्वारा समाप्ति के लिए अनुमोदित	36 महीने
		औरंगाबाद	26.02.09	25.02.11	प्रगति पर है	13 महीने
		सांगली	23.10.08	22.10.10	प्रगति पर है	17 महीने
		नाशिक	23.10.08	22.10.10	प्रगति पर है	17 महीने
		सिंधुदुर्ग	26.02.09	25.02.11	प्रगति पर है	13 महीने
		अमरावती	23.10.08	22.10.10	प्रगति पर है	17 महीने
		थाने	26.02.09	25.02.11	प्रगति पर है	13 महीने
		जलना	28.08.08	27.08.10	प्रगति पर है	19 महीने
13.	मणिपुर	चूराचंदपुर	06.10.09	05.10.11	प्रगति पर है	05 महीने
		बिश्नुपुर	06.10.09	05.10.11	प्रगति पर है	05 महीने
		इम्फाल वेस्ट	06.10.09	05.10.11	प्रगति पर है	05 महीने
14.	मेघालय	जयन्तिया हिल्स	10.07.07	09.07.09	प्रगति पर है	32 महीने
		वेस्ट गारो हिल्स	15.12.09	14.12.11	प्रगति पर है	03 महीने
		ईस्ट खासी हिल्स	15.12.09	14.12.11	प्रगति पर है	03 महीने
15.	मिज़ोरम	लंगलेई	08.09.08	07.09.10	प्रगति पर है	18 महीने
		सैहा	08.09.08	07.09.10	प्रगति पर है	18 महीने
		आइजॉल	08.09.08	07.09.10	प्रगति पर है	18 महीने
16.	नागालैण्ड	दिमापुर	15.10.08	14.10.10	प्रगति पर है	17 महीने
		मोन	15.10.08	14.10.10	प्रगति पर है	17 महीने
		वोखा	15.10.08	14.10.10	प्रगति पर है	17 महीने
17.	उड़ीसा	नयागढ़	20.03.07	19.03.09	प्रगति पर है	36महीने
		नुआपाड़ा	28.08.08	27.08.10	प्रगति पर है	19महीने
		भद्रक	16.10.08	15.10.10	प्रगति पर है	17 महीने
		सोनीपुर	02.09.08	01.09.10	प्रगति पर है	18 महीने
		सुन्दरगढ़	16.10.08	15.10.10	प्रगति पर है	17 महीने
		नवंरगपुर	16.10.08	15.10.10	प्रगति पर है	17 महीने
18.	पंजाब	फरीदकोट	08.10.08	07.10.10	प्रगति पर है	17 महीने
		होशियारपुर	08.10.08	07.10.10	प्रगति पर है	17 महीने
		मानसा	08.10.08	07.10.10	प्रगति पर है	17 महीने
		अमृतसर	08.10.08	07.10.10	प्रगति पर है	17 महीने

		संगरूर	08.10.08	07.10.10	प्रगति पर है	17 महीने
19.	राजस्थान	उदयपुर	30.03.05	29.03.07	प्रगति पर है	60 महीने
		बांसवाड़ा	04.06.08	03.06.10	प्रगति पर है	21 महीने
		चित्तौड़गढ़	16.03.05	15.03.07	प्रगति पर है	60 महीने
		झुंझनू	18.08.06	17.08.08	प्रगति पर है	43 महीने
		राजसमन्द	12.04.06	11.04.08	प्रगति पर है	47 महीने
		करोली	16.03.05	15.03.07	प्रगति पर है	60 महीने
		चुरू	22.03.06	21.03.08	प्रगति पर है	48 महीने
		टोंक	05.06.08	04.06.10	प्रगति पर है	21 महीने
		दौसा	22.03.06	21.03.08	प्रगति पर है	48 महीने
		डुंगरपुर	12.04.06	11.04.08	प्रगति पर है	47 महीने
		नागौर	01.12.08	30.11.10	प्रगति पर है	16 महीने
		बारन	30.05.08	29.05.10	प्रगति पर है	22 महीने
20.	सिक्किम	ईस्ट सिक्किम	06.02.09	05.02.11	प्रगति पर है	13 महीने
		वेस्ट सिक्किम	06.02.09	05.02.11	प्रगति पर है	13 महीने
21.	तमिलनाडु	विल्लुपुरम	31.03.08	30.03.10	प्रगति पर है	24महीने
		कृष्णागिरी	31.03.08	30.03.10	प्रगति पर है	24महीने
		तुतीकोरिन	31.03.08	30.03.10	प्रगति पर है	24महीने
		नागापट्टिनम	31.03.08	30.03.10	प्रगति पर है	24महीने
		तिरूवन्नामलाई	31.03.08	30.03.10	प्रगति पर है	24महीने
		कांचीपुरम	31.03.08	30.03.10	प्रगति पर है	24महीने
		एरोड़	31.03.08	30.03.10	प्रगति पर है	24महीने
22.	त्रिपुरा	ढलाई	03.02.09	02.02.11	प्रगति पर है	13 महीने
		नॉर्थ त्रिपुरा	04.09.09	03.09.11	प्रगति पर है	06 महीने
23.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	31.01.05	30.01.07	प्रगति पर है	62 महीने
		बाराबंकी	31.01.05	30.01.07	प्रगति पर है	62 महीने
		कानपुर नगर	09.03.05	08.03.07	प्रगति पर है	60 महीने
		इटावा	09.03.05	08.03.07	प्रगति पर है	60 महीने
		जालौन	09.03.05	08.03.07	प्रगति पर है	60 महीने
		ललितपुर	09.03.05	08.03.07	प्रगति पर है	60 महीने
		इलाहाबाद	31.01.05	30.01.07	प्रगति पर है	62 महीने
		कौशाम्बी	31.01.05	30.01.07	प्रगति पर है	62 महीने
		मुरादाबाद	09.03.05	08.03.07	प्रगति पर है	60 महीने
		मिर्जापुर	31.01.05	30.01.07	प्रगति पर है	62 महीने
		सिद्धार्थ नगर	31.01.05	30.01.07	प्रगति पर है	62 महीने
		बस्ती	31.01.05	30.01.07	प्रगति पर है	62 महीने
		रायबरेली	31.01.05	30.01.07	प्रगति पर है	62 महीने
		सीतापुर	15.03.05	14.03.07	प्रगति पर है	60 महीने
		कुशीनगर	04.03.05	03.03.07	प्रगति पर है	60 महीने

24.	उत्तराखण्ड	टिहरी गढ़वाल	19.12.05	18.12.07	प्रगति पर है	51 महीने
		चमोली	09.12.05	08.12.07	प्रगति पर है	51 महीने
		देहरादून	22.03.07	21.03.09	प्रगति पर है	36 महीने
		रूद्रप्रयाग	09.12.05	08.12.07	प्रगति पर है	51 महीने
25.	पश्चिम बंगाल	बर्दवान	18.02.05	17.02.07	आर.ई.सी. द्वारा समाप्ति के लिए अनुमोदित	61 महीने
		24 परगना	18.02.05	17.02.07	प्रगति पर है	61 महीने
		कूचबिहार	25.02.09	24.02.11	प्रगति पर है	13 महीने
		मालदा	18.02.05	17.02.07	प्रगति पर है	61 महीने
		हुगली	09.02.09	08.02.11	प्रगति पर है	13 महीने
		पुरूलिया	31.01.05	30.01.07	30.06.07	05 महीने
		बंकुरा	31.01.05	30.01.07	31.01.2008	12 महीने
		मेदिनीपुर (प.)	24.03.05	23.03.07	12.02.2010	35 महीने
		मेदिनीपुर (प.) (पूरक)	23.10.08	22.10.10	प्रगति पर है	17 महीने
		उत्तर दिनाजपुर	28.08.08	27.08.10	आर.ई.सी. द्वारा समाप्ति के लिए अनुमोदित	19महीने
		मुर्शिदाबाद	28.08.08	27.08.10	आर.ई.सी. द्वारा समाप्ति के लिए अनुमोदित	19महीने

अनुलग्नक 10
लिक्विडेटेड डेमेज (एल.डी.) का राज्यवार विवरण
(पैरा 5.5.3 को देखें)

क्रम सं.	राज्य	एल.डी. लगाने का कारण	क्या एल.डी. लगाई गई	ठेकेदार को अदेय लाभ– एल.डी. की राशि (करोड़ ₹ में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	ठेकेदार के निवेदन पर संविदाओं को अपूर्ण समाप्त करना क्योंकि ठेकेदारों ने अधिक मूल्य वृद्धि के कारण कार्य को पूर्ण करने में असमर्थता दिखाई।	नहीं	6.70
2.	अरूणाचल प्रदेश	जाँच परीक्षण से पता चला कि ठेकेदार आठ जिलों में काम पूरे नहीं कर सके। विलम्ब 5 से 31 महीनों का था और परियोजनायें अभी पूरी होनी है (नवम्बर 2012)	नहीं	23.25
3.	असम	राज्य द्वारा ली गई परियोजनाओं में से कोई भी समय पर पूरी नहीं हो सकी और विलम्ब 14 से 40 महीनों का था	नहीं	31.01[1]
4.	छत्तीसगढ़	बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों में काम एल.ओ. ए. के अनुसार समापन की निर्धारित तिथि से 12 महीने समाप्त होने के बाद भी समाप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2012 तक)	नही	14.12
5.	गुजरात	डिसकॉम द्वारा छः जिलों में नियुक्त किये गये टर्नकी ठेकेदारों में से कोई भी निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा नहीं कर सका। ठेकेदारों द्वारा कार्यों को समाप्त करने में 8 से 23 महीनों का विलम्ब हुआ यद्यपि चार जिलों में कार्य समाप्ति में विलम्ब के लिए ठेकेदार जिम्मेदार थे फिर भी आर.ई.सी. /डिसकाम ने समयसीमा में वृद्धि अनुमोदित की।	नही[2] दो जिलों में जुर्माना माफ किया गया	8.54[3]
6.	हरियाणा	भिवानी जिले में, ठेकेदार निर्धारित समय में कार्य पूरा करने में असफल रहा और डिसकॉम ने पहली बार ठेकेदार को समयसीमा में 189 दिनों की बढ़ोत्तरी प्रदान की (18 जून 2010)।तत्पश्चात समयसीमा में 31 अगस्त 2010 तक वृद्धि प्रदान की गई। ठेकेदार 31 अगस्त 2010 तक की बढ़ाई	हॉ	62.57 लाख रूपये की बजाय ₹ 33.42 लाख का जुर्माना

[1]केवल पाँच जिलों–बारपेटा बोनगईगाँव, मोरीगाँव, गोलपारा और कारबी अंगलोंग के संदर्भ में एल.डी. गणना
[2]संविदा के अनुसार एल.डी. को प्रतिसप्ताह 0.5 प्रतिशत पर लगाया जाना था जो कि संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत तक हो सकती थी।
[3]चार ज़िलों हेतु

		गई अवधि के खत्म होने के बाद भी कार्य पूरा करने में असफल रहा।		लगाया गया। इसलिए ₹ 0.29 करोड़ की कम वसूली हुई।
7.	हिमाचल प्रदेश	अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि तीन जिलों (चम्बा, किन्नौर और सिरमौर) में 15 ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में असफल रहे और डिसकॉम द्वारा उन्हें कोई समयसीमामें बढ़ोतरी नहीं मंजूर की गई।	नही	2.59
8.	जम्मू और कश्मीर	पाँच जिलों के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि संबंधित ठेकेदार आवंटित कार्यों को 12 महीनों की निर्धारित अवधि में पूरा करने में असफल रहे। विलम्ब 64 से 120 हफ्तों का था। परियोजनायें मार्च 2012 तक भी प्रगति पर थी।	नही	11.57
9.	झारखण्ड	चुने हुये जिलों में ₹ 410 करोड़ की राशि पर 10 *प्रतिशत* के हिसाब से एल.डी. नहीं वसूली गयी। बोर्ड ने वेस्ट सिंहभूम के लिए 31.12.2012 व ईस्ट सिंहभूम के लिए 30.03.2012 तक 10 *प्रतिशत* एल.डी. के साथ समयसीमा में वृद्धि अनुमोदित की किन्तु इसे वसूल नहीं किया गया।	नही	41.00
10.	कर्नाटक	गडग, कोडगू और उत्तर कन्नड में परियोजनायों के कार्य समापन की निर्धारित अवधि के बाद भी विलम्बित थी। गडग और उत्तर कन्नड के संबंध में लेवी न लगाने/कम लगाने के कारणों को अभिलेखित नहीं किया गया। कोडगू परियोजना की संविदा अवधि को समय समय पर बढ़ाया गया 31 दिसम्बर 2012 तक थीकोडगू परियोजना को यह मानते हुऐ बढाया गया कि कोडगू एक पहाडी इलाका है, परियोजना आर.ई.सी. द्वारा विलम्ब से अनुमोदित की गई थी और 11 वीं पंचवर्षीय योजना को परियोजनाओं की समयसीमा दिसम्बर 2012 तक बढा दी थी।	नही	6.10
11.	केरल	तय समय सीमा में काम के पूरा न होने के बाबजूद, राज्य बिजली बोर्ड (के.रा.वी.बो.) ने वायनाड जिला के लिए ठेकेदारों से	हां	₹ 0.38 करोड़ क्षतिपूर्ति

		(₹ 51.36 लाख) की क्षतिपूर्ति मुआवजो की वसूली नहीं की। रा.वि.वो. के.एस.ई.बी.) ने जवाब दिया कि ₹ 13.40 लाख की राशि एल.डी. की वसूली ठेकेदारों से करली गई है। शेष राशि आगामी बिलों से वसूल कर ली जाएगी।		मुवाबजे की वसूली।
12.	मध्य प्रदेश	आर.ई.सी. द्वारा ठेका प्रपत्र (एल.ओ.ए.) जारी करने की तिथि से पूरा होने की अवधि को 24 माह का विस्तार देने के बाबजूद चयनित सभी नौ जिलों में परियोजनाओं के पूरा होने मे देरी थी। मार्च 2012 तक तीन से पन्द्रह महीनों तक का विलंब था।	₹ 4.71 करोड़ वसूलने योग्य में से ₹ 8.01 करोड़ की राशि वसूल की गयी।	₹ 16.70 करोड़ की एल.डी. की कम वसूली
13.	मणिपुर	इम्फाल पश्चिम, विष्णुपुर, चूराचांदपुर नामक तीन परियोजनाओं में समाप्ति की तिथि को 30 नवंवर 2011 तक बढ़ाने के बावजूद ठेकेदार द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया और वह एल.डी. के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे।	नही	7.25
14.	मिजोरम	सितम्बर 2008 तक ठेकेदारो को जारी किये गये ठेका प्रपत्र (एल.ओ.ए.) में आपूर्ति एंव निर्माण कार्य के लिए निधारित तिथि के बाद आपूर्ति की गई सामग्री के मूल्य पर 0.5 *प्रतिशत* प्रति सप्ताह की दर से एल.डी. का प्रावधान किया गया था। जो कि अनुसुचित तिथि तक आपुर्ति नही की गई सामग्री के मूल्य के 5 *प्रतिशत* से ज्यादा नही होना चाहिए था। तथापि पी.एन्ड ई.डी.द्वारा काम पूरा होने की निर्धारित तिथि से पहले निर्माण सामग्री की आपूर्ति में विफल होने पर भी ठेकेदारो से एल.डी. नही ली गयी।	नही	5.62
15.	नागालैंड	ठेका प्रपत्र एल.ओ.ए.के अनुसार चयनित तीन जिलो में परियोजनाओ को जुलाई 2010 एंव सितम्बर 2010 में पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया था।आर.ई.सी.ने कार्य पूरा होने की नियत समय को सितम्बर 2012 तक विस्तारित किया। यद्यपि विस्तारित समय सीमा के समाप्त होने पर भी नवम्बर 2012 तक कार्य पूरा नही किया गया था। फिर भी दोषी को समझौते के उपबंध के अनुसार उसके विरुद्ध एल.डी. जाने की सूचना जारी करने की कोई पहल नही की गयी।	नही	3.98

16.	राजस्थान	10वीं योजना के तहत डिसकॉम ने 18 परियोजनायें टर्नकी आधार पर दी। कार्य आदेश के अनुसार निर्धारित तिथि से सभी 18 परियोजनाओँ में विलंब था। कार्य में 4 से 52 महीनों तक का विलंब के लिए डिसकॉम ने ठेकेदारों पर ₹ 73.68 लाख का जुर्माना लगाया। हालाँकि डिसकॉम जे.वी.वी. एन.एल.के इस मामले में प्रारंभ से ₹ 4.44 करोड़ को जुर्माना लगाया गया जिससे सामग्री की आपूर्ति में विलंब एवं आर.ओ.डब्लू.समस्या के आधार पर समाप्ति तिथि को बढ़ा कर ₹ 4.21 करोड़ वापस कर दिया। एक और डिसकॉम, ए.वी.वी.एन. एल.ने कार्य आदेश इस शर्त के साथ दिया कि निर्धारित तिथि के भीतर 100 *प्रतिशत* कार्य पूरा होने में देरी के मामलों मे अनुबंध मूल्य का 0.25 *प्रतिशत* प्रति सप्ताह प्रथम चार सप्ताह के लिए तथा अनुबंध मूल्य का 0.50 *प्रतिशत* प्रति सप्ताह 5 *प्रतिशत* से अधिक नही लगाया जाना था।तदापि ए.वी. वी.एन.एल. ने ₹ 37.28 लाख काम की देरी के लिए क्षतिपूर्ति गणना की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.81 करोड़ की कम वसूली हुई। मार्च 2012 तक ग्यारहवीं योजना में कुल 10 परियोजनाओं मे अवार्ड किया गया। सभी परियोजनाऐं निर्धारित तिथि से 29 से 44 माह तक विलम्बित चल रही थी। (31 दिसंवर 2012 तक)। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गयी सूचनाओं के अनुसार एल.डी. ₹ 11.57 करोड़ सीमा तक 8 परियोजनाओं मे से काटा गया था।		
17.	सिक्किम	ई.पी.डी. ने फरवरी 2009 के दौरान आर.जी. जी.वाई.कार्य से संबधित चार जिलों के आठ पैकेज विभिन्न आठ ठेकेदारों को आबंटित किये एंव इस कार्य को पूरा करने की अवधि 18 महीने निर्धारित की गई। केवल तीन कार्य मार्च 2012 तक पूर्ण कर किये गए। एवं बचे हुऐ कार्य प्रगति पर थें। दिसंवर 2012 तक 29 महीने से अधिक का विलम्ब चल रहा था।	नही	1.40
18.	त्रिपुरा	दो जिलो (ढलाई एवं उत्तरी त्रिपुरा) मे दो टर्नकी ठेकों से सम्बंधित कार्य निर्धारित समय मे पूरा नही किया गया था एवं निर्धारित समय से दो साल विलंबित था।	नही	3.27

अनुलग्नक–11

मोबिलाइजेशन एडवांस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का राज्य विशेष विवरण

(पैरा 5.7 को देखें)

क्रम संख्या	राज्यों के नाम	सारांश	प्रभाव	ब्याज हानि ₹ करोड़ में
1.	अरूणाचल प्रदेश	राशि ₹ 3.22 करोड़ मोबिलाइजेशन एडवांस (जीरो –I के लिए ₹ 0.48 करोड़, जीरो–II के लिए ₹ 1.29 करोड़ एवं रागा के लिए ₹ 1.45 करोड) ठेकेदार को प्रारंभिक अग्रिम 15 *प्रतिशत* की दर से एवं 10 *प्रतिशत* सामग्री एंव निर्माण की आपूर्ति एवं निर्माण के लिए क्रमशः प्रदान किये गये। समझौते में कोई एम.ए. की समय आधारित वसूली एवं उस पर ब्याज की वसूली का कोई उपबंध नही था। अतः विभाग ने ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत चालू खाता बिलों के विरुद्ध अग्रिम का हिस्सा समायोजित किया	निधियों का अवरोध ₹ 3.22 करोड़ की सीमा तक की निधि 3 से 17 महीने की अवधि के लिए ठेकेदारी के पास अवरूध हो गई। सरकार को ब्याज की हाानि।	0.16
2.	छत्तीसगढ़	बस्तर जिले में ₹ 2.28 करोड़ (अगस्त 2010) एम.ए.के रूप में ठेकेदार (चन्दालावादा इन्फ्रा प्रा.लि.) को जारी किया गया था। ठेकेदार ने जुलाई 2012 तक 8 बिल प्रस्तुत किये। इन मे से तीन बिल एम.ए. के मूल धन भाग का ₹ 21.70 लाख एंव ब्याज के भाग का ₹ 28.77 लाख की वसूली के साथ (मई 2011) तक भुगतान के लिए पास किए गए थे। अप्रैल 2012 के बाद जारी किये गये बिलों में से ना तो बकाया मूल धन ना ही उस पर ब्याज की वसूली की गई, जैसा कि जुलाई 2012 में मुख्य अभियंता द्वारा आदेश दिया गया था कि एम.ए.और उस पर ब्याज ठेकेदार के बिल से न काटा जाऐ। इसलिए ठेकेदार को ₹ 2.41 करोड (अग्रिम ₹ 2.06 करोड़ ब्याज 0.35 करोड़) का अनुचित ब्याज दिया गया।		0.35

3.	गुजरात	डी.जी.वी.सी.एल,पी.जी.वी.सी.एल.और यू.जी.वी.सी.एल.ने टर्नकी ठेकेदारों को ब्याज रहित ₹ 10.74 करोड़ एम.ए. स्वीकृत किया। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि ➢ पी.जी.वी.सी.एल. ने ठेकेदार को शुरू में 20 *प्रतिशत* के बराबर और बाद मे अतिरिक्त 10 *प्रतिशत* एम.ए. स्वीकृत की। ➢ यू.जी.वी.सी.एल. ने सामग्री लागत के लिए 15 *प्रतिशत* तथा श्रम लागत के लिए 10 *प्रतिशत* के बराबर एम.ए. स्वीकृत किया। सूरत और पाटन जिलों मे लेखापरीक्षा तिथि तक मोबिलाइजेशन एडवांस राशि ₹ 1.29 करोड़ नियत तिथि के समाप्त होने के बाबजूद नही वसूल की जा सकी जो कि सी. वी.सी.के दिशानिर्देश के विरुद्ध है। एम.ए.के किस्तो में निर्गमन से सबंधित सी.वी.सी.के दिशानिर्देशों का पालन पी.जी.वी.सी.एल.एवं डी.जी.वी. सी. एल द्वारा नही किया गया और एम.ए.की पूरी राशि एक ही किस्त में जारी कर दी गई।	अधिक मोबिलाइजेशन एडवांस राशि ₹ 2.54 करोड़ पी.जी.वी.सी.एल. ने ठेकेदारों को मोबिलाइजेशन एडवांस अग्रिम ₹ 2.55 करोड़ की जगह 30 *प्रतिशत* जो कि ₹ 5.09 करोड़ दे दिया। निधियों को अवरोधन असमायोजित राशि ₹ 1.29 करोड़ मई 2009 से नवम्बर 2012 तक अविरुद्ध रही।	0.85
4.	मध्य प्रदेश	तीन डिसकॉम में से पश्चिम डिसकॉम ने अपने नीलामी दस्तावेज मे नियत तिथि से समाप्ति की देरी में असमायोजित अग्रिम पर ब्याज की वसूली 12 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष का प्रावधान किया गया था और तीन जिलों में ठेकेदारो से ₹ 3.29 करोड. की वसूली की। अन्य डिसकॉम ने इसे शामिल नही किया और असमायोजित अग्रिम पर ₹ 4.40 करोड़ ब्याज वसूल करने का मौका गवा दिया। अन्य डिसकॉम ने आर.ई.सी के दिशानिर्देशों का पालन नही किया है और उन के ठेको के उपबंध दिशानिर्देशो से भिन्न थे। (एम.ए के ₹ 52.83 करोड़)	सरकार का ब्याज नुकसान पूर्वी डिसकॉम ₹ 5.34 करोड़ और मध्य डिसकॉम ₹ 0.95 करोड करोड़ निधियों का अवरोधन असमायोजित राशि ₹ 49.54 करोड़ मार्च 2012 तक	6.29
5.	महाराष्ट्र	पाँच परियोजनाओ (औरगाबाद, अमरावती, जलना, नासिक एंव सांगली) जो वर्ष 2008–09 से 2010–11 के बीच दिया गया के	**निधि का अवरोध** अवरोध ठेके में निर्धारित समय के अनुसार अग्रिम की	1.59

		जाँच परीक्षण में पाया गया कि ₹ 14.99 करोड़ ब्याज रहित मोबिलाइजेशन एडवांस ठेकेदारों से बैंक प्रत्याभूति प्राप्त होने के बाद प्रदत किया गया। इन सभी परियोजनाओ को ठेका प्रपत्र (एल.ओ.ए.) प्राप्त होने की तारीख से 12 से 18 महीने की अवधि के भीतर मार्च 2010 से अगस्त 2011 तक समाप्त किया जाना था। लेकिन यह देखा गया कि इन पाँच परियोजनाओ की कार्य प्रगति निर्धारित समय के अनुसार नही थी। यद्यपि कंपनी ने ठेकेदारों से एम.ए.की वसूली निर्धारित समय पर पूर्ण किये जाने योग्य कार्य के स्थान पूर्ण किये गये कार्यों के मूल्य पर 10 *प्रतिशत* की दर से कर ली।	वसूली न ही किये जाने के कारण वजह से ठेकेदार के पास ₹ 11.43 करोड़ राशि 15 से 21 महीने तक की अवधि के लिए ठेकेदार के पास पड़ी रही। सरकार को ब्याज की हानि हुई।	
6.	मणिपुर	तीन सम्बंधित मंडल (इम्फाल विद्युत मंडल–II, चूराचंदपुर विद्युत मंडल एंव विष्णुपुर विद्युत मंडल) में अभिलेखो के जांच के दौरान पाया गया कि ठेकेदारों को आपूर्ति और निर्माण घटक के लिए वसूल किये जाने योग्य ब्याज रहित एम.ए.राशि ₹ 20.12 करोड़ भुगतान किये गये।	**निधि का अवरोधः** ₹ 12.02 करोड की राशि 31 से 35 महीनों की अवधि तक ठेकेदार के पास अवरूद्ध रही।	4.20
7.	नागालैण्ड	संविदा की शर्तों और नियमों की धारा 4 की उपधारा (क) के अनुसार ठेकेदारों को 15 *प्रतिशत* के दर से मोबिलाइजेशन एडवांस (एम.ए.) का भुगतान होना निर्धारित था। फिर भी छः जिलों के ठेकेदारों को 25 *प्रतिशत* की दर से **₹ 30.37 करोड़** का एम.ए. दिया गया। एम.ए. की दर को बढ़ाने के लिए विभाग ने मंत्रालय या सरकार से पूर्वानुमति भी नहीं ली। 10वीं योजना के तहत विभाग ने फेक और जुहन बोटो के संबंध में दो ठेकेदारों को निविदा का पत्र दिया। (जनवरी एवं जून 2007)। तदनुसार ठेकेदारों को ₹ 4.23 करोड़ एम.ए. दिया गया जिसमें से ₹ 2.62 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई।	**अधिक एम.ए.:** ठेकेदार को अधिक एम.ए. **₹ 12.15 करोड़** की अनुचित वित्तीय सहायता का दिया जाना। **निधि का अवरोधः** दोषी ठेकेदार द्वारा 32 महीने तक एम.ए. का भुगतान न करने के कारण **₹ 1.61 करोड़** का अतिरिक्त निधि अवरोध हुई।	0.66

		बाद में अनुबंध को निरस्त करके शेष कार्य के लिए नई निविदा जारी की गई। परिणामतः ठेकेदारों को ₹ 1.61 करोड़ की राशि की असमायोजित वापसी के लिए कहा गया। फिर भी, ठेकेदारों ने 32 महीने तक बकाया मोबिलाइजेशन एडवांस वापस नहीं किया। वे ठेकेदार जो पैसा वापस नहीं कर पाये उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई।		
8.	सिक्किम	ऊर्जा विद्युत विभाग (ई.डी.पी) ने आपूर्ति एवं निर्माण दोनों अनुबंध मूल्य दोनों के लिए 25 *प्रतिशत* की दर से ₹ 33.46 करोड़ की आरम्भिक अग्रिम की अनुमति दी। आर.ई.सी. द्वारा जारी निर्देशों में दी गई प्रक्रियाओं (आपूर्ति के लिए 15 *प्रतिशत* एवं निर्माण कार्य के लिए 10 प्रतिशत) को अपना ने में ई.पी.डी. की असफलता से अतिरिक्त एम.ए. का भुगतान हुआ। फलरूवरूप अधिक मोबिलाइजेशन एडवांस का भुगतान हुआ।	**अधिक एम.ए.:** ठेकेदार को अधिक एम.ए. के आधार पर **₹ 14.92 करोड़** के रूप में अनुचित लाभ का दिया जाना। सरकार को ब्याज की हानि।	2.71
9.	उत्तर प्रदेश	ब्याज की दर को डिस्कॉस ने एन. आई.टी./निविदा दस्तावेजों में नहीं बताया। इस के अतिरिक्त डिस्कॉम ने 12 परियोजनाओं के लिए ठेकेदारों को ब्याज मुक्त अग्रिम **₹ 103.11 करोड़** (वस्तु की लागत का 15 *प्रतिशत* (₹ 88.32 करोड़ एवं निर्माण कार्य की लागत का 10 *प्रतिशत* ₹ 14.78 करोड़) जारी किया। यह सी.वी.सी. के निर्देशों के विरुद्ध था।	सरकार को ब्याज की हानि	32.25 (जनवरी 2006 से मार्च 2012)
10.	उत्तराखण्ड	कम्पनी ने 13 जिलों में आर.जी.जी. वी.वाई. कार्यो में लगे सभी 13 ठेकेदारों को **₹ 71.41 करोड़** की ब्याज मुक्त एम.ए. प्रदान किया। (दिसम्बर 2005–जनवरी 2006) सी. वी.सी. के निर्देशों से संबंधित निम्नलिखित अनियमितताएँ देखी गयीं थीं। • एम.ए. की वसूली के लिए कम्पनी ने कोई समय सीमा तय	सरकार को ब्याज की हानि	7.61

		नहीं की गई थी; • कम्पनी ने अप्रैल 2006 से अक्तूबर 2010 की अवधि में किस्तों में एम.ए. की वसुली की। *कम्पनी ने उत्तर दिया कि ठेकेदारों ने अपने भाव बताने के समय ब्याज मुक्त* एम.ए. *पर अवश्य विचार किया होगा जिसे कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने स्वीकृति दी और आगे कहा कि ब्याज मुक्त एम.ए. की सुविधा 2007 के बाद समाप्त कर दी गयी है।* उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि किसी वी.सी. के दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से ऐसी मंजूरी को देने से रोकते हैं और केवल बड़े उच्च अधिकारियों द्वारा स्वीकृत करने से यह नियमित नहीं हो सकता।		
11.	पश्चिम बंगाल	कम्पनी ने ठेकेदारों को ब्याज मुक्त अग्रिम (आपूर्ति: ₹ 112.74 करोड़, निर्माण कार्य ₹ 32.70 करोड़) प्रदान किया (अप्रैल 2009 / मार्च 2011) लेखा परीक्षा में पाया गया कि ऐसे अग्रिम की वसूली कार्य की प्रगति से जुड़ी थी एवं समय आधारित नहीं था।	**निधि का अवरोध: ₹ 22.40 करोड़** की अग्रिम राशि (आपूर्ति: ₹ 9.11 करोड़, निर्माण हेतु: ₹ 13.29 करोड़) की वसूली दिसम्बर 2012 तक नहीं हो पायी	1.66
	योग	**एम.ए. की राशि- ₹ 487.97 करोड़**	**निधि का अवरोध: ₹ 103.75 करोड़** अधिक एम.ए.– **₹ 29.61 करोड**	ब्याज हानि – **₹ 58.33 करोड़**

अनुलग्नक– 12
उत्तरप्रदेश में ठेकेदारों के अनुचित लाभों के मामलें
(पैरा 5.9.1 को देखें)

- अनुबन्ध पत्र और भुगतान रसीद में उल्लेखित आपूर्ति हेतु सामानों के एफ.ओ.आर. मूल्यों की विवेचना करने पर यह ज्ञात हुआ कि ठेकेदारों ने अपनी दर अनुबन्ध पत्र के अन्दर उद्वत करने के समय उत्पाद शुल्क और व्यापार शुल्क क्रमशः 18 *प्रतिशत* और 14 *प्रतिशत* पूर्णवत उत्पाद शुल्क जो क्रमशः 16.32 *प्रतिशत* और व्यापार शुल्क जो 4 *प्रतिशत* की दर पर थे के बावजूद समावेशित किया। अतः गलत दरों के नियमन के कारण ठेकेदार को प्रत्येक मद में उत्पाद शुल्क और व्यापार शुल्क की तुलना में क्रमशः 1.68 और 10 *प्रतिशत* दर पर प्रत्येक मद की आपूर्ति ऊँची एफ.ओ.आर.दर पर प्रदान कर दी गयी। बढी हुई एफ.ओ.आर दर के परिणामस्वरूप, एम.वी.वी.एन.एल ने ₹ 1.53 करोड[4] की अधिक राशि का भुगतान फरवरी, 2009 तक की सापेक्ष निष्पादित मात्रा के लिए कर दिया।

- ठेकेदार ने एम.वी.वी.एन.एल को जनवरी 2006 से फरवरी 2009 की अवधि के दौरान 15235 पी.सी.सी खंभों की आपूर्ति की। उनमें से 10,090 खंभो को एस.टी इलेक्ट्रीकल्स ने स्थानीय निर्माताओं से प्राप्त किये जिन्होने उत्पाद शुल्क अधिनियम के धाराओं की तहत उत्पाद शुल्क से मुक्त हो जाने के कारण उत्पाद शुल्क अदा नही किया था। इसलिए, एम.वी.वी.एन.एल को स्थानीय निर्माताओं से प्राप्त पी.सी.सी खम्भों की आपूर्ति पर उत्पाद शुल्क अदा करने की आवश्यकता नही थी।एम.वी.वी.एन.एल ने अनुबन्ध पत्र के धारा 3.4 (iii) के अनुपालन को सुनिश्चित नही किया जिससे उत्पाद शुल्क भुगतान के सबूत बीजकों का परीक्षण में सहायक था। परिणामस्वरूप,एम.वी.वी.एन.एल ने ठेकेदार को रूपये 67.75 लाख की उत्पाद शुल्क का भुगतान किया।

- एम.वी.वी.एन.एल ने आई.वी.आर.सी.एल इन्फ्रास्ट्रेक्चर लिमिटेड को 10 के.वी.ए के 1155 ट्रांस्फारमर और 16 के.वी.ए के 610 ट्रास्फारमर के लिए क्रमशः ₹ 31,393 और ₹ 36,440 प्रति ट्रांस्फारमर को 15 *प्रतिशत* स्थापत्त शुल्क काटे बिना भुगतान कर दिया। जब कि एन.वी.वी.एन.एल. ने जून 2006 और आगे होने वाली आपूर्तियों में 15 *प्रतिशत* कटौती की, जून 2006 के पूर्व में आपूर्तियों की ₹ 94 लाख भुगतान की गयी, अधिक राशि का पॉच वर्षो की समाप्ति के बाद भी वसूल नही किया था।

[4] उत्पाद शुल्कः ₹ 0.19 करोड़ और व्यापार शुल्क ₹ 1.34 करोड

अनुलग्नक–13
ए : वैट / प्रवेश कर नहीं काटा गया
(पैरा 5.9.4 को देखें)

(₹ करोड में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	पायी गयी अनियमितताएँ	राशि
1.	असम	निविदा दस्तावेज की धारा 14.3 मे बैट के वास्तविक भुगतान के आधार पर भुगतान का प्रावधान था। लेखापरीक्षा ने ठेकेदारों को पी. एस.सी खम्बों, कन्डक्टरों एवं ट्रांस्फारमरों पर देय से अत्यधिक भुगतान ₹38 लाख का अनुचित लाभ का भुगतान निकाला।	0.38
2.	छतीसगढ	जी.ओ.सी ने निर्देश दिया (मई 2012) कि सरकारी विभागों एवं सरकारी उपक्रमों के द्वारा दिये गये कार्य अनुबंधो के मामलो में यह जरूरी था कि ठेकेदारों से भुगतान से पूर्व 2 *प्रतिशत* की दर से टी. डी.एस पर कटौती की जाए।वैट पर टी.डी.एस हिस्सा कम्पनी ने योजना के अन्तर्गत वस्तर एवं दन्तेवाड़ा जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यो को 5 टर्नकी ठेकेदारों को (8 कार्य आदेशों पर) दिये। एस.ई जगदलपुर एवं कांकेर के आपूर्ति भाग के एल.ओ.ए. एवं आर.ए के बिलो की जॉच करने पर यह पाया गया कि कम्पनी ने ₹ 2.08 करोड वैट की कटौती ठेकेदारो से नही की थी। प्रबंधन ने (नवम्बर 2012) में जवाब दिया कि ठेकेदारों से वैट की कटोती बिलों से कम्पनी में बिल जमा कराने के बाद की जा रही है। पहले के बिलो के मामलो में यह वसूली कटौती बाद में कर ली जायेगी।	2.08
3.	मणिपुर	तीन नमूना जिलों की जॉच के बाद यह पाया गया कि 83 बिलों से कुल ₹ 1.69 करोड़ की कटौती की गई एवं आर.जी.जी.वी.वाई योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्मित किये गये में से 5.6 *प्रतिशत* वैट के अंतर्गत जमा किया गये परन्तु 155 बिलों से ₹ 2.71 करोड की कटौती नही की गई जो कि जी.ओ.एम के निर्देशों के विरूद्व थे। अतः ₹ 2.75 करोड़ की वैट में कम वसूली पाई गई । मदों की कटोती एवं जमाओं में अनियामितताओं के कारण अभिलेख में नहीं पाये गये।	2.75
		योग	**5.21**

बी : उपकर का नहीं काटना

(₹ करोड में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	पाई गयी अनियमितताएँ	राशि
1.	असम	कम्पनी ने आर.जी.जी.वी.वाई. कार्य के निर्माण घटक कार्य के ₹ 73.95 करोड के अनुक्रमिक भुगतान से ₹ 75.93 लाख के भवन एंव अन्य निर्माण कामगार शुल्क की कटौती नही की थी।	0.76
2.	गुजरात	यह पाया गया कि आर.ए बिल के भुगतान के समय भावनगर जिले के लिए पी.जी.वी.सी.एल. को छोड कर सभी डिसकॉम ने ₹ 92.80 लाख की शुल्क वसूली आर.ए. बिल के भुगतान के समय नही की जैसा की भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण शुल्क अधिनियम 1996 के अर्न्तगत आवश्यक था जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के अधिनियम के अनुभाग 8 के प्रावधानी के अनुसार ब्याज एवं अर्थदंड के अलावा ₹ 92.80 लाख की देनदारी के रूप में परिवक्षित हुआ। प्रबंधन (डीसकॉम/गुजरात सरकार ने वक्तव्य दिया(फरवरी/मार्च 2013) कि '' यह शुल्क भवन एवं अन्य निर्माण कार्य के ऊपर लागू है न कि उपकरण एवं उसके निर्माण घटों की आपूर्ती के ऊपर। प्रबन्धन ने 2 जून 2006 के सरकारी प्रस्ताव का सन्दर्भ लिया जो उच्च निर्मित क्षेत्र के आधार पर शुल्क का निर्धारण करता है। जवाब मान्य नही है क्योकि विधुत के सवहन एवं विवरण का निर्माण कार्य भवन एवं निर्माण कार्य अधिनियम 1996 (सेवा की शर्ते एवं रोजगार नियमन) के अर्न्तगत आता है। आगे, मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में आर.जी.जी.वी.वाई के टर्नकी ठेकेदारों के ऊपर अधिनियम को प्रभावी बनायें जाने को दोहराया एवं यह भी कहा कि शुल्क कटौती अनुबन्ध की कुल मूल्य के ऊपर होना चाहिए।	0.93
3.	केरल	इडुक्की जिले में, ठेकेदार के बिल से एक *प्रतिशत* की दर से ₹ 15.80 लाख की मजदूर कल्याण शुल्क की वसूली नही, की गई जैसा कि भवन खण्ड अन्य निर्माण कामगार कल्याण अधिनियम 1996 के तहत आवश्यक है। के.एस.ई.बी ने जवाब दिया कि''अनुबन्ध की शर्ते एवं संस्तुति पत्र कल्याण पद की वसूली का निर्धारण नही करतें एवं यह सामान्यत : सिविल वर्क्स के लिए लागू होता है''। जवाब तर्क संगत नही है क्योंकि भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण शुल्क अधिनियम स्पष्ट रूप से अनुबध करता है कि वसूली एक *प्रतिशत* की दर से विद्युत उत्पादन प्रसारण एवं वितरण के कार्यो से संबंधित ठेकेदारों के बिल से की जाये।	0.16
4.	महाराष्ट्र	अप्रैल 2008 से अक्टूबर 2012 के बीच ठेकेदारों को ₹ 504.64 करोड की भूगतान के आधार पर, मजदूर कल्याण उपकर राशि जिसकी वसूली नहीं की गई, उसकी कुल राशि ₹ 5.05 करोड़ निकाली गई। इस प्रकार कम्पनी द्वारा उपकर को लगाने एंव भूगतान करने की वैधानिक आवश्यकता को अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ ।	5.05
5.	मणिपुर	तीन जिलो की नमूना जॉच से ज्ञात हुआ कि ₹ 83.24 करोड़ का भुगतान ठेकेदार को किया गया और एक *प्रतिशत* की दर से ₹0.83 करोड़''श्रमिक कल्याणउपकर'' की वसूली अभी तक नही की गयी	0.83

		थी।	
6.	त्रिपुरा	यह पाया गया कि टी.एस.ई.सी.एल. ने ठेकेदारों से निर्माण और सिविल कार्य पर कुल खर्च का एक *प्रतिशत* की निर्धारित दर से ₹ 8.27 लाख ''श्रमिक कल्याण उपकर'' की वसूली नहीं की। फलतः ठेकेदारों से ₹ 8.27 लाख की कम वसूली करना पाया गया।	0.08
		कुल	**7.81**

ग : टी.डी.एस. की कटौती नहीं करना

(₹ करोड में**)**

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अनियमितता	रकम
1.	छत्तीसगढ	एस.ई ने जगदलपुर एवं काकेर क्षेत्र में ठेकेदार की आपूर्ति हिस्से की एल.ओ.ए. और रनिंग बिल के पत्र की संवीक्षा पर यह पाया कि ठेकेदारों को ₹ 104.14 करोड़ का भुगतान किया गया और कम्पनी ने दो *प्रतिशत* की दर से ₹ 2.08 करोड़ की टी.डी.एस. की कटौती नहीं की। फलतः ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया। प्रबंधन ने (दिसम्बर 2012) में उत्तर दिया कि संबधित अधिकारियों को एल.ओ.ए. की शर्तो और नियमों के अनुपालन में ठेकेदारों के बिल से निर्धारित आयकर (स्त्रोत पर कर कटौती) कटौती करने के निर्देश दे दिये गये। आयकर की वसूली (स्त्रोत भाग पर कर कटौती) करने का निर्देश पहले से ही आपूर्तित सामग्री के लिए ठेकेदारों को जारी भुगतान पर लागू करने के लिए जारी कर दिये गये थे। उसी तरह ठेकेदारों को भी आयकर विभाग को उनके द्वारा प्रस्तुत रिर्टन का विवरण प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।	2.08

अनुलग्नक–14

सुधारात्मक कार्यवाही में कमियों के मामले (प्रथम चरण की निगरानी)

(पैरा 6.2.1 को देखें)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	टिप्पणी
1.	छत्तीसगढ	फरवरी और अप्रैल 2012 में टी.पी.आइ.ए द्वारा दोषों को उजागर किया और ठेकेदार को सूचित किया गया कि तीन–चार महीने खत्म होने के बाद भी (जुलाई 2012) उसकी अनुपालन रिपोर्ट (सितम्बर 2012) तक फील्ड कार्यालयों द्वारा सूचित नही की गयी। पुनः दोषों को अपनी रिपोर्ट में (अगस्त 2012) में उजागर किया गया और ठेकेदार को (सितम्बर 2012) में सूचित किया लेकिन अनुपालन लेखापरीक्षा की तिथि (नवंबर 2012) तक प्रतीक्षित था।
2.	हरियाणा	ई.आर.डी.ए द्वारा फतेहाबाद, सिरसा भिवानी, मेवात जिलों मे और टी.सी.ई.एल द्वारा जीदं जिला में तृतीय पार्टी निरीक्षण किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा 740 से लेकर 2,552 मामलों को उजागर किया जिसमें से 291 से लेकर 2,552 के बीच लेखापरीक्षा त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया गया। यह पाया गया कि जींद जिला में टी.सी.ई.एल द्वारा उठायी गयी सभी 2,552 टिप्पणियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वस्तुतः, तृतीय चरण के निरीक्षणों पर ध्यान नहीं देने के बारे में डिस्कॉम प्रबंधन द्वारा यह कहा गया कि इसका अनुपालन समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पहले किया जाएगा।
3.	कर्नाटक	मुलबगल, बागेपल्ली और सिदलगाहट्टा प्रखण्डों मे लाभार्थियों की लेखापरीक्षा सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि अनुचित तरीक से अर्थिंग फ्यूज का लगाना, मीटर बाक्स आदि में कमियों पर ध्यान नही दिया गया।
4.	मध्यप्रदेश	केन्द्रीय डिस्काम के बेतूल जिले में त्रुटियों को ठीक करने में एक महीने से तीन महीने की देरी थी। रतलाम जिले के एलोट पैकेज में टी.पी.आई.ए. ने 95 गॉवो का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, परन्तु ठेकेदार द्वारा कोई अनुपालन रिपोर्ट नही दी गई। यह भी देखा गया कि फील्ड में समान कमियों को ठेकेदार द्वारा बार–बार दोहराया गया, यह ठेकेदार के कार्य में निष्क्रियता का संकेत है, जो कि फील्ड कार्य में असक्रियता का संकेत है और डिस्कम द्वारा त्रुटियों को दूर करने, परियोजनाओं में देरी से बचने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की कमी को दर्शाता है। मध्य डिस्काम ने (सितम्बर 2012) मे जवाब दिया कि मजदूरों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण के कारण त्रुटियों के सुधारमें देरी हुई।

5.	राजस्थान	टी.पी.ई.आई. की रिपोर्ट के अनुसार राजसंमद में ₹ 97.60 लाख,सीकर में ₹ 24.64 लाख और झुन्झनू मे ₹ 22.08 लाख की कमी थी। इसके अलावा टी.पी.ई.आई. ने (मार्च 2010) में चुरू में ₹ 36.95 लाख की कमी की रिपोर्ट (जे.डी.वी.वी.एन.एल.) दी जिसकी अनंतिम वसूली जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा की गयी।
6.	पश्चिम बंगाल	डब्लू.बी.एस.ई.डी.सी.एल ने आर.ई.सी.पॉवर वितरण कंपनी लिमिटेड और आर.ई.टी.ई.एस[5] को नियुक्त किया जबकि आर.ई.सी. ने वोएयन्त सोल्यूसन प्राइवेट लिमिटेड और इन्टरटेक को टी.पी.आई.ए के लिए चयन किया। सभी चार पार्टीओं ने 2,400 गॉवो का निरीक्षण किया। तृतीय पार्टी द्वारा प्रतिवेदित 11,037 विसंगतियों में केवल 693 (छः प्रतिशत) विसंगतियों का सुधार टर्नकी ठेकेदार द्वारा किया गया। लेकिन जिन्होने त्रुटियों का सुधार नहीं किया उन टर्नकी ठेकेदारों के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की गई।

[5] रेल इण्डिया टेक्नीकल एवं इकोनोमिकल सर्विसिस

अनुलग्नक–15

अविद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण की राज्य–वार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

(पैरा 7.1 को देखें)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लक्ष्य[6]	उपलब्धि	*प्रतिशत* उपलब्धि
1.	आन्ध्रप्रदेश	0	0	0.00
2.	अरूणाचलप्रदेश	2,327	1,313	56.42
3.	असम	6,412	7,829	122.10
4.	बिहार	25,130	22,029	87.66
5.	छत्तीसगढ़	1,171	857	73.19
6.	गुजरात	0	0	0.00
7.	हरियाणा	0	0	0.00
8.	हिमाचलप्रदेश	106	78	73.58
9.	जम्मूएवंकश्मीर	317	148	46.69
10.	झारखंड	23,313	17,905	76.80
11.	कर्नाटक	75	61	81.33
12.	केरल	0	0	0.00
13.	मध्यप्रदेश	904	504	55.75
14.	महाराष्ट्र	0	0	0.00
15.	मणीपुर	981	616	62.79
16.	मेघालय	1,895	1,172	61.85
17.	मिजोरम	177	89	50.28
18.	नागालैंड	73	79	108.22
19.	उड़ीसा	15,900	14,226	89.47
20.	पंजाब	0	0	0.00
21.	राजस्थान	3,584	3,999	111.58
22.	सिक्किम	18	25	138.89
23.	तमिलनाडू	0	0	0.00
24.	त्रिपुरा	160	127	79.38
25.	उत्तरप्रदेश	33,611	27,759	82.59
26.	उत्तराखंड	1,777	1,511	85.03
27.	पश्चिम बंगाल	5,670	4,169	73.53
	योग	**1,23,601**	**1,04,496**	**84.54**

(स्त्रोतः आर्.ई.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

[6] संख्या '0' राज्य में अविद्युतीकृत गाँवों की अनुपस्थिति को दर्शाती है।

अनुलग्नक–16

ग्रामीण आवासीय परिवारों के विद्युतीकरण का राज्यवार लक्ष्य एवं उपलब्धि

(पैरा 7.1 को देखें)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लक्ष्य/आर.एच.एच. का संस्वीकृत कवरेज	उपलब्धियाँ	उपलब्धियों का *प्रतिशत*
1.	आन्ध्रप्रदेश	39,54,128	32,72,724	82.77
2.	अरूणाचलप्रदेश	76,407	26,771	35.04
3.	असम	14,14,828	8,07,290	57.06
4.	बिहार	60,22,036	21,49,834	35.70
5.	छत्तीसगढ़	12,85,545	9,15,407	71.21
6.	गुजरात	15,95,853	8,02,818	50.31
7.	हरियाणा	5,69,686	2,15,942	37.91
8.	हिमाचलप्रदेश	36,479	18,811	51.57
9.	जम्मूएवंकश्मीर	2,95,221	57,232	19.39
10.	झारखंड	29,26,260	12,72,755	43.49
11.	कर्नाटक	19,32,797	10,02,259	51.86
12.	केरल	92,736	17,238	18.59
13.	मध्यप्रदेश	26,53,536	8,81,877	33.23
14.	महाराष्ट्र	26,33,742	12,47,172	47.35
15.	मणीपुर	1,92,148	28,814	15.00
16.	मेघालय	1,88,648	62,768	33.27
17.	मिजोरम	44,334	14,743	33.25
18.	नागालैंड	1,42,992	38,200	26.71
19.	उड़ीसा	48,58,292	27,48,137	56.57
20.	पंजाब	4,05,023	53,925	13.31
21.	राजस्थान	22,29,442	17,12,530	76.81
22.	सिक्किम	28,166	16,372	58.13
23.	तमिलनाडू	16,92,235	7,67,125	45.33
24.	त्रिपुरा	2,28,759	80,986	35.4
25.	उत्तरप्रदेश	16,94,075	10,44,494	61.66
26.	उत्तराखंड	3,57,309	2,30,041	64.38
27.	पश्चिमबंगाल	37,37,761	20,18,165	53.99
	महा योग	**4,12,88,438**	**2,15,04,430**	**52.08**

(स्रोतः आर.ई.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

अनुलग्नक–17

बी.पी.एल. आवासीय परिवारों के विद्युतीकरण का राज्यवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

(पैरा 7.1 को देखें)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	बी.पी.एल. का लक्ष्य / संस्वीकृत कवरेज	उपलब्धि	उपलब्धियों का *प्रतिशत*
1.	आन्ध्रप्रदेश	24,84,665	26,02,283	104.73
2.	अरूणाचलप्रदेश	40,810	21,646	53.04
3.	असम	11,50,597	8,07,290	70.16
4.	बिहार	27,61,010	21,49,834	77.86
5.	छत्तीसगढ़	8,95,500	9,15,407	102.22
6.	गुजरात	7,29,955	7,05,333	96.63
7.	हरियाणा	2,52,555	1,94,442	76.99
8.	हिमाचलप्रदेश	13,196	10,078	76.37
9.	जम्मूएवंकश्मीर	81,217	44,014	54.19
10.	झारखंड	18,30,722	12,72,755	69.52
11.	कर्नाटक	9,54,673	8,34,196	87.38
12.	केरल	54,614	17,238	31.56
13.	मध्यप्रदेश	13,28,462	7,17,394	54.00
14.	महाराष्ट्र	12,02,575	11,60,732	96.52
15.	मणीपुर	1,07,369	28,814	26.84
16.	मेघालय	1,09,696	62,768	57.22
17.	मिजोरम	27,417	14,743	53.77
18.	नागालैंड	69,899	28,514	40.79
19.	उड़ीसा	30,56,580	27,48,137	89.91
20.	पंजाब	1,48,860	53,925	36.23
21.	राजस्थान	12,89,942	10,43,522	80.90
22.	सिक्किम	11,458	9,366	81.74
23.	तमिलनाडू	5,02,865	2,64,038	52.51
24.	त्रिपुरा	1,07,506	80,986	75.33
25.	उत्तरप्रदेश	9,70,668	10,44,494	107.61
26.	उत्तराखंड	2,23,067	2,30,041	103.13
27.	पश्चिमबंगाल	26,04,387	20,18,125	77.49
	महा योग	**2,30,10,265**	**1,90,80,115**	**82.92**

(स्त्रोतः आर.ई.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

अनुलग्नक–18

फ्रेचांइजियों के निष्पादन का राज्य विशिष्ट विवरण

(पैरा 7.5.5 को देखें)

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>राज्य का नाम/फ्रेचांइजी का प्रकार</th><th>मामले का विवरण</th><th>विवरण</th><th>नुकसान</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>बिहार / इनपुट आधार</td><td>बी.एस.टी. का गैर निर्धारण</td><td>यद्यपि बोर्ड द्वारा मार्च 2012 तक फ्रेचांइजी नियुक्त कर दिये गये थे, थोक आपूर्ति प्रशुल्क (बी.एस.टी.) निर्धारित नहीं की गई थी।</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>हिमाचल प्रदेश / राजस्व संकलन</td><td>संकल्प दक्षता</td><td>फ्रेचांइजी द्वारा निर्धारत द्विमासी बिलिंग चक्र का सख्ती से पालन नहीं किया गया।गैर फ्रेचांइजी उपमण्डल में बिलिंग चक्र दो से लेकर चार महीनों के बीच था।</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>कर्नाटक / राजस्व संकलन</td><td>खराब प्रर्दशन और संकलन दक्षता</td><td>सात चयनित परियोजनाओं[7] में माइक्रो फीडर फ्रेंचाइजियों (एम.एफ.एफ.) के कामकाज की संवीक्षा में यह पाया गया कि एम.एफ.एफ की भूमिका राजस्व संग्रह, मीटर रिडिंग, बिजली बिल वितरण तक सीमित थी। इसका कोई प्रमाण नहीं था कि एम.एफ.एफ ने उर्जा बचत उपभोक्ताओं की शिकायतों, बिजली की चोरी की जॉच, उर्जा बचत पर सार्वजनिक जागरूकता के लिए प्रचार हेतु ठोस जिम्मेदारी निभाई हो। बेसकॉम ने (दिसम्बर 2012) में जवाब दिया कि एम.एफ.एफ ने बिजली की चोरी की जाँच उपभोक्ताओ की शिकायतों आदि पर ध्यान दिया, परन्तु इसके सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये।
तथापि एम.एफ.एफ. को प्रत्येक ग्राम पंचायत में नियुक्त किया जाना था फिर भी अधिक संख्या में रिक्तियां पाई गई। 31 मार्च 2012 तक फ्रेचांइजी की अर्पयाप्त नियुक्तिओं को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।
<table>
<tr><th>परियोजना</th><th>ग्राम पंचायत की वर्तमान संख्या</th><th>एम.एफ.एफ नियुक्ति की संख्या</th><th>रिक्तियों की संख्या</th></tr>
<tr><td>वेलगॉव</td><td>386</td><td>372</td><td>14</td></tr>
<tr><td>बीजापुर</td><td>199</td><td>182</td><td>17</td></tr>
<tr><td>गडक</td><td>108</td><td>84</td><td>24</td></tr>
<tr><td>कोलार</td><td>307</td><td>176</td><td>131</td></tr>
</table>
</td><td>--</td></tr>
</table>

[7] बेलगाँम, बीजापुर, गडग, कोडगू,कोलार, रायचूर, एवं उत्तर कन्नड़

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>रायचूर</td><td>160</td><td>138</td><td>22</td></tr>
<tr><td>उत्तर कन्नड़</td><td>63</td><td>63</td><td>0</td></tr>
</table>
उपरोक्त परियोजना क्षेत्रों में राजस्व संग्रह दक्षता एल. टी. प्रतिष्ठापन के संबंध में वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान बहुत दयनीय थी, विशेषकर रायचूर में जहाँ संग्रह दक्षता 10 प्रतिशत से कम थी जबकि दूसरे परियोजना क्षेत्रों में यह 24 से 67 प्रतिशत के बीच थी, के अपवाद को छोड़कर उत्तर कन्नड़, जहाँ यह 83 प्रतिशत थी।
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>उत्तराखंड / राजस्व संग्रह</td>
<td>संग्रह दक्षता</td>
<td>31 मार्च 2012 तक चार चयनित जिलों मे बी.पी.एल. उपभोक्ताओं से ₹ 8.48 करोड़ की बडी रकम वसूली करना बाकी था जो अपने आप खराब राजस्व संग्रह को दर्शाता है।</td>
<td>₹ 8.48 करोड़</td>
</tr>
</table>

अनुलग्नक–19

(पैरा 8.3 को देखें)

फा0सं0 44/10/2011-आरई

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

.....

श्रम शक्ति भवन,रफी मार्ग

नई दिल्ली, 2सितंबर, 2013.

कार्यालय ज्ञापन

विषयः 12वीं और 13वीं योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को जारी रखना- ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं घरेलू विद्युतीकरण की स्कीम

दिनांक 18 मार्च, 2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 44/19/2004-डी(आरई) और दिनांक 06.02.2008 के आदेश संख्या 44/37/07-डी(आरई) के क्रम में, 12वीं और 13वीं योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना(आरजीजीवीवाई)-ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं घरेलू विद्युतीकरण की स्कीम को जारी रखने के लिए निम्नलिखित हेतु राष्ट्रपति की मंजूरी सूचित की जाती है:-

(i) 10वीं और 11वीं योजना में मंजूर परियोजनाओं के स्पिलओवर कार्यों को पूरा करना।

(ii) 100 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी शेष बचे हुए जनगणना गांवों एवं आवासों को शामिल करने के लिए स्कीम को जारी रखना।

(iii) 100 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों और आवासों में 3000 रूपये प्रति कनेक्शन की दर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले घरों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाना।

(iv) उन क्षेत्रों, जहां विद्युत आपूर्ति दिन में 6 घण्टे से कम है, में विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों तक डीडीजी की सुविधा उपलब्ध कराना।

2. कुल 35,447 करोड़ रूपये की पूंजी सब्सिडी के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसमें से 23,397 करोड़ की पूर्ति 12वीं योजना हेतु जीबीएस के माध्यम से की जाएगी और शेष 12,050 करोड़ रूपये की पूर्ति 13वीं योजना में स्पिलओवर की जाएगी। ब्यौरा अनुबंध। में संलग्न है।

3. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन(आरईसी) स्कीम के लिए नोडल एजेन्सी बनी रहेगी।

4. राज्य अथवा स्थानीय करों की राशि, जो संबंधित राज्य/राज्य विद्युत यूटिलिटि द्वारा वहन की जाएगी, को छोड़कर स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं की समग्र लागत के लिए नब्बे प्रतिशत पूंजी इमदाद प्रदान की जाएगी। 10 प्रतिशत परियोजना लागत स्वयं के संसाधनों/वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से राज्यों द्वारा वहन की जाएगी।

5. विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत अपेक्षानुसार आर्थिक सहायता प्राप्त प्रशुल्क पर विद्युत की आपूर्ति द्वारा इस संदर्भ में किसी घाटे को पूरा करने के आश्वासन के साथ आरजीजीवीवाई नेटवर्क में न्यूनतम 6 से 8 घण्टे की दैनिक विद्युत आपूर्ति के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रतिबद्धता दी जानी है।

6. स्कीम का विस्तार

6.1 10वीं और 11वीं योजना परियोजनाओं के स्पिल ओवर कार्य

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, 10वीं और 11वीं योजना में मंजूर परियोजनाओं के स्पिलओवर कार्य क्रमशः 10वीं और 11वीं योजना के लिए लागू किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार पूरे किए जाएंगे। डीडीजी परियोजनाओं सहित 10वीं और 11वीं योजना के दौरान मंजूर परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध**II में संलग्न है। स्पिलओवर कार्यों के लिए पूंजी आर्थिक सहायता की कुल मांग 12,849 करोड़ रूपये है, जैसा कि **अनुबंध**III में ब्यौरा दिया गया है।

6.2 100 से अधिक की जनसंख्या वाले शेष जनगणना वाले गांवों और आवासों को शामिल किया जाना

10वीं और 11वीं योजना परियोजनाओं में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत शामिल न किए गए गांव और आवास 12वीं योजना में विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, 10वीं और 11वीं योजना परियोजना में शामिल गांव और आवास केवल शेष बीपीएल घरों को शामिल करने के उद्देश्य के लिए 12वीं योजना में शामिल किए जाने हेतु भी पात्र होंगे जैसा कि उप पैरा 6.3(ii) में नीचे स्पष्ट किया गया है।

6.3 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) घरों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन

(i) 100 से अधिक की जनसंख्या वाले गावों और आवासों में बीपीएल घरों को 3000 रूपये प्रति कनेक्शन की दर पर एलईडी लैम्प सहित निःशुल्क बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(ii) बीपीएल घरों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन उपलब्ध अवसंरचना(चाहे वो पहले से ही उपलब्ध हो अथवा आरजीजीवीवाई के अंतर्गत उपलब्ध करवाए गए हों) से 10वीं और 11वीं योजना की मंजूर परियोजनाओं में पहले से ही शामिल किए गए गांवों और आवासों में भी उपलब्ध करवाए जाएंगे और 3000 रूपये प्रति कनेक्शन की दर पर कनेक्शन उपलब्ध करवाने की लागत की प्रतिपूर्ति संबंधित कार्यान्वयन एजेन्सी को की जाएगी। केवल 10 प्रतिशत बीपीएल घरों के सा थ 10वीं योजना परियोजनाओं में शामिल लगभग 17000 गांवों, मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश, को छोड़कर इन बीपीएल घरों के कारण पहले से ही शामिल किए गए गांवों में अवसंरचना को बढ़ाने अथवा सुदृढ़ बनाने के लिए कोई निधि उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। अवसरंचना को उन्नयनित करने अथवा सुदृढ़ बाने के लिए कोई अपेक्षित व्यय संबंधित राज्य सरकार अथवा यूटिलिटि द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii) गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले घर निर्धारित कनेक्शन शुल्कों पर अपने कनेक्शनों के लिए भुगतान करेंगे और इस स्कीम से इस उद्देश्य के लिए कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

(iv) जहां भी बीपीएल घरों के मध्य अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या मौजूद हो और किसी अन्य तरीके से उनके पात्र होने पर उन्हें निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा और इस प्रकार दिए गए कनेक्शन के लिए एक पृथक रिकार्ड रखा जाएगा।

6.4 विकेन्द्रीकृत वितरण-सह-उत्पादन

परम्परागत अथवा नवीकरणीय अथवा गैर परम्परागत स्रोतों जैसे कि बायोमास, बायोईंधन, लघुजल, भूताप और सौर आदि से विकेन्द्रीकृत वितरण-सह-उत्पादन की परिकल्पना उन गांवों के लिए की गई है जहां ग्रिड सम्बद्धता या तो व्यवहार्य नहीं है अथवा मूल्य प्रभावी नहीं है। डीडीजी उन क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ग्रिड से संबंधित क्षेत्रों तक भी बढ़ाई जाएगी जहां विद्युत आपूर्ति दिन में 6 घण्टे से कम हो। डीडीजी परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 900 करोड़ रूपये अलग रखे गए हैं। तथापि, स्कीम की समग्र लागत के भीतर किसी अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए डीडीजी के अंतर्गत आबंटन लचीला होगा। डीडीजी परियोजनाओं पर विचार करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि ये एमएनआरई की स्कीमों को ओवरलैप न करें।

7. कार्यान्वयन अवसंरचना

(i) आरईसी सामग्री/उपस्करों की तकनीकी विशिष्टताओं, निर्माण मानकों, एक समान संहिता आदि के साथ आवासों को चिन्हित करने के लिए संहिता स्कीम और कार्यों के निष्पादन के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण को अधिनिगमित करते हुए मानक बोली दस्तावेज सहित वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए दिशानिर्देशों सहित परियोजनाओं के प्रतिपादन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करेगा। आरईसी इन दिशानिर्देशों को अनुमोदित निगरानी समिति से करवाएगी।

(ii) आरईसी सामग्री/उपस्करों की गुणवत्ता और निर्माण के संयुक्त मूल्यांकन के लिए उपर्युक्त गुणवत्ता नियंत्रण मेनुअल के माध्यम से उपर्युक्त गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र तैयार करेगी और इसे निगरानी समिति से अनुमोदित करवाएगी।

(iii) कार्यान्वयन एजेन्सियों को केवल टर्नकी आधार पर परियोजनाओं के निष्पादन की अनिवार्य शर्त के बजाए निगरानी समिति के अनुमोदन के साथ अपवाद स्वरूप मामलों में विभागीय रूप से परियोजनाओं के निष्पादन की भी अनुमति दी जाए। आरईसी केवल परियोजना क्षेत्रों में सामग्री/उपस्कर के उचित उपयोग और परियोजना व्यय के उचित लेख को सुनिश्चित करने के लिए इन मामलों में परियोजनाओं के विभागीय निष्पादन के लिए उपर्युक्त दिशानिर्देश जारी करेगी और इसे निगरानी समिति से अनुमोदित करवाएगी।

(iv) आरईसी स्कीम के अंतर्गत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकार और कार्यान्वयन एजेन्सी की ओर से आरईसी के बीच निष्पादित किए जाने वाले उपयुक्त त्रिपक्षीय (चार पक्षीय-यदि सीपीएसयू कार्यान्वयन एजेन्सी) करार का प्रतिपादन करेगी और इसे निगरानी समिति से अनुमोदित करवाएगी।

(v) प्रत्येक राज्य सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय स्थायी समिति का गठन करेगी और इसमें ऊर्जा, ग्रामीण विकास, वित्त, पंचायती राज, वन, राजस्व सचिव और आरईसी के प्रतिनिधि आदि शामिल होंगे। समिति स्कीम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले गांवों, आवासों, बीपीएल घरों की जिलावार सूची की जांच करेगी और दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा प्रतिपादित परियोजना प्रस्तावों की सिफारिश करेगी। राज्य समिति, अपनी सिफारिशों के लिए परियोजना प्रस्तावों पर विचार करते हुए, परियोजना क्षेत्र की भार मांग को पूरा करने के लिए प्रस्तावित वितरण नेटवर्क और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता के अनुरूप अपस्ट्रीम नेटवर्क की पर्याप्तता को सुनिश्चित करेगी। समिति प्रगति, गुणवत्ता नियंत्रण की निगरानी भी करेगी और मंजूर

परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों अर्थात सब स्टेशनों के लिए भूमि के आबंटन, मार्गाधिकार, वन स्वीकृति, रेलवे स्वीकृति, सुरक्षा स्वीकृति आदि का निपटारा करेगी।

(vi) राज्य सरकार राज्य के विभिन्न जिलों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों, डिस्काम और चिन्हित सीपीएसयू के बीच कार्यान्वयन एजेन्सियों को चिन्हित करेगी।

(vii) कार्यान्वयन एजेन्सियाँ सबसे पहले क्षेत्रीय सर्वेक्षण करेगी और 12वीं योजना में शामिल किए जाने वाले पात्र गांवों और आवासों की सूची को चिन्हित करेंगी। इन चिन्हित गांवों और आवासों की सूची की जांच 10वीं और 11वीं योजना परियोजनाओं के अपने रिकार्डों के आधार पर आरईसी द्वारा की जाएगी। आरईसी, पात्र गांवों एवं आवासों की इस सूची की जांच करते समय, यह भी सुनिश्चित करेगी कि सभी आवास एक ही कोड के साथ चिन्हित किए जांए, कार्यान्वयन एजेन्सी विस्तृत दिशानिर्देशों और तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार इस प्रकार चयनित और जांच किए गए गांवों और आवासों में विद्युतीकरण कार्यों के लिए जिलावार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डीपीआर) तैयार करेगी और राज्य समिति द्वारा सिफारिश हेतु परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। डीपीआर तैयार की जाएगी और वास्तविक मात्रा/विस्तार पर पहुंचने और भविष्य में किसी लागत संशोधन को दूर करने के लिए वास्तविक क्षेत्रीय सर्वेक्षण तथा दरों की अघतन सूची के अनुसार विचार के लिए प्रस्तुत की जाएगी। मात्रा परिवर्तन के आधार पर लागत वृद्धि, यदि कोई है, तो बाद में विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी और यह राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(viii) परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सियों जिला और परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए और जागरूकता के स्तर को बढ़ाने तथा जनता और परियोजना क्षेत्रों के जन प्रतिनिधियों की शिकायत के निपटारे हेतु एक समर्पित टीम का सृजन करेगी। एजेन्सी प्रभारों का भुगतान परियोजनाओं के प्रबंधन हेतु कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा इन समर्पित टीमों की तैनाती पर निर्भर करेगा।

(ix) राज्य समिति द्वारा सिफारिश की गई परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु आरईसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आरईसी विस्तृत तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के पश्चात प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी देने के लिए विचार करने के लिए निगरानी समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

(x) प्रति बीपीएल और एपीएल घर के अनुसार भार क्रमशः 250 वाट और 500 वाट माना जाएगा।

(xi) किसी भी आवास को उनके आकार अथवा स्थान के कारण विद्युतीकृत करने के लिए ग्रिड को बढ़ाना आर्थिक रूप से सम्भव और तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकता है। इन आवासों को एमएनआरई की उपर्युक्त स्कीम का उपयोग करते हुए विद्युतीकृत किया जा सकता है। राज्य स्तरीय समिति और निगरानी समिति परियोजना के अंतर्गत सभी आवासों को शामिल करते हुए इस पहलू की जांच करेगी।

(xii) आरजीजीवीवाई स्कीम तथा एमएनआरई की स्कीमों के बीच किसी ओवरलैप से बचने के लिए वित्त मंत्रालय के परामर्श से और निगरानी समिति के अनुमोदन से एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाएगा।

8. सेवा प्रभार/शुल्क

(i) राज्य यूटिलिटियों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को क्षेत्रीय सर्वेक्षण, डीपीआर की तैयारी, समर्पित जनशक्ति की तैनाती और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के पहले चरण में अनिवार्य तृतीय पक्ष निगरानी पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को भी पूरा करने, सहित स्कीम कार्यान्वयन के लिए एजेन्सी प्रभारों(सेवा कर आदि जैसे सभी करों सहित) के रूप में 5% परियोजना लागत (बीपीएल घरों को कनेक्शन उपलब्ध करवाने की लागत को छोड़कर) प्रदान की जाएगी। एजेन्सी प्रभारों का जारी किया जाना विस्तृत सर्वेक्षण, समर्पित टीम की तैनाती आदि जैसी विशिष्ट शर्तों को पूरा करने से संबद्ध होगा।

(ii) रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटिड(आरईसी) को कार्यान्वयन, स्कीम से संबंधित व्यय को पूरा करने, पूर्व अवार्ड और पोस्ट एवार्ड स्टेज पर मूल्यांकन, स्कीम के आरम्भ से लेकर पूर्णता तक कार्यक्रम के पूर्ण निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के दूसरे स्तर (आरईसी गुणवत्ता मानीटरों) पर परियोजनाओं के गुणवत्तापरक नियंत्रण हेतु अवसंरचना स्थापित करने के लिए शुल्क(सेवा कर आदि जैसे सभी करों सहित) के रूप में 0.5% परियोजना लागत प्रदान की जाएगी। 10वीं और 11वीं योजना के स्पिलओवर कार्यों के लिए, आरईसी का शुल्क पूर्व की तरह अर्थात परियोजना लागत का 1% रहेगा।

(iii) विद्युत मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले समर्थन/समक्ष कार्यों और तीसरे स्तर पर गुणवत्ता निगरानी के लिए, भविष्य में मंजूर की जाने वाली परियोजनाओं के लिए 0.5% परियोजना लागत का प्रावधान रखा जाएगा। समर्थन कार्य क्षमता निर्माण, जागरूकता, और अन्य प्रशासनिक एवं संबद्ध व्यय, फ्रेन्चाइजी विकास और ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम के पूरक पायलट अध्ययनों एवं परियोजनाओं को शुरू करने की प्रवृत्ति में होगा।

9. निगरानी समिति

सचिव(विद्युत) भारत सरकार की अध्यक्षता में विद्युत मंत्रालय द्वारा एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में व्यय विभाग, योजना आयोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति संबंधित राज्य स्तरीय स्थायी समिति और आरईसी की सिफारिश के आधार पर मंजूरी हेतु परियोजनाओं पर विचार करेगी। समिति समय समय पर दिशानिर्देश जारी करने/संशोधित करने के अतिरिक्त स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी। समिति बेंचमार्क लागत मानदण्डों की समीक्षा एवं संशोधन हेतु भी सशक्त होगी।

10. आरजीजीवीवाई परिसम्पतियों की वैधता

ग्रामीण वितरण के प्रबंधन हेतु फ्रेन्चाइजियों की तैनाती 10वीं और 11वीं योजना में पहले से ही मंजूर नई तथा चालू परियोजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं होगी। तथापि, राज्यों को सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण तथा डिस्काम स्तर पर राजस्व स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली वैकल्पिक व्यवस्था का वर्णन करना चाहिए। राज्य डिस्काम के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को प्रस्तुत करते समय आरजीजीवीवाई परियोजनाओं के अंतर्गत सृजित परिसम्पतियों के अनुरक्षण के संबंध में विद्युत मंत्रालय को वचनपत्र प्रस्तुत करेंगे।

11. अपनी इच्छा तथा मांग के अनुसार ग्रामीण विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में उनकी सहायता हेतु राज्यों को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों(सीपीएसयू) की सेवाएं प्रदान की गई हैं।। कार्यक्रम की कार्यान्वयन क्षमताओं को बढ़ाने की दृष्टि से, आरईसी उनकी सेवाओं का उपयोग करने की इच्छा वाले राज्यों को परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञता और क्षमताएं उपलब्ध करवाने के लिए निगरानी समिति के अनुमोदन के साथ विद्युत क्षेत्र में विभिन्न सीपीएसयू के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगी। इसका प्रचालनीकरण उपयुक्त त्रिपक्षीय/चतुर्थपक्षीय करार के माध्यम से किया जाएगा।

12. यदि परियोजनाएं उपरोक्त दर्शायी गई शर्तों के अनुसार संतोषजनक रूप से कार्यान्वित नहीं की जाती हैं तो पूंजी राजसहायता को ब्याज धारक ऋणों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

13. उपरोक्त स्कीम पर शामिल व्यय वर्ष 2013-14 और बाद के वर्षों के लिए विद्युत मंत्रालय के अनुमोदित बजट अनुदान संख्या 76 के खाते में डाला जाएगा।

14. इसे दिनांक 19.08.2013 की उनकी डायरी संख्या 1017/जेएस एवं एफए/13 के माध्यम से वित्त विंग की सहमति से जारी किया जाता है।

(बी.एन. शर्मा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव
2. सभी राज्यों के सचिव(विद्युत/ऊर्जा)
3. सभी राज्य यूटिलिटियों के अध्यक्ष
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, स्कोप काम्प्लैक्स

अनुबंध-I

12वीं और 13वीं योजना के लिए पूंजी सब्सिडी का अनुमान

क. 10वीं और 11वीं योजना के स्पिलओवर कार्यों हेतु

1. डीडीजी परियोजनाओं सहित 10वीं और 11वीं योजना के लिए पूंजी सब्सिडी की कुल मांग (अनुबंध-III में ब्यौरा) — 39000 करोड़ रु.
2. 31.03.2012 तक उपयोग की गई पूंजी सब्सिडी — 26151 करोड़ रु.
3. स्पिलओवर कार्यों के लिए अपेक्षित पूंजी सब्सिडी (1-2) — 12849 करोड़ रु.

ख. नई परियोजनाओं के लिए

क्रम सं.	विवरण	यूनिट लागत (रु. लाख में)	कुल मात्रा (संख्या लाख में)	कुल राशि (रु. करोड़ में)
1	एक आवास (अर्थात 0.88*2=1.76 लाख गांव/आवास) सहित विद्युतीकृत किए जा रहे गांवों की अनुमानित लागत	9.00	0.88	7920
2	100 से अधिक की जनसंख्या के विद्युतीकृत किए जा रहे आवासों की अनुमानित लागत	9.00	0.77	6930
3	3000 रुपये/घर की दर पर 2.73 करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने की अनुमनित लागत	0.03	273	8190
4	12वीं योजना में डीडीजी परियोजनाओं की लागत	-	-	1000
5	बीपीएल लागत को छोड़कर (1+2+4) पर 5% की दर पर अभिकरण शुल्क			792.50
6	कुल परियोजना लागत (1+2+3+4+5)			24832.50
7	कुल परियोजना लागत के 5% की दर पर आरईसी शुल्क			124.16
8	कुल परियोजना लागत के 0.5% की दर पर सक्षम कार्यों हेतु विद्युत मंत्रालय के लिए प्रावधान			124.16
9	शेष गांवों, आवासों और बीपीएल घरों (6+7+8) को शामिल करने के लिए कुल लागत			25080.83
10	सब्सिडी अनुपात		90:10	
11	परियोजनाओं के लिए अपेक्षित पूंजी सब्सिडी (उपरोक्त क्रम सं. 6 के लिए)			22349.25
12	आरईसी शुल्क/विद्युत मंत्रालय कार्यों की तुलना में पूंजी सब्सिडी			248.33
13	आरईसी शुल्क सहित सब्सिडी की कुल मांग और 12वीं योजना परियोजनाओं (11+12) के लिए विद्युत मंत्रालय हेतु प्रावधान			22597.58 अर्थात 22598

ग. 12वीं योजना और 13वीं योजना के लिए पूंजी सब्सिडी की कुल मांग (क + ख) — 35447 करोड़ रु.

घ. 12वीं योजना के लिए जीबीएस के माध्यम से पूरी की जाने वाली पूंजी सब्सिडी — 23397 करोड़ रु.

ङ 13वीं योजना तक बढ़ाई जाने वाली पूंजी सब्सिजी (ग - घ) — 12050 करोड़ रु.

अनुबंध-II

10वीं योजना और 11वीं योजना में मंजूर परियोजनाएं (31.03.2012 तक)

क्रम सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	कवरेज							मंजूर परियोजना लागत (संशोधित) (रु. करोड़ में)
				गैर-विद्युतीकृत गांव (डूईवी) (संख्या)	आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांव (ईवी) (संख्या)	कुल गांव	जनगणना वाले गांवों सहित 100 से अधिक जनसंख्या वाले आवास (संख्या)	जनगणना वाले गांवों को छोड़कर 100 से अधिक जनसंख्या वाले आवास (संख्या)	100 अथवा उससे कम की जनसंख्या वाले आवास	बीपीएल घर (बीपीएल एपी/एपी) (संख्या)	
1	आंध्र प्रदेश	26	22	0	27477	27477	60508	33031	8942	2484665	896.52
2	अरुणाचल प्रदेश	16	16	2129	1780	3909	2251	-1658	211	40810	942.09
3	असम	23	23	8326	12984	21310	53520	32210	491	1150597	2762.76
4	बिहार	54	38	23847	19244	43091	68103	25012	0	5659338	7625.26
5	छत्तीसगढ़	18	16	1594	17375	18969	36795	17826	0	979834	1346.21
6	गुजरात	25	25	0	17667	17667	30835	13168	362	729955	352.02
7	हरियाणा	21	21	0	6610	6610	6813	203	7	273987	227.95
8	हिमाचल प्रदेश	12	12	95	10650	10745	14426	3681	6578	13196	342.03
9	जम्मू व कश्मीर	14	14	239	4442	4681	10946	6265	330	81217	926.88
10	झारखंड	22	22	19281	7223	26504	59282	32778	17153	1830722	3455.04
11	कर्नाटक	27	27	61	28504	28565	44646	16081	2887	982455	971.17
12	केरल	14	14	0	1273	1273	4079	2806	3	73453	237.58
13	मध्य प्रदेश	52	48	862	49897	50759	86492	35733	5740	1825176	2697.20
14	महाराष्ट्र	35	34	0	41981	41981	77575	35594	1328	1221854	843.57
15	मणिपुर	9	9	882	1378	2260	2045	-215	0	107369	381.83
16	मेघालय	7	7	1866	3239	5105	4470	-635	0	109696	441.99
17	मिजोरम	8	8	137	570	707	615	-92	39	27417	268.58
18	नागालैंड	11	11	105	1140	1245	1376	131	9	69899	264.35
19	ओडिसा	32	30	14747	29320	44067	69374	25307	4281	3056580	3782.51
20	पंजाब	17	17	0	11840	11840	12728	888	0	148860	186.91
21	राजस्थान	40	33	4350	34845	39195	61592	22397	0	1289942	1333.92
22	सिक्किम	4	4	25	418	443	1651	1208	22	11458	196.54
23	तमिलनाडु	29	29	0	10738	10738	76739	66001	0	527234	484.68
24	त्रिपुरा	4	4	148	658	806	5229	4423	176	107506	198.41
25	उत्तर प्रदेश	86	65	28136	22980	51116	112539	61423	0	1914309	7286.15
26	उत्तराखंड	13	13	1511	13820	15331	13155	-2176	25598	223067	766.43
27	पश्चिम बंगाल	29	17	4454	24311	28765	83722	54957	0	2628810	2841.86
	कुल	648	579	112795	402364	515159	1001506	486347	74157	27569406	42060.44

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत मंजूर डीडीजी परियोजनाओं का ब्यौरा (31.03.2012 तक)

क्रम सं.	राज्य	परियोजनाओं की सं.	कवरेज			
			गैर-विद्युतीकृत गांव (संख्या)	गैर-विद्युतीकृत आवास (संख्या)	बीपीएल घर (संख्या)	मंजूर परियोजना लागत (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	96	39	96	3500	26.55
2	बिहार	48	48	127	10143	37.85
3	छत्तीसगढ़	19	19	31	1440	10.53
4	मध्य प्रदेश	48	48	122	3367	28.83
5	उत्तर प्रदेश	62	38	65	4821	64.09
6	उत्तराखण्ड	1	2	5	225	2.74
7	पश्चिम बंगाल	9	39	0	23276	109.97
	कुल	283	233	446	46772	280.56

अनुबंध-III

क. स्पिलओवर कार्य

विवरण	गैर-विद्युतीकृत गांव (संख्या)	आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांव (संख्या)	बीपीएल घर (संख्या लाख में)
कवरेज	112795	402364	275.69
प्रगति (31.03.2012 तक)	104496	248553	194.25
12वीं योजना में लाई गई कमी	8299	153811	81.44

ख. 10वीं योजना, 11वीं योजना के स्पिलओवर कार्यों और डीडीजी परियोजनाओं के लिए निधि मांग

1. कुल मंजूर परियोजना लागत — **42341 करोड़ रु.**

(I) 10वीं योजना परियोजनाओं की मंजूर परियोजना लागत — 13263.68 करोड़ रु.

(II) 11वीं योजना चरण-I परियोजनाओं की मंजूर परियोजना लागत — 20832.44 करोड़ रु.

(III) 11वीं योजना चरण-II परियोजनाओं की मंजूर परियोजना लागत — 7964.32 करोड़ रु.

(IV) डीडीजी परियोजनाओं की मंजूर परियोजना लागत — 280.56 करोड़ रु.

2. कुल मंजूर परियोजना लागत के 1% की दर पर परियोजना लागत में सम्भावित वृद्धि — **423.41 करोड़ रु.**

3. कुल सम्भावित संशोधित परियोजना लागत — **42764.41 करोड़ रु.**

4. कुल सम्भावित संशोधित परियोजना लागत के 90% की दर पर शामिल कुल पूंजी सब्सिडी — **38487.97 करोड़ रु.**

5. परियोजना लागत के लिए पहले से ही जारी की गई पूंजी सब्सिडी — **25880.15 करोड़ रु.**

6. राज्यों द्वारा किया गया योगदान (आरईसी से ऋण सहित) = (5)*0.1/0.9 — **2875.57 करोड़ रु.**

7. स्पिलओवर की लागत =(3)-(5)-(6) — **14008.69 करोड़ रु.**

8. आरईसी शुल्क — **366.09 करोड़ रु.**

(I) 10वीं योजना परियोजनाओं के लिए आरईसी शुल्क — 72.41 करोड़ रु.

(II) 11वीं योजना परियोजनाओं की सम्भावित संशोधित परियोजना लागत के 1% की दर पर 11वीं योजना परियोजनाओं के लिए आरईसी शुल्क — 290.85 करोड़ रु.

(III) डीडीजी परियोजनाओं की सम्भावित संशोधित परियोजना लागत के 1% की दर पर डीडीजी परियोजनाओं के लिए आरईसी शुल्क — 2.83 करोड़ रु.

9. विद्युत मंत्रालय द्वारा पहले से ही जारी किया गया आरईसी शुल्क — **226.37 करोड़ रु.**

10. जारी किया जाने वाला शेष आरईसी शुल्क =(8)-(9) — **139.72 करोड़ रु.**

11. सक्षम कार्यों के लिए विद्युत मंत्रालय हेतु प्रावधान (कुल परियोजना लागत के 1% के प्रावधान में से) — **90 करोड़ रु.**

12. विद्युत मंत्रालय द्वारा उपयोग की गई राशि — **44.25 करोड़ रु.**

13. सक्षम कार्यों हेतु विद्युत मंत्रालय के लिए शेष प्रावधान =(11)-(12) — **45.75 करोड़ रु.**

14.आरईसी शुल्क सहित 10वीं और 11वीं योजना परियोजना के विस्तार कार्यों के लिए कुल लागत और विद्युत मंत्रालय के सक्षम कार्य =(7)+(10)+(13) — **14194.16 करोड़ रु.** अर्थात **14194.00 करोड़ रु.**

15. पूंजी सब्सिडी की कुल मांग =(4)+(8)+(11) — **38944.06 करोड़ रु.** अर्थात **39000.00 करोड़ रु.**

16. 31.03.2012 तक उपयोग की गई पूंजी सब्सिडी — **26151.00 करोड़ रु.**

17. 10वीं योजना, 11वीं योजना और डीडीजी परियोजनाओं के विस्तार कार्यों के लिए अपेक्षित पूंजी सब्सिडी — **12849.00 करोड़ रु.**